# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का सातवां दिवस [संख्या : 5

**सोमवार**

**9 अक्टूबर, 2006**

**राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।**

**(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का अन्तर हो गया है आज।

**श्री अध्यक्ष**: क्षमा करना, मैं लेट नहीं थी। इन्होंने आते ही टोक दिया तो अपना जवाब देने के लिए मैंने सोचा, तैयारी की कि मुझे क्या कहना है? मेरे यहां एक माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के लिये आया है और मुझे उन्होंने वहां दिया यहां जब मैं खड़ी थी। उनसे मैंने कहा कि एक दिन की कोई आवश्यकता नहीं है तो उन्होंने कहा कि नहीं। वो तो पूरे ही सत्र नहीं आये। मुझे इसलिए एक सैकण्ड की देरी हुई, क्षमा चाहती हूं।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण देना आपसे....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: स्पष्टीकरण देना है तो क्वेश्चन आवर के बाद दीजिएगा।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्वेश्चन आवर के बाद में विधान सभा में क्या स्थिति बने, हाउस चले या नहीं चले।

**श्री अध्यक्ष**: हाउस क्यों नहीं चलेगा?

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): इससे पहले आप....(व्यवधान) आप दो मिनट का समय दे दें तो आपका आभारी रहूंगा। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: यह गलत परम्परा होगी। डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य, यह गलत परम्परा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है पहले क्वेश्चन आवर होगा, क्वेश्चन आवर के बाद में (व्यवधान)

2]

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्वेश्चन आवर के तुरन्त बाद आप....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: पहले सुनिये न आप बात, पहले बैठिये, पहले बैठिये। क्वेश्चन आवर की समाप्ति के बाद जब मैं व्यवस्था दे दूं स्थगन प्रस्तावों पर, पर्ची के ऊपर, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, उससे पहले नहीं।

**श्री अमराराम** (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: फिर वही बात, जब मैंने एक बार कह दिया, अब क्वेश्चन आवर, आपको जो बात कहनी है...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): मेरा आपसे निवेदन है कि क्वेश्चन आवर को स्थगित करके गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में राजस्थान की सरकार के इशारों पर जिस तरह का आतंक पुलिस ने मचा रखा है, पुलिस ने ऐसा आतंक मचा रखा है जहां दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। यह बहुत गलत है कि आप क्वेश्चन आवर के अन्दर खड़े हो जाएं। आपको नियमों की जानकारी है, नियमों की जानकारी होते हुए आप नियमों का उल्लंघन करते हैं, उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है।

**श्री अमराराम** (धोद): (व्यवधान) मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्रश्न आवर स्थगित करके इस तरह के आतंक, सरकार के इशारों से पुलिस ने हनुमानगढ़ ....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आपने स्थगन प्रस्ताप दिया है, सारी, माननीय सदस्य मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि .....(व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण कर लें, कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है, आपको कोई अधिकार नहीं बोलने का। आप बैठ जाएं। आई से सिट डाउन। श्री एमादुद्दीन अहमद खान ।

## तिजारा तहसील क्षेत्र (अलवर) की औद्योगिक इकाइयों में बकाया बिक्री कर की वसूली

**63. श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अलवर जिले की तहसील तिजारा स्थित औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, खुशकेडा, चौपानकी में स्थित औद्योगिक इकाइयों पर बिक्री कर के रूप में काफी राशि बकाया है, यदि हां, तो किस किस इकाई पर कब-कब से कितनी-कितनी राशि बकाया है, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई इकाइयों का बिक्री कर निर्धारण का कार्य बकाया है? यदि हां, तो क्यों, सरकार अब कब तक बकाया राशि का निर्धारण कर वसूली करने का विचार रखती है?

**राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण** (श्री वीरेन्द्र मीणा): (1) जी हां। सूची परिशिष्ट ए व बी पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2004-05 के कर निर्धारण प्रकरण निर्धारित समयावधि 31 मार्च, 2007 तक सम्पादित किये जाने हैं।

समस्त बकाया कर निर्धारण, निर्धारित समयावधि में सम्पूरित कर, नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

**(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इन्होंने जो एक डिटेल भिवाड़ी की दी है यह ढाई हजार इण्डस्ट्रीज की है और जो इसमें मैंने जो फिगर्स देखे हैं उसमें डेढ सौ करोड़ रूपए के आउटस्टेण्डिंग्स इन्होंने बताये हैं। कुछ समय पहले इन्होंने जो जवाब में लिखा 2004-2005 से इन्होंने यह सूची दी है तो मैं जानना चाहता हूं कि इससे पहले के असेसमेंट्स पूरे हो गये हैं कि नहीं हो गये हैं, सभी फर्मों के 2004-2005 से पहले के हैं? दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि यह बकाया वसूली के लिए क्या कार्यवाही हो रही है और इसके क्या नतीजे निकले हैं? और अगर इसमें कार्यवाही में कोई कमी है तो रिकवरी के लिए लॉ में सरकार चेंज लाने का कुछ सोच रही है ताकि इसमें

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

रिकवरी जल्दी हो सके। इसके साथ-साथ, जो आपका अब तक सेल्स-टैक्स का एक्सपीरियंस रहा है रिकवरी का, उसको देखते हुए अब आपने इस समय से वैट लागू कर दिया है, अब वैट में आप जो लॉ लाये हैं जो आपको परेशानियां हुई हैं रिकवरी में, इस वैट के लॉ में आपने उसको इनकारपोरेट किया है कि आगे आने वाले समय में रिकवरी में आपको कोई परेशानियां नहीं आएं, यह मैं जानना चाहूंगा?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्री, इनको भी पूछ लेने दीजिए

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा, समय अवधि के अन्दर कर निर्धारण पूरा कर दिया जाएगा, कृपया यह बताने की कृपा करें मोटी-मोटी क्योंकि ढाई हजार इण्डस्ट्रीज बहुत होशियारी से आपने जो उत्तर दिया है उसमें कब से ....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप भी उतनी ही होशियारी से दिया करते थे।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए आपका।

**श्री अध्यक्ष**: पूछिए, पूछिए, हकीकत कई बार कहनी पड़ती है, पूछिए आप।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मुझे प्रोटेक्शन चाहिए आपसे। अब आप पुरानी बातें याद कराकर उनका मार्ग प्रशस्त नहीं करें आप। अब आप उनका मार्ग प्रशस्त नहीं करें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप कोई जमाना था जब यहां से बोलते थे, अब वहां से बोलते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप बीच में नहीं बोले, प्रश्न पूछने दें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर इसके अन्दर कर निर्धारण की अवधि क्या है और आपके विभाग में यह कब से पैण्डिंग है वह आपने इसमें कहीं नहीं बताया है। आपको यूनिटवाइज लिखना चाहिए कि आउटस्टेण्डिंग कहां से...(व्यवधान) आप खुद भी देख लें, अध्यक्ष महोदय, समयावधि के अन्दर हम इसको पूरा देंगे। असल में इसके अन्दर पहले एक जवाब तो आप यह दे दें, फिर मेरा नैक्स्ट सप्लीमेंट्री यह है कि उद्योग विभाग से आपका तालमेल का अभाव है। वित्त

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

विभाग का कतई तालमेल नहीं है। रिवाइवल का जो पैकेज इन्होंने दिया था-आर.एफ.सी. ने दिया था, रीको ने दिया था, गवर्नमेंट ने इसके बारे में नियम बनाये थे। कोई गाइडलाइंस बनायी थीं कि सिक इण्डस्ट्रीज् को रिवाइव कैसे किया जाएगा। अगर आज आपका उद्योग विभाग से तालमेल होता तो रिवाइवल के पैकेज के तहत कितनी इण्डस्ट्रीज् रिवाइव हुई हैं? आप कह देंगे यह तो मेरे महकमे का सवाल नहीं है। इसका मतलब रिवाइव हो सकती थीं इण्डस्ट्रीज। पहले आप दो प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर मैं वैट से सम्बन्धित एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: आप दो का जवाब दे दीजिए, आपकी ही ठेकेदारी नहीं है सारे सवालों की, आप दो का दे दीजिए।

**श्री वीरेन्द्र मीणा** (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने और हमारे एमादुद्दीन साहब ने असेसमेंट के बारे में जो पूछा है असेसमेंट एक...(व्यवधान)

**श्री समर्थ लाल** (राजगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर के अन्दर यह परम्परा है कि जो प्रश्नकर्ता होता है अगर वह कोई प्रश्न पूछे, उत्तर सुनने के बाद पहले उसका जवाब दिया जाता है और उसके बाद कोई सप्लीमेंट्री सदन में कोई भी माननीय सदस्य पूछे उसके बाद उसका उत्तर दिया जाता है। जो प्रश्नकर्ता होता है वह गौण हो जाता है, जैसा अभी-अभी भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय पूछ बैठे और उत्तर का सवाल मंत्रीजी उनका दे रहे हैं, प्रश्नकर्ता का जो सवाल था वो गौण हो गया।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्नकर्ता का भी देंगे।

**श्री वीरेन्द्र मीणा** (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं तो उसी बात पर आ रहा हूं। असैसमेंट एक प्रक्रिया है पूरी और इसके अन्दर असैसमेंट करके उसके बाद में असैसमेंट वर्ष समाप्ति के दो वर्ष के भीतर करना अनिवार्य होता है और असैसमेंट से पहले व्यापारी से हम किसी प्रकार की वसूली नहीं कर सकते। असैसमेंट होने के बाद उसको 30 दिवस का समय दिया जाता है, 30 दिवस के समय के अन्दर अगर वह राशि जमा नहीं कराता उसके बाद उसके ऊपर विभाग कोई कार्यवाही करता है। फिर अगर डिले होता है उसमें तो उस व्यापारी को उस राशि का ब्याज है वह देना पड़ता है। कोई भी इसकी सीमा नहीं होती। अगर 10 साल बाद भी किसी व्यापारी के

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

प्रति कोई पैसा निकलता है तो विभाग उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है,पहली बात तो यह है।

दूसरा माननीय एमादुद्दीन साहब ने जो प्रश्न उठाया है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सर्किल की आप बात कर रहे हैं खुशकेड़ा, भिवाड़ी और चौपानकी, उसमें निश्चित 146.31 करोड़ रुपये बाकी हैं। वो जिस-जिस हैड के अन्दर बाकी हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेलवाइज बता दूं इसमें पहले तो है Demand is pending for want of declaration of forms. उसमें 57.26 करोड़ रुपये बाकी है। Demand relates to assumption under incentive scheme of 1987. Matter is pending before DLS. इसमें 4 करोड़ 43 लाख बाकी है। इसके बाद Ex-party assessment order. Firm is closed. इसमें 3.21 करोड़ रुपये बाकी है फर्म इज क्लोज्ड बंद फर्मों के 45 करोड़ रुपये बाकी हैं। इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, Recovery proceedings share under process वो चल रहा है 13 करोड़ 47 लाख रुपये, अंडर लिक्विडिशन 5.59 लाख रुपये। अंडर रक्टिफिकेशन 29 लाख रुपये, अंडर स्टे 6 करोड़ 75 लाख रुपये इस प्रकार पूरी राशि 146.31 करोड़ बाकी है। पिछले पांच वर्ष के अन्दर इसमें से वर्ष 2001-2002 में 33 करोड़ 55 लाख रुपये वसूल किये, वर्ष 2002-03 में हमने 69.61 करोड़ रुपये वसूल किये, 2003-2004 में 31.7 करोड़ वसूल किये, 55.85 करोड़ रुपये हमने 2004-05 में किये, 2005-06 में हमने 159.75 लाख रुपये वसूल किये और 2006-07 में हमने 126.79 लाख रुपये इस पर्टीकूलर सर्किल में वसूल किये हैं। फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अभी इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर कुछ पोस्टें क्रियेट की हैं। अभी 2.9.2006 को नोटिफिकेशन निकाल कर हमने पांच सीटीओज की पोस्टें क्रियेट की हैं। इस कर निर्धारण की प्रक्रिया, इस राशि को वसूल करने के लिए एक पोस्ट हमने भिवाड़ी में क्रियेट की है । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो फर्माया ढाई हजार इंडस्ट्रीज जिनके खिलाफ यह पैसा बाकी है उसमें एक पोस्ट पर्टीकुलर भिवाड़ी में क्रियेट की है, जल्दी से जल्दी जितना भी पैसा है सख्त से सख्त कार्यवाही विभाग इसको वसूल करेगा। अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): नहीं, माननीय मंत्री महोदय, यह तो सतत प्रक्रिया है हर साल असैसस्मेंट होता है हर साल आता है। आपने बड़ी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

खूबसूरती से जवाब दिया कि 2004-05 के कर निर्धारण की जो समयावधि है वो 2007 तक है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं जितनी इंडस्ट्रीज हैं सबका असैसस्मेंट 2004-05 में ड्यू था? पहले से चल रहा है आपका। सवाल यह है आपका पहले से चल रहा है। सीधा सवाल है इनसे वसूली का, फार्म क्लाज होकर चली गयीं, लोग बंद करके चले गये इंडस्ट्रीज घाटे में आयीं। इंसेंटिव स्कीम जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने दीं और जो बीडी के द्वारा एप्रूव्ड है, क्योंकि तालमेल का कतई अभाव है इंडस्ट्रीज के अन्दर और वित्त विभाग के अंदर। अगर यह इंसेंटिव स्कीम के तहत आपने उनको रिवाइवल का पैकेज दिया। यह मैं जानता हूं इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, आरएफसी को, बिजली को इतना मिलेगा, इनकी बिक्री होगी, बिक्रीकर विभाग को इतना मिलेगा, कन्सर्ड फाइनेंशियल इंस्टटीयूशन को इतना पैसा मिलेगा, मैं आपसे यह पूछ रहा था....

**श्री अध्यक्ष**: भाषण नहीं प्रश्न।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हां, प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आपकी जानकारी में तो यह स्कीम होगी नहीं, क्योंकि वहां बंद पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि जो बंद इंडस्ट्रीज हैं उनकी सारी मशीनरीज या तो लोग खोल कर ले गये, इनकी जमीन रह गयी है या चोरी हो गया वहां से सामान। जब आपको बकाया वसूलना था, अगर दोनों में तालमेल हो, तो सरकार का जो रुपया बाकी पड़ा हुआ है। क्योंकि इन्होंने कहा 2004-05 का 2007 तक हम कर देंगे, यह बताने की कोशिश की, इसमें कितना पैसा और तारीख दी नहीं कि उसकी आगे की कब से बकाया है। उसके ऊपर जो लंबी समयावधि का पैसा बाकी रह गया है उसकी रिकवरी के लिए आपने क्या कारगर कदम उठाये हैं। यह बताने की आप कृपा करें। जो बहुत लंबे अर्से से दस वर्ष बाद भी कोई पेमेन्ट कर दे तो वो तो हर एक को मालूम है राज्य का पैसा आता है, आप लेते हैं, आउटस्टेंडिंग बाकी रहता है। लेकिन लंबी समयावधि का जो पैसा बाकी पड़ा हुआ है उसको वसूल करने की दिशा में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। यह आप बताने की कृपा करें।

**डा. सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री है, आप तो, मंत्रीजी, यह बता दें कि आपके आने के बाद सैल्स टैक्स के एरियर में वृद्धि हुई है या कमी हुई है?

**श्री वीरेन्द्र मीणा** (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं पूर्व में भी आपसे कह चुका हूं कि सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अन्दर राज्य सरकार ने पोस्टें क्रियेट की हैं उसकी डिटेल मैं आपको और बताना चाहूंगा। ...(व्यवधान) सुन तो लें आप मेरी बात तो सुन लें।

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): पोस्ट एक और क्रियेट की है वो तो मालूम है, आपने एक पोस्ट भिवाड़ी में और बढ़ा दी उसका तो मालूम है अभी तक उस पोस्ट पर कोई गया नहीं है वहां । आप फिगर्स की बात करिये।

**श्री वीरेन्द्र मीणा** (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस फाइनेंशियल ईयर में एडिश्नल कमिश्नर की 2 पोस्ट, डीसीज की 3 पोस्ट, एसीज की 4, सीटीओ के 5, एसीटीओ के 32 और इंस्पेक्टर्स की 32 पोस्टें हैं।

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): पोस्ट से कोई मतलब नहीं है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): इस प्रकार की बातों से क्या मतलब है आप भिवाड़ी की बात करें। आपने राजस्थान में इतनी पोस्टें क्रियेट कर दी हैं फलानीं जगह इतनी कर दीं, आप भिवाड़ी की बात करें। सवाल यह है कि भिवाड़ी में स्टे लिया था ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी समस्या क्या हुआ है कि वैट के तहत जिन आइटम्स का एग्जम्प्शन दिया जाता था जो कि आम सहमति देश के स्तर के ऊपर बनी थी उसके परे हटकर वैट की एक सुपर पॉवर कमेटी बना दी गई राजस्थान के अन्दर, मंत्रीजी का कोई लेना देना नहीं है। ग्रिवेंसेज कमेटी के नाम से एक कमेटी बना दी गई।

**श्री अध्यक्ष**: इस प्रश्न से क्या ताल्लुक है उसका?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): एक मिनट सुन लें, आप कृपया सुन लें।

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): नहीं मैडम, इससे वैट का ताल्लुक है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): ताल्लुक है इसका। अब इस उम्मीद में लोग बैठे हुए हैं असैसमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं वो भी प्रयत्न कर रहे हैं। दस आइटम्स के ऊपर देश के अन्दर सहमति बनी थी स्टेट बेस नीड के आधार पर वैट एग्जम्पशन इन स्टेट्स अलाउ किया हुआ था ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बकाया का सवाल वेट का कहां है? ...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): है वैट से है यह ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): वैट का ताल्लुक है। है क्यों नहीं? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वैट का तो ताल्लुक है सेल्स टैक्स की जगह वेट आया है ...(व्यवधान) सैल्स टैक्स की जगह वेट लगाया है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): इसी उम्मीद के अन्दर लोग बैठे हुए हैं ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप सवाल पूछो न ... (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): क्या मतलब है? क्या मजाक है? Why you are trying to protect the Minister? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि इस उम्मीद में लोग बैठे हुए हैं They are also making efforts. क्योंकि दस की सीमा को इस कमेटी ने पार कर दिया है, इसका क्या हश्र होगा यह तो भविष्य बताएगा।

**श्री अध्यक्ष**: यह बिक्री कर के संबंध में है।

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, वैट से संबंध है बिकॉज 2006-07 में वैट ही लगेगा न।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): 2006-07 में वैट लगेगा।

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): फिर सेल्स टैक्स कहां लगेगा?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं आपसे कह रहा हूं कि इस उम्मीद में लोग बैठे हुए हैं कि हम भी प्रयत्न करेंगे, सर्टेन टाइप की इंडस्ट्रीज का इस वैट से एग्जम्पशन करा लेंगे, क्योंकि सैल्स टैक्स का स्थान वैट ने ले लिया। अब सेल्स टैक्स का स्थान वैट ने ले लिया इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मामला इतना कम्लैक्स्ड है।

**श्री अध्यक्ष**: वैट में लेने के बाद की बात तो ...(व्यवधान) की बात करें आप तो।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): चलिये, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज मैं आपसे कह रहा हूं ....

**श्री अध्यक्ष**: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने रिलेवेंट प्रश्न पूछा कि आपके आने के बाद में उसमें कमी हुई या बढ़ोतरी हुई।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन

करना चाहता हूं कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कोआर्डिनेशन के अभाव की बात कही, तो आप भी वित्त मंत्री थे। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी थे, रिप्स भी इंडस्ट्रीज के नहीं हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और सिक यूनिट्स की जो स्कीम है उसका भी डिपार्टमेंट फाइनेंस ही है तो कोओर्डिनेशन के अभाव की बात नहीं है आप जिस तरह से घुमाना चाह रहे हैं, प्रश्न को वैट पर लाना चाह रहे हैं वो नहीं...

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आपका कोओर्डिनेशन कैसा है वो हम अखबारों में सब पढ़ चुके हैं।

**डा. सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): अमाउंट बता दें, साहब अमाउंट।

**श्री वीरेन्द्र मीणा** (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जो बात पूछ रहे हैं एक तो वैट से है और एक जो पर्टीकुलर सर्किल की बात कह रहे हैं वो दोनों बात अलग-अलग है।

दूसरा वैट में जहां तक इन्होंने कमेटी की बात की, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो केन्द्र की स्टेट एम्पावर्ड कमेटी है फाइनेंस मिनिस्टर्स की, उसके अन्दर मैं अक्सर जाता रहता हूं, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी उसके पहले मैंबर थे, आप भी जाते रहते हैं । वहां पर..

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं अब नहीं जाता।

**श्री वीरेन्द्र मीणा** (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): पहले जाते रहते थे आप । आपको सारा पता है। यह वेट की जो कमेटी प्रदेश में हमने बनायी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत व्यपारियों से ...

**श्री अध्यक्ष**: आप वैट के झगडे में क्यों जा रहे हैं? आप बिक्री कर की बात करें।

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): मेरा सवाल जो था उसका जवाब...

**श्री अध्यक्ष**: वो तो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं।

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): ... अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया मेरे सवाल का।

**श्री मदन राठौड़**(सुमेरपुर): .... (व्यवधान) दूसरा पूछना शुरू कर देता है, मूल प्रश्नकर्ता तो वंचित ही है।

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): मेरा एक सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था उसका अभी तक जवाब नहीं आया कि इनका जो एक्सपीरियेंस है सेल्स टैक्स को लेकर, इनकी सेल्स टैक्स की जो रिकवरी पूरी तरह से ठीक तरह से हो नहीं पा रही है उसका डेढ़ सौ करोड़ रुपया पैंडिंग है, अब जो नया वैट आया है उसमें इन्होंने क्या लॉ में प्राविजन रखा है जिससे इसकी रिकवरी में देरी नहीं हो। टाइम पर रिकवरी हो जाए, पहले भी और आगे आने वाले में भी । इसलिए वैट का इससे संबंध है, मैडम ।

**श्री अध्यक्ष**: आपने यह प्रश्न तो कहीं नहीं पूछा ।

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): क्यों नहीं पूछा? इसमें मैंने कोई ईयर तो दिया नहीं है। मैंने तो शुरू से पूछा है और आज तक का पूछा है। इसमें मैंने अवधि तो दी नहीं कि कौनसे साल से कौनसे साल का है, यह तो जनरल पूरे टाइम का है । उसमें जब सैल्स टैक्स नहीं रहेगा तो उसकी जगह आपने वैट लगा दिया है तो नैचुरली वैट भी इसमें कवर होगा ।

**श्री अध्यक्ष**: आपके प्रश्न में तो कहीं यह नहीं है ।

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): एक हजार करोड रुपये का एरियर बढा है, जवाब दें । मैं फिगर दे रहा हूं एक हजार करोड रुपये का । पिछली सरकार से इस सरकार के आने के बाद एक हजार करोड रुपये का सैल्स टैक्स का एरियर बढा है, मना कर दें ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप गलत कह रहे हैं ।

**डा.सी.पी.जोशी** (नाथद्वारा): आप मना कर दें, फिगर बताएं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जब इन्होंने शासन छोडा था। 1708 करोड का सैल्स टैक्स राजस्थान में बकाया था । आज की तारीख में यह 1954 करोड का है ।

**डा.सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): आप करैक्ट कर लें । (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह रिकार्ड पर है । हाइपोथेटिकल बात करना नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य की आदत पड गई है ।

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं 2005-06 की फिगर दे रहा हूं । मना करा दीजिए । 2005-06 के सीएजी की फिगर दे रहा हूं , आप मना कर दीजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं 2005-06 की फीगर दे रहा हूं आपको, 2336 करोड थे, अगस्त तक 353 करोड वसूल हो गये और आज की तारीख में 1954 करोड 17 लाख रुपये राजस्थान का सैल्स टैक्स का बकाया है। यह रिकार्ड पर रख देता हूं ।

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): एग्रीड ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एग्रीड ।

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): मैं फिर दुबारा कह रहा हूं 2005-06 की सीएजी की रिपोर्ट में पिछली कांग्रेस सरकार के शासन छोडने के बाद एक हजार करोड रुपये से ज्यादा सैल्स टैक्स का एरियर बाकी था । Still I am saying this. Let it be recorded . मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं, 2005-06 की सीएजी की रिपोर्ट का फिगर दे रहा हूं ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं 1.4.2003 को 1708 करोड 21 लाख रुपये बिक्री कर के बकाया थे । यह रिकार्ड पर है ।

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं 2005-06 की कह रहा हूं मंत्रीजी 2003 की कह रहे हैं, बड़ी अजीब बात है । मंत्रीजी मैं 2005-06 की कह रहा हूं आप 2003 की कह रहे हैं, करेक्ट करें अपने आपको ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, देखों डांट रहे हैं । मेरे को डांट भी रहे हैं और मेरे को डरा भी रहे है ।

**श्री अध्यक्ष**: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य आप कहने दें उन्हें। आपने अपनी बात कह दी, उन्हें भी सुने ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दो बात एक साथ कर रहे हैं मेरे को डांट भी रहे हैं और मेरे को डरा भी रहे हैं ।

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं डांट नहीं रहा हूं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर मंत्री को बोलने नहीं दे रहे हैं । Let him say it.

**श्री अध्यक्ष**: डांटना और डराना तो एक ही बात है ।

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी को मानती है तो यह मंत्री जो जवाब दे रहे हैं वह फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब है । आप जो जवाब दे रहे हैं वह फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब है ? आप कहिए पहले यह। जो जवाब दे रहे हैं वह फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब मान लूंगा मैं । कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी में आप कहिए कि यह फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब है ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी के आधार पर जवाब है और ओथैंटिक जवाब है ।

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब है ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फाइनेंस मिनिस्टर मैं नहीं हूं पर कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी के आधार पर मैं जो कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल कर सकता हूं ।

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा):Madam let him say. अध्यक्ष महोदय, इनको हाउस में कहना पडेगा कि वित्त मंत्री की हैसियत से कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी पर जवाब दे रहे हैं । (व्यवधान) स्टेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, यह क्या मतलब है, Let the State Minister say it.

**श्री अध्यक्ष**: एक मंत्री दूसरे मंत्री को असिस्ट कर सकता है । (व्यवधान)

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): नहीं दे सकता। अध्यक्ष महोदय, आप इनको अलाउ करते पहले। Why you have allowed the State Minister?

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की तरफ से जवाब है और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सेल्स टैक्स की रिकवरी होनी चाहिये । सरकार इफैक्टिवली प्रयास करेगी । (व्यवधान)

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): यह बात नहीं है । आप तो बताइए कि पिछली सरकार से यह पैसा बढा है या घटा है, मंत्री जवाब दें इस बात का? Don't side track it. फाइनेंस मिनिस्टर जवाब दे ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): यह आपके वित्तीय प्रबन्धन की पोल खुल रही है जिसका बार-बार आप कहते हो । (व्यवधान)

**डा. सी.पी.जोशी** (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, वित्त राज्य मंत्री को बोलने दें, किसने मना किया है? वित्त राज्य मंत्री खडे होकर बोलें । (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): दिल्ली की सरकार ... (व्यवधान) मैनेजमेंट में नंबर वन है ।

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी के आधार पर खडे होकर बोलें, यह नंबर वन है या नंबर दो है, मंत्री खडे होकर जवाब दें ।

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): जो भी रिकवरी बाकी है राजस्थान सरकार इफैक्टिवली उसकी वसूली करेगी । (व्यवधान)

**डा.सी.पी.जोशी** (नाथद्वारा): Prof. Saheb don't side track. आप फिगर पर आइए । पिछली सरकार के बाद एक हजार करोड कर एरियर बढा है आप मना करना चाहते हो इस बात को?

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): आपने एक हजार करोड का एरियर छोडा था । (व्यवधान)

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): यह कोई मुख्य मंत्री का मंत्री नहीं बोल रहा है। यह राजस्थान का वित्त मंत्री बैठा है, वह बोले । फिगर मालूम नहीं खड़े होकर बोल देते हैं। Don't mislead the House. You are misleading the party and misleading the House. आप पार्टी को भी मिसलीड कर रहे हैं और सरकार को भी मिसलीड कर रहे हैं, खडे होकर बोलिए आप । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नैक्स्ट, श्री शिवजीराम मीणा ।

**डा.सी.पी.जोशी**(नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, don't protect this thing.

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब ही नहीं आया।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, पहले तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य का जवाब आने दीजिए ।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी के पास जितनी जानकारी थी उन्होंने दे दी । (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): मंत्रीजी इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसानों पर पैनल्टी लगाई जाती है और उद्योगों से पैसा वसूल नहीं किया जाता । अगर बिजली का बिल एक दिन लेट हो गया तो उस पर पेनेल्टी लगती है ... (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ... (व्यवधान) वसूली इफैक्टिव तरीके से करेंगे।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, इनके पास जवाब नहीं है तो आप प्रश्न को स्थगित करवाइए ।

**श्री अध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन ।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिए। आप रोज स्थगित कर रही हैं इसको भी स्थगित कीजिए । आप स्वयं कह रही हैं कि इनके पास जितनी जानकारी थी, वह दे दी ।

**श्री अध्यक्ष**: आप स्थान ग्रहण करें । आप स्थान ग्रहण करें ।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, आप न्याय करें, सबके साथ समान व्यवहार करें ।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): आपके चार-चार मंत्रियों ने जवाब दिया फिर भी जवाब सही नहीं हुआ । (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): वैट के माध्यम से लाखों रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है और उस ओर आप ध्यान नहीं दिलाना चाह रहे हो । सारे व्यापारी लुट रहे हैं । एक सुपर स्कीम बन गई इनकी । आप तो विधान सभा में वैट का प्रश्न ले आईं ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मंत्रीजी के पास जितनी जानकारी थी वह विस्तृत रूप से आपको दे दी ।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, तो इसे स्थगित करवा दीजिए ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): मंत्रीजी को तो बोलने ही नहीं दिया । संबंधित मंत्री को तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं दूसरे मंत्री । उनके पास जानकारी तो बहुत है लेकिन बोलने दे जब न। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन ।

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, मैं वाक आउट कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। मैं आपसे प्रोटेक्शन मांग रहा हूं और आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं सदन से वाक आउट कर रहा हूं ।

**(माननीय सदस्य श्री एमादुद्दीन अहमद खान द्वारा बहिर्गमन)**

**श्री अध्यक्ष:** तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके साथ इतनी सूचनाएं दी गई हैं इससे भी यदि आप संतुष्ट नहीं हों तो मैं नहीं समझती ... (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, उसका तो कोई उल्लेख ही नहीं है इसमें । कहीं हो तो बता दीजिए आप । (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): ... (व्यवधन) बेकार सूचनाएं हैं जिससे कोई अभिप्राय नहीं है । मैंने इन्हें देखा है। I have seen it. मैडम, आपके लिये हो सकती हैं मैं इसको समझता हूं इसके कहीं कोई तथ्य नहीं है। ये हाउस को और मैम्बर्स को मिसलीड करने वाली सूचनाएं हैं ।

**श्री अध्यक्ष:** मिसलीड करने वाली हैं तो आप दूसरे नियमों में आइए, कौन ना करता है?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): यह तो आज आखिरी दिन है, नहीं हम तो सब ले आते। आज आखिरी दिन है ।

**श्री अध्यक्ष:** अगले सदन का कोई आखिरी दिन थोडे ही है उसके बाद फिर सैशन आएंगें ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): बजट सैशन आएगा तब लेंगे ।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): आप जब इनके प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं तो उसको आप स्थगित कर देते हैं, आप कम से कम स्थगित तो करवाइए।

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): कोई स्थगित नहीं होगा ... (व्यवधान) उससे ज्यादा जानकारी दी है हमने ।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): आपसे न्याय की अपेक्षा है आप न्याय तो करें । आप हमेशा उनका प्रोटेक्शन करती हो और विपक्ष को हमेशा दबाती हो ।

**श्री अध्यक्ष**: इनको बोलने दीजिए, इनका अंकित नहीं हो ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन के प्रति जो टिप्पणी माननीय सदस्य ने की है यह आसन का अपमान है इसे एक्सपंज करवाइए।

**श्री अध्यक्ष**: वह आइएएस आफिसर है वह चाहे जैसा बोलते हैं । (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: उन्हें सदन के नियमों की और आसन की गरिमा की जानकारी नहीं है ।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ×××

## जहाजपुर में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लाभान्वित व्यक्ति

**64. श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बायफ (गैर सरकारी संस्था) द्वारा किसी प्रकार के कार्य करवाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो

(श्री शिवजीराम मीणा)

दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से अब तक किये गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि बायफ द्वारा जहाजपुर क्षेत्र में व्यक्तिगत लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है ? यदि हां, तो दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से अब तक के व्यक्तिगत लाभार्थियों की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया गया है ? यदि हां, तो दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से अब तक के लाभार्थियों का कब कब भौतिक सत्यापन किया गया एवं उनमें क्या-क्या कमियां पाई गईं ?

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): (1) जी हां । बायफ संस्था द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में दिनांक 1.4.2001 से निम्न विकास कार्य करवाये जा रहे हैं :-

1. सामुदायिक चरागाह विकास कार्य
2. पशुधन विकास केन्द्र
3. पैरावेट केन्द्र
4. फलोद्यान विकास कार्यक्रम

सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(2) जी हां । बायफ द्वारा जहाजपुर क्षेत्र में व्यक्तिगत लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है । विभिन्न विकास कार्यों में दिनांक 1.4.2001 से अब तक की व्यक्तिगत लाभार्थियों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है ।

(3) जी हां । दिनांक 1.4.2001 से जहाजपुर क्षेत्र में बायफ संस्था को स्वीकृत कार्यों का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :-

1. पैरावेट केन्द्र जालमपुरा एवं पशुधन विकास केन्द्र घोड, लुहारीकलां, ऊंचा के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन माह नवम्बर, 2002 में किया गया । भौतिक सत्यापन में कार्य सही पाया गया ।

2. सामुदायिक चारागाह विकास कार्यों में से नमूना जांच के आधार पर ग्राम रतनपुरा, तीखी एवं मेडिया के चारागाह विकास कार्यों का भौतिक

(श्री कनकमल कटारा)

सत्यापन माह जुलाई, 2003 में किया गया । भौतिक सत्यापन में कार्य सही पाया गया ।

**(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि फलोद्यान विकास कार्यक्रम में व्यक्तिगत लाभार्थियों को कितनी-कितनी राशि किस किस फलोद्यान हेतु उपलब्ध कराई गई है ।

मैं खण्ड 3 में यह जानना चाह रहा था कि क्या आपने कभी इन वैयक्तिक लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करवाया है? आपने जो सूचियां दी हैं वह केवल ... (व्यवधान) केन्द्र और चारागाह की दी है। मैं आपसे यह भी जानना चाह रहा हूं कि आपके द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थियों का कब-कब भौतिक सत्यापन किया गया है? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि सामुदायिक चारागाह विकास कार्यक्रम में अब तक प्रथम एवं द्वितीय चरण में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी एवं यह कार्य श्रमिकों द्वारा करवाया गया या मशीनों द्वारा? तीसरा, मैं आपसे माननीय मंत्री महोदय, यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्य मानव दिवस सृजित करने के लिए श्रमिकों से करवाये जाने का प्रावधान है या मशीनों से करवाये जाने का नियमों में प्रावधान है? नम्बर-4, मैं यह जानना चाहता हूं कि सामुदायिक चारागाह विकास कार्यक्रम चरण-2 में अमरासियन-लोहारीकलां में क्या-क्या कार्य करवाये गये, कृपया सूचना देने का कष्ट करें। ... (व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाजपुर क्षेत्र के अन्दर जो कार्य करवाये गये हैं उनकी प्रगति और उसका भौतिक सत्यापन और कार्य किस प्रकार से किये गये हैं, यह तमाम जानकारी आपने चाही है इसके अन्तर्गत। मूल प्रश्न जनजाति क्षेत्र विभाग का, यह इस क्षेत्र के अन्तर्गत जो कार्य किये हैं उसमें फलोद्यान विकास कार्य इस विभाग से संबंधित है। शेष कार्य पंचायती राज विभाग से सम्पन्न करवाये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत पहला है फलोद्यान विकास परियोजना। फलोद्यान विकास कार्य के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 का लक्ष्य 635 था, भौतिक उपलब्धि 635 थी। आबंटन उसका 28 था। वर्ष 2005-06 के अन्तर्गत लक्ष्य 1164 और उपलब्धि 1164 थी। ऐसे ही 2006-07 में 353 इसका लक्ष्य है।

(श्री कनकमल कटारा)

उसी प्रकार बंजर भूमि विकास के अन्तर्गत 2005 के अन्दर 555 और उपलब्धि 555, 2005-06 के अन्तर्गत 1294, 1294 उसकी उपलब्धियां हैं। पशुधन विकास केन्द्रों का संचालन, 2004-05 में 2 और उपलब्धियां भी 2, 2006-07 में इसकी उपलब्धियां, इसमें फलोद्यान में भी लगभग प्रति बाड़ी 1230, 300 रुपये उसका व्यय आता है। यह कार्य ग्राम विकास समिति के माध्यम से लोकल पंचायतवार किया जा रहा है, जिसकी परिशिष्ट 400 पेज में पूरी सूची चाही है, लाभार्थियां की इसके अन्तर्गत है।

**श्री अध्यक्ष**: हां, 400 पेज की सूची दे दी इन्होंने।

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उसके अन्तर्गत दी गयी है इसी प्रकार जहाजपुर में जो बायफ काम कर रही है, उसके अन्तर्गत रतनपुरा गांव के आपने कहा है लेकिन इसकी सूचना जो मेरे पास है वह निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में रतनपुरा में चारागाह प्रबंध समिति एवं ग्राम पंचायत समिति सरपंच के बीच में आपसी ताल-मेल कम है, इससे यह स्पष्ट है कि चारागाह का भविष्य खतरे में है और इसके कारण से ग्राम पंचायत की भूमि एवं इनके कोष की राशि स्थानांतरित करना अनिवार्य हो रही है। ग्राम पंचायत समिति इसका विरोध करती है कि ... (व्यवधान) दोनों के चारागाह को ध्यान में रखते हुए ... (व्यवधान) यह पूरे लाभार्थियां की दे दी है। ... (व्यवधान)

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): माननीय मंत्रीजी, यह ग्राम सभा की है। ग्राम पंचायत की कोई बात ही नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप तो आपके विभाग की बात बता दीजिए।

**श्री अध्यक्ष**: यह आपने 400 पेज की सूची तो दे दी इनको और क्या बाकी रह गया अब?

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): चारागाह,जिसके अन्तर्गत यह रतनपुरा जो जगह है आने वाली 11 तारीख को एक मीटिंग इनकी रखी है। इसके अन्तर्गत पूरा उसका समाधान होना है। ...(व्यवधान)

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है, मंत्रीजी। झगड़े की कहां बात आ रही है इसमें? नहीं, झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको इतनी विस्तृत सूची दे दी, अब क्या बाकी रह गया?

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो आपके विभाग की ही बता दीजिए मेरे को। आप तो यह बता दीजिए कि ... (व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 400 पेज से भी ऊपर पूरी सूची है, इसके अन्दर एक-एक लाभार्थी को क्या-क्या सुविधा, क्या-क्या स्थिति है। माननीय, उसमें भौतिक सत्यापन की दृष्टि से भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जिसके अन्तर्गत हमारा जो बी.डी.ओ. है उसने भी इसकी जांच की है।

**श्री अध्यक्ष**: आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इसके अलावा बायफ संस्था के अधिकारियों द्वारा भी इसकी जांच की गयी है और उसका प्रशस्ति पत्र भी दिया है।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया, स्थान ग्रहण करें। वे जवाब तो दे रहे हैं आपको। ... (व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): और माननीय सदस्य ने भी उनको प्रशस्ति पत्र दिया है। ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप स्थान ग्रहण करें। जब मंत्री बोलते हैं तो सदस्य को स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। ...(व्यवधान)

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ... (व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह पूरी रिपोर्ट मेरे पास में है, जिसमें आप ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं,, आप स्थान ग्रहण करिये। ... (व्यवधान)

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल आपके विभाग से संबंधित जानकारी दे दीजिए मेरे को। ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** इतनी विस्तृत जानकारी के बाद और क्या चाहते हैं आप?

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): आपने फलोद्यान कार्यक्रम में जो कार्य करवाया है, आपने जिन लाभार्थियों की सूची दी है, उनको कितना-कितना भुगतान कर दिया और कब-कब किया, यह बता दीजिए मेरे को। ...(व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आपने जो कहा है उसके अन्तर्गत मैंने निवेदन किया। एक-एक का अगर आप पूछेंगे तो। मैं पूरा ही आपके सामने यहां विवरण रख रहा हूं, अगर आप चाहे तो पूरा एक-एक का मैं डिटेल दे सकता हूं। ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अब आप काहे को डिटेल में जाने की बात कर रहे हैं? आपने तो विस्तृत जानकारी दे दी। ...(व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): नहीं, यह चाहे तो मैं पूरा एक-एक करके बता सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: इतना लम्बा तो दे दिया। आज दिन तक आया ही नहीं इतना। इतनी लम्बी सूची कभी आयी ही नहीं।

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जिसके अन्तर्गत उस कार्य के अन्तर्गत पूरा उसमें ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, बैठिये। आपने काफी सूचनाएं उनको दे दीं। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): आप तो एक का ही बता दीजिए कि आपने कब इसमें भुगतान किया? आप तो एक बार का ही बता दीजिए कि कब भुगतान हुआ? एक आदमी का ही यह बता दीजिए मेरे को। आप तो केवल एक आदमी का ही बता दीजिए। ...(व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): क्या चीज?

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): फलोद्यान के लिए आपने कब भुगतान किया?

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): एक आदमी हो तो, मैं तो पूरी सूची 400 पेज की, मैं आपको पढ़कर सुना दूं ?

**श्री अध्यक्ष**: एक-एक व्यक्ति का नाम तो दिया है आपको।

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह 400 से

(श्री कनकमल कटारा)

ऊपर पेज की है। व्यक्तिगत, अब कोई जांच अगर करनी है, 400 पेज की है। जितने लाभार्थी है उसमें से स्पेसिफिक रेण्डम प्रणाली के आधार पर जांच की जाती है, उसके आधार पर हम इसकी जांच करवा सकते हैं आप चाहें जो स्पेसिफिक बता दें, कोई एक व्यक्ति की हमारे यहां पर आवश्यकता है, उसकी जांच करवाकर मैं उसको देखकर आपको बता दूंगा।

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): नहीं, मैं जांच की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल यही निवेदन कर रहा हूं, मुझे एक आदमी का नाम बता दो, कब भुगतान किया उसका? ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामचन्द्र जारोड़ा। आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): एक ही लाभार्थी का नाम बता दीजिए, जिसको आपने भुगतान किया।

**श्री अध्यक्ष**: जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य। नैक्स्ट क्वेश्चन।

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इसकी पूरी सूची है।

**श्री अध्यक्ष**: राजस्व मंत्री।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्व मंत्रीजी का जन्म दिन भी है।

**श्री अध्यक्ष**: बधाई हो। आपको सम्पूर्ण सदन की से जन्मदिन की बधाई।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी का धन्यवाद, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): बिना लड्डू के कोई बधाई दी जाती है क्या? लड्डू बटते हैं। दोनों पक्षों में बटते हैं। ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: अकाल पड़ा हुआ है।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): अकाल पड़ा हुआ है, अख़बार तो भरे हुए है बधाई से। ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पहला सवाल तो यही है कि आप लड्डू खिलाओगे या नहीं?

**श्री अध्यक्ष**: यह क्या खिलाएंगे, पी.ए.डी. मिनिस्टर आप हैं, आप खिलाइये सबको।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप आसन से व्यवस्था दे रहे हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज्ञा की पालना करेंगे। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आसन ही व्यवस्था करेगा या आप भी अपने आप भी कुछ सोच लिया करो। ...(व्यवधान)

## मेड़ता सिटी को जिले का दर्जा

65. **श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितने नये जिले बनाने की सरकार की योजना है व इनको कब तक बना दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार मेड़ता सिटी को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

**राजस्व मंत्री** (श्री रामनारायण डूडी): (1) कोई संख्या निर्धारित नहीं है। नवीन जिलों के गठन के संबंध में दिनांक 18.3.2006 को अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही नये जिले बनाने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(2) खण्ड संख्या-एक में उल्लेखित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस समिति के गठन के बाद इसकी कितनी बैठकें हुईं और कब-कब बैठकें हुईं, इसकी रिपोर्ट बताएं? ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अभी तो बनायी ही है कमेटी।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): कोई निश्चित अवधि तो आप बताओ। आपके कार्यकाल में रिपोर्ट ही नहीं आऐ तो फिर आप कैसे जिले बनाओगे?

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किन-किन नये जिलों के बनाने का यह प्रस्ताव रख रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष**: अभी कह दिया न इन्होंने, जवाब दे दिया।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक फरवरी, 2002 के बाद में परिसीमन का चुनाव आयोग का प्रतिबंध हटा था नये जिले बनाने का और करने का, उसके बाद के अन्दर और पहले से हमारे पास काफी जिलों से संबंधित प्रार्थना पत्र आये हुए थे अलग-अलग जगह से। उसके बाद में एक समिति का गठन किया गया। फिर 18.3.2006 को एक समिति बनायी गयी और उस समिति में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, सदस्य है, प्रमुख शासन सचिव, वित्त सदस्य हैं और प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सदस्य चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया।

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): बैठक हुई या नहीं हुई?

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): इसकी दो बैठकें हो चुकी हैं। प्रथम बैठक 27 मार्च, 2006 को हुई और दूसरी बैठक 19.8.2006 को सम्पन्न हुई। इसमें रेवेन्यू बोर्ड के जितने भी प्रस्ताव आये या सरकार के पास सीधे प्रस्ताव आये कि अमुक जगह को जिला बनाया जाऐ, उन सब पर विचार किया जा रहा है और उनकी पूरी रिपोर्ट मंगाई जा रही है।

**श्री अध्यक्ष**: हां, कमेटी को रेफर कर दिया। वह सब कमेटी को रेफर कर दिये। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण डूडी**: और कमेटी गठित कर दी है।

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** : कमेटी निर्णय कब करेगी ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन अशोक कुमार नवलखा। (व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलाइये। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनवाई नहीं हुई। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: कमेटी को रैफर कर दिया। कमेटी की रिपोर्ट आऐगी, उसके बाद जिले बनेंगे। (व्यवधान) नहीं, कुछ नहीं । (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन श्री अशोक कुमार नवलखा।

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** : रिपोर्ट कब आऐगी ? यह जवाब कब तक पेश करेंगे ? (व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह कमेटी का निर्धारित समय क्या है? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप बैठिये।

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह अगली सरकार करेगी या यह सरकार करेगी ?

**श्री अध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन। कितनी बार कह दिया कि कमेटी को रैफर कर दिया, कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्य करेंगे। (व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** : यह सरकार करेगी या अगली सरकार करेगी? (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : वसुन्धराजी की सरकार करेगी । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी । (व्यवधान) श्री अशोक कुमार नवलखा।

## चित्तौड़गढ़ जिले के धार्मिक/दर्शनीय स्थलों हेतु सड़क मार्ग

**66.श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार की प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है ? यदि हां, तो इस वर्ष हेतु कितना बजट प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी तहसील के धार्मिक स्थानों को सड़क मार्गों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौनसे धार्मिक स्थान चिन्हित किये गये ? इन स्थानों को कब तक सड़क से जोड़ दिया जाएगा?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां। वर्ष 2006-07 में महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों को सड़क से जोड़ने हेतु रुपये 20.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

(2) जी हां। निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी तहसील के धार्मिक स्थानों को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

**श्री अध्यक्ष**: आपने कौन-कौन से धार्मिक स्थान चिन्हित किये, यह बताया ही नहीं?

**श्री अशोक कुमार नवलखा**: माननीय मंत्री महोदय, आपको इस बात

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

के लिये तो धन्यवाद कि आपने धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिये इस वर्ष 20 करोड़ रुपये का बजट रखा है। मैंने पूछा था कि क्या सरकार निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी के धार्मिक स्थानों को सड़क मार्ग से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौनसे धार्मिक स्थान चिन्हित किये गये ? आपने इस उत्तर में लिखा है कि सरकार के वित्तीय संस्थानों पर निर्भर करता है। जब आपने वित्तीय संसाधन इस बार 20 करोड़ रुपये बताये हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि 20 करोड़ में से निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के लिये आप कितनी सड़कों का इसमें प्रावधान रखते हैं?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, जहां तक धार्मिक स्थानों का चयन करने का प्रकरण है, राजस्थान तो एक ऐसी धरती है जहां घट-घट में राम भी है, ईश्वर भी है और धार्मिक स्थान भी हैं । अध्यक्ष महोदय, अगर हम बालाजी की बात भी करें तो करंट के बालाजी यहां हैं, लंगड़े बालाजी यहां हैं, घाट के बालाजी यहां हैं, पंचमुखी बालाजी यहां हैं, नहर के बालाजी यहां है, खड़े बालाजी यहां हैं, बैठे बालाजी यहां है ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: बालाजी को आप लंगड़ा तो मत करो कम से कम । (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि धार्मिक स्थलों का अगर पूरा चयन करने की बात करें तो हर गांव में कोई न कोई धार्मिक स्थल है, पर इसमें कोई शक नहीं कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जहां बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक लोग हैं उनको जोड़ने के लिये निश्चित रूप से पहली बार सरकार ने प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी हमने इसमें कुछ राशि का प्रावधान किया था। पिछली बार 12 ऐसे स्थान चयनित किये थे और 7 करोड़ 52 लाख रुपये खर्च करके हमने उन धार्मिक स्थलों को जोड़ा था। इस बार, अध्यक्ष महोदय, 50 ऐसे स्थान हैं, जिनके लिये 22 करोड़ की स्वीकृति हमने जारी कर दी है। निश्चित तौर पर सरकार की यह मान्यता है और इच्छा शक्ति भी है कि सरकार ऐसे धार्मिक स्थल, जो सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं और जहां श्रद्धालु लोग ज्यादा जाते हैं उनको चिन्हिति करके शनैः-शनैः जैसे-जैसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, हम उनको जोड़ेंगे।

**श्री अशोक कुमार नवलखा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

कर रहा था निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो प्रमुख सड़कें थीं भम्भोरी से गंगेश्वर महादेव, पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ स्थान, बुलबुला महादेव आदिवासी क्षेत्र का एक प्रमुख मंदिर है तथा निम्बाहेड़ा क्षेत्र के कनेरा से सीमला महादेव और 113 बाड़ी से रूसी रानी महल तक, ये ऐसे तीर्थ स्थान और ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां प्रतिवर्ष मेले लगते हैं और हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इस प्रकार की यह सड़कें हैं माननीय मंत्रीजी ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप प्रश्न पूछें, भाषण न दें।

**श्री अशोक कुमार नवलखा** : यह निवेदन कर रहा हूं कि इन धार्मिक स्थलों को भी इसमें चिन्हित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: कह तो दिया । उन्होंने बता दिया न । (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : निश्चित रूप से छोटी सादड़ी में भी काफी ऐसे स्थान हैं, हम इनसे चर्चा करके जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, उनको करवायेंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री प्रमोद जैन'भाया' । (व्यवधान)

**श्री सी.डी.देवल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पटल पर माननीय देवस्थान मंत्रीजी ने एक धाणेश्वर महादेव की सड़क जोड़ने का आश्वासन दिया था। मेरी बात तो सुनिये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: डा. चन्द्रशेखर बैद। (व्यवधान)

**श्री सी.डी.देवल**: विधान सभा में देवस्थान मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि तीन किलोमीटर धाणेश्वर महादेव को जोड़ दिया जाएगा, तो इसको कब तक जोड़ दिया जाएगा ? फिर मंत्रीजी यहां विधान सभा में आश्वासन ही क्यों देते हैं ? (व्यवधान) इसके अंदर देवस्थान का वह मंदिर नहीं आया। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आपका अलग से प्रश्न, है बूंदी से आने वाली माननीया सदस्या। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

**श्रीमती ममता शर्मा** : ×××

**श्री सी.डी.देवल** : ×××

**श्री अध्यक्ष**: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। रायपुर से आने वाले

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, कृपया सदन का समय खराब नहीं करें । मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। डा. चन्द्रशेखर बैद। (व्यवधान)

**श्री सी.डी.देवल** : ×××

**डा. चन्द्रशेखर बैद** : ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : ×××

**श्री सी.डी.देवल** : ×××

**श्री अध्यक्षः** प्रमोद जैन 'भाया' कहां हैं ? (व्यवधान) प्रमोद जैन 'भाया', प्रश्न पूछिये ना । (व्यवधान)

## भ्रूण हत्या पर रोकथाम हेतु कार्य योजना

**66-क. श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां) एवं डॉ0 चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2004 से अब तक कितने भ्रूण हत्या के मामले प्रकाश में आये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हत्याओं में किन-किन चिकित्सकों/चिकित्सालयों के विरुद्ध किन-किन धाराओं में कहां-कहां रिपोर्ट दर्ज करवाई गई एवं सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त प्रकार के कृत्यों को रोकने हेतु क्या कारगर कदम उठाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विभागीय आदेशों के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब करने हेतु कौन-कौन मुख्य चिकित्सा अधिकारी दोषी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 2006 में एक निजी टी.वी.चैनल द्वारा कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित मामलों में नर्सिंग होम/चिकित्सालयों व चिकित्सकों को चिन्हित किया गया था ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त निजी टी.वी.चैनल द्वारा सरकार को साक्ष्य उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त साक्ष्यों को सही मानते हुए सरकार द्वारा चिन्हित डाक्टरों व चिकित्सा संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या व उक्त कार्यवाही के क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

(8) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में लिप्त चिकित्सकों का पंजीयन निलम्बित करने हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया को अनुरोध पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं तो क्यों?

(9) क्या उक्त निजी टी.वी.चैनल कर्मियों द्वारा इस कुकृत्य को उजागर करने के लिये सरकार उन्हें पुरस्कृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री** (डा. दिगम्बर सिंह) : (1) प्रदेश में वर्ष 2004 एवं 2005 में इस प्रकार का मामला प्रकाश में नहीं आया है। वर्ष 2006 में उदयपुर की फतहसागर झील में तीन मृत कन्या भ्रूण पाये गये हैं, जिस संबंध में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

(2) मृत कन्या भ्रूण मिलने के क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी :-

अपर्णा हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर, उदयपुर में अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेख संधारण में कमियां पाये जाने के कारण संस्थान की सोनोग्राफी मशीन एवं एमटीपी रजिस्ट्रेशन निलम्बित किया गया।

-कस्तूरबा मातृ मंदिर, उदयपुर में रिकार्ड का संधारण सही नहीं पाये जाने के कारण संस्थान की सोनोग्राफी मशीन को सील एवं सीज किया गया एव एमटीपी रजिस्ट्रेशन निलम्बित किया गया। उक्त संस्थान के विरुद्ध पी सी पी एन डी टी एक्ट, 1994 के अन्तर्गत इस्तगासा दायर कर दिया गया है।

- महावीर हॉस्पिटल उदयपुर द्वारा अधिनियम के विरुद्ध सोनोग्राफी करके एम टी पी करने के कारण संस्थान की सोनोग्राफी मशीन को सील एवं सीज किया गया एवं एम टी पी रजिस्ट्रेशन निलम्बित किया गया। उक्त संस्थान के विरुद्ध पी सी पी एम डी टी एक्ट, 1994 के अन्तर्गत एफ आई आर दर्ज करा दी गयी है।

(3) विभाग द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु विज्ञापनों, होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स आदि के द्वारा जन-जन में समग्र प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विभाग द्वारा भ्रूण हत्या हेतु लिंग चयन की प्रवृत्ति को रोकने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 दिनांक 1.1.1996 से प्रभावशील किया गया। राज्य

(डा. दिगम्बर सिंह)

सरकार ने इस अधिनियम को राजस्थान प्रदेश में दिनांक 1.1.1996 से लागू किया है। विभाग द्वारा उक्त अधिनियम की क्रियान्विति के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) विभागीय आदेशों के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब करने हेतु कोई भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दोषी नहीं है, क्योंकि टी.वी.चैनल राष्ट्रीय सहारा, समय द्वारा प्रकरण से संबंधित असम्पादित सी डी, पूर्ण साक्ष्य, दस्तावेज गवाहों के नाम, पते आदि अभी तक उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण इस्तगासा एवं एफ आई आर दर्ज करवाने में विलम्ब हो रहा है।

(5) जी हां।

(6) उक्त निजी टी वी चैनल द्वारा सरकार को पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं। टी वी चैनल द्वारा वर्ष 2006 में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 एवं गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के प्रावधानों की अवहेलना करने से संबंधित उजागर किये गये 55 सरकारी/निजी चिकित्सकों एवं एक प्रसाविका में से अभी तक केवल 20 सरकारी/निजी चिकित्सकों की असम्पादित सी डी उपलब्ध करवाई गई है।

उक्त चैनल द्वारा शेष 35 सरकारी व निजी चिकित्सकों से सम्बन्धित असम्पादित सी.डी. अभी तक उपलब्ध नहीं करवायी गयी है तथा साक्ष्य के रूप में सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सकों के सम्बन्ध में पूर्ण साक्ष्य, दस्तावेज, गवाहों के नाम, पते आदि अभी तक उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।

(7) टी.वी. चैनल द्वारा दिनांक 05.04.2006 से 23.04.2006 एवं 13.06.2006 को 'कोख में कत्ल' नाम शीर्षक से प्रसारित समाचारों के आधार पर विभाग द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत 55 सरकारी एवं निजी चिकित्सकों एवं एक प्रसाविका के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(8) जी नहीं। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 (2) जो कि निम्न प्रकार उद्धृत है:-"The name of the registered medical practitioner shall be reported by the

(डा. दिगम्बर सिंह)

Appropriate Authority to the State Medical Council concerned for taking necessary action including suspension of the registration if the charges are framed by the court and till the case is disposed of and on conviction for removal of his name from the register of the Council for a period of five years for the first offence and permanently for the subsequent offence."

इसको ध्यान में रखते हुए चूंकि अभी तक किसी भी चिकित्सक के खिलाफ कोर्ट में चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है इसलिए निदेशालय द्वारा राजस्थान मेडिकल काउंसिल को चिकित्सकों के पंजीयन निलम्बित करने हेतु पत्र नहीं लिखा गया है परन्तु निदेशालय द्वारा सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को 20 चिकित्सकों के विरुद्ध अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इस्तगासा दायर करने एवं 35 सरकारी एवं निजी चिकित्सकों के विरुद्ध अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इस्तगासा दायरकरने तथा एम.टी.पी. एक्ट, 1971 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराने सम्बन्धी पत्र क्रमांक 494 दिनांक 04.08.2006 एवं क्रमांक 495 दिनांक 04.08.2006 की प्रति राजस्थान मेडिकल काउंसिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी गयी है। उक्त दोनों पत्रों की प्रति परिशिष्ट-4 एवं परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा उक्त चिकित्सकों से सम्बन्धित असम्पादित सी.डी. प्राप्त कर अपनी कमेटी में प्रकरण की जांच करके इंडियन मेडिकल काउंसिल के अधिनियम के नियम, 2002 के चैप्टर 8 (5) के अन्तर्गत 7 चिकित्सकों को सोनोग्राफी और गायनी के कार्य पर 6 महीने या जांच पूर्ण होने तक के लिए प्रतिबन्ध लगाया है जिसका विवरण परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(9) टी.वी. चैनल द्वारा उजागर किये गये प्रकरणों के सम्बन्ध में अभी अनुसंधान जारी है तत्पश्चात् ही इस सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा खण्ड चार का जो जवाब दिया गया है वह बिलकुल तथ्यों के परे है। आपने कहा है कि -विभागीय आदेशें के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब करने हेतु कोई भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दोषी नहीं है क्योंकि टी.वी. चैनल राष्ट्रीय सहारा समय द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित असम्पादित सी.डी. या साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। जबकि खुद

(श्री प्रमोद जैन ''भाया'')

कार्यालय उप-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा थाने को जो रिपोर्ट लिखी गयी है, यह रिपोर्ट लिखी गयी है 29 तारीख को और वह भी जब-जब यह प्रश्न तारांकित में लिस्ट हो गया और इन्होंने स्पष्ट रिपोर्ट में थाने में सी.डी. और सब कापियां उपलब्ध करायी हैं। जब सी.डी. और यह वहां है और यह चीज निदेशक के पत्र क्रमांक 2006/594 के द्वारा 04.08.2006 को ही सी.एम.एण्ड एच.ओ. बारां को भिजवा दी गयी थी, जब 04.08.2006 को यह सी.डी. और यह सब बारां सी.एम. एण्ड एच.ओ. को जा चुकी थी तो 29 तारीख को एफ.आई.आर. दर्ज के लिए क्यों लिखी? इतने दिन तक दोषी जो अधिकारी है उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी? सदन में जो गलत तथ्य पेश किये गये हैं, इसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे? कृपया सदन को अवगत करावें।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, मैं साथ ही पूछ लेता हूं।

एक तो, 2004, जनवरी से लेकर अब तक आपने तीन सवालों के जवाब दिये हैं, 2004 में, 2005 में और 2006 बजट तक, जिनमें आपने यह स्वीकार किया है कि कन्या भ्रूण हत्या राजस्थान राज्य में नहीं हो रही है। पहली बार आपने 7 अप्रैल, 2005 को इस पवित्र सदन में यह स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है, 1994 अमेंडमेंट इन 2002, उसको आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं क्योंकि उसके अन्दर जो क्लॉज दे रखा है, क्लॉज नम्बर 16 (ए) उसमें साफ लिख रखा है कि स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। उस स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? The Minister-in-Charge of Health and Family Welfare. जनवरी, 2004 के बाद पहली बैठक आपने इसकी कब बुलायी? आपने इसकी पहली बैठक बुलायी 22.05.2006 को और आपकी जो है पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रति वो इससे जाहिर होती है कि आपकी ही पार्टी की तीन महिला एम.एल.ए. साहिबान जो इसकी सदस्य हैं, तीनों ही उस मीटिंग के अन्दर एबसेंट थीं। साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटीज हैं गठन अभी तक नहीं किया गया। ...(व्यवधान) पीसीपीएनडीटी एक्ट के अन्दर जो फार्म एफ भरते हैं ---

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): उस दिन हमारी महिला और बाल विकास कमेटी की बैठक थी और दोनों का टाइम एक क्लैश कर रहा था इसकी वजह से नहीं आये थे हम।

**श्री अध्यक्ष**: आप थीं क्या उसमें एक? (व्यवधान) आप भी हो क्या?

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आप तो गायनोकोलोजिस्ट हो, आप के यहां सारे फार्म एफ भरे जाते हैं, इसकी सख्ती से पालना आज तक नहीं की गयी।

**श्री अध्यक्ष**: आप प्रश्न पूछिये।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): लास्ट क्वेश्चन यह पूछ रहा हूं कि जो टी.वी. चैनल पर आपने कहा कि हम को सूचना उपलब्ध नहीं करायी, आपको 20 सी.डी. जो ओरीजिनल थीं अभी तक उपलब्ध करा दी गयी हैं, 20 में से आपने कितनी कार्यवाही की? सिर्फ सात पर आपने कार्यवाही की। ऐसा क्यों?

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य वैसे तो मेरे साथी चिकित्सक भी हैं पर ---

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा भी जवाब दें, सी.डी. आपको डेढ़ महीने पहले मिल गयी, रिपोर्ट भी नहीं की गयी और आप कह रहे हैं कि विभाग को सी.डी. नहीं मिली। गलत तथ्य दे रहे हैं आप सदन को।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपको कोई गलत बात सदन में नहीं कह रहा हूं और आप अपनी गलत बात को सही साबित करने की कोशिश गलत ढंग से कर रहे हैं। मेरा सदन में

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): या तो आपके विभाग के लैटर गलत हैं।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल सही हैं लैटर, बिलकुल गलत नहीं हैं।

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): इसमें लिखा हुआ है सी.डी. और यह सब पेश कर रखी है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लैटर गलत नहीं हैं। (व्यवधान) लैटर भी गलत नहीं हैं, मेरी बात भी गलत नहीं है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान में इस सरकार ने इस एक्ट को सख्ती से लागू किया, एक्शंस हुए हैं। सरकार तो इससे पहले भी कर रही है। भ्रूण हत्या का प्रकरण गत जो सरकार थी उसके समय पर एक भी उजागर हुआ हो, एक पर भी एक्शन हुआ हो, ऐसा तो नहीं है ...

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): टी.वी. चैनल में आने के पहले एक भी केस आपने दर्ज नहीं किया।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप मेरी बात सुन लें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लें। यह टी.वी. चैनल से पहले भी हमने एक्शंस लिये हैं, वह भी मैं आपको पहले इस सदन में बता चुका हूं और आज भी कहता हूं कि यह टी.वी. चैनल पर जो स्टिंग आपरेशन हुआ उससे पहले हमने एक्शंस लिये हैं, उसमें दो तो भरतपुर के इंस्टिट्यूशन थे, जयपुर का एक इंस्टिट्यूशन था, उसके खिलाफ हमने पहले भी एक्शन लिया। ऐसा नहीं है कि टी.वी. स्टिंग आपरेशन से पहले हमने इसमें कोई एक्शन नहीं लिये।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ढ़ाई साल में यह लिंग परीक्षण का और यह काम शुरू हुआ हो या यह भ्रूण हत्या का काम शुरू हुआ हो। आपकी सरकार में तो बहुत लम्बे समय तक इतना बावेला मचा था, मुझे ध्यान में है, आपके ही एक साथी विधायक के घर में उनके परिवार में भ्रूण हत्या पुश्तैनी मतलब पीढ़ियों से होती आयी है। आप इस चीज को ---

**श्री अध्यक्ष**: क्या बात है, वो भ्रूण हत्या नहीं थी, वो जन्म के बाद हत्या थी इसलिए भ्रूण हत्या नहीं थी वो।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वो फीमेल फीटिसाइड था।

**श्री अध्यक्ष**: वो अलग बात है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फीमेल फीटिसाइड था। मैं यह कह रहा हूं कि जितना लिंगानुपात अभी जो डीवियेट हुआ है, ऐसा नहीं है क्योंकि इस राजस्थान की आजादी के बाद कितने साल आपकी सरकार सत्ता में रही है ...(व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): हमारी बात कर रहे हो, आप अपनी तो बताओ। आप यह बताइये, मंत्री महोदय...

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसमें जो डिले हुआ है।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी, मैम।

**(समय 12.00 बजे)**

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, मेरा एक आब्जर्वेशन है प्लीज। मेरा आब्जर्वेशन यह है कि आपने निलम्बित तो कर दिया, जो सरकारी सेवा में थे उन्हें निलम्बित तो कर दिया। न एफ आई आर लॉज करवाई, न उनके कार्य पर रोक लगाई। आज भी वह काम तो कर रहे हैं ...(व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने एफ आई आर भी लॉज करवाई है...

**श्री अध्यक्ष**: आपने रिपोर्ट किया है, नहीं। नहीं, नहीं दिया है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, मैं वह निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: और आपने उनको काम करने से रोक नहीं लगाई ...(व्यवधान)

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): सीडी प्राप्त नहीं हुई इसलिए एफ आई आर दर्ज नहीं की गई जबकि एफ आई आर आपके डिप्टी सी एम एच ओ द्वारा पुलिस थाना....

**श्री अध्यक्ष**: इतना भयंकर अपराध है, इतना भयंकर पाप है यह और आपने उनके काम पर रोक नहीं लगाई। आपने उनकी एफ आई आर लॉज नहीं करवाई, इस्तगासा दर्ज नहीं किया।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो चिकित्सक लिंग परीक्षण में इनवाल्व थे ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप अब स्थान ग्रहण कर लें, शांति से सुनें उन्हें, क्या कह रहे हैं।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जिनके यहां पर सोनोग्राफी की मशीनें थीं ...(व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी टी वी चैनल की रिपोर्ट पर ...

**श्री अध्यक्ष**: आप स्थान ग्रहण करें।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से यहां पर हालत हो रही है। इसी टी वी चैनल की रिपोर्ट पर माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात गवर्नमैंट ने और मध्यप्रदेश ...

**श्री अध्यक्ष**: आप उस कमेटी में थीं क्या? ...(व्यवधान) अटेंड क्यों नहीं किया, आप उस कमेटी में थीं ? उस कमेटी में तो आईं ही नहीं आप।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): नहीं, मैं तो नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं थी, मेरा दूसरी जगह हो गया था लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी टी वी चैनल की रिपोर्ट पर गुजरात गवर्नमेंट ने और मध्यप्रदेश गवर्नमेंट ने दोनों ने हास्पिटल सील किए थे लेकिन आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? चूंकि एक सरकारी अधिकारी का भाई उसमें इनवाल्व था इसलिए आपने पूरे सबूत डेस्ट्राय करने का मौका दिया। मुझे बताइये, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया अभी तक ?

**श्री अध्यक्ष**: आप एक पार्टिकूलर केस की बात कर रही हैं, मैं जनरल बात कह रही थी उसका जवाब आने नहीं दिया, खड़ी हो गई।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनरल बात ही है।

**श्री अध्यक्ष**: आई सैड सिट डाउन। जो मैंने आब्जरवेशन किया उसके बारे में जवाब दे रहे हैं आप।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आपने तो इनकी टाँग खींच दी। क्या जवाब है इनके पास कोई जवाब नहीं है इनके पास। लीपापोती। आपकी सरकार ने यह किया, आपकी सरकार ने वह किया, आपके जमाने में वह हुआ ... (व्यवधान) बात कर रहे हैं यहां बैठे हुए।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारे पास पूरा जवाब है।

**श्री अध्यक्ष**: आप उनका जवाब सुनें। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): और यह अपने लोगों को बचाते रहे, इस विषय को इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। जिन लोगों ने टी वी चैनल बनाया उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हो गये (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा, केवल मंत्रीजी बोलेंगे उनका अंकित होगा।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आप मंत्रीजी को सुन ही नहीं रहे हैं। आप सुन लीजिए पहले, उसके बाद कोई आपको पूछना हो पूछ लीजिएगा। हां, वह बोल रहे हैं।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तरह के प्रकरण थे। कुछ लोग जो केवल अल्ट्रासाउंड करते थे, जो लिंग परीक्षण के लिए लोग पकड़े गये उनका कोर्ट में सीधा इस्तगासा करने के लिए हमने भी डाइरेक्शंस दिए, उनकी सोनोग्राफी की मशीनें सीज कीं और जो लोग ....

**श्री अध्यक्ष**: कितनी मशीनें सीज की हैं, यह बता दो आप टोटल ?

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): ×××

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आप सुनें तो सही उन्हें पहले। आप बोलें।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट आपके पास में आलरेडी है। इसमें सारे जो लोग एम टी पी करते थे ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: इसमें हंसने की क्या बात हुई ?

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**श्री अध्यक्ष**: यह तो सूचना है, पब्लिश की है उन्होंने । हंसने की क्या बात है ? (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) बात अलग है, बाकी जवाब मेरे पास है ।

**श्री अध्यक्ष**: यह परम्परा इस सदन में सदैव से चली आ रही है कि इन्फार्मेशन मंत्री को सप्लीमेंट होती रही है। यह हमेशा की परम्परा रही है और नियमों में है। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 डाक्टर्स को सस्पैण्ड किया है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप सुन नहीं रहे हैं, इनका जवाब तो सुन लीजिए। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (नोखा): ×××

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 14 गवर्नमेण्ट के डाक्टर्स को ....

**श्री अध्यक्ष**: एक सैकण्ड । (व्यवधान) बीच में मत बोलिये । वैसे प्रश्न काल खतम हुआ, लेकिन चूंकि यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे कहना चाहिए पाप, इतना घृणित काम है, मैं मंत्रीजी से निवेदन कर रही हूं कि इन बातों पर...

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये सुनना नहीं चाहते ।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, यह सुनेंगे। अब आप जवाब दे दें।

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): ×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: यह गलत बात है।

**(अध्यक्षपीठ द्वारा हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश जारी)**

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): संतरी तो बने बनाये आप हैं, जबर्दस्ती हल्ला क्यों करते हो ? (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): ×××

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्टिंग आपरेशन हुआ था जिसमें 18 केस दर्ज हुए थे। उसकी जांच आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही कि स्टिंग आपरेशन करने वाले व्यक्ति के बयान हमारे दसों बार सूचना देने के बाद भी नहीं हुए। जिस महिला को उन्होंने दिखाया वह महिला आज दिन तक भी पेश नहीं हुई, उसके बयान नहीं हुए। फिर जो उन्होंने सी डी पेश की वह कटिंग की हुई है, हमने पूरी सी डी मांगी जिसमें किसी भी प्रकार से कटिंग नहीं हो तब जाकर एफ एस एल में उसकी जांच होगी। ये तीनों चीजें उपलब्ध नहीं होने के कारण हम इस जांच की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं । इसमें दोष हमारा नहीं है। स्टिंग आपरेशन करने वालों को जो चीजें हमें उपलब्ध करानी चाहिए, आज की तारीख तक हमें उपलब्ध नहीं हैं।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): ×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री अध्यक्ष:** आप मंत्रीजी का जवाब तो सुन लीजिए, मंत्रीजी का जवाब तो सुन लें।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने मुझे निर्देश दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चौदह डाक्टर्स को सस्पैण्ड किया, एक ए एन एम को सस्पैण्ड किया, छह सोनोग्राफी की मशीनें सीज कीं....

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): ×××

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चौदह सोनोग्राफी की क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन कैन्सिल किये, सस्पैण्ड पाँच किये, आपरेशन थियेटर जो इसमें एम टी पी इन्वाल्व थे उनको सीज किया, इन्स्ट्रूमैंट आफ दी इंस्टीट्यूशंस, चार ऐसे थे जिनमें इन्स्ट्रूमैंट थे उनको सीज किया, रजिस्ट्रेशन नौ एम टी पी सैण्टर्स के हमने कैन्सिल किये। एफ आई आर हमने बीस डाक्टर्स के और एक ए एन एम के खिलाफ दर्ज कराई। चार कोर्ट में सीधे हमने केस पी एम डी टी एक्ट में चार्ज लगा दिए और हमने .....

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): ×××

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): ×××

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): मैं आपको एक-एक एफ आई आर....

**श्री अध्यक्ष**: गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए उन्हें पहले ।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, गृह मंत्रीजी का जवाब सुन लें, गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 18 एफ आई आर दर्ज हुई हैं, एक-एक का मैं नाम और नम्बर बताने को तैयार हूं। झालवाड़ में 182....

**श्री अध्यक्ष**: न, न, नाम मत बताइये। आप तो केवल ........

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): ×××

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): ये 18 सबसे पहले दर्ज हुए हैं लेकिन इनके दर्ज मुकदमों की कार्यवाही तीन कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। मैं चाहता हूं कि वह हमें यह उपलब्ध कराएं, हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जिस महिला को उन्होंने दिखाया, महिला के बयान तो हों। जिस महिला को सामने दिखाकर उन्होंने स्टिंग आपरेशन किया, उसके बयान आज दिन तक नहीं हुए।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): ×××

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ×××

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): किसने यह स्टिंग आपरेशन किया, वह स्वयं बयान देने नहीं आयी है। उन्होंने जो सीडी उपलब्ध करायी वह बंटी हुई है टुकड़ों में। हमने उसकी ओरिजिनल सीडी मांगी थी जो बिना कटिंग के हो तब तो एफ एस एल में उसकी जांच होकर पता लगेगा। एफ एस एल में जांच के लिये वह ओरिजिनल सीडी अभी तक नहीं मिल पा रही है। हम बार-बार हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। उनको कई बार हमने सूचना दी है। ये तीन चीजें हमें उपलब्ध करा दें, हम निश्चित रूप से इन 18 मुकदमों का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फैसला करके जो भी अपराधी होगा इसमें उसको सज़ा देंगे। पर जब तक हमको कानूनी जा प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, वह पूरी नहीं होती है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की स्थिति में कानूनन हमको अधिकार प्राप्त नहीं है। तीन चीजें आज भी मैं सदन के सामने, आप सबके सामने कह रहा हूं, उपलब्ध हो जाएं- स्वयं के बयान उपलब्ध हो जाएं जिन्होंने स्वयं स्टिंग आपरेशन किया। जिस महिला को उन्होंने बात करते हुए दिखाया उस महिला के बयान हो जाएं और हमें कटिंग हुए बिना पूरी सीडी मिल जाए तो निश्चित रूप से जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही कर देंगे।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): ×××

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्यगण..(व्यवधान) हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री अध्यक्ष**: कृपया स्थान ग्रहण करें। दीजिये, मंत्रीजी... (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें एक बार। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): ×××

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, मान लीजिये, स्टिंग आपरेशन जिसने किया है वह नहीं आएगी और कोई बयान आपको नहीं देगी, आपके पास कोई ऐसी..(व्यवधान) बीच में नहीं। पहले बैठे आप। तो मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आपके पास सी आई डी है, हर शहर में मालूम है कि किस क्लिनिक के अन्दर कौन डाक्टर यह काम करता है, यह सबको मालूम है, तो आप अपनी सी आई डी के जरिये भी तो इस काम को करवा सकते हैं। क्योंकि यह इतना भयंकर अपराध है कि इसके नतीजे बहुत खराब आएंगे। कुछ सालों बाद भयंकर नतीजे होंगे इसके इसलिये आप अपने लेवल के ऊपर एक्सपोज करिये। स्टिंग आपरेशन करने वाली नहीं आती, सीडी उपलब्ध नहीं होती तो क्या इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दोगे आप जिन्होंने ऐसा भयंकर अपराध किया है? आप इस चीज को देखें।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): ×××

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं और सदन की भावनाओं का सम्मान कर रहा हूं ...

**श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): ×××

**श्री अध्यक्ष**: अब आप प्लीज बात का जवाब तो आने दें। हद हो गयी, क्या करूं मैं आपके आगे? हद हो गयी। (व्यवधान) क्या ? जो जवाब देने के लिये खड़े हो रहे हैं, आप बीच में ही खड़े हो जाते हैं। मैंने बात पूछी वह उसका जवाब दे रहे हैं और आप बीच में खड़े हो रहे हैं।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): ×××

**श्री अध्यक्ष**: अब आप प्लीज। सवाल होने से ही नहीं होता है कुछ भी..(व्यवधान) शांति से सुनें।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना और सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावना का पूरा सम्मान कर रहा हूं

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): ×××

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अपराधी को दण्ड देना मेरा धर्म है, मैं उसके लिये नकार नहीं रहा हूं पर मुझे पुलिस के अन्दर दर्ज मुकदमों में कार्यवाही करने में जो अड़चन आ रही है वह केवल मैंने कहा है। मैंने यह नहीं कहा। लेकिन इसके अलावा भी विभाग से संबंधित जितने भी अपराधी हैं और जिस-जिस हास्पिटल के बारे में इसमें सूचना एकत्र हुई है उन सबके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन कानूनी कार्यवाही एफ आई आर के माध्यम से मुलजिम पकड़कर उनको सज़ा दिलाने के लिये मुझे जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसमें अभी अधूरापन है। यह नहीं कि इन 18 में कार्यवाही नहीं हुई। डिपार्टमेंट के लेवल पर कार्यवाही हुई...

**श्री अध्यक्ष**: निलम्बित तो हुए हैं। निलम्बित तो कर दिया। ससपेंड तो कर दिया।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): पुलिस कार्यवाही में मुझे अड़चन आ रही है। वह अगर मुझे मदद करें, मैं चाहता हूं, अगर किसी महिला को भय लगता है तो मैं उसकी सुरक्षा की गारण्टी लेता हूं, आप उसे पेश करें। मेरे कानून की जो पेचीदगियां हैं इसकी पूर्ति करें, निश्चित रूप से दण्ड मिलेगा, कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, मैं यह आपको गारण्टी देता हूं।

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): ×××

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछे हैं उनका भी उत्तर गृह मंत्रीजी ने ठीक से नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय सबूत पेश कराएंगी या हम एम एल ए सबूत देंगे आपको? आपका गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर किसलिये बैठा है ? हम सबूत देंगे ? आपकी जिम्मेदारी है बयान दर्ज करने की। अध्यक्ष महोदय ने इस मामले में बिलकुल सही प्रश्न पूछे हैं, उनका सरकार ने कोई ढंग से जवाब नहीं दिया। हम असंतोषजनक रिप्लाई के विरोध में, भ्रूण हत्याओं को प्रोत्साहन दे रही है सरकार इसके विषय में वाक आउट करते हैं।

**(कांग्रेस दल द्वारा बहिर्गमन)**

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): ×××

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भ्रण हत्या के बराबर बड़ा पाप मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकता। राज्य सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है कि इस तरह के कृत्यों में शामिल होने वाले चाहे डाक्टर्स हैं, चाहे कोई पैरा मेडिकल स्टाफ है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और जो.. (व्यवधान) जो बात कह रहे थे दूसरे प्रदेशों की, तो जितने एक्शंस राजस्थान में हमने इनके खिलाफ लिये हैं मेरे खयाल से किसी प्रदेश में इतने स्ट्रांग एक्शंस नहीं हुए हैं। इनकी सरकार में आज तक पता ही नहीं था कि यह एक्ट भी है क्या ? आज तक कभी नहीं देखा। आज तक जो मेल-फीमेल का रेश्यों डीविलेट हुआ है इसके पीछे भी बड़ा कारण ये ही लोग हैं..

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): ×××

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): ×××

**(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)**

# अनुपस्थिति-अनुमति

## रामलाल जाट श्री, सदस्य को 3 अक्टूबर, 06 से सत्रान्त तक

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्यगण, मुझे सूचित करना है कि श्री रामलाल जाट, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 3 अक्टूबर, 2006 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है, इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए ?

**(स्वीकृत)**

अनुमति प्रदान की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. मोहम्मद माहिर आजाद एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से आमेर तहसील के ग्राम लालवास व नाई की थड़ी में विगत 20 वर्षों से काबिज लोगों को नाजायज बेदखल करने के सम्बन्ध में।

2. श्री मांगीलाल गरासिया एवं 7 अन्य सदस्यों की और से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के कोटड़ा में मौसमी बीमारियों के सम्बन्ण में। (आज चर्चा हो रही है)

3. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से जिला बूंदी के चम्बल सिंचित क्षेत्र एवं अन्य सिंचाई बांधों की नहरों की जर्जर स्थिति की दुरस्ती के सम्बन्ध में।

4. श्री खुशवीर सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जिला पाली के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में।

5. श्री अमरा राम धोद, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के आन्दोलनरत किसान नेताओं की अवैधानिक गिरफ्तारी करके आन्दोलन को कुचलने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

6. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से बाढ़ पीड़ित, निवासी-टेण्ट संख्या 64, सरकापार (बान्द्रा) जिला बाड़मेर की बच्ची का इलाज नहीं करने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में।

7. श्रीमती ममता शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या की घटना के सम्बन्ध में।

सदन में आज चिकित्सा, मौसमी बीमारियों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा व श्रीमती ममता शर्मा को अपने-अपने विषय को उठाने की अनुमति होगी। अतः पृथक् से अनुमति देने में असमर्थ हूं।

8. श्री हरिमोहन शर्मा एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से कोटा शहर के स्कूलों का मिड-डे-मील कार्य जीवन सम्बल चैरिटेबल ट्रस्ट को देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. डा. चन्द्रशेखर बैद एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित भोजन कार्यक्रम में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

10. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु ओ बी सी के छात्रों को अधिक अंक होने के उपरान्त भी सामान्य वर्ग में प्रवेश नहीं देने के सम्बन्ध में।

11. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से अलवर के एम.आई.ए. (औद्योगिक क्षेत्र) स्थित फैक्ट्रियों में गैस का रिसाव होने से लोगों में भय एवं रोष व्याप्त होने के संबंध में।

12. डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य की ओर से राज्य के पैराटीचर्स को नियमित करने का वादा पूरा नहीं करने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा, डा. चन्द्रशेखर बैद, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, श्री जुबेर खान एवं डा. बुलाकीदास कल्ला को अपने-अपने प्रस्ताव के विषय पर सिर्फ दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मैं माननीय सदस्य माहिर आजाद को कहना चाहूंगी कि चूंकि उनका विषय कोर्ट में लंबित है इसलिए मैं उन्हें अनुमति देने में असमर्थ हूं।

## प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के ग्राम चैनगढ़ में पेयजल की व्यवस्था करने के संबंध में।

2. श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य की ओर से माही विस्थापित किसानों का सर्वे करवाकर उनको जमीन दिलाने के संबंध में।

3. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से ग्राम काजडा में प्रसूति गृह की स्थापना करने के संबंध में।

4. डा. ओ.पी. महेन्द्रा, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर शहर के बीच में स्थित शुगर मिल को शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के संबंध में।

5. श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

गोगुन्दा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित की गई सड़कों पर पेवर करने के संबंध में।

6. श्री अर्जुन लाल मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने के संबंध में।

7. डा. कन्हैयालाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः डामरीकरण करवाने के संबंध में।

8. श्री सी.डी. देवल, सदस्य की ओर से जिला पाली में गरीब लोगों के मकानों व बाड़ों का नियमन करने के संबंध में।

9. श्री मदन राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में अतिवृष्टि से गिरे मकानों का पुनः निर्माण करने के संबंध में।

10. श्री महादेव सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खंडेला में गोविन्दपुरा से बधाणों की ढाणी एवं ग्राम चला से चौकड़ी तक की सड़कों का जीर्णोद्धार व पुनर्निर्माण करने के संबंध में।

11. श्री महीपाल मदेरणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की पंचायत समिति ओसिया की उचित मूल्य की दुकानों में राशन एवं खाद्यान्न आपूर्ति में भेदभाव होने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

12. श्री सुखलाल मीणा, सदस्य की ओर से डांग क्षेत्र सपोटरा में विद्युत आपूर्ति हेतु ग्रिड स्टेशन स्थापित करने के संबंध में।

13. श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य की ओर से सिकन्दरा के 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन में 25-25 मेगावाट के दो नये ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में।

14. श्रीमती स्नेहलता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में चिकनगुनिया एवं वायरल बुखार अधिक फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

यद्यपि 12 ही 295 के अंतर्गत यहां पर अनुमति दी जाती है लेकिन चूंकि आखिरी दिन था इसलिए 14 माननीय सदस्यों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वह अपने विषय पढ़कर यहां सुना दें।

बिजली, मौसमी बीमारी पर आज सदन में चर्चा हो रही है, चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री सुखलाल मीणा, श्री रामकिशोर मीणा एवं श्रीमती

(श्री अध्यक्ष)

स्नेहलता को अपने-अपने विषय उठाने की अनुमति होगी। यदि वह नहीं बोलना चाहें तो मैं अनुमति दे दूंगी, बोलना चाहेंगे तो वह पृथक भी बोल सकते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत तकलीफ के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आपने प्रस्ताव को पढ़े बिना ही यह व्यवस्था दी है। जो हमने प्रस्ताव दिया है नियम 50 के अंतर्गत, आपने पढ़े बिना ही यह व्यवस्था दी है ...(व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): अध्यक्ष महोदय, वह भूख-हड़ताल पर बैठा हुआ है और उससे सरकार ने आज तक जाकर नहीं पूछा है कि तुम मर रहे हो कि जी रहे हो। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: काहे के बारे में बोल रहे हैं आप?

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): यह राजपाल मीणा भूख-हड़ताल पर बैठा हुआ है, एस.सी., एस.टी. के मुद्दे को लेकर ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आपने कहां लिखकर दिया है? (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: कहां दिया है लिखकर? (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): वह लिखकर आज ...(व्यवधान) उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है ...(व्यवधान) सरकार को इसलिए हम बताना चाहते हैं ...(व्यवधान)

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, मैं यह ... (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): मुझे स्पष्टीकरण देना है, आपने कहा कि मैं व्यवस्था दे दूंगी उसके बाद में ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय रिछपालजी कर देना। (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): आठ बार तो ज्ञापन दे चुके हैं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय रिछपाल मिर्धा आप बाद में ...(व्यवधान)

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): दो मिनट ठहर जायें मुझे बोलने दें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: ऐसा है, मैं आपको अवसर दूंगी, लेकिन यह जीरो ऑवर है, पर्ची के बाद में दूंगी। (व्यवधान)

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): दो मिनट में मैं मेरी बात कह दूंगा। आपने कहा, पहले ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: ऐसा है, आप परंपरा ...(व्यवधान)

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): दो मिनट का समय दे दें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: पर्ची के बाद दूंगी ...(व्यवधान) दो की बजाय पाँच बोलना। पर्सनल स्पष्टीकरण पर आपका अधिकार है, पाँच मिनट बोलना। (व्यवधान)

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): इतनी कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: पहले आप जीरो ऑवर को हो जाने दीजिये ...(व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव, 295, उसके बाद पर्ची, और उसके बाद आपको समय दूंगी। (व्यवधान)

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): मेरा निवेदन है, मेरा आप पहले ले लें। (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन। (व्यवधान)

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्यों यह जीरो ऑवर में समय खराब कर रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन ...(व्यवधान) अनुसूचित जाति, जनजाति के सैकड़ों लोग ...(व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): अध्यक्ष महोदय, उसकी हालत बहुत खराब है ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): धरने पर बैठा हुआ है ...(व्यवधान) उनके बैकलॉग के मामले में सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ...(व्यवधान) इसलिए कम से कम अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ ...(व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): कम से कम सरकार को यह तो चाहिए कि भूख-हड़ताल पर बैठा हुआ ...(व्यवधान) 6 दिन से खाना नहीं ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): न्याय करने के लिए आप इनको कहें ...(व्यवधान) मंत्रीजी कह दें कि बैकलॉग नहीं है, जबकि इनका आरोप है कि बैकलॉग है ...(व्यवधान) आखिर इन लोगों के साथ न्याय कब होगा? (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): उसके बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे। (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के साथ में न्याय कब होगा? (व्यवधान) एक व्यक्ति भूख-हड़ताल पर बैठा हुआ है ...(व्यवधान) अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग भूख-हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्षजी, गृह मंत्रीजी को, संसदीय कार्य मंत्रीजी को कहें कि वह मौके पर जाएं और उनका बैकलॉग पूरा करें। (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): अध्यक्ष महोदय, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है ...(व्यवधान) खाली पदों को भरने के लिए ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: पांच मिनट बोल लेना आप। (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): एस.सी., एस.टी. के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है और आज सात दिन से भूख-हड़ताल पर बैठा हुआ है। (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की संवेदनहीन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): एस.सी., एस.टी. के बैकलॉग को पूरा करने के लिए मेरी मांग है, उसका जवाब दे सरकार। (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): भूख-हड़ताल पर बैठा हुआ है ...(व्यवधान) न उनकी सुनने वाली है सरकार ...(व्यवधान) जबकि यह सरकार

(श्री सी. डी. देवल)

अनुसूचित जाति के वोटों पर राज कर रही है, सर्वाधिक लोग बैठे हुए हैं, आखिर उन लोगों के हित में कब राज होगा? (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, पाँच दिन से लगातार भूख-हड़ताल चल रही है और 83 हजार एस.सी., एस.टी. के पद बाकी हैं ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): उनकी तकलीफ को दूर करें। (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): अभी तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, हर सैशन में मामला उठाया जाता है। हम चाहते हैं कि सरकार यह वक्तव्य दे कि ये कब तक पूरे होंगे, यही हमारा आग्रह है।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): कब तक सरकार बैकलॉग पूरा करेगी यह भी आश्वासन दे।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़** (राज्य मंत्री, सिंचाई): माननीय सदस्य, पिछले सत्र में घनश्याम तिवाड़ीजी ने जो जवाब दिया था, क्या वह लागू नहीं किया? (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): केवल जवाब आता है, काम नहीं होता है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): लागू नहीं किया ...(व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): कोई काम नहीं होता है, केवल जवाब आता है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: देखिये, कैसे खड़े हैं। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): अगर लागू नहीं हुआ फिर तो गलत है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है।

**श्री अध्यक्ष**: यह सदन का प्रांगण है, केवल एक व्यक्ति के अधिकार में होता है ...(व्यवधान) और वह जब खड़ा होता है तो दूसरों को बैठ जाना चाहिए। आप एक साथ खड़े हो जाते हैं।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): अध्यक्ष महोदय, कब तक यह ...(व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, यह लंबे समय से हमारे साथ में अन्याय किया जा रहा है। एस.सी., एस.टी. के बैकलॉग को नहीं भरा जा रहा है ...(व्यवधान) कोई भी सरकार हो ...(व्यवधान) यह एस.सी., एस.टी. के साथ में ...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले सत्र में भी यह मामला उठा था।

**श्री अध्यक्ष**: क्या?

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): बैकलॉग का, एस.सी., एस.टी. के बैकलाग को ...(व्यवधान) उस समय माननीय शिक्षा मंत्रीजी ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: बैकलाग की बात कहां से आ गयी? ...(व्यवधान) बैकलॉग की बात तो है नहीं ...(व्यवधान) मैंने नाम पुकारा है हरिमोहन शर्मा का। (व्यवधान) आपको बैकलॉग की बात उठानी है तो बाद में उठाइए। (व्यवधान) आपको उठाना है तो बाद में उठाइएगा। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि एस सी एस टी बैकलॉग के लिए ...(व्यवधान) ।

**श्री अध्यक्ष**: आपको बात उठानी है तो इसके बाद उठाइए, मैंने नाम पुकार लिया है, व्यवस्था दे दी है। आप बैकलॉग की बात करते हो, उसके बाद उठाना। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): शिक्षा मंत्रीजी ने इसका यहां दिया था बयान ...(व्यवधान) ।

**श्री अध्यक्ष**: अब अंकित न हो। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, यह सदन नियमों से चलेगा, मैंने नाम पुकार लिया, (व्यवधान) आप बैठिए, सुनिए, पहले सुनिए, जीरो ऑवर जैसे ही खतम हो वैसे ही आप अपने बैकलॉग की बात उठाएं। मैं आपको अनुमति दूंगी

(श्री अध्यक्ष)

और मंत्रीजी जवाब देंगे। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि जब मर्जी आए तब खड़े हो जाओ और जो मर्जी आए सो बोलने लग जाओ। आपको बैकलॉग की बात उठाने से मैं न नहीं करती लेकिन यह तरीका सही नहीं है। जब मैं समय दूंगी, पर्ची खतम हो जाएगी, पर्ची के बाद दूंगी। ...(व्यवधान) पर्ची के बाद समय दूंगी आपको। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** प्लीज बिगन, प्लीज बिगन।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: मौसमी बीमारियों पर चर्चा होगी आज, उस समय विस्तार से आप अपनी बात कहना, पूरी बात सुनेंगे। मंत्रीजी को बाध्य करें कि इस बारे में वह जवाब दें। यह जो उठा रहे हैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कि एक लड़की डेंगू से पीड़ित थी और उसके इलाज में लापरवाही बता रहे हैं, उसकी वजह से मौत हो गई, मैंने कहा, मौसमी बीमारियों पर चर्चा होगी बाद में तब आप अपनी बात उठा लेना।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री अध्यक्ष:** अंकित न हो।

माननीय सदस्य, आप सदन का समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): ×××

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): ×××

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, आपको दूंगी। एक्सप्लेनेशन का समय मैं आपको दूंगी जीरो ऑवर के बाद।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): ×××

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, नहीं, जीरो ऑवर के बाद समय दूंगी। (व्यवधान) जीरो ऑवर में स्पष्टीकरण नहीं होता है। जीरो ऑवर में नहीं हुआ करता है यह।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री अध्यक्षः** सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कोई अधिकार नहीं है ...(व्यवधान)।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (नोखा): ×××

**श्री अध्यक्षः** आपको मौका मिलेगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री अध्यक्षः** आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (नोखा): ×××

**श्री अध्यक्षः** अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आपको सदन का समय बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अब आपको नाम से पुकारूंगी, अब मैं आपको नाम से पुकारूंगी। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री अध्यक्षः** मैं आपको नाम से पुकारूंगी। आप विराज जाएं। आप स्थान ग्रहण कर लें वर्ना मैं आपको नाम से पुकारूंगी।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा):×××

**श्री अध्यक्षः** आज मौका है इनको बोलने का, मैं न कब कर रही हूं।? यह मौसमी बीमारियों पर ही बोल रहे हैं।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): ×××

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, मैंने हरिमोहन शर्मा का नाम पुकारा है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री अध्यक्षः** आप सुनिए। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसकी गम्भीरता को यदि आप गम्भीरता से लेते तो आप बोलने के बाद में खड़े होकर कहते कि मेरा भी ऐसा ही मामला

(श्री अध्यक्ष)

था और उस संवेदनशील मामले पर मैं दो मिनट में कुछ कहना चाहता हूं, तो मैं शायद आपको समय देती। लेकिन आप जिस तरह की हठधर्मिता करते हैं, आसन की व्यवस्था को मानते ही नहीं हैं, आप आसन की व्यवस्था को नहीं मानें तो आसन के पास क्या उपाय है, क्या करे आसन? इसलिए मैं आपसे कह रही हूं। (व्यवधान) जब मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी बात पूरी कहने का मौका मिलेगा, जिस तरीके से लड़की की आप बता रहे हैं कि मौत हुई है, मौसमी बीमारी न सही, आप हृदयहीनता की बात करते कि आप संवेदनहीन हो और लड़की के साथ यह हुआ, इसकी जांच करें, जांच करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें तो मेरी समझ में आती आपकी बात। लेकिन आप जिस तरह से हठधर्मिता करते हो, उससे आसन प्रभावित नहीं होगा।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश और आसन का हुक्म हमारे सिर माथे पर, लेकिन मैंने उनसे कहा था ..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: लेकिन परनाला वहीं पड़ेगा।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय को यह बात पहले ब्रीफ कर आओ। लेकिन उसमें चूक हो गई। दूसरे लोग-बागों को भी मैंने कहा था कि आप उनको ब्रीफ करके आओ, तो उनको मौका पहले दे दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: इसके बाद आप खड़े होकर कहते तो ..(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं प्रार्थना कर रहा हूं .. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: यदि आप खड़े होकर कहते तो मैं ..(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं प्रार्थना कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: जो मैंने व्यवस्था दे दी ..(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा हूं। कह नहीं रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, दो मिनट का समय, एक भील लड़की है, बहुत मार्मिक मामला है। इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, सरकार का पक्ष बहुत दयनीय रहा है, बड़ा आपत्तिजनक रहा है। तो आप दो मिनट

(श्री रामनारायण चौधरी)

उनको बोलने की अनुमति दे दें उसके बाद में आपकी व्यवस्था के हिसाब से .. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** मैं अनुमति पहले तो नहीं दूंगी ..(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष, मैं जीरो ऑवर में जब बाकी कार्यवाही खतम हो जाएगी उसके बाद तीन मिनट का समय जरूर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को दूंगी नेता प्रतिपक्ष की अपील पर।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: मैंने अनुमति नहीं दी है इसीलिए अंकित नहीं हो रहा है। नहीं दी मैंने अनुमति। जो काई हठधर्मिता करे तो उसे देने का सवाल ही नहीं है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री अध्यक्ष:** कह तो दी आपने बात, बाकी क्या रखी है?

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: जब मैंने हरिमोहन शर्मा का नाम पुकार लिया तो दूसरों को अनुमति कैसे दूंगी?

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, पहले सब पूरा होगा उसके बाद दूंगी।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: देखिए, सुनिए, नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप नहीं थे, बहिर्गमन कर गये थे, उस समय मैंने कहा था कि चूंकि मामला अदालत में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है इसलिए मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं क्योंकि यहां की कार्यवाही से कोर्ट प्रिजुडिस होता है इसलिए उसकी चर्चा नहीं की जा सकती।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्षः** चल तो रहा है, कोर्ट में तो केस है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्षः** आप बताएं चाहे और कोई बताए, कोर्ट में पैंडिंग है, यह बात हुई है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अमराराम (**धोद): ×××

**श्री अध्यक्षः** यदि यह सदन फैसला करने लग जाएगा कि अतिक्रमी कौन है, जमीन का मालिक कौन है, जमीन का टाइटल किसके पास है, यह काम विधान सभा का नहीं है। यह फैसला अदालत करेगी, कोर्ट करेगी। उसके बारे में सदन में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्षः** हरिमोहन शर्मा, क्या आप बोलने में असमर्थ हैं? दूसरा नाम पुकारूं?

**श्री हरिमोहन शर्मा (**हिण्डौली): मैं खड़ा हूं।

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्षः** जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा): ×××

**श्री अध्यक्षः** सरकार के खिलाफ ..(व्यवधान) यदि सरकार उसके विपरीत कर रही है तो कंटेम्प्ट आफ कोर्ट चलेगा, क्यों चिन्ता करते हो आप?

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्षः** सरकार बैठी है उनको आप कहो।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्षः** सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्षः** आप लोगों ने पौन घंटा बिना किसी डिस्कशन के, अपने विचार बिना रखे यहां पर खो दिया 12 बजे से।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: जो लोग आसन की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि आखिरी दिन मैं किसी तरह की कोई इस तरह की अप्रिय व्यवस्था दूं, इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रही हूं कि मेहरबानी करके अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें और हरिमोहनजी को बोलने दें।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्ष:** आप मेरे वेश्म में आइएगा, मैं गृह मंत्रीजी को भी बुलाऊंगी और इनसे पूछूंगी क्या है। लेकिन मेरे खयाल से इसमें गृह मंत्रीजी नहीं बता पाएंगे क्योंकि राजस्व का मामला है। इसलिए मैं दोनों को बुलाऊंगी। दोनों को बुलाऊंगी, आपको भी बुलाऊंगी और बैठकर बात करेंगे।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष:** यह आसन जो व्यवस्था दे चुका है उसके विपरीत कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हूं।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री अध्यक्ष:** अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री अध्यक्ष:** धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी पार्टी तो गरीब की हिमायती है, आप कहां इन ...

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष:** टेल पर तो पानी मिल नहीं रहा, टेल में पानी की समस्या और आप बात करते हो, यहां पर उनकी पैरवी करते हो ?

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आपको पैरवी करनी चाहिए, बाड़मेर और जैसलमेर वाले लोगों की जो टेल पर बैठे हुए हैं। उनके पानी की समस्या है।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): ×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: मैंने इजाजत नहीं दी है, अंकित हो नहीं रहा है। (व्यवधान) आप तो किसानों के हिमायती हो।

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): ×××

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): ×××

**श्री अध्यक्ष**: जो किसान कुए से सींचता है, सीकर और झुन्झुनूं वाला ईमानदारी से यदि करता है खेती, 5 हजार रुपया महीने का उसका बिजली का बिल आता है। आप किसकी तुलना कर रहे हो ? (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री अध्यक्ष:** किसकी पैरवी करते हो ?

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आज सत्र का अन्तिम दिन है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है इसलिए आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। अंकित तो हो नहीं रहा है, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आप मुझे मजबूर रह रहे हैं।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री जोगाराम पटेल (**लूणी): ×××

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आपको सदन का समय बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। (व्यवधान) सदन का समय कंजूम करने का कोई अधिकार नहीं है आपको अकेले को।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: नियमों में आइए, नियमों में बात करिए। इसका मतलब यह नहीं है, इनको भी चुनकर भेजा है। (व्यवधान) इन सब को भी चुनकर भेजा है।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): ×××

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री अध्यक्ष**: सदन का समय क्यों बरबाद कर रहे हो ? (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): ×××

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपको जो कहना था, आपने कह दिया। अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, अब स्थान ग्रहण कर लें। बर्दाशत बहुत कर ली, सदन के सब लोगों ने कर ली, आप अकेले नहीं चुनकर आये हैं, इनको भी सब को किसी ने नामीनेट नहीं किया, ये भी बाकायदा As elected as you are …

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: … as duly elected as you are.

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : ×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): ×××

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर):×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): ×××

**श्री अध्यक्षः** क्या हो गया ? (व्यवधान) धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आप मेरे धैर्य की परीक्षा नहीं लें तो उचित रहेगा। (व्यवधान) कितना समय बर्बाद किया आपने हाउस का ?

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, नहीं। गलत बात है यह, नो, अंकित नहीं।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री अध्यक्षः** आप यों ही गला फाड़ रहे हैं, अंकित हो नहीं रहा है।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री अध्यक्षः** आप समय बर्बाद करने आये हैं? आप सदन का समय बर्बाद करने आये हैं क्या ?

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर):×××

**श्री अध्यक्षः** राजस्थान में 5 करोड़ और 64 लाख लोग हैं, आप उनकी बात करिए। आप उनकी बात करिये 5 करोड़ 64 लाख उपभोक्ता हैं.... (व्यवधान) आप केवल 22 लाख की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

**(समय 13.00 बजे)**

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्षः** .......वहां एक मुझे ऐसा लगता है.... (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सब के बाद में इनको दो मिनट का समय दे दें।

**श्री अध्यक्ष**: किस बात के लिए दे दूं? इसलिए कि हर व्यक्ति खड़ा होकर हठधर्मी करे, बोले जाए, आसन की आज्ञा का पालन नहीं करे और समय दे दूं? क्यों दे दूं समय? क्यों दे दूं? जो आसन की आज्ञा का पालन करेगा, आसन की आज्ञा के अनुसार चलेगा, उसको समय दूंगी। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): तालियां वो बजा रहे हैं.... (व्यवधान) वो तो पानी ले रहे हैं और जो पानी से वंचित हो गये उनकी बात वो उठा रहे हैं। पानी तो सारा राठौड़ साहब ने ले लिया। (व्यवधान) जो हैव्ज हैं उनके पास पानी है और जिनके नहीं है उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** तो आपको और मेरे को क्या आवश्यकता है, यह बताओ न आप? आपको और मेरे को क्या आवश्यकता है? (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): तो दो मिनट का दे दो। (व्यवधान) मेरी किसानों के साथ हमदर्दी है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: छोटे किसान हैं उनके भी आवश्यकता है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): जागीरदार तो नहीं हैं लेकिन जागीरदार के नाम पर उन्होंने मुरब्बे ले रखे हैं सब ने। आज तो कोई जागीरदार नहीं है लेकिन पुरानी जागीर के आधार पर इन सब लोगों ने मुरब्बे ले रखे हैं। उसमें राठौड़ साहब भी हैं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: जिनकी पैरवी ये कर रहे हैं उनके पास इनसे ज्यादा मुरब्बे हैं। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं उसमें। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप बैठो, आप बैठो। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** हम तो जीतकर आये हैं..... (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): कृपा करके दो मिनट का समय इनको बाद में दे देना। ये अपनी बात से हट रहे हैं और आपकी बात सर्वोपरि है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आपका कहने का मतलब यह है कि जो कोई खड़ा होकर

(श्री अध्यक्ष)

के इस तरीके से बोले और सदन की, आसन की परवाह नहीं करे उन सबको दो मिनट का समय दे दूं? (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): कोई भी नहीं है, अमराराम जी कामरेड... (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष:** यही कह रहे हो आप? मतलब आप प्रोत्साहित कर रहे हो? उन लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हो जो आसन की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको आप प्रोत्साहित करना चाहते हो? (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधायक तो हैं लेकिन ये बहुत बड़ी पार्टी को रिप्रजेंट करते हैं और गरीबों और किसानों की आवाज को उठा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): ×××

**श्री अध्यक्ष:** गरीबों की बात को? गरीबों की बात को उठा रहे हो? (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप औरों का समय काटकर 2-5 मिनट इनको भी दे दो। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री गुरजंट सिंह बराड़** (संगरिया): ×××

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): सरदारजी, सारा पानी इनके पास जा रहा है। सारी पानी राठौड़ साहब ले जा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्री हरिमोहन शर्मा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री अध्यक्ष:** आज आखिरी दिन है, मैं कोई कठोर कार्यवाही नहीं करना चाहती। आखिरी दिन है। मैं भी मजबूर हूं। (व्यवधान) आसन मजबूर है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष:** .... यदि कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका होगी तो यह भी किया जाता है। कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका हो तो सरकार कुछ भी करती है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री अध्यक्ष**: ये नेता प्रतिपक्ष जलती के अन्दर घी और डालते हैं, क्या करूं, क्या नहीं करूं? ये जलती में घी और डालते हैं। एक पूला और डाल देते हैं जलती में। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री अध्यक्ष:** श्री हरिमोहन शर्मा। If you are not interested in speaking, I will ….. (व्यवधान)

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान... (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: ..... माध्यम खतम हो गया है। (व्यवधान) यह सदन का प्रांगण कब तक आपके कब्जे में रहेगा, आप मुझे यह तो यह बताइये? (व्यवधान)

**श्री अमराराम (**धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष:** मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं। यह व्यवस्था मैं बहुत पहले कर चुकी हूं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: मैंने रिलैक्सेशन नहीं दिया। एक को मैंने मेरे वेश्म में बुलाया है और दूसरे को मैंने कहा है कि चूंकि आज मौसमी बीमारियों पर चर्चा

(श्री अध्यक्ष)

होगी.... (व्यवधान) मैंने कोई चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया। (व्यवधान) अब आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आपको जो कुछ कहना था वह सब कह दिया, अब कृपया स्थान ग्रहण कर लें। मैं हाथ जोड़ रही हूं आपके आगे।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष:** जब कभी ऐसा मौका आता है तो आप चूकते नहीं हो और वैसे आप बोलते नहीं हो। जब कभी ऐसा मौका आता है आपको बोलने का तो आप चूकते भी नहीं हो। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: .... माननीय सदस्य, आज मौसमी बीमारियों पर, अकाल पर चर्चा नहीं करना चाहते? यदि आप नहीं चाहते तो फिर मैं क्या करूं? मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूं?

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: यदि आप नहीं करना चाहते तो क्या करूं? इतना महत्वपूर्ण विषय है, मौसमी बीमारियां फैल रही हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री अध्यक्ष:** लोग मर रहे हैं, सरकार को.... (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था में संशोधन कर माननीय सदस्य कामरेड साहब को दो मिनट बोलने की इजाजत दे देना सब के बाद में। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपका काम आसन को सहयोग करने का है और आप अग्नि के अन्दर घी डालकर के आहुति और डालते हो। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): ×××

**श्री अध्यक्ष:** आप प्रतिपक्ष के नेता के पास आये नहीं, हाथा-जोड़ी की होती इनसे तो आपके लिए भी कह देते।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप कृपा करो, आप सबके बाद में कामरेड अमरा रामजी की बात को जो किसानों के हित में और किसानों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं पांच मिनट आप बोलने का समय दे देना बाद में। आज नहीं, बाद में दे देना। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** क्या बात कर रहे हो? क्या बात कही आपने? एक-आध मुरब्बा आपका भी है क्या? एक-आध मुरब्बा आपका भी है क्या वहां? एक-आध मुरब्बा इनका भी दिखता है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्री हरिमोहन शर्मा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के समक्ष मिड-डे-मील के मामले में जो अव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार से एन.जी.ओ. इस प्रकार की....

**श्री अध्यक्ष**: अंकित हो। मैंने नाम पुकारा है हरिमोहन शर्मा का, आप बीच में विघ्न-बाधा न पहुंचाएं।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, सरकार से बात करिये। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मेरे बोलने के बाद खड़े हो जाना।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: सरकार से बात करिये। सरकार को बाहर ले जाएं और बाहर ले जाकर सरकार से बात करिये। You are free. यह सरकार बैठी है यहाँ पर, सरकार को बाहर ले जाइये और करिये बात उनसे।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष:** मैं भी किसान की दुश्मन नहीं हूं, मैं भी किसान हूं और मैं गरीब किसान की पैरवी करती हूं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: जिनको अरैस्ट किया, उनके पास कितने-कितने मुरब्बे हैं, जरा बताना तो सही? (व्यवधान) जरा बताना तो सही, उनके पास कितने कितने मुरब्बे हैं?

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्षः** अंकित नहीं हो।

**अनेक माननीय सदस्यः** ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री गुरजंट सिंह बराड़** (संगरिया): ×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री अध्यक्षः** आप स्थान ग्रहण करिये। आज आखिरी दिन है। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई एक्शन लूं। मैं क्या करूं?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री अध्यक्षः** आपका विनम्र निवेदन मैंने बहुत सुन लिया है, अब आप स्थान ग्रहण कर लें। बहुत सुन लिया। बहुत सुन लिया, अब आप विराजें। स्थान ग्रहण कर लें।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री अध्यक्षः** आपने सीमा पार कर ली। आपने हद कर दी, सीमा पार कर ली। 40 मिनट से लगातार आप बोले चले जा रहे हैं। आपको कितनी बार मैंने कहा है, निवेदन किया है कि आप स्थान ग्रहण कर लें, स्थान ग्रहण कर लें, उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हैं। अब आप यह चाहते हैं कि आखिरी दिन में आपका नाम लूं और आप सदन से बाहर जाएं ताकि आपकी बातें जो अंकित नहीं हुई हैं, वे अखबारों में इस बहाने से सारी बातें आ जाएं कि क्यों इनको बाहर निकाला है। यही चाहते हैं, यही मतलब है आपका, और क्या चाहते हैं आप?

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री हीरालाल** (निवाई): ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्री हरिमोहन शर्मा। श्री हरिमोहन शर्मा।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): ×××

**अनेक माननीय सदस्य**: ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अशोक नागपाल** (सूरतगढ़): ×××

**श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी): ×××

**श्री अध्यक्ष:** धोद से आने वाले माननीय सदस्य, यह हाउस ऐसे नहीं चलेगा। अमरारामजी, ऐसे नहीं चलेगा।

**श्री अमराराम (धोद):** ×××

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**अनेक माननीय सदस्य:** ×××

**श्री अध्यक्ष**: आप कौन से नियम में बोल रहे हैं? आपको किसने पुकारा? आपका नाम किसने पुकारा, किसने पुकारा नाम? स्थान ग्रहण करो।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री अध्यक्ष:** श्री हरिमोहन शर्मा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं....

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**अनेक माननीय सदस्य:** ×××

**श्री अशोक नागपाल** (सूरतगढ़): ×××

**श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी): ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्री हरिमोहन शर्मा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं....

**अनेक माननीय सदस्य**: ×××

**श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची**: ×××

**श्री अशोक नागपाल**: ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री हीरालाल** (निवाई): ×××

**श्री सांवर लाल** : ××× (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपके यहां तो मौसमी बीमारियां हैं नहीं, इसलिए आप दूसरे लोगों को भी मौका नहीं देना चाहते कि वे इस बारे में चर्चा कर सकें, इसलिए सदन का समय बर्बाद कर रहे हो आप। बरबाद कर रहे हो। (व्यवधान)

**श्री अमराराम (**धोद) : ×××

**श्री अध्यक्ष**: अब यदि आपने फिर वही काम किया और फिर खड़े हुए आप, फिर बोलना शुरू किया तो मैं बहुत मजबूर हूं, मुझे नाम लेना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, सदन से बाहर चले जाइये। कहना पड़ेगा। इसलिए अब मैं आपसे हाथ जोड़ कर कह रही हूं, आपको जितना कहना था...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आपको जितना कहना था, आपने सब कह लिया।

**डा. बुलाकीदास कल्ला**: ×××

**श्री अध्यक्ष:** और आपको जितना कहना था कह दिया, अब आप प्लीज मेहरबानी करके...

**श्री अमराराम** (धोद): ××× (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप इतने वरिष्ठ सदस्य हो, आसन पांवों पर होता है, खड़े हो जाते हो, क्या बात हुई यह? (व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य**: ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्री हरिमोहन शर्मा तो बोलने में असमर्थ हैं इसलिए मैं... (व्यवधान)

**श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची**: ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अशोक नागपाल**: ××× (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। मैंने आपका नाम पुकारा है। जो आपको बीच में डिस्टर्ब करेगा उसको मैं देखूंगी, आप शुरू करिये, पहल करिये।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप इनको....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** देखिये, मैंने नाम पुकार लिया हरिमोहन शर्मा का। अब यदि आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो फिर माफ करियेगा, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्षः** बात को सारे दिन आप कहेंगे क्या? जो आपको कहना था कह दिया, सारे दिन यही बात कहते रहोगे? यही बात होगी सारे दिन? और लोगों की कोई बात न हो?

**श्री अमराराम** (धोद) : ×××

**श्री अध्यक्ष**: और लोगों के स्थगन प्रस्ताव कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं?

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री सी.डी. देवलः** ×××

**श्री अध्यक्षः** आपने पचास मिनट बरबाद किये सदन के, अब मैं दो मिनट छोड़, एक मिनट भी नहीं दूंगी आपको।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री सी.डी. देवलः** ×××

**श्री अध्यक्षः** दो मिनट छोड़, एक मिनट भी नहीं दूंगी।

**श्री सी.डी. देवल**: ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आपने कर दिया करबद्ध निवेदन, मैं कर रही हूं आपको कि अब आप स्थान ग्रहण कर लें, बस।

**श्री अमराराम** (धोद): ××× (व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** इतना संयम भी नहीं करते हैं। संयम लोढ़ा करते हैं जिद्द, लेकिन आपने तो हद कर दी। सारी सीमाएं पार कर दीं आपने।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: सारी सीमाएं पार कर दीं। आप जैसे वरिष्ठ सदस्य से मैं यह उम्मीद नहीं करती थी। आप जैसे वरिष्ठ सदस्य से मैं यह उम्मीद नहीं करती थी, आप इस कदर......(व्यवधान)

**श्री अमराराम (**धोद): ×××

**श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची**: ×××

**श्री अध्यक्षः** हद हो गई।

**श्री अमराराम (**धोद): ×××

**श्री हीरालाल** (निवाई): ×××

**श्री गुरजंट सिंह बराड़**: ×××

**श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची**: ×××

**श्री अशोक नागपाल**: ×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ×××

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): ×××

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): ×××

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष:** धोद से आने वाले माननीय सदस्य अब या तो आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, वरना मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रही हूं सदन से बाहर चले जाएं। आगे लोगों को बोलने दें और आगे भी कार्यवाही चलने दें। (व्यवधान) नहीं, मैंने कह दिया, या तो आप बैठे रहें, अपने स्थान पर, बैठे रहें वर्ना आप सदन छोड़कर चले जाएं। (व्यवधान) फिर वही बात। आसन पांव पर है, आसन पांव पर है, आसन पांव पर है। मैं देख रही हूं, मैं आप सबको देख रही हूं कि सदन के नियमों की पालना कौन-कौन नहीं करता। आसन जब पाँव पर हो, बिलकुल आसन जब पांव पर होता है तो कभी खड़े नहीं होना चाहिए यह मैं आप सबसे कह रही हूं। मैं आपको अब कह रही हूं आखिरी बार, या तो अब आप उठना मत और उठो तो बाहर चले जाओ क्योंकि बहुत देर हो गई है, आपने एक घंटे से ज्यादा समय सदन का बरबाद कर दिया। लोगों को बहुत बातें कहनी है, बहुत ....(व्यवधान)।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष:** आप सदन का 1/200वां हिस्सा है और बाकी 199 सदस्य भी हैं, इनको भी अपनी बात कहने का हक है। अकेले आपको नहीं है कि चाहे जितना बोलते चले जाएं। घंटेभर से आप जिद्द करते चले जाएं और आसन की अवज्ञा करते चले जाएं, यह अधिकार आपको भी नहीं है, क्षमा करना आप।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष:** आपने उस अधिकार का भरपूर उपयोग कर लिया जो अधिकार आपको है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते यदि आप इस सदन में आये हैं तो आपने उसका भरपूर उपयोग कर लिया। एक घंटे से अधिक समय तक आपने जद्दोजहद करके जो कुछ कहना था सब कह दिया आपने। अब और क्या चाहते हो आप?

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष:** मैंने कह दिया, या तो बैठ जाएं और या सदन से बाहर चले जाए मैंने आपसे कह दिया, माननीय सदस्य, या तो आप बैठ जाएं या सदन से बाहर चले जाएं।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: Choice is yours. Choice is yours. आपको जो अच्छा लगे वो कर लें, या तो आप बैठ जाएं या सदन से बाहर चले जाएं।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**एक माननीय सदस्य** ×××

**श्री अध्यक्ष:** आज इस सत्र का आखिरी दिन है और मुझे....(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** ×××

**श्री अध्यक्ष:** आज सदन का आखिरी दिन है। ढाई साल के अरसे में मैंने जिस सदाशयता के साथ इस सदन को चलाने का प्रयत्न किया है, मैं नहीं चाहती हूं कि आज सदन के आखिरी दिन में इनको कहूं और निकलने के लिए मजबूर करूं। मैंने कह तो दिया, लेकिन मैं मार्शल से यह बात कहूं और इन्हें हटाऊं, यह मैं नहीं चाहती हूं। क्योंकि मुझे याद आता है एक शेर कि:- तमाम उम्र तो गुजार दी मौमिन बुतों को पूजते हुए, अब आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमां होंगे।

**श्री अमराराम** (धोद): ×××

**श्री अध्यक्ष:** अब देखो गलत बात है। माननीय सदस्य, हद हो गई। माननीय सदस्य हद हो गई है। अब माननीय सदस्य, मैं कुछ नहीं सुनूंगी नहीं ...(व्यवधान) इतना कहने के बाद कोई समझदार आदमी, मैं आपको समझदार समझती हूं, ...(व्यवधान) आप बहिष्कार करो, शौक से पधारो।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्ष:** तो आप बहिष्कार सरकार के खिलाफ क्यों कर रहे हैं, मेरी व्यवस्था के खिलाफ करिएगा आपको जो कुछ करना है, मैंने दी है यह व्यवस्था। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री अध्यक्ष:** ...(व्यवधान) चर्चा नहीं होती। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, मैं आपको यह शुद्ध कर रही हूं।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ×××

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री अध्यक्ष:** आपको मैंने निवेदन कर दिया था कि जब जीरो आवर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप अपनी चर्चा उठा लें। मैंने कहा था आपसे।

## कोटा के स्कूलों का मिड-डे-मील कार्य

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान मिड-डे मील में अब तक हुई गडबड़ियों की ओर और मिड-डे-मील के माध्यम से जो वर्तमान में नए एन जी ओज् बन रहे हैं और जिस प्रकार का गठन किया जा रहा है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और अवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से उन संस्थाओं को प्रश्रय देने की ओर दिलाना चाहता हूं।

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): क्या चर्म रोग हो रहा है, आप ऐसे...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** यह गलत है। आप कृपया शांतिपूर्वक सुनें फिर जवाब दें, ऐसे नहीं। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): जब तक दोनों आंखें साबुत नहीं हों, दिखता नहीं है। दोनों आंखें साबुत होनी चाहिए।

**(समय : 13.37 बजे)**

**(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

उपाध्यक्ष महोदय, गत सत्र में मिड-डे मील में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई, जिन लोगों को, जिन संस्थाओं को बिना टेण्डर के करोड़ों रूपए मिड-डे मील के ऑर्डर दिये गये उस पर सदन में बहुत गंभीरता से, विस्तार से चर्चा हुई थी। जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस प्रकार की संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बिना टेण्डर के सामान सप्लाई करने का आदेश दिया है उसमें भ्रष्टाचार को देखते हुए व्यापक रूप से सदन ने फैसला किया था। फैसला यह किया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि उस समस्त भ्रष्टाचार की जांच यहां की समिति करेगी, कि किनको टेण्डर दिया गया, किनको यह लाभ पहुंचाया गया, लाभ देना उचित था या अनुचित था। सारी प्रकार की व्यवस्थाएं उस समय विधान सभा की समिति के द्वारा करनी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि इस व्याप्त भ्रष्टाचार के सिलसिले में, इस

(श्री हरिमोहन शर्मा)

गंभीर अनियमितता के सिलसिले में, इस अवैधानिकता के संबंध में आज तक भी उस समिति ....(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जरा इन्होंने स्थगन जिस विषय को लेकर दिया है उस पर आप मुलाहिजा फरमा लें, विषय क्या है और जा कहां रहे हैं? विषय यह है, कोटा में जो जीवन मंगल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें कोई अनियमितता हुई है। ये कहां पोषाहार की बात ले आए? मतलब इस स्थगन की आड़ के अन्दर चाहे जिस विषय पर बात छेड़ दें ..(व्यवधान) नहीं, मूल विषय पर आएं आप।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): वो सीधा मुझे कोटा पर ले जाना चाहते हैं...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप पढ़ लें आपका स्थगन किस विषय पर है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मैं कोटा पर भी आऊंगा, आप तसल्ली तो रखो।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आपके पास अवसर है, आपको मौका मिलेगा। नहीं तो अध्यक्ष महोदय उनकी जुबान पर ताला लगा देंगे क्या, मुझे यह बताओं आप? आपको अवसर मिलेगा जवाब दे देना आप।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस गंभीरतम व्याप्त ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य आपको दो मिनट का समय दिया गया है, आप कृपया दो मिनट के अन्दर ....(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): दो मिनट क्यों, घंटेभर का समय तो सभी ले गये।

**श्री उपाध्यक्ष:** ले गये, वह अलग बात है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूं, अनियमितता की बात कर रहा हूं तो बोलने से पहले ही रूकावट आ गई। इसी संदर्भ में कह रहा हूं।

जिन संस्थाओं को उस समय इन्वाल्व किया गया था वो संस्थाएं फिर अभी वर्तमान में इस प्रकार के प्रयास कर रही हैं। एक ओर तो उनको

(श्री हरिमोहन शर्मा)

ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही है, दूसरी ओर वो दूसरे नामों से इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब बच्चों को मिड-डे मील देने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति में यहां पर फाइव स्टार होटल में उन एनजीओज को बुलाया गया और इस बात के प्रयास किये गये कि राजस्थान में गरीब बच्चों को मिड-डे मील एनजीओज के माध्यम से दिया जाएगा। गरीबों के लिए दो रुपये-तीन रुपये पर डाइट की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत आलीशान फाइव स्टार होटल में एनजीओज की मीटिंग बुलाई । उस एनजीओज की मीटिंग में केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार और केन्द्र सरकार के हिसाब से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह फैसला किया कि अब जितना भी काम होगा वो हम एनजीओज को देंगे। एनजीओज को दें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन उन एनजीओज को किस प्रकार से दिया जाए, इसके मामले में केन्द्र सरकार के, राजस्थान सरकार के डाइरेक्शंस हैं। कितने ही वहां पर फाइव स्टार होटल में जो व्यवसायी थे, जो व्यवसाय करते थे जिनकी बड़ी-बड़ी मिलें थीं, एनजीओ बनाने के नाम से माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास आकर गम्भीरता से उन्होंने कहा कि इन गरीबों को मिड-डे मील देने का काम हम करेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जो निवेदन करने जा रहा हूं और जिस संदर्भ में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की प्रेरणा के बाद, माननीय मुख्य मंत्रीजी से हुए विचार-विमर्श के बाद जो सेठ साहूकार, जो करोड़पति फर्मे वहां पर एनजीओज के नाम से फाइव स्टार होटल में आनन्द उठाते हुए उन व्यवस्थाओं को करने के लिए आयी थीं, वे सब तत्काल, आनन-फानन में अपने-अपने गांव गये, अपने स्थान पर गये और उन्होंने फैसला किया कि किसी भी प्रकार से एनजीओ का गठन हो जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे का ऐसा गठन कोटा में तत्काल यहां से जाने के बाद इन्होंने जो किया उसका रजिस्ट्रेशन जीवन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से कोटा में हुआ 17.6.06 को। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उस रजिस्ट्रेशन के करने के पीछे कौन लोग हैं, क्या वो ट्रस्ट सार्वजनिक रूप से उपयुक्त है, क्या उसके ट्रस्टी उचित आदमी हैं, क्या उस समग्र स्थान को वो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं? माननीय

(श्री हरिमोहन शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, उसमें ट्रस्टी के तीन नाम हैं- श्री राजेन्द्र अग्रवाल, दूसरा नाम है श्री आलोक पाराशर और तीसरा नाम है श्री सुधीर शर्मा। सुधीर शर्मा श्री अग्रवाल साहब के साले हैं और जो आलोक पाराशर हैं ये पुरानी जो मिल है उसके मैनेजर हैं। इसके अलावा जो एसोसिएट्स बताये गये हैं उसमें बताया है मल्टी मेटल्स लिमिटेड वो कौन हैं? मल्टी मैटल्स लिमिटेड में श्री राजेन्द्रजी अग्रवाल जो इसमें ट्रस्टी हैं वो राजेन्द्रजी अग्रवाल उस एसोसिएट्स में मल्टी मेटल्स की तरफ से करने धरने वाले हैं वो इसमें एसोसिएट्स हैं। श्री हाड़ौती पूंजी विकास जो एक संस्था है, उसमें अल्पना अग्रवाल उनके परिवार की...

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री हरिमोहन शर्मा**: मैंने स्पेसिफिक दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष:** वो ठीक है ।

**श्री हरिमोहन शर्मा**: मैंने उसमें नाम लिखा है। मैंने नाम लिखा है इस ट्रस्ट का।

**श्री उपाध्यक्ष**: वो मिड-डे मील के कुछ..

**श्री हरिमोहन शर्मा**: मिड-डे मील पर ही तो बता रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: ...प्रबंध के अन्दर कोई शिकायत आपकी आयी हो वो बताइये।

**श्री हरिमोहन शर्मा**: आप सुनें तो सही। वो ही बता रहा हूं। इसमें जो कोटा दाल मिल है जिसमें शंभु अग्रवाल हैं, यह कोटा दाल मिल वो दाल मिल है जिस पर गत विधान सभा के सत्र में आरोप लगा था, यह वो संस्था है, मिलीभगत करके करोड़ों रुपयों के बिना टेण्डर के ठेके करके माल सप्लाई किये जाने का जो ठेका था वो इनके पास है। तो ठेकेदार भी ये ही हो गये ठेका लेने वाले भी ये हो गये, माल की सप्लाई करने वाले भी ये ही हो गये और ये ही ट्रस्टी बन गये। ये ट्रस्टी बन गये। 17.6 को जो ट्रस्ट का निर्माण हुआ उसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सीधे निर्देश हैं, जिसको अनुभव नहीं होगा उसको किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का नहीं दिया जाएगा। लेकिन अफसोस है इस बात का कि इन सब उल्लंघनों के बाद जो 17.6 को इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। माननीय कलक्टर, कोटा ने दिनांक 7.7.06 क्रमांक मिड-डे मील 2006/410 श्री सुधांशु पंत, निदेशक मिड-डे मील कार्यक्रम, राजस्थान,

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जयपुर को एक पत्र लिखा और पत्र लिख कर यह कहा कि यह संस्थान है तो नहीं, अनुभव तो इसका नहीं है, लेकिन इसकी वित्तीय स्थिति बहुत सुदृढ़ है और फाइनेंस के हिसाब से यह कोई हटने वाली नहीं है। उन्होंने यह लिखा कि इनकी इस संस्था को जो, इसमें काम में लिये जाते हैं 29 आइटम्स, उसमें कलक्टर ने यह रिकमंड किया कि वैट से हण्ड्रेड परसेंट मुक्ति इस संस्था को तत्काल दे दी जानी चाहिए। इस प्रकार अनुभवहीन होते हुए, उपयुक्त व्यवस्थाएं नहीं होते हुए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। एक ओर आप एनजीओ की बात करते हो कि एनजीओ किस प्रकार की होनी चाहिए, सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार की होनी चाहिए और उसके बाद सेठ साहूकार पैसे वाले कमाने वालों की कंपनी बना लें लिमिटेड बनने के बाद उसका ठेका ले और फिर कहें कि साहब एनजीओज के माध्यम से कर रहे हैं। इस प्रकार अवैधानिक रूप से, नियमों के विपरीत की अनेक कुकुरमुत्ती संस्थाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश से पूरे राजस्थान में फर्जी एनजीओ गठित करके व्यवस्थाओं को हड़पना चाहते हैं और कलक्टर के माध्यम से राजनीतिक दबाव में, अनुभव न होते हुए भी उसकी रिकमंडेशन कराके वेट में मुक्ति दिलाकर सब प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है...

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य, कोई विद्यालय की तरफ से आया हुआ है क्या कि मिड- डे मील की व्यवस्था ठीक नहीं है या आप हवा में ही बात कर रहे हैं? कोई विद्यालय की तरफ यह आया है क्या कि इस संस्था के द्वारा मिड- डे मील का कार्य सही नहीं चल रहा है ? आप ऐसे भ्रम में ही ...

**श्री हरिमोहन शर्माः** मेरा तो प्रश्न यह नहीं है।

**श्री उपाध्यक्षः** आपका तो प्रश्न यही है।

**श्री हरिमोहन शर्माः** नहीं, नहीं, आप पढ़ें उसको। एक बार पढकर सुनाएं आप। मैं यह नहीं कह रहा हूं । आप पढ़कर तो सुनाओ उसको मेरा जो एडजोर्नमेंट मोशन है।

**श्री उपाध्यक्षः** यह आपने ही दिया है.

**श्री हरिमोहन शर्माः** हां पढ़ो आप।

**श्री उपाध्यक्षः** मिड-डे मील को जीवन संबल ट्रस्ट को देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। कोई अव्यवस्था हो ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्माः** हां, आगे पढ़ें तो सही आप। (व्यवधान) मैं यही कह रहा हूं कि से मुख्य मंत्रीजी के दिशा निर्देशों में इस सरकार के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रभाव डालकर इस प्रकार फर्जी एनजीओ बनाये जा रहे हैं और मिड डे मील का सारा टेण्डर, सारा ठेका, सारा काम एनजीओ के माध्यम से दिया जा रहा है। पूर्व में भ्रष्टाचार के पूरे आरोप लगे थे। यह राजस्थान सरकार, यह मौजूदा विभाग भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए अपने-अपने ढंग से अपने लोगों को एनजीओज में दाखिल करके और एनजीओज की परिभाषा को बदलकर उन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती हैं, इसमें भ्रष्टाचार होगा। इसमें 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र ने दिया है सारा पैसा इसमें केन्द्र का है केवल मात्र 25 प्रतिशत पैसा देना पड़ता है, आप इनका रिकार्ड उठा कर देखें, तो ये बच्चों की संख्या एक करोड़ कुछ एक लाख बता देंगे, कही जब उनको गेहूं देने की बात आएगी तो 70-72 लाख बता देंगे, जब वास्तविकता में देंगे तो चालीस लाख बता देंगे। गेहूं के आबंटन को बच्चों की उपस्थिति कम होते हुए भी अधिक बताकर ये एनजीओज सारा भ्रष्टाचार पैदा करना चाहते हैं। राजस्थान सरकार ने पहले भी कमेटी बनायी थी, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीबों के लिए पैसा आ रहा है, जो बच्चों के लिए पैसा आ रहा है, जो बच्चों के लिए केन्द्र से गेहूं मिल रहा है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है उस पैसे को सेठ साहूकार फर्जी तरीके से एनजीओज के नाम से काम करके खाना चाहते हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा कि नियमों के अनुसार ठीक प्रकार से कार्यवाही करे इस प्रकार का अगर भ्रष्टाचार बढ़ता रहा तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे और मुकाबला करेंगे इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए और जो लोग इस भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते हैं उनको बेनकाब करेंगे। आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्षः** श्री चन्द्रशेखर बैद।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (**सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय ...

**श्री उपाध्यक्षः** इनका तो जनरल था।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय ।

**श्री उपाध्यक्षः** जनरल भाषण ही दिया है इन्होंने।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कुछ स्पेसिफिक बातें की हैं, सरकार की तरफ से अगर उत्तर कोई देना चाहे तो, आपकी अनुमति हो तो, आसन की अनुमति हो तो?

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मंत्रीजी बैठे हैं...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा**: अभी आप तसल्ली रखें, अभी डाक्टर बैद को भी मोका है, वो भी बोलेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने आसन ने सही फर्माया था कि कुछ माननीय सदस्यों को हवा में बातें करने की आदत हो जाती है। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस जीवन संबल ट्रस्ट की बात कही, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी तरह का कोई एमओयू न जिला स्तर पर न राज्य स्तर पर इस ट्रस्ट के साथ सरकार का हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिड-डे मील के रूप में राजस्थान के करोड़ों बच्चों को सुरुचिपूर्ण भोजन देने की जो नई पहल, जो अनूठी पहल ...

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आपके पास विभाग नहीं है ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उत्तर सुनो। नहीं है तो क्या हुआ, मुझे अनुमति दी है ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप इस विभाग के मंत्री नहीं हैं। आपके विभाग के मंत्रियों से जवाब दिलवाओ ।

**श्री उपाध्यक्ष:** कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, या तो विभाग के मंत्री जवाब देंगे या यह कहें कि हमारे विभाग के मंत्री जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज मंत्री आज जिला प्रमुखों का किशनगढ़ में सम्मेलन हो रहा है, उसमें हैं इसलिए मैं आपकी अनुमति से निवेदन कर रहा था। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि सदन के एक एक मिनट का बड़ा उपयोग है पर हम कोई तर्क के आधार पर बात करें, कोई तथ्यों के आधार पर बात करें या हम सिर्फ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस सदन में कुछ बोलना है इसलिए बात करें? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि जिस जीवन संबल चैरिटेबल ट्रस्ट, कोटा की इन्होंने बात की है .. (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): यह कलक्टर का लैटर है जो आपको रिकमंड किया है। यह कलक्टर का लैटर नहीं है या जिसने रिकमंड किया है ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह मेरे पास भी है ।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप सुनने की क्षमता रखिए । आप बीच में नहीं टोकें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, राजस्थान में एक अनूठी योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में चली जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हुई । उस योजना के बारे में कई माननीय सदस्यों को अच्छा नहीं लगा । यह जिस जीवन चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक नीति सरकार ने बनाई थी 2006 में कि किस तरह से एनजीओ को मिड-डे मील से जोडा जाए। कई लोगों के प्रस्ताव आये थे । इसमें कोई शक नहीं है कि इस ट्रस्ट ने भी प्रस्ताव दिया था कि कोटा संभाग के जो छात्र हैं, लगभग 20 हजार छात्रों को जो सरकार की तरफ से मिड-डे मील के रूप में पैसा मिलेगा, उसके साथ अपना सहयोग करना चाहते हैं और विशेष तौर पर सेंट्रल आधुनिक किचन बनाना चाहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हर चीज में हम राजनीति करें, राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग-अलग हो सकती है, पर निश्चित तौर पर कुछ ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, न जाने क्यों किस आधार पर विरोध किया, और उस ट्रस्ट ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया । अगर मुख्य मंत्रीजी की पहल पर कोई ट्रस्ट आगे आता है और अपना प्रस्ताव देता है उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिये । ना कोई एमओयू हुआ, न कोई आधार हुआ, बिना आधार तरह का आरोप लगाना मैं समझता हूं बेबुनियाद है और सदन का समय बिना कारण से नष्ट करने की बात है ।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री चन्द्रशेखर बैद । माननीय सदस्य, नहीं, इस पर आगे कोई चर्चा नहीं ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, जब कलक्टर ने रिकमंड कर दिया ।

**श्री उपाध्यक्ष**: कर दिया होगा ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से यह सारा भ्रष्टाचार उजागर होने को हुआ तो परसों के रोज जाकर इन्होंने दरखास्त दिलवाई है, कि यह सरकार बदनाम हो जाएगी ।

**श्री उपाध्यक्ष:** कोई अंकित नहीं होगा ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री चन्द्रशेखर बैद ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोरमेशन

**श्री उपाध्यक्ष:** मैंने नाम पुकार लिया है श्री चन्द्रशेखर बैद । आप कृपया बैठ जाइए ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सूचना देनी है आपको । उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, 11 तारीख से एसएमएस स्टेडियम में क्रिकेट के मैच होने जा रहे हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज अखबारों में रचा पड़ा है, राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा कुछ अखबारों और मीडिया को जिसमें एनडी टीवी, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम और पंजाब केसरी के स्थानीय संवाददाता हैं, जिनके पास बीसीसीआई के पास बनकर आ गये हैं, यहां आरसीए के अध्यक्ष द्वारा मना करने के बाद उनके पास नहीं दिये जा रहे हैं। इसकी प्रेस ने भारी निंदा की है, नोटिस दिये हैं। यह लगता है कि अगर अखबारों को नाराज करके यहां पर क्रिकेट मैच होंगे तो उनके ऊपर असर पड सकता है। इसका कारण एक है कि गत माह जब आरसीए के अध्यक्ष के यहां इंकम टैक्स का छापा पडा था तो एनडी टीवी, हिन्दुस्तान टाइम, राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी ने यह खबर दी थी। उसका बदला लेने से द्वेष भावना के लिये आरसीए और उनके पदाधिकारी और अध्यक्ष यह कार्यवाही कर रहे हैं। यह बहुत अनुचित है । प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस विधायकों के बारे में, मंत्री के बारे में, सरकार के बारे में कुछ भी लिख सकती है, आरसीए इससे बड़ा नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य आप भाषण नहीं दें, माननीय सदस्य।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप यह व्यवस्था करवाइए सरकार से .. (व्यवधान) प्रेस क्लब के अध्यक्ष और सैक्रेटरी का बयान आया है .. (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। आप इन्फारमेशन दे रहे हैं या भाषण दे रहे हैं?

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ×××

**श्री भवानी सिंह राजावत** (संसदीय सचिव): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अखबारों के माध्यम से कोई बात यहां नहीं उठाई जा सकती ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**श्री भवानी सिंह राजावत** (संसदीय सचिव): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** मैंने अलाउ ही नहीं किया, काहे का जवाब दिलवाऊं?

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, रिकार्ड करवा रहे हैं। मीडिया के साथ किसी भी तरह का कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। रिकार्ड करवा रहे हैं ।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप किस आधार पर कहते हो कि प्रेस को प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा? समाचार पत्र के माध्यम से कोई बात सदन में उठाई जा सकती है क्या, आप यह बता दो? आप तो पुराने सदस्य हो ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ×××

**श्री भवानी सिंह राजावत** (संसदीय सचिव): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** श्री चन्द्रशेखर बैद ।

## प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में अनियमितता व भ्रष्टाचार

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मिड-डे मील के बारे में अभी चर्चा हुई । मिड-डे मील इतनी महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

शुरूआत 15 अगस्त, 1995 को तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई । उस योजना का संचालन राजस्थान राज्य में किस प्रकार से हो रहा है, उस योजना के लिये केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कितने पैसे दिये और उस योजना के अंतर्गत कितना अनाज आपको प्राप्त हुआ और उसका मिस यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा ।

इसका रिवीजन करने के बाद लास्ट रिवीजन मिड-डे मील स्कीम का हुआ है वह सितम्बर, 2004 में, उसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रति बच्चे को 100 ग्राम गेहूं प्रतिदिन दिया जाएगा और साल में 220 दिन दिया जाएगा। साथ में उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि प्रोटीन की मात्रा 8 से 10 ग्राम होगी यह भी निर्धारित किया कि जो भी पका हुआ खाना आप बच्चों को उपलब्ध कराएंगे उसकी वैल्यू 300 कैलोरी होगी। अब एक तरफ राजस्थान के रूलर डवलपमेंट डिपार्टमैंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट 2005-06 क्या बोलती है? वह यह कहते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक कुल 74121 स्कूलों में अध्ययनरत 101 लाख छात्रों को मिड-डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है। आपका जो वार्षिक प्रतिवेदन 2005-06 है उसमें यह अंकित किया हुआ है। आपके जो डाइरेक्टर मिड-डे मील है, वह क्या फर्माते हैं? वह कहते हैं कि हमारे राज्य में 73 लाख 35 हजार बच्चों को मिड-मील उपलब्ध कराया जा रहा है । पहली विसंगति तो यह हो गई सरकार के दो विभाग, एक तो मिड-डे मील के डाइरेक्टर कह रहे हैं 73 लाख 35 हजार और दूसरी तरफ रूलर डवलपमेंट डिपार्टमैंट का यह प्रतिवेदन कह रहा है 101 लाख, यह विसंगति। दूसरा मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार की रिपोर्ट में बिलकुल स्पेसिफिकली अंकित किया गया है, पिछले सात साल के आंकड़े देकर यह बताया गया है कि जो नामांकन होता है बच्चों का और जो उपस्थिति होती है वह उपस्थिति उसका 50 प्रतिशत होती है। आप यह देखिए 73 लाख 35 हजार बच्चों में से 50 प्रतिशत जब उपस्थिति होगी तो ड्राप आउट रेट हो गई 50 प्रतिशत। इसमें जो गेहूं केन्द्र सरकार ने आपको आबंटित किया 2005-06 में, वह 116 लाख मिट्रिक टन गेहूं आबंटित किया । आपने उसमें से प्रयोग कितना किया? सिर्फ 58 हजार मिट्रिक टन गेहूं का उपयोग किया गया। बाकी 58 हजार मिट्रिक टन गेहूं का क्या हुआ, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

**(समय : 14.00 बजे)**

इस तरह से पिछले साल 25 करोड़ का और इस बार 27 करोड़ का केन्द्र सरकार से गेहूं आबंटित हुआ। राज्य सरकार के पास पहुंचा। राज्य सरकार ने विभिन्न स्कूलों को जिनकी संख्या मैंने आपसे निवेदन किया 74121 है, वहां गेहूं भेज दिया। बच्चे वहां पर 50 परसेंट ही हैं। बाकी गेहूं का क्या हुआ? सरकारी विभागों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर पिछले साल 25 करोड़ का और इस बार 27 करोड़ के गेहूं का सीधा-सीधा गबन किया है। यह सरकार के स्वयं के आकड़े बता रहे हैं। इसी का नतीजा है कि बार-बार पिछले एक साल के अन्दर एक नहीं अनेकों बार ये खबरें आयीं कि मिड डे मील में लाखों की हेराफेरी का आरोप भरतपुर के अन्दर आरोप लगा, धौलपुर के अन्दर लगा, उदयपुर के अन्दर लगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे बच्चों को स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिसके अन्तर्गत यह निर्णय किया गया कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़े और वहां पर बच्चों में जो 50 परसेंट कुपोषण है वह कुपोषण दूर हो और बच्चों की ड्राप आउट रेट कम हो, लेकिन ड्राप आउट रेट बावजूद आपके प्रयासों के निरन्तर बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह हेरा-फेरी है। साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने यह माना है कि प्रति बच्चे को खाना पकाने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से एक रुपया दिया जाता है, एक रुपया राज्य सरकार देती है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को पिछले साल 2004-05 में दिये 131 करोड़ रुपये और 2005-06 में दिये 114 करोड़ रुपये, टोटल आपको दिये 245 करोड़ रुपये, और आपने खर्च कितने किये? 235 करोड़ रुपये, जबकि आपको 245 करोड़ रुपये अपनी तरफ से मिलाकर खाना पकाने पर व्यय करने थे। इस प्रकार 250 करोड़ रुपये का अन्तर रहा उधर 75 और 75 दो साल के अन्दर रहा। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मिड-डे मील स्कीम जो केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गयी है, केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा, ठेकेदारों को बेवजह ठेका देने की वजह से वह बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। नहीं तो खाली आकड़े दिखाकर केन्द्र सरकार से पैसा लेना, केन्द्र सरकार से गेहूं लेना ही होगा और जिस कारण से इस योजना की शुरूआत की गयी थी वह अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगी। सरकार को इस

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

पर गम्भीर होना पड़ेगा। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी अभी कह रहे थे कि यह बहुत बड़ी योजना है और मुख्य मंत्रीजी ने बहुत पहल की। मैं फिर कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पाँच सितारा होटल के अन्दर जिन बड़ी-बड़ी संस्थाओं के साथ में एम.ओ.यू. साइन किया है, उसके अन्दर भी यह स्थिति है कि 50 परसेंट पैसा सीधा-सीधा उनकी पॉकेट में जा रहा है। उस गरीब बच्चे के पेट में नहीं जा रहा है। यही मेरे को आपके माध्यम से निवेदन करना था, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

## जिला शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु ओ.बी.सी. के छात्रों को प्रवेश में बरती जा रही अनियमितताएं

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किये जा रहे प्रवेश में बरती जा रही अनियमितता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये संस्थान डाइट के नाम से भी जाने जाते हैं और इन संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राएं एस.टी.सी. का कोर्स अपना करते हैं। गत समय 21.2.2005 को एक निर्देश जारी किया गया और निर्देश के तहत प्रवेश की प्रक्रिया का भी इसके अन्दर खुलासा किया गया और उसके तहत प्रवेश हुए। उसके बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5.8.2006 को इस वर्ष के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश जारी करते हुए प्रक्रिया का खुलासा किया गया जिसके तहत प्रवेश होने थे। पूरे राज्य के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, महापुरा, जयपुर एवं मान्यता प्राप्त संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश इनके द्वारा किये जाने थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रवेश-पत्र लिये गये। फार्म भरवाये गये। फार्म भरवाने के साथ ही इसकी प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया। इसके संबंध में, गत 29.09.2006 को एक लिस्ट लगायी गयी जिस लिस्ट के तहत में 12.10.2006 तक फीस जमा करवानी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस लिस्ट के अन्दर आरक्षित वर्ग को इसमें प्रवेश देने के लिए अलग-अलग क्लासीफाई किया हुआ है, इसमें अनुसूचित जाति 16 परसेंट, अनुसूचित जनजाति 12 परसेंट, अन्य पिछड़ी जाति के आशार्थी 21 परसेंट और महिला

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

आशार्थियों के लिए 40 परसेंट, इस प्रकार से अलग-अलग कैटेगराइज किया गया था। लेकिन जो सूची निकाली गयी उस सूची के अन्दर बजाए इसके कि सामान्य अभ्यर्थियों की सूची और रिजर्वेशन की सूची, इसको जाना जाता, देखा जाता, उसको नहीं देखते हुए इन्होंने हर रिजर्वेशन की अलग मैरिट बनायी और उस मैरिट के बनते परिस्थिति यह उत्पन्न हुई कि जनरल मैरिट अगर 76 परसेंट पर आती है तो पर्टीकूलर रिजर्वेशन में वह 86 परसेंट पर, मतलब रिजर्वेशन वाले का एडमिशन 86 परसेंट पर हो रहा है ओर जनरल वाले का 76 परसेंट पर हो रहा है। इस विसंगति की और ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया लेकिन उसका कोई परिणाम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामने नहीं आया, जबकि, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया के आदेश भी हो चुके हैं, उनकी तरफ से भी इसके बारे में फैसले दिये जा चुके हैं। मैं हवाला देना चाहता हूं रितेश आर. शाह वर्सेज डाक्टर वाई.एल. यामनु, 1996 इसके अन्दर यह साफ-साफ दिया गया है, ‘‘student who is entitled to be admitted on the basis of merit though belonging to the reserve category cannot be considered to be admitted against the seats reserved for reserved category.” इसी तरीके से एक दूसरा फैसला और हुआ है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन आफ इण्डिया, यह भी फैसला इसी प्रकार का था जिसके अन्दर रिजर्वेशन कैटेगरी की स्टूडेंट को मानते हुए प्रवेश नहीं दिया गया जबकि वह जनरल मैरिट में स्टेंड करती थी और उसको रिजर्वेशन कैटेगरी में डालने का प्रयास किया गया। तीसरा इसमें फैसला हुआ, डिवीजन बैंच, राजस्थान हाइकोर्ट, अनिता वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान, डेटेड 17.10.2002, इसके अन्दर भी यही खुलासा किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें साफ-साफ लिखा गया – reserved category against reserved seats in case they fall in merit in general list candidate should be considered as a general candidate.”

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद चयन की प्रक्रिया प्रारभ कर दी गयी और 12 तारीख दे दी गयी। अब इस प्रकरण को जैसे ही यहां सदन में रखने का प्रयास किया गया, उसके साथ एक आदेश जारी किया जाता है और वह आदेश जारी किया जाता है 7.10.2006 को। कार्यालय- आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। बी.एस.टी.सी. में सत्र 2006-07 में प्रवेश के संबंध में। उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि बी.एस.टी.सी. के सत्र 2006-07 में प्रवेश

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल 1442/99, दिनांक 17.10.2002 में पारित निम्न निर्णय एवं राज्य सरकार के पत्रांक सच एण्ड सच, दिनांक 16.08.2003 द्वारा जारी आदेश की पालना कर अवगत करावें। डी.बी. स्पेशल 1442/99 का निर्णय निम्न प्रकार है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन नियमों को जिस वक्त ये आदेश पारित हुए, उसमें लागू नहीं किया गया और अब The Government of Rajasthan vide its letter No. …such and such dated 16.08.03 has issued a clarification on reservation of seats for reserved category students. This letter states as under:

"I am directed to say that the Hon'bel Division Bench have passed the decision in D.B. Special appeal No. 1442/99 on 17.10.2002 that meritorious students of reserved category falling in the merit of general category can not be treated as against the reserved category meaning thereby that they will be treated as General Category Candidates."

उपाध्यक्ष महोदय, आदेश के होने के बावजूद गत अनेक वर्षों से डाइट के अंदर छात्र-छात्राओं के प्रवेश के अंदर घोर अनियमितता बरती गयी। इस प्रकरण को दिनांक 6 को सदन में जैसे ही पेश किया गया उसके बाद दिनांक 7 को संशोधन जारी करने के लिये निर्देशित किया गया है। इस निर्देश की कितनी पालना होगी, यह मैं नहीं जानता। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह आदेश न सिर्फ डाइट के अंदर बल्कि अन्य शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके अंदर भी लागू हो। इस बात को हम पूरी तरीके से एन्श्योर करें, यह मेरा निवेदन है। और अब तक यह कोताही क्यों बरती गयी, यह जांच का विषय है। इसकी जांच कराएं। आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री जुबेर खान।

## अलवर के एम.आई.ए (औद्योगिक क्षेत्र) स्थित फैक्ट्रियों में गैस का रिसाव

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र है अलवर के पास में, जहां हाल ही में 26 सितम्बर, 2006 को गैस का रिसाव हुआ। दो तरह की गैस का वहां पर अक्सर होता रहता है। हर दूसरे-तीसरे महीने कभी न कभी किसी न किसी फैक्टरी में यह हादसा होता रहता है।

(श्री जुबेर खान)

अमोनिया गैस और क्लोरिन गैस, ये दो तरह की गैस का वहां पर लीकेज होता है । वहां पर काफी कैमिकल की फैक्टरियां हैं । वहां जो 26 सितम्बर को गैस लीक हुई, उसमें 15 आदमी बेहोश हो गये और पुलिस ने कार्यवाही की। इसके लिये तो मैं कहूंगा कि पुलिस ने कार्यवाही की, प्रशासन ने कार्यवाही की। लेकिन मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि उसके बाद दशहरे के मौके पर भी गैस लीक हुई और रास्ते चलती औरतें और बच्चे भी बेहोश हो गये। इसमें जो उद्योग मंत्री हैं या उद्योग विभाग है उनको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, कि कैमिकल की फैक्ट्रियों से जो गैस का रिसाव होता है उसका एक ट्रीटमेंट होता है, चूने और पानी में से जाकर वह गैस अगर छूटेगी बॉयलर के थ्रू तो उसका असर नहीं रहता है। ये लोग खर्चा बचाने के लिये सीधी गैस को छोड़ देते हैं फैक्टरी से जिससे पशुओं पर असर पड़ता है, आदमियों पर असर पड़ता है। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिससे वहां पर लोगों में अक्सर भय व्याप्त रहता है कि अगर मान लो कभी अंधेरी रात में गैस लीक हो गयी, लोग सोते रह गये तो बड़ा हादसा हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि बॉयलर इंसपेक्टर, फैक्टरी इंसपेक्टर और पोल्यूशन डिपार्टमैंट के लोग, ये सब लोग क्या करते हैं? जब इस तरह के हादसे वहां होते हैं वे इनकी देखरेख नहीं करते, रोक नहीं लगाते। मैं लम्बी बात नहीं कहते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि कभी बड़ा हादसा नहीं हो, इसको देखते हुए सरकार को कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिये । वहां से पानी निकलकर नदियों में, तालाबों में जाता है पशु उस पानी को पीते हैं और पशु अक्सर मर जाते हैं। इसके ऊपर कोई कार्यवाही की जाए, नहीं तो वहां कोई न कोई बड़ा जन आन्दोलन खड़ा हो जाएगा। लोगों में भारी रोष है कि पता नहीं कब गैस का रिसाव हो जाएगा, क्योंकि वहां तरह-तरह की कैमिकल फैक्टरियां हैं, उनके ऊपर अकुंश लगाया जाए। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** डा. बुलाकी दास कल्ला ।

## राज्य के पैराटीचर्स को नियमित करने का वादा विषयक

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पैरा टीचर्स जो वर्ष 2000 में लगाये गये थे, उन पैराटीचर्स को जब लगाया गया था तो यह लक्ष्य सामने रखा गया था कि उनके माध्यम से राजस्थान

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

का साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में तत्कालीन सरकार कामयाब भी हुई और अनेक लोग इसमें लगे, लगभग 37 हजार से ज्यादा पैराटीचर्स राजस्थान में लगाये गये। भंयकर अकाल की विभीषिका के होते हुए भी हमने शिक्षा केन्द्र चलाये और उनके कार्य करने की अवधि सामान्य शिक्षकों की तुलना में लगभग दो घण्टे कम रखी जिसके कारण वे लोग काम करते रहे। आज जो लोग सत्ता में हैं ये उस समय विपक्ष में थे, इन्होंने यह मांग उठाई कि इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये, इनका यह होना चाहिये, इनका वह होना चाहिये। हमने कैसी भी आर्थिक स्थिति थी, उसको ध्यान में रखते हुए उनका वेतन बढ़ाकर दो हजार किया। प्रति वर्ष 200 रुपये इन्क्रीमेंट, समझिये लम्प-सम हर साल उनका 200 रुपया बढ़ेगा। जो 2,000 में पैराटीचर्स लगे थे, उनको आज लगभग 3600 रुपये मिल रहे हैं और जो 2001 में लगे उनको 200 कम और 2002 में लगे उनको 200 रुपये और कम, इस प्रकार से उनको तनख्वाह मिल रही है। लेकिन अब उनसे काम लिया जा रहा है एक सामान्य शिक्षक की तरह । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं समान काम समान वेतन, इसके आधार पर पैरा टीचर्स ने कई बार राज्य के शिक्षा मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी का और अभी 5 तारीख को जब उनका प्रदर्शन था तब उन्होंने राज्य की मुख्य मंत्रीजी से मुलाकात की, और हमें ऐसी जानकारी दी गयी कि सरकार ने उनको नियमित करने का वादा किया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की पैराटीचर्स के बारे में क्या योजना है? क्या आप उनका नियमितिकरण करने जा रहे हैं? क्या आप उनको रैगुलर पे-स्केल देने जा रहे हैं? क्योंकि राज्य में जो शिक्षा केन्द्र थे अब प्राथमिक शालाओं के रुप में उनको क्रमोन्नत कर दिया है तो क्या आप उनसे सामान्य शिक्षक का काम लेकर अभी भी उनको पैराटीचर रखेंगे अथवा नियमित सामान्य शिक्षक का ग्रेड देंगे? और देंगे तो कब तक देंगे ? पूरे राजस्थान में जो 37 हजार पैराटीचर्स काम कर रहे थे, उनमें कुछ पैराटीचर्स आर पी एस सी द्वारा सामान्य शिक्षकों की भर्ती की गयी तो उसमें सलैक्ट हो गये थे तो अब कितने पैराटीचर्स राजस्थान में हैं जिनका आप नियमितीकरण करने जा रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे ? राज्य सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिये कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग अकाल में काम कर रहे थे 6 महीने तक, उन्होंने रिट लगाई कि हमने 6 महीने तक लगातार काम कर लिया और ऐसे केसेज में भी उनको नियमित रखने के आदेश एकाध मामलों में हुए हैं। इन बातों को

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

ध्यान में रखते हुए मैं इस सरकार से यह जानना चाहूंगा कि यह पैराटीचर्स के बारे में सरकार की क्या नीति है ? मैं आपके माध्यम से यह बताना भी चाहता हूं कि उन पैराटीचर्स को जो काम दिया जा रहा है, दूरस्थ गांवों में, ढाणियों में, मजरों में जहां कोई नहीं जाता था, वहां पैराटीचर्स जाकर काम कर रहे हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब है। पिछले दिनों में जब आप लोग विपक्ष में थे तो कहते थे, आत्महत्या कर रहे हैं पैराटीचर्स। आत्महत्या की स्थिति को तो हमने सुधारा, क्योंकि हमने जब 200 रुपये का इन्क्रीमेंट दिया तो उनकी स्थिति में काफी सुधार आया। सुधार आने के बाद अब वे अटके हुए पड़े हैं । आज सामान्य शिक्षकों को 4500 रुपये का ग्रेड मिलता है और जिन लोगों को 3600 रुपये का ग्रेड मिलने लग गया है, मात्र 900 का फर्क है। इस वेतनमान के आधार पर उनको और बेनिफिट्स मिलते हैं उनको राज्य सरकार को देना चाहिये। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ... (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** : आप क्या कर रहे थे ? (व्यवधान) आप मगरमच्छी आंसू बहा रहे हो । (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : 2000 रुपये और उसके बाद में 200 रुपये का इन्क्रीमेंट हमारे कारण ही मिल रहा है । (व्यवधान)

**डा. श्री गोपाल बाहेती**: पहले इनकी बात तो सुन लो। (व्यवधान) क्यों बोल रहे हैं, पहले इनकी बात तो सुन लो । (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने चुनाव से पहले यह वादा किया था कि हम प्रति वर्ष एक लाख लोगों को रोजगार देंगे । (व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित**: उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बता दें कि उस समय कितने तरह के शिक्षक पैदा किये थे ? कहीं कल्ला टीचर, कहीं जोशी टीचर और कहीं पैराटीचर्स, तरह-तरह के तो शिक्षा के जंजाल फैला दिये थे। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बीच में नहीं बोलें । (व्यवधान)

**श्री जालम सिंह रावलोत**: पांच साल में एक भी अध्यापक की भर्ती नहीं की गयी। एक भी स्थाई अध्यापक की भर्ती उनके राज में क्यों नहीं हुई जबकि हम एक लाख अध्यापक भरने जा रहे हैं?

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बीच में नहीं । (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो पैराटीचर रखे, इनको पता नहीं, इनकी सरकार ने पैरा कर्मचारियों की योजना शुरू की है उसमें गजेटेड अफसर, डाक्टर्स, इंजीनियर्स, लैक्चरर्स, आर ए एस आफिसर, डी वाई एस पी और चपरासी से लेकर सारे गजेटेड आफिसर पैरा लगाने की योजना बनाई है। इसलिए पहले पूरी जानकारी करके बोलिये । हमने जो पैराटीचर्स लगाये थे, तत्कालीन अकाल की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लगाये थे। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि हमने नियम बनाया था कि जो नये अध्यापक की भर्ती करेंगे उन नये अध्यापकों में से 75 प्रतिशत पैराटीचर्स को नियमित किया जाएगा। लेकिन इसके लिये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कारण उस पर स्टे आ गया, नहीं तो हम सारे के सारे पैराटीचर्स को नियमित कर चुके होते । उसके बाद बी जे पी की राज्य सरकार आयी। उन्होंने इस केस को विथड्रा किया और शिक्षकों की भर्ती की। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में नान प्लान के कितने पद खाली हैं, शारीरिक शिक्षकों के कितने पद खाली हैं? मैं आपको मेरी जानकारी के अनुसार बताना चाहूंगा कि 60 हजार से ऊपर विभिन्न सेवाओं के शिक्षकों के पद राजस्थान में रिक्त पड़े हुए हैं। उन रिक्त पदों को भरने की सरकार की क्या योजना है? मैं तो चाहता हूं कि 37 हजार पैराटीचर्स में से लगभग आधे के करीब नियमित शिक्षक बन चुके हैं, अब जो पैराटीचर्स रह गये हैं उनका तत्काल नियमितीकरण करने का काम करना चाहिए। नहीं तो ये पैराटीचर्स सारे के सारे आन्दोलन की राह पर हैं, कोई आत्महत्या करेगा, कोई खुदकुशी करेगा और कोई सरकार के सामने आन्दोलन की स्थिति पैदा करेगा। इससे अच्छा है, नोन प्लान की पोस्टों को भरना चाहिए। जो वादा आपने राजस्थान की जनता से किया था कि हम एक लाख लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, तीन वर्ष में मात्र छः-सात हजार पद मृत कर्मचारियों के आश्रितों को दिये हैं, रिक्त पदों को आप भर नहीं रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान में जो पद 41 हजार भरे हैं उसमें अधिकांश पैसा केन्द्र सरकार का है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह तत्काल जो भी रिक्त पद हैं, चाहे वो शारीरिक शिक्षकों के हैं, चाहे सामान्य शिक्षकों के हैं अथवा अन्य श्रेणियों के हैं, उनको तत्काल भरें और पैराटीचर्स का तत्काल नियमितीकरण करें। धन्यवाद।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस पैराटीचर्स के विषय को उठाया, में सोचता हूं कि उनको इसकी बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। स्वयं ने ही इस योजना को लागू किया था, 1200 रुपये में उनसे काम लेने का उनका ही विचार था। जब चुनाव के दिन नजदीक आये और पैराटीचर्स ने अपनी मांग को थोड़ा जोर से रखा तो उन्होंने जुलाई, 2003 में यह बात सही है कि उनकी सैलेरी 2000 रुपये की और 200 रुपये प्रति महीना--

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): एक मिनट, मैं आपको करैक्ट कर दूं। सैलेरी तो हमने बहुत पहले ही बढ़ा दी थी, 2001-2002 में ही बढ़ा दी थी। सैलेरी उस समय बढ़ा दी थी, नियमितीकरण का काम उसमें किया था।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): नियमितीकरण करने का तो समस्या बढ़ती गयी। हम लोग भी जब उधर प्रतिपक्ष में बैठते थे तब हमने भी उनके इस विषय को बार-बार उठाया कि इनको भी एक अध्यापक के रूप में वेतन मिलना चाहिए और सम्पूर्ण सदन का भी यह विचार था कि निश्चित रूप से इनकों एज ए टीचर के रूप में जो तनख्वाह मिलनी चाहिए वो मिले। लेकिन चूंकि कोर्ट में यह मामला जब चला गया और कोर्ट ने दो बार दो निर्णय विभिन्न अलग-अलग लोगों की रिट के ऊपर हुए, एक 04.01.2005 को हुआ और एक 28.02.2005 को हुआ। कोर्ट ने फैसला किया इनको आप नियमित टीचर के रूप में नहीं दे सकते। इनके प्रति सहानुभूति आपकी थी तो हमारी भी है लेकिन केवल सहानुभूति से काम नहीं चलता, न्यायालय के इस निर्णय की पालना, चाहे कोई भी सरकार रही होगी उसको निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। लेकिन फिर सरकार ने, जैसा आपने 200 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाने की बात उस समय की तो इस साल एक अप्रैल, 2006 से हमारी सरकार ने भी 400 रुपये प्रति माह बढ़ाने का भी अपनी तरफ से आदेश जारी किया और मैग्सिमम 4500 जहां तक तृतीय शृंखला वेतन का जो ग्रेड शुरू होता है वहां तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है। लेकिन जहां तक नियमित करने का सवाल है, यह संभव नहीं हो पा रहा न्यायालय के निर्णय की बाध्यता के कारण से।

लेकिन आप देखें, हमने पैराटीचर्स की इस बात को, इस कष्ट को समझते हुए यह किया कि आर.पी.एस.सी. से जो भर्ती हमारी हो रही है उसमें चाहे वो ऐज को क्रास भी कर गया लेकिन वो जिस तारीख से हमारे यहां काम कर रहा था उसको एज का रिलैक्सेशन देकर उसको एप्लाई करने का अधिकार दिया। जो उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहा है, ऐसे एग्जैक्ट संख्या तो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं कह सकता हूं लेकिन पिछली बार जितने पैराटीचर्स थे उसमें से लगभग सात या आठ हजार लोग नियमित अध्यापक के रूप में आये हैं। इस बार भी हमने 25 हजार अध्यापकों की भर्ती के लिए आर.पी.एस.सी. को भेजा हुआ है, उसमें भी उनको यह छूट दी है कि यदि वो उसमें नियमित रूप में सलैक्ट होकर के आ जायेंगे तो अध्यापक के रूप में उनकी स्वीकृति हो जाएगी।

लेकिन हम चाहते हुए भी, इच्छा होते भी न्यायालय के इस निर्णय के कारण से उनको नियमित अध्यापक के रूप में नहीं रख सकते। यह बाधा जरूर है। मैं सोचता हूं कि उनके काम के बारे में, उनके इसके बारे में न आपको संदेह है न हम को संदेह है लेकिन जो अध्यापक की मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करता है, 28000 जो आज की तारीख में पैराटीचर काम कर रहे है इनमें से अगर क्वालिफिकेशन के आधार पर छांटेंगे तो कुछ ऐसे भी हैं जो एक अध्यापक के लिए बी.एड. या एस.टी.सी. क्वालिफिकेशन है, वो भी पूरी नहीं करते हैं। फिर भी हमने उनको निकाला नहीं। हम चाहते तो न्यायालय के उस फैसले के आधार पर उनको नौकरी से निकाल देते लेकिन हमने उनको नौकरी से नहीं निकाला, नौकरी पर वो आज भी हैं। पैराटीचर्स 17000 हैं, अतिरिक्त पैराटीचर्स 2331 हैं, महिला पैराटीचर्स 6685 हैं और शारीरिक पैराटीचर्स 600 हैं आज की तारीख में भी, लेकिन इस सारी बात के होते हुए भी किसी को भी सेवा से मुक्त नहीं किया है।

जहां तक वेकेंसी के बारे में है, अब यह आलोचना का विषय हो जाएगा, में सोचता हूं, वेकेंसी कोई हमने क्रियेट कर दी कल की कल, ऐसा नहीं है। पाँच साल में आपके द्वारा जो कुछ न हो सका, न्यायालय की तकलीफ हुई होगी या और कोई समस्या आपके पास आ गयी होगी या आपने पैसे बचाने के लिए सोचा होगा, भगवान जाने, आप जानो आपका काम, पर उसमें भर्ती नहीं हो पायी कम से कम थर्ड ग्रेड टीचर की। उसकी जगह हमने 35 हजार पिछली बार भर्ती किये और 25000 की रिक्वैस्ट हमने अभी भेजी हुई है आर.पी.एस.सी. में, वो सलेक्शन होगा तो निश्चित रूप से यह जो कमी है उसकी पूर्ति होगी।

यह जो आप कह रहे हैं कि 60000 पद खाली हैं, मैंने एक प्रश्न के उत्तर में सारा दिया था। हमने नान प्लान में भी भर्ती की है, प्लान में भर्ती की है और सर्व शिक्षा अभियान के तहत 15000 शिक्षक हमने भरे हैं और 25000

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अभी सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो वेकेंसी है वो हमने आर.पी.एस.सी. को भेज रखी है। आपकी, हमारी, सदन की, सब की भावना है कि उनकी मदद की जाए लेकिन न्यायालय के निर्णय के आगे न आपका बस चलेगा, न मेरा चलेगा, जो कुछ होगा इसी के तहत ही निर्णय होगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल अगर आपकी आज्ञा हो तो।

**श्री उपाध्यक्ष**: कहिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल खड़ा होता है। पूर्व में भी, गृह मंत्रीजी, यह प्रश्न यहां आया था, उस वक्त भी, माननीय तिवाड़ीजी हैं नहीं सदन में, मैंने उनसे यह निवेदन किया था कि हाई कोर्ट में सैट असाइड जो मांग की इसलिए की कि आपके रूल्स इस बात की आपको परमिशन नहीं देते हैं, क्या रूल्स को अमैण्ड करने की सरकार की कोई मंशा है? रूल्स अमैण्ड हो जाएं जिससे उनकी नियुक्ति में बाधा न आए। सवाल यह देखिये। हाई कोर्ट आपके जो सर्विस रूल्स हैं इनके बारे में बनाये हुए, उनका इण्टरप्रिटेशन करता है। उसके आधार पर इन्होंने कह दिया कि रूल्स इस बात की परमिशन नहीं देते हैं कि इनकी नियुक्ति आप कर सकें। जैसे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनके लिए जो पोस्ट एडवरटाइज की थीं, इनके लिए 75 परसेंट हमने पोस्ट रिजर्व की थीं, लेकिन कोर्ट के आदेश के आगे उनकी पालना नहीं हो सकी। तो मेरा आपसे सुझाव है ---

**श्री उपाध्यक्ष**: ट्रेंड अध्यापकों को तो मौका मिल रहा है। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मेरा निवेदन सुन लीजिए। आज भी सब मिला कर करीब-करीब 26-27000 पैराटीचर बाकी रह गया है। नम्बर बहुत बड़ा है। महिलाओं का Number is big. और उनके अन्दर आज रोष है। इसके बारे में जो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, देखिये. Where there is a will, there is a way. जब आपकी इच्छा शक्ति है तो आप रूल्स अमेण्ड कर दें, सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमको पैसा नहीं मिला था, टीचर्स की सैलेरी के पेटे आज आपको ईश्वर की कृपा से 75 परसेंट पैसा भारत सरकार दे रही है थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत। हमारे सामने कठिनाई थी, लगातार अकाल पड़ रहे थे और हम ज्यादा नियुक्ति नहीं दे पा रहे थे। आज तो वित्तीय स्थिति ईश्वर की कृपा से अच्छी है राज्य

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सरकार की। और सब राज्य सरकारों की। यहां की नहीं। हिन्दुस्तानभर के सूबों का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 25 हजार करोड़ रुपया राज्य सरकारों का रिजर्व बैंक में जमा है जिसको कि उठा नहीं पा रही हैं राज्य सरकारें। राजस्थान का कितना है मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। लेकिन आज वित्तीय स्थिति बहुत सुदृढ़ है सारे राज्यों की ओवर ड्राफ्ट खतम हो गया सारे राज्यों का। सारे राज्यों का, राजस्थान भी उसमें है। वेज एण्ड मीन्स की आप लिमिट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए 75 परसेंट पैसा मास्टरों की तनख्वाह का आपको सर्व शिक्षा अभियान के तहत मिल रहा है, रूल्स को अमेण्ड करने का अगर आपका इरादा हो तो तो इस समस्या का निदान हो सकता है। वरना वो भी परेशान हैं, इस मामले में उनके अन्दर  भी रोष है, बार-बार प्रदर्शन करते हैं। आपने यहां कह दिया कि नहीं कर सकते, कोर्ट के आदेश का आपने कह दिया, एक तरफ मुख्य मंत्री ने उनके डेलिगेशन से बात की, एक अफसरों की कमेटी बनाकर उनकी समस्याओं का निदान करने की बात कही है। इस पृष्ठभूमि में आप इस पर विचार करा लें अपने ला डिपार्टमैंट से कि अगर इनके रूल्स का अमैंडमैंट हो जाता है तो समस्या का निदान हो सकता है। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): पहले इनका दे दें, फिर मेरा।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): जहां तक इच्छा शक्ति का सवाल है नापना पड़ेगा कि आपकी ठीक है कि हमारी ठीक है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आपकी ज्यादा है, मैं तो कह रहा हूं आपकी बहुत ज्यादा है।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): क्योंकि आपको भी यह मौका मिला था इच्छा शक्ति का, वह आप प्रकट नहीं कर पाऐ। अब आप हमसे उम्मीद एकदम कर रहे हैं कि आपकी है कि नहीं है, मैं सोचता हूं कि ....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं। चुनाव के पहले आपने वादा कर दिया था कि हम आपको रैगुलराइज कर देंगे। चुनाव में तो आपने उनको भड़काया इस उससे कि सरकार के खिलाफ में जाएं, हम आपको रैगुलराइज कर देंगे। अब वक्त आया तो आप कहते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): वादा किसने किया? इस विधान सभा की प्रोसीडिंग्स निकाल लें कि आपकी सरकार ने कितनी बार इनको नियमित शिक्षक बनाने का वादा किया है। उसकी भी प्रोसीडिंग निकाल लें। तो इसको इस रूप में लेने से कोई लाभ नहीं है। निश्चित रूप से एक समस्या है और इस समस्या के बारे में बार-बार सदन में आता गया है। मैं सोचता हूं कि इस बारे में बैठकर क्या विचार हो सकता है, कारण क्या है कि इसमें कई चीजें उलझी हुई हैं। न्यायालय ने कोई इस पर रोक लगाई तो केवल इस कारण से नहीं कि पैसे कम हैं या ज्यादा हैं, लेकिन कुछ नार्म्स होते हैं सलैक्शन के, उनको भी ध्यान में रखा। इसके कारण मैं सोचता हूं कि आपने सुझाव दिया, ठीक है आपका सुझाव हमारे ध्यान में आया है।

**श्री उपाध्यक्ष:** सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, क्या शिक्षा कर्मी योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग ने उनको नियमित किया था या नहीं किया था? यदि किया है तो फिर इनके लिए जैसा अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, क्या आपका रूल अमेंड करने का विचार है या नहीं ?

**श्री उपाध्यक्ष**: वह उन्होंने कह दिया।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): दूसरा मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो साठ हजार शिक्षकों के पद नान प्लान में रिक्त हैं, सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र सरकार आपको प्रति वर्ष अनुदान दे रही है ऐसी स्थिति में क्या आप इन पैराटीचर्स को नियमित करके उस अनुदान का लाभ देना चाहते हैं या नहीं ? आपकी क्या योजना है? आपने क्या आश्वासन दिया, कम से कम सदन को यह तो अवगत कराएं। मुख्य मंत्रीजी ने उनके एजीटेशन को अभी तीन-चार दिन पहले यह कहकर छुड़वाया है कि हम आपके बारे में विचार करेंगे । मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, हल करने के लिए क्या आप तैयार हैं?

**श्री उपाध्यक्ष**: सरकार गंभीरता से ले रही है इसको, मंत्रीजी ने कह दिया है।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): मैं भी गंभीरता से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दो बार मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया। शिक्षा विभाग पर बहस थोड़े ही हो रही है? आगे पुकारो।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, आधे मिनट का सवाल है, पिछले समय में पैराटीचर राजीव गांधी पाठशाला, शिक्षा कर्मी इनमें कुछ ब्रिज कोर्स करवाया था जो दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं पास हैं .....

**श्री उपाध्यक्ष**: छोड़ो, लम्बी हिस्ट्री है इसकी। बता दिया मंत्रीजी ने ।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): मैं कुछ पूछ रहा हूं । उदयपुर डिवीजन में राजसमंद से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तक जो बच्चे एस टी, एस सी, ओ बी सी के थे, जिन्होंने परीक्षा दी, वे नब्बे प्रतिशत फेल हो गये, अनएलिजिबल कर दिये गये। सरकार उस बारे में भी कोई विचार कर रही है क्या ? नब्बे प्रतिशत कैसे फेल हो गये ?

**श्री उपाध्यक्ष:** आ गया । श्रीमती प्रतिभा सिंह।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): सब जगह पास हुए, एस टी सी की योग्यता प्राप्त करने के लिए वह चार-चार साल से पढ़ा रहे थे, पाँच-पाँच साल से पढ़ा रहे थे और परीक्षा में फेल हो गये।

**श्री उपाध्यक्ष:** है, समस्या है, उसका कोई निदान करने की कोशिश हो रही है।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): क्या उनको बायस्ड होकर फेल किया गया था, इस बारे में कुछ तो विचार करें।

**श्री उपाध्यक्ष:** सरकार के ध्यान में है, विचार कर रही है। श्रीमती प्रतिभा सिंह।

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## नवलगढ़ के ग्राम चैनगढ़ में पेयजल की व्यवस्था

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के अन्तर्गत ग्राम चैनगढ है वहां बहुत ही गरीब लोगों की करीब सौ घरों की बस्ती है। उनमें अधिकांश अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। उक्त गांव में पीने के पानी का एक ट्यूबवैल बना हुआ था, उसका निर्माण कार्य दोषपूर्ण होने के कारण वह करीब एक वर्ष से बंद पड़ा है।

(श्री प्रतिभा सिंह)

जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त स्थान पर नया ट्यूबवैल निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये गये, उसके बाद माह जून 2006 में वहां ट्यूबवैल स्वीकृत किया गया जिसका निर्माण करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. सीकर द्वारा कार्यादेश दिनांक 4 अगस्त, 2006 को जारी किये गये।

महोदय, जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से आज तक भी चैनगढ़ के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। वहां आस-पास में पीने के पानी की दूसरी कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी के टैंकर्स से बहुत मंहगी दर से पानी भिजवाया जाता है । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इतनी लम्बी अवधि तक भी ग्रामीणों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करवाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर चैनगढ़ में पीने के पानी की व्यवस्था करवाने की कृपा करें।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री नवनीत लाल नीनामा।

## माही विस्थापित किसानों का सर्वे करवाकर उनको जमीन दिलाने के संबंध में

**श्री नवनीत नीनामा** (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिणी राजस्थान के जिला बांसवाड़ा में 96 गांवों के 3113 आदिवासी कृषकों को जमीन दिलाने बाबत नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि वर्ष 1966 में जिला बांसवाड़ा में माही नदी पर बडा डैम (तालाब) का निर्माण किया गया है। जिसमें पानी भराव पेटा में 112 गांवों की जमीन डूब में आने से 4407 परिवार विस्थापित हुए हैं। 112 गांवों में से 16 गांवों के 1111 (एक हजार एक सौ ग्यारह) परिवारों को अन्य जगह भूमि अलाट कर बसाया गया है। 96 गांवों के 3113 (तीन हजार एक सौ तेरह) आदिवासी किसान परिवार आज भी बेघर-बार भटक रहे हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि बांसवाड़ा के राजस्व विभाग कलक्टर व वन विभाग के अधिकारियों द्वारा माही विस्थापितों के भटकते किसानों का सर्वे कराया जाकर बेरोजगार आदिवासी परिवारों को कृषि की जमीन दी जाकर शांति से रहने की व्यवस्था कराई जाए।

मान्यवर, जब डैम बना था उस वक्त केन्द्र और राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि माही विस्थापितों को वन विभाग की भूमि में बसाया जाए लेकिन आज वन विभाग भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। न राजस्व विभाग

(श्री नवनीत नीनामा)

ध्यान दे रहा है। अतः मेरा आग्रह है कि आज ही इस बारे में माननीय मंत्री महोदय यहां हैं, मुझे कुछ आश्वासन दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री श्रवण कुमार। (अनुपस्थित) श्री ओ. पी. महेन्द्रा ।

## श्रीगंगानगर शुगर मिल को शहर से बाहर स्थानान्तरित

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (केसरीसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, शहर के बीचोंबीच में स्थित शुगर मिल को शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि श्रीगंगानगर शहर के बीचोंबीच शुगर मिल स्थापित है, इस शुगर मिल से भारी प्रदूषण फैल रहा है । श्रीगंगानगर शहर के चार लाख लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषण एवं मिल से निकलने वाली काली राख के कारण लोगों का जीना दुशवार हो रहा है। इसके अतिरिक्त किसानों को शहर में गन्ना लाकर शुगर मिल में तुलवाना भी भारी कष्टदायक है । उनको आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। गंगानगर केसरीसिंहपुर, करणपुरा, पदमपुर, सार्दुलशहर का ग्रामीण क्षेत्र गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना शहर में लाना घाटे का सौदा रहता है। शुगर मिल के पास लगभग 128 बीघा भूमि है जो शहर के बीच स्थित होने के कारण लगभग 100 करोड़ रुपये की है जहां नया नगर निर्माण आवश्यक है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गंगानगर शुगर मिल को शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के अनेक लाभ होंगे। प्रथम, शहर के लाखों लोगों को प्रदूषण की भयंकर समस्या से निजात मिलेगी। द्वितीय, किसानों को गन्ना शहर में लाने से आर्थिक क्षति नहीं उठानी पड़ेगी व उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों से छुटकारा मिलेगा। तृतीय, शुगर मिल क्षेत्राधिकार में लगभग 128 बीघा भूमि पर नया नगर निर्माण किया जा सकता है। इससे प्राप्त धनराशि से नयी आधुनिक शुगर मिल स्थापित की जा सकेगी और किसानों द्वारा अतिरिक्त गन्ना उत्पादित किया जा सकेगा। गंगानगर का गन्ना उत्पादक किसान अतिरिक्त पानी की मांग करेगा, जितना पानी पूर्व में आरक्षित है उसी से गन्ना उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि जिले की सर्वाधिक बड़ी इस समस्या का समाधान कर कृतार्थ करें।

अनेकानेक धन्यवाद सहित।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री मांगीलाल गरासिया।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है। मैं उनकी बात से बिलकुल सहमत हूं कि शुगर मिल को बाहर हटाया जाए। लेकिन इसके साथ ही...

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री मांगीलाल गरासिया।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं...

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप अपनी...

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): मेरी एक अर्ज सुन लो। इससे पहले भी यह मामला इन्हीं माननीय सदस्य ने उठाया था। गलतबयानी देकर गुमराह किया सदन को...

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, यह बहस का विषय नहीं है।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): बहस का नहीं, मंत्रीजी बैठे हैं इसलिये मैं कह रहा हूं कि उस दिन इन्होंने...

**श्री उपाध्यक्ष**: आपको..(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): तत्काल जवाब दिया था कि वहां पर आर एस रघुवंशी...

**श्री उपाध्यक्ष**: अब अंकित ही नहीं है...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, इसका जवाब अलग से दे दिया जाएगा।

## गोगुन्दा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित की गई सड़कों पर पेवर करने के संबंध में

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): विधान सभा संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत कृषि विपणन सड़कें गोगुन्दा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त होने से पेवर करने तथा मिसिंग लिंक सड़कों को पक्का कराये जाने के सन्दर्भ में।

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा (उदयपुर) के अन्तर्गत कृषि विपणन की सड़कें अभी वर्तमान में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, पुलिया आदि टूट गयीं जिससे परिवहन को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विपणन की सड़कें इस तरह से हैं :-

(श्री मांगीलाल गरासिया)

काछबा से पाटिया मोरवला

पदराड़ा से चित्रावास

छाली उण्डीयल

तिरोला

इस तरह से और भी कृषि विपणन सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, उन्हें पेवर कराया जाए।

इसी तरह से आज एक जिले को दूसरे जिले एवं एक तहसील से दूसरे तहसील मुख्यालय को मिलाने वाली सड़कें हैं इन्हें मिसिंग या मुख्य मंत्री सड़क योजना से जोड़ा जाए जो इस तरह से हैः-

केड़ेच से कोयलवाव (गोगुन्दा)

तिसभा (बरावली) से पांबा

गायफल से रोयड़ा (गोगुन्दा)

सेनवाड़ा से फलासिया (झाड़ोल)

बेरठा से भीमाणा (कोटड़ा)

तेजा का वास-भीमाणा (कोटड़ा)

काम्बा से रधकपुर रोड़ (गोगुन्दा)

धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्षः** श्री अर्जुन लाल मीणा।

## उदयपुर संभाग के आवासीय विद्यालयों और जनजाति छात्रावासों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने के संबंध में

**श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर)ः नियम प्रक्रिया 295 के तहत उदयपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत संचालत आवासीय विद्यालयों एवं जनजाति छात्रावासों के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने बाबत।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उदयपुर संभाग में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित जनजाति उप योजना क्षेत्र में जिला उदयपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय बालिका सख्या 200 का है। कक्षा दसवीं में 30 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमें से मात्र

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

8 छात्राएं पास हुयीं केवल 26 प्रतिशत परिणाम रहा। इसी तरह से नीचे लिखे निम्न आवासीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम न्यूनतम रहा है :-

| जिला | आवासीय विद्यालय का नाम | 10वीं का | प्रतिशत | उत्तीर्ण प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 बांसवाड़ा | कुशलगढ़ | 48 | 5 | 10.42 |
| 2 डूंगरपुर | सीमलवाड़ा | 47 | 6 | 12.77 |
| 3 उदयपुर | सलूम्बर (छात्रा) | 30 | 8 | 26.77 |
| | खैरवाड़ा | 42 | 12 | 28.57 |
| | कोटड़ा | 15 | 1 | 6 |
| 4 चित्तौड़गढ़ | प्रतापगढ़ | 27 | 1 | 66.00 |
| 5 सिरोही | आबूरोड़ | 13 | - | - |

उपरोक्त विद्यालयों का दसवीं का परीक्षा परिणाम न्यूनतम रहा है, इसके पीछे मुख्य कारण उक्त विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि या तो जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा अध्यापकों की भर्ती आवासीय विद्यालयों के लिए अलग से की जाए या शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री कन्हैयालाल मीणा।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, दे देंगे। उनसे मिलकर बात कर लें।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** मंत्रीजी से बात कर लें। मंत्रीजी से आप उनके चैम्बर में बात कर लें।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** आपकी बात सुन ली, यह बात कर लेंगे। अंकित नहीं होगा।

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): ×××

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

## बस्सी की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः डामरीकरण करवाने के संबंध में

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर जिले में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि उपज मण्डी द्वारा 15 से 20 वर्ष पहले बनायी गयी रोड की हालत बहुत ही खराब है। सड़कों पर एक-एक फीट के गहरे गड्डे हो जाने की वजह से लोग रोड पर नहीं चलकर रोड़ के साइड में कच्चे रास्ते से चलने को मजबूर हैं। रोड्स की इन हालत के कारण रोडवेज की जो बसें नियमित रूप से चलती थीं वे सब बंद हो चुकी हैं। रोड्स पर किसी भी तरह के यातायात के साधन नहीं चल पा रहे हैं। रोड की उक्त दुर्दशा के बारे में सरकार को बार-बार अवगत करवाया गया है लेकिन आज तक इन रोड्स पर पैचवर्क का कार्य भी नहीं करवाया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि इन सड़कों का पुनः डामरीकरण करवाएं तथा साथ ही इन सड़कों के रखरखाव का जिम्मा पी.डब्ल्यू.डी. के पास था जिसे सरकार ने वापस ले लिया था, को वापस पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के पास रहने दिया जाए जिससे समय-समय पर सड़कों का डामरीकरण हो सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कें क्षतिग्रस्त हैं :-

1. पिलिया से करणगढ़ वाया खतैपुरा, रूपपुरा, मोरीन्डी 5 किलोमीटर
2. बांसखोह से भटेरी वाया पाटन 6 किलोमीटर
3. तुंगा से देवगांव वाया दणाऊकलां 9 किलोमीटर
4. पाटन से भूड़ला वाया लालपुरा 3.50 किलोमीटर
5. नायला रोड से बैनाड़ा वाया कुथाडा, हरड़ी 6 किलोमीटर
6. बैनाड़ा से भूज रोड़ वाया सेवापुरा घाटी 1 किलोमीटर
7. गुमानपुरा से रोजवाड़ी वाया माधोगढ़ 5 किलोमीटर
8. कृषि उपज मंडी बस्सी से दुदली 3 किलोमीटर
9. दुदली से दोलकी झर 3 किलोमीटर
10. आगरा रोड से रायसर पालावाला वाया दुदावाला 5 किलोमीटर
11. मोधोगढ़ से तेली का तबारा 1 किलोमीटर
12. तेली का तबारा से लालसोट तूंगा रोड वाया जयराम का बास 7 किलोमीटर

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

13. आगरा रोड से जटवाड़ा वाया गिरधरवास की ढाणी 2 किलोमीटर

14. आगरा रोड से भटेरी दौसा रोड़ वाया हँसमहल, खेड़ला, कानेटी 6 किलोमीटर

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री सी.डी. देवल।

## पाली जिले में गरीब लोगों के मकानों व बाड़ों का नियमन करने के संबंध में

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि राजस्थान के पाली जिले में मरू विकास कार्यक्रम चल रहा था इसलिए जमीनों के अतिक्रमणों के नियमन पर रोक थी और आबंटन पर रोक थी। पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत ने मरूस्थलीय जिलों में आबंटन एवं नियमन पर लगे प्रतिबंधों में शिथिलता देने के लिए 2001 में परिपत्र जारी कर छूट दे दी। साथ ही एक अन्य परिपत्र 28.05.2002 को जारी कर नियमन एवं आबंटन योग्य जमीनों को चिह्नित करने के लिए कमेटी बना दी। लेकिन पाली जिले में आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जैतारण, रायपुर, सोजत, खारची, देसूरी, बाली का पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें गरीब तबके के लोग निवास कर रहे हैं और उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में अलग-अलग मकान बना रखे हैं। कृषि जोत छोटी होने के कारण कई जगह कृषि भूमि पर भी अतिक्रमण हो रहा है। राजस्व विभाग के पटवारी और तहसीलदार उन अतिक्रमियों पर जुर्माना लगा रहे हैं तथा कहीं पर सज़ा की भी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे किसान वर्ग परेशान है। राजस्व अधिकारी जान-बूझकर आबंटन, नियमन की प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार तुरंत एक अभियान चलाकर इन गरीब लोगों के रहने के मकानों व बाड़ों का नियमन करावे और जिन लोगों के पटवार रिकार्ड में अतिक्रमण दर्ज नहीं है किन्तु 40-50 वर्ष से उस स्थान पर रह रहे हैं तो शपथ-पत्र के आधार पर उन कब्जों का नियमन किया जावे ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके। हर साल होने वाले जुर्माने व जेल की सज़ा से काश्तकार बच सकें।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री मदन राठौड़।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): मंत्रीजी, कुछ तो बोलें। (व्यवधान) जिले

(श्री सी. डी. देवल)

का तो आश्वासन दे दें। (व्यवधान) आज 5-10 साल हो गये हैं, लोगों का नियमन नहीं हो रहा है। आप खुद जानते हो कि पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहे रहे हैं, गरीब आदमी हैं। चाहे गरासिया हों, चाहे महणा हों, चाहे रावत हों, चाहे मेरात हों।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आपने बोल दिया। (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): कम से कम आप आश्वासन तो दे दें कि अभियान चलाएंगे। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): यहां पढ़ने के अलावा भी बोल सकते हैं क्या? (व्यवधान) आप पढ़ने के अलावा थोड़े ही बोल सकते हैं। (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): आप आश्वासन तो दे दें कि अभियान चलाएंगे, सरकार के आदेश की पालना नहीं हो रही है, राजस्व मंत्रीजी, इससे गलत काम क्या हो सकता है। राजस्व विभाग के परिपत्र 2002 के हैं।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): समय-समय पर अभियान चलाये गये हैं, जो नियमों के अंतर्गत आते हैं उनका सब का हो रहा है, जो नियमों में नहीं आते हैं ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): वह कमेटी बना रखी है 2002 में निकायों की, उस कमेटी की भी मीटिंग नहीं हो रही है। आप अभियान चलाकर के कर दीजिये, गरीब लोगों पर रोज जुर्माना हो रहा है। पटवारी रिकार्ड में दर्ज नहीं करते हैं। कहीं पर तहसीलदार सज़ा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के जरिये उनसे पैसा लिया जा रहा है। आप अभियान चलाकर के जो सरकार की नीति है उसके अनुसार कार्यवाही कर दें। हम आपसे यह तो कहते हैं नहीं कि आप किसी का जबरदस्ती कर दें। 40-50 साल से रह रहे हैं और वह कह देते हैं कि आपका नाम नहीं है। आप कुछ तो आश्वासन दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपने यह पढ़ लिया।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): आप भी काश्तकार के बेटे हो और पाली जिले से जुड़ता हुआ आपका इलाका है ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): विधायक, रायपुर कह रहे हैं कि 40-50 साल का मामला है तो मुझे अभी तो दो साल का वक्त है, मैं सारी बातों को देखकर ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): आप चिह्नित नहीं करेंगे तो कहां से होगा? (व्यवधान) आप चिह्नित करवा दें, मैं आपसे यह थोड़े ही कह रहा हूं कि आप नियमित कर दें, आप चिह्नित करवा कर कार्यवाही कर दें। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री मदन राठौड़।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): आप तो लायबिलिटी ... (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): चाहे पाँच दिन, पंद्रह दिन, दो महिने, चार महीने लगाएं, कुछ तो आश्वासन सदन में दे दें। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। श्री मदन राठौड़।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): क्या मंत्रीजी, हद हो गयी। (व्यवधान)

## सुमेरपुर में अतिवृष्टि से गिरे मकानों का पुन: निर्माण करने के संबंध में

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि सुमेरपुर क्षेत्र में इस मानसून की भयंकर वर्षा से आई बाढ़ के कारण क्षेत्र के अत्यंत गरीब लोगों के मकान गिर गये यद्यपि राज्य सरकार ने नियमानुसार राहत तो दी लेकिन इससे उनके गिरे हुए मकानों का पुन:निर्माण संभव नहीं है। उनके सिर ढकने योग्य छत निर्माण करवाना आवश्यक है। अत: आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि कृपया उन गरीब नागरिकों के मकानों के निर्माण हेतु विशेष पैकेज घोषित करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण सुमेरपुर क्षेत्र की सड़कों की भी अत्यधिक क्षति हुई है। कृषि उपज मंडी समिति, सुमेरपुर के अंतर्गत आने वाली सड़कों में 114.64 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं जिनकी मरम्मत के लिये 8.44 करोड़ रूपये की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग की 1158 किलोमीटर सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई है जिनकी मरम्मत के लिए 11.14 करोड़ रूपये की मांग की है, यही नहीं क्षेत्र के 73 पुल टूट चुके हैं जिनकी मरम्मत के लिये 7.36 करोड़ रूपये है। अत: यह राशि भी संबंधित विभाग को आबंटित की जाए।

नेशनल हाइवे नं. 2 पर सुमेरपुर-शिवगंज के बीच जंवाई नदी पर पुल

टूट चुका है जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। अभी अस्थाई व्यवस्था से एकतरफा यातायात चल रहा है लेकिन कई किलोमीटर तक ट्रकों के खड़े रहने से रास्ते जाम हो जाते हैं। यात्रियों को भी भयंकर परेशानी हो रही है। कृपया इसका पुर्ननिर्माण भी शीघ्र करवाया जाए। राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण तो 2007-08 में बनने वाले चार लेन मार्ग का इंतजार कर रहा है जो ठीक नहीं है, तब तक इसे लटकाया नहीं जाना चाहिये।

**श्री सी. डी. देवल (**रायपुर): पूरे जिले की मांग कर लेते आप।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आप जिलाध्यक्ष हो एक पार्टी के ... (व्यवधान) मैं जिलाध्यक्ष नहीं हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री महादेव सिंह।

## खण्डेला के ग्राम गोविन्दपुरा से पलसाना व चला से चौकड़ी तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र खण्डेला, जिला सीकर के ग्राम गोविन्दपुरा से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 की तरफ बधाणों की ढाणी (पलसाना) तक की 4 किलोमीटर सड़क तथा ग्राम चला से चौकड़ी तक की सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा जगह-जगह पर पत्थर निकल कर गड्ढे पड़ गये हैं। इस कारण इस क्षेत्र के निवासियों को अवागमन में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खराब होने से वाहनों को भी हानि पहुंचती है तथा पैदल चलने वालों को भी आने-जाने में काफी असुविधा हो रही है।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस अत्यंत लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कर निवेदन है कि गोविन्दपुरा से बधाणों की ढाणी (पलसाना तक) एवं ग्राम चला से चौकड़ी तक की सड़कों का जीर्णोद्वार व पुनर्निर्माण करवाया जाए।

**श्री उपाध्यक्षः** श्री महीपाल मदेरणा। (अनुपस्थित)

श्री सुखलाल मीणा, श्री रामकिशोर मीणा एवं श्रीमती स्नेहलता, माननीय सदस्यगण, अगर आप इस समय मौका लेना चाहते हैं बोलने का तो फिर आज मौसमी बीमारियों और बिजली पर जो चर्चा होगी उसमें समय नहीं दिया जाएगा।

**श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): मेरा दूसरा है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** अगर आप समय लेना चाहते हो तो अब तो ...(व्यवधान)

**श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): अभी बोलना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री सुखलाल मीणा।

## डांग क्षेत्र सपोटरा में विद्युत आपूर्ति हेतु ग्रिड स्टेशन स्थापित करने के संबंध में

**श्री सुखलाल मीणा (**सपोटरा): मैं पहले बोल दूं। पहले मैं बोल दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सपोटरा का विस्तार दो उप खण्डों में है परन्तु क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु एक भी 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन स्थापित नहीं है जिससे क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त मात्रा में कृषि हेतु बिजली नहीं मिल पाती है। 5 जून, 2006 को क्षेत्र के ग्राम गज्जूपुरा में जल चेतना रथ यात्रा एवं किसान महोत्सव के अवसर पर आयोजित आम सभा में माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा उप खण्ड-सपोटरा में 132 के.वी. स्टेशन स्थापित करने हेतु घोषणा की गयी थी परन्तु घोषणा के अनुरूप इस संबंध में आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मेरा आग्रह है कि सपोटरा में शीघ्र 132 के.वी. स्टेशन स्थापित करवाया जावे तथा किसानों को नियमित रूप से 6 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जावे।

**(समय 15.00 बजे)**

## सपोटरा के डांग क्ष्ोत्र में सड़क निर्माण में वन विभाग का गतिरोध

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र सपोटरा पूर्णतः डांग क्षेत्र है। यहां की अधिकांश जनता दूर-दराज के गांवों में निवास करती है जो किसी भी प्रकार के आवागमन के साधनों अथवा दूर संचार के साधनों से जुड़े हुए नहीं हैं। जिससे ये विकास की दृष्टि से भी अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। प्रधान मंत्री सड़क योजना एवं मुख्य मंत्री सड़क योजना इन गांवों के विकास के लिए वरदान साबित हुई है। परन्तु वन विभाग दूर-दराज में बसे हुए गांवों के लिए बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य में गतिरोध पैदा करता है। ऐसी स्थिति में अनेक सड़कें जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, वन विभाग के

(श्री सुखलाल मीणा)

गतिरोध के कारण या तो उनपर निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है अथवा अधूरा पडा हुआ है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास को देखते हुए इन सड़कों के निर्माण में वन विभाग के गतिरोध को दूर किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री रामकिशोर मीणा।

## सिकन्दरा के ग्रिड स्टेशन में दो नये ट्रांसफार्मरों की स्थापना

**श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय के अन्तर्गत ग्राम सिकन्दरा निहालपुरा में बिजली की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा 132 के वी ग्रिड सब स्टेशन बनाया गया है। इस ग्रिड स्टेशन के अंतर्गत 33 के वी के 6 सब स्टेशन आते हैं जिनकी कुल विद्युत भार क्षमता 50 मेगावाट की होती है। इस आधार पर उक्त 132 के वी ग्रिड सब स्टेशन के 25-25 मेगावाट क्षमता के दो ट्रांसफार्मर्स लगाया जाना अत्यंत ही आवश्यक है, जबकि विभाग द्वारा उक्त ग्रिड सब स्टेशन को चार्ज करने हेतु मात्र 12.5 मेगावाट का ट्रांसफार्मर ही लगाया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि क्षेत्र में बिजली की बड़ी दिक्कत एवं बड़ी विकट समस्या है। 12.5 मेगावाट के ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड है जिससे व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जिससे आए दिन विद्युत लाइन फाल्ट हो जाती है। क्षेत्रवासी मात्र 12.5 मेगावाट के लगाए जाने से अत्यंत आक्रोशित हैं। आने वाली रबी की फसल के लिए किसानों को और अधिक बिजली की आवश्यकता होगी जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है।

अतः मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि सिकराय विधान सभा क्षेत्र में नवनिर्मित सिकन्दरा 132 के वी के ग्रिड सब स्टेशन हेतु 25-25 मेगावाट क्षमता के दो नए ट्रांसफार्मर्स लगाने हेतु विभाग को अतिशीघ्र आदेश देने का श्रम करें जिससे किसानों को एवं वहां की जनता को राहत महसूस हो सके।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्रीमती स्नेहलता।

## डग में चिकनगुनिया एवं वायरल बुखार अधिक फैलने से उत्पन्न स्थिति

**श्रीमती स्नेहलता** (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान

(श्रीमती स्नेहलता)

सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहती हूं कि माह अगस्त से लेकर अभी तक मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में वायरल एवं चिकनगुनिया बुखार सभी के चल रहा है इसके लिए पूरे क्षेत्र में डी.डी.टी. पाउडर का छिड़काव करना अति आवश्यक हो गया है। दूसरा यह है कि दवाइयां तो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं परन्तु मरीजों की संख्या बहुत अधिक होने से दवाइयां कम पड़ती है। दिन भर में चार-पाँच सौ मरीज आते हैं। मेरा निवेदन है कि दवाइयों की मात्रा बढ़ाई जाए। तीसरा यह है कि डग में महला भवानीमण्डी को छोड़कर पूरे ग्रामीण एरिया में चिकित्सक पार्टी को भेजकर शिविर लगाया जाए, जिससे ग्रामीण एरिया को इस खतरनाक बीमारी से राहत मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी कड़ी में मैं माननीय मुख्य मंत्री एवं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि भवानीमण्डी राजकीय कमरूद्दीन चिकित्सालय के ठीक सामने एक प्राइवेट हास्पिटल श्री शांति नर्सिंग होम चलता है। दूसरा दायीं तरफ सिद्धार्थ हास्पिटल चलता है, यह भी प्राइवेट है। सरकारी डाक्टर इन प्राइवेट हास्पिटलों से मिले हुए हैं। छोटी-छोटी बीमारियों की जांच हेतु इनके पास भेज दिया जाता है। आपरेशन के लिए भी प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया जाता है। सरकारी डाक्टर का इन प्राइवेट डाक्टरों से प्रतिशत बंधा हुआ है। अतः मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि तुरन्त प्रभाव से सरकारी अस्पताल के पास से ये दोनों प्राइवेट अस्पताल हटाए जाएं जिससे गरीब जनता का सही इलाज समय पर हो सके।

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): माननीय मंत्रीजी, जवाब दो, कहां-कहां कमीशन है?

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री संयम लोढ़ा, माननीय सदस्य, बाढ़ पीड़ित निवासी टैण्ट संख्या 64, सर का पार, जिला बाड़मेर की बच्ची का इलाज नहीं करने के विषय पर दो मिनट बोलेंगे।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): मेरी पर्ची का क्या हुआ?

**श्री उपाध्यक्ष**: अभी आ रही है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आएगी, आएगी, मेरे बाद, मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है।

**श्री उपाध्यक्ष**: इनके बाद आपका ही नाम है।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): शून्यकाल समाप्ति के बाद कहा था, यह पढ़ी हुई नहीं मान ली जाए।

## बाड़मेर की बाढ़ पीड़ित बच्ची की इलाज के अभाव में मृत्यु

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में अगस्त महीने में अप्रत्याशित रूप से बाढ़ से जल प्लावन की स्थिति बनी। बड़ी संख्या में लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, लाखों लोग घर से बेघर हो गये एक ऐसा ही आदिवासी परिवार जो सरका पार का रहने वाला था, वहां टैण्ट संख्या 64 में शरण लिए हुए था। जैताराम भील जिसकी बच्ची का नाम रूपा था, वह बीमार हुई और 14 सितम्बर को बाड़मेर के अस्पताल में उसको दिखाने के लिए ले गऐ। वहां उसका इलाज शुरू हुआ लेकिन स्थिति खराब देखकर वहां के चिकित्सा अधिकारियों ने उसको जोधपुर के लिए रैफर किया। वह जोधपुर पहुंचे, उम्मेद अस्पताल में दिखाया। 22 सितम्बर को उस बच्ची को उम्मेद अस्पताल में भर्ती किया गया, 24 सितम्बर को वह बच्ची बेहोश हो गई, तब चिकित्सकों ने यह कहा कि पांच-पांच हजार रुपए के पांच इन्जेक्शन लगेंगे, आप इसके पैसों की व्यवस्था करें, इंजेक्शन की व्यवस्था करें। वह भील परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला था, बरसात में जल प्लावन में, पानी में उसका बी पी एल का कार्ड बहकर चला गया। बाड़मेर के अस्पताल के अधिकारियों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग करके उसको जोधपुर रैफर किया। लेकिन जोधपुर के उम्मेद अस्पताल के प्रशासन ने बजाय उस बच्ची का इलाज करने उसको वहां से चलता कर दिया। उसके बाद वह बच्ची को लेकर डाक्टर चितलांगिया के पास गया, डाक्टर चितलांगिया ने यही कहा कि इलाज उम्मेद अस्पताल में ही हो सकता है। लेकिन पैसा नहीं होने के कारण वह जैताराम भील उस बच्ची को लेकर वापस बाड़मेर चला गया अपने टैण्ट में। चार दिन बाद 29 सितम्बर को टैण्ट में जब नेहरू युवक केन्द्र के जिला समन्वयक भुवनेश जैन और एक सामाजिक कार्यकर्ता हरीश चौधरी पहुंचे, पीड़ित परिवार ने अपनी पीड़ा उन्हें बयान की। तब उन्होंने दस हजार रुपए उस जैताराम भील को दिये, एक गाड़ी करके दी और वह लेकर के वापस जोधपुर पहुंचे, जोधपुर के गोयल अस्पताल में उसको भर्ती कराया। इन बिटविन उन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोधपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सूचित किया।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 अक्टूबर को जोधपुर के संभागीय आयुक्त से प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री रामनिवास बाला और राहुल पाराशर मिले कि इस बच्ची की यह स्थिति है और इसको इलाज के लिए जयपुर भेजना आवश्यक है। संभागीय आयुक्त ने उनको अगले दिन बुलाया। 3 तारीख को जब वह दोनों वापस संभागीय आयुक्त के पास गये, संभागीय आयुक्त ने स्पष्ट इन्कार कर दिया कि इलाज कराना है तो पैसे हास्पिटल में जमा कराओ और यहीं पर इलाज होगा, हम नहीं भेज सकते उसको। गोयल हॉस्पिटल में 30228 रुपए का बिल बन चुका था। एक ऐसा परिवार जिसका मकान बह चुका है, जिसके जीवन के सारे साधन बह चुके हैं, 7 हजार रुपए जो उसको नुकसान होने की वजह से प्रशासन ने दिए थे, वह 7 हजार रुपए भी इन 20 दिनों के इलाज की भाग-दौड़ में खर्च हो चुके थे। गोयल हास्पिटल में इलाज का खर्च वहन करने की स्थिति में वह नहीं था लेकिन इसके बावजूद भी जोधपुर के संभागीय आयुक्त ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद इसकी जानकारी कांग्रेस के महासचिव अशोक गहलोत को भी दी गई और जोधपुर से ट्रेन से उस बच्ची को लेकर रवाना हुए। और अशोक गहलोतजी ने यहां एस एम एस मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल से भी बात करके एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हास्पिटल से रेलवे स्टेशन के गेट के बाहर तक करवाई, लेकिन उससे पहले, उस ट्रेन के पहुंचने से पहले वह बच्ची दम तोड़ चुकी थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी हरियाणा का एक किस्सा हमने देखा कि एक प्रिंस नाम का बच्चा जो गड्ढे में फंस गया था, हरियाणा की सरकार ने बॉम्बे से एक्सपर्ट बुलाकर उस बच्चे की जान को बचाने का काम किया। और यहां एक बाढ़ से पीड़ित बच्ची अस्पताल प्रशासन की जानकारी में आ गई, बाड़मेर के कलक्टर की जानकारी में आ गई, जोधपुर के संभागीय आयुक्त की जानकारी में आ गई, इसके बाद भी इलाज की कोई व्यवस्था नहीं। वह भी तब जब वह बी पी एल परिवार की सदस्य थी, उसका परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाला था। क्या एक गरीब आदमी की बेटी की जान की कोई कीमत नहीं? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो प्रशासन का चेहरा है, सत्तारूढ़ पार्टी का चेहरा है। कभी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाड़मेर में मरने वालों को मूर्ख कह देते हैं और कभी इलाज के लिए एक पीड़ित परिवार दर-दर की ठोकरें

(श्री संयम लोढ़ा)

खाता रहता है, उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं मिलता है। मुख्य मंत्री कहने को तो यहां क्रिकेट के चक्कर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग और दस मार्गों पर ठीक कराने के लिए दौरे कर लेती हैं। लेकिन सैकड़ों की तादाद में यहां हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट बीमारियों का सामना कर रहे हैं।

मौसमी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, डेंगू जैसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, उनकी सुध लेने की कोई फुर्सत नहीं मिलती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर चिकित्सा मंत्रीजी नहीं संभाल पा रहे हों तो बहुत अच्छा होगा कि अपने राज्य मंत्री को इसका प्रभार सौंप दें, ये गरीब भीलों के क्षेत्र से आते हैं, आदिवासियों के क्षेत्र से आते हैं यह उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। इससे ज्यादा दर्दनाक बात क्या होगी कि आपके अस्पताल में बीपीएल का आदमी अपनी बच्ची को लेकर चला गया, 20 दिन का वक्त भी आपको मिला उसके बचाने के लिए आप कुछ नहीं कर सके।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ..(व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): गवर्नमेंट की इंटेंशन का मामला है। यह गवर्नमेंट का मामला नहीं है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, आप इतने एक्टिव हैं, हर बात में ध्यान रखते हैं जब सरकार के नोटिस में यह चीज आ गई थी तो क्या सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? और कोई इश्यू नहीं है इसमें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गहलोत साहब के नोटिस में आ गया तो उन्होंने क्या किया? एम्बुलेंस कराकर नहीं दे सकते वो।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): अशोक गहलोत के नोटिस में आया, वह सरकार थोड़े ही है। वहां व्यवस्था आपने क्या की? उससे क्या संबंध है? अशोक गहलोत से मुकाबला कर रहे हो क्या? सरकार चला रहे हैं। अशोक गहलोत से मुकाबला कर रहे हो या सरकार चला रहे हो? सरकार चला रहे हो या मजाक कर रहे हो? (व्यवधान) काहे को कर रहे हो?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अशोक गहलोत के नोटिस में आ गया।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): काहे का नोटिस में आ गया? यह सरकार की संवेदनहीनता का सूचक है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप जवाब तो देने दीजिए।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या आपको बीपीएल के कार्ड का मालूम नहीं था। आगे बढ़कर काम करना चाहिए था। आप इसको तो मानने को तैयार नहीं हैं। यह डिबेट का इश्यू थोड़े ही है। यह डिबेट का इश्यू नहीं हे। यह डिबेट का इश्यू है कि आपके नोटिस में आ गया तो आपको इसमें त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए थी, यह मामला है। अशोक गहलोत के नोटिस में आ गया या नहीं आ गया। सरकार की फेल्योर है। सरकार चार-चार दिन तक ध्यान नहीं देती। आप खाली बात करना चाहते हो।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास मत करो। एक बच्ची की मौत हुई है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं, आप सुनें।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग का अपना चार्ज भवानी जोशी को संभला दो तो शायद राजस्थान में इतनी मौत न हो। इससे कुछ नहीं हो सकता। (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): सरकार को अशोक गहलोतजी का फोबिया है क्या? रात में भी सपने में अशोक गहलोत नजर आते हैं इनको।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैंने अभी खतम नहीं किया, मंत्रीजी।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को अशोक गहलोतजी का फोबिया हो गया। रात को उनसे सपने में डरते हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: क्या कहना चाहते हैं आप? आपको जवाब नहीं सुनना? माननीय मत्री महोदय का जवाब आने दीजिए, आपने अपनी बात कह दी। बात तो सुनिए आप, माननीय लोढ़ा साहब।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्लीनिक चलाकर फीस वसूल कीजिए। आप भवानी जोशीजी को इसका चार्ज दिला दीजिए ताकि कुछ लोगों की व्यवस्था हो जाए। मैंने बात खत्म नहीं की, मंत्रीजी। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आपने कह दी बात। (व्यवधान) क्या बाकी रह गया?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आज बाड़मेर के उस विपदाग्रस्त क्षेत्र के अंदर सैकड़ों की तादाद में स्वयंसेवी संस्थाओं ने और दानदाताओं ने लाखों,

(श्री संयम लोढ़ा)

करोड़ों रुपये इन लोगों की मदद के लिए दिये हैं और जिन लोगों की मदद के लिए लोगों ने पैसा दिया है उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम यह सरकार कर रही है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप अपनी बताओ, आपने बाड़मेर में जाकर क्या किया?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उनके जीवन से खेलने का काम यह सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि उस पीड़ित परिवार को पाँच लाख रुपये की सहायता ..(व्यवधान) जो आपके अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आपकी संवेदनहीनता की वजह से, आपकी अकर्मण्यता की वजह से इस सरकार के निकम्मेपन की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं, उसको पांच लाख रुपये की सहायता दीजिए।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): केवल भाषण देकर ..(व्यवधान) क्या किया आपने?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): जिस संभागीय आयुक्त ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपको जवाब नहीं सुनना है? (व्यवधान) माननीय संयमजी, आपकी बात सुन ली। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): किसी गरीब की मदद करना आपका मकसद नहीं है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक इंसान की जिंदगी की बहुत कीमत है।

**श्री उपाध्यक्ष:** आपने अपनी बात कह दी। पहले जवाब आने दीजिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यहां का प्रशासन लगातार लोगों की उपेक्षा कर रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष**: कह दिया, आप जवाब आने दीजिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): पाली जिले के अंदर पांच लाख जो दलित थे, हरिजन थे, जो मौत का शिकार हुए, वे इस सरकार की लापरवाही और सरकार के निकम्मेपन की वजह से हुए।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप जवाब सुनिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): नियमपुरा के अंदर दो बच्चे एक के बाद एक घटना में ..(व्यवधान)..

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बार-बार आप उस बात को कह रहे हैं ..(व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनका उद्देश्य केवल हल्ला मचाना है। आप बात सुन सकें तो मेरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): एक के बाद एक ऐसी क़डियां हैं, लगातार शृंखला है जो इस सरकार की विफलता के प्रमाण हैं।

**श्री उपाध्यक्ष:** आपने एक पर्टीकुलर ..(व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): गरीब की मदद की है। हमने गरीबों की मदद की है, बाढ़ पीड़ितों की मदद की है हमारे विधायकों ने, हमारे विधायक ने।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): जब बाढ़ विषय पर चर्चा हुई तो आप उस समय तो बोल नहीं रहे थे। आप केवल यहां घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। ये किस विषय पर बात कर रहे हो, कहां की चर्चा कहां ले जाना चाहते हो?

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इस बच्ची के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूं।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): खारी नदी की बात करते हो, आपको पता है, खारी नदी में क्या हुआ था? वहां पर ट्रक बहकर तीन किलोमीटर चला गया तो क्या औकात थी किसी व्यक्ति की।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप मेरी बात भी सुन लीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप सुनो तो सही। आप जवाब सुनिए।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ठीक है, अपने विषय की बात करो, लेकिन दूसरे विषय पर लाकर यों ही घुमाने की कोशिश कर रहे हो।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह रूपा नाम की बच्ची करीब दो-ढाई साल की उम्र है, इनके पिताजी जेताराम जी भील और ये सर का पार गांव की रहने वाली है, टैंट संख्या 64 में ये लोग रह रहे थे। ये दिनांक 22.9.2006 को सुबह अस्पताल में भर्ती हुई बाड़मेर में

(डा. दिगम्बर सिंह)

जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर था 7456 । अस्पताल में डा. महेश्वरी जो वहां के पीडिएट्रिशियन हैं, उन्होंने इसको देखा, सारी दवाएं, सारा इलाज इनका फ्री किया। चाहे इनके पास बीपीएल कार्ड था या नहीं था क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए हमने दवाइयों की उपलब्धता इतनी ज्यादा करवायी हुई है कि किसी को दवाई खरीदने की जरूरत वहां नहीं पड़ती और उसी समय वहां पर डा. प्रमोद शर्मा, जो मेडिकल कालेज से वहां टीम में गये हुए थे, जोधपुर मेडिकल कालेज के पीडिएट्रिशियन हैं, उनको भी वहां पर उस बच्ची को दिखाया गया। उसके बाद सरकारी एम्बुलेंस से इस बच्ची को जोधपुर के लिए रैफर किया गया। इस बच्ची को गुलनबेरी सिंड्रोम था, उसको कोई डेंगू या कोई मलेरिया नहीं था। गुलनबेरी सिंड्रोम में क्या होता है, अभी डा. बैद साहब हैं नहीं, आप उनसे समझ लेना, वे समझा देंगे क्या चीज होती है। यह कोई इंफेक्शंस डिजीज नहीं है गुलनबेरी सिंड्रोम। जोधपुर में भी इस बच्ची के इलाज के लिए हमारे संभागीय आयुक्त ने, बाड़मेर के कलक्टर ने जोधपुर सम्पर्क कर पूरी व्यवस्थाएं करायीं। इन्होंने अशोक गहलोतजी का नाम लेकर ऐसे कह दिया जैसे कोई गब्बर सिंह का नाम ले दिया हो। क्या हम डर जाएंगे अशोक गहलोतजी का नाम लेने से? जो हमने कराया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप बात कर रहे हैं बाड़मेर की। बाड़मेर में कितने दिन हम लोग रहे हैं, कितने दिन हमारे विधायक रहे हैं, कितनी सहायता हमने की है? और कितने दिन ये लोग रहे हैं? केवल यहां हल्ला मचाने के लिए ..(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): कहां थे आप लोग? (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सर्किट हाउस में कौनसी गोठ खा रहे थे? वहां रहकर काम किया है, यह नहीं कह सकते। हमने 50 ट्रक सामग्री और आज भी हमारे डाक्टरों की टीम काम कर रही है वहां पर। क्या बात करते हो आप? आप तो वहां गोठें जीम रहे थे, आपको पता ही नहीं है। कहां-कहां दावतें खा रहे थे आप। आपने क्या काम किया? आपके कुछ मिनिस्टरों को तो भागना पडा वहां पर। (व्यवधान) आपके मंत्रियों को कई जगह से भागना पडा। हम लोगों ने वहां चार-चार बार जाकर काम किया है और सेवा की है और आप लोगों ने वहां दावतें खायी हैं।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरी बात सुनिए। (व्यवधान) केवल हल्ला मचाना चाहते हैं आप।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमने वहां जाकर सेवा का काम किया है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आज भी 66 ग्राम पंचायतों में चिकित्सा टीम काम कर रही है और हमारे विधायक एक-एक घर में एक-एक टैंट में ..(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): इस बच्ची के बारे में आप कह रहे हो एक एक्स चीफ मिनिस्टर डिवीजनल कमिश्नर और डाक्टर को कहें कि इसको दिखवाना है और इसके बाद कोग्नीजेंस नहीं लें, यह बहुत शर्म की बात है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अशोक गहलोत का नाम लेकर क्या आप हमको डराना चाहते हैं?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नहीं, हम डराना नहीं चाहते, हम आपकी संवेदनहीनता को दर्शाना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): एससी, एसटी के बैकलॉग को लेकर .. (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये बाड़मेर के विधायक हैं इनसे तो पूछ लीजिए। (व्यवधान) जो वहां के विधायक हैं इनसे तो पूछ लीजिए। हेमारामजी बैठे हैं, इनसे ईमानदारी से पूछ लीजिए, हमने वहां क्या किया है। हेमारामजी यहां बैठे हैं ये वहां के रहने वाले हैं, वहां के विधायक हैं, आप इनसे पूछ लें कितना काम हमने किया है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बाड़मेर पर अभी जो कहानी सुनायी है वह सही है। आपने बाड़मेर के जो तथ्य रखे हैं बिलकुल सही हैं। (व्यवधान) जोधपुर जाने के बाद क्या हुआ वह बताओ आप? जोधपुर जाने के बाद क्या हुआ, वह जानकारी दो आप सदन में?

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): मंत्रीजी, यह आपके अधिकारियों की लापरवाही है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मुझे इससे इंकार नहीं है, बाड़मेर का मैंने भी जिक्र किया है।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): वह बीमार थी और उनको क्या बीमारी थी, वह बता रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): जिस होस्पिटल में उसको दिखाया गया, जिसको रैफर किया गया है, जोधपुर जाने के बाद जो संवेदनहीनता प्रशासन ने दिखायी है, उस बच्ची को मौत का शिकार होना पड़ा है उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कितनी बार बाड़मेर का दौरा किया आपने? (व्यवधान) वह बता दीजिए कौन से घर में गये आप? (व्यवधान) आप मुझे मेहरबानी करके बता दीजिए कि पूरे बाढ़ के टाइम पर आप बाड़मेर में कितने घरों में गये?

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): स्वामियों के घर में कितने लोग मरे। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपके कलक्टर को पूछो, हम कितने गये बाड़मेर में। पूछो अपने कलक्टर को आप। आपकी कोई हाजिरी देने नहीं आये वहां पर।

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): सर्किट हाउस में मुर्गियां उड़ा रहे थे कांग्रेस के लोग। (व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): आपको तो पता नहीं है, जानते नहीं हैं। यहीं बातें करते हो। खाली में वाहवाही लेने के लिए चले गये थे, क्या लेना-देना है ? ये हेमारामजी अपने हृदय पर हाथ रख कर कह दें कि हम लोगों ने कोई काम नहीं किया हो तो ...(व्यवधान)

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): मैंने मेरी जेब से भी उनके इलाज के लिए जो भी मैं दे सकता था, दिया था।

**श्री हेमाराम चौधरी (**गुढ़ामालानी): अमरारामजी आप अपने हृदय पर हाथ रख कर कह दो कि कांग्रेस वालों ने काम नहीं किया था।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप कल्ला साहब को तो डरा सकते हैं अशोक गहलोत का नाम लेकर, हमें नहीं डरा सकते कल्ला साहब डरते होंगे गहलोत साहब से। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): कांग्रेस वालों ने जो काम किया वह आप कभी जिन्दगी में ही नहीं कर सकते। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): जो काम बाड़मेर में हुआ है वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): कांग्रेस के ही लोग उनके बीच में गये हैं, आप तो राजनीति में उलझे रहे। (व्यवधान) आप तो नशे में रहे। (व्यवधान) बीच में तो कांग्रेस के ही लोग थे।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपकी मुख्य मंत्री से ज्यादा टाइम हमने दिया है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** अंकित नहीं हो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ××××*

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** तगारामजी।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ××××*

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। सभी माननीय सदस्यों ने अपना कर्तव्य पालन किया है, सभी ने अपना समय दिया है, यह विवाद का विषय नहीं है।

आप शुरू कीजिए, तगाराम जी। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय लोढ़ाजी, आप समाप्त कीजिए, आगे नहीं चलेगा। श्री तगाराम चौधरी। (व्यवधान)

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री तगाराम चौधरी।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** समाप्त कीजिए।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** नहीं, शून्यकाल चल रहा है। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): ×××

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री तगाराम चौधरी।

माननीय सदस्य, समय बरबाद न करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। मैंने तगारामजी का नाम पुकार लिया। (व्यवधान) तगाराम जी। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है आपका।

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) श्री तगाराम चौधरी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: तगाराम जी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य। नहीं, नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय लोढ़ाजी। (व्यवधान) आपका रिकार्ड में.... (व्यवधान) आप कोई बात बार-बार बोले जा रहे हैं। (व्यवधान) 20 बार कह दिया आपने। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य। यह जनरल भाषण के लिए आपको समय नहीं दे रहा हूं। श्री तगारामजी। माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आप हठधर्मी कर रहे हैं। (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैं बार-बार आपको कह रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): ×××

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ×××

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य, अंकित नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय रावलोतजी, बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर बैठ जाइये पहले। आप अपनी सीट पर जाएं। (व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाइये पहले।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** आप अपनी सीट पर जाइये पहले। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** आप चर्चा करना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (केसरीसिंहपुर): ×××

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): ×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ×××

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये पहले। (व्यवधान) माननीय रावलोतजी, आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) मंत्री खड़े हैं आपके। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य, आपको बोलना है तो आप पहले

(श्री उपाध्यक्ष)

स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये, बीच में नहीं। आसन पैरों पर है। आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप अपनी सीट पर चले जाइये। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, पहले आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। माननीय सदस्य, आप बैठिये पहले। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**अनेक माननीय सदस्य**: ×××

**(कांग्रेस दल द्वारा बहिर्गमन)**

**श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव):** ×××

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**अनेक माननीय सदस्य**: ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये माननीय सदस्य।

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): ×××

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य। पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री तगारामजी चौधरी। श्री तगारामजी चौधरी। बाड़मेर जिले में बाढ़ के पानी के.... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**अनेक माननीय सदस्य**: ×××

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** आपको बोलने का मौका देंगे। आपको जीरो आवर के बाद समय देंगे। (व्यवधान)

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** अब शून्यकाल चल रहा है। अभी शून्यकाल चल रहा है। वह पर्ची पर बोल रहे हैं। (व्यवधान) मौका देंगे। बोलने का समय देंगे। बैठिये आप। श्री तगारामजी चौधरी।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## कवास (बाड़मेर) में बाढ़ के रुके हुए पानी का सदुपयोग

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): मान्यवर, हमेशा से बाड़मेर जिला अकाल की चपेट में रहा है, पीने के पानी की गम्भीर समस्या से वह जूझता रहा है। वर्षा के पानी पर निर्भर था और अभी प्रकृति ने हमारी ओर यह ध्यान दिया है, जिस क्षेत्र में, बाड़मेर में, जैसलमेर में जहां कम से कम वर्षा होती थी, वहां इस वर्ष अधिक से अधिक वर्षा हुई, नदियां चलीं। तीन बहुत बड़ी नदियां हैं, दो नदियां बडियाला से और एक नदी रिसाला से, ये नदियां कवास पहुंची। कवास कस्बा वह नमण में बसा हुआ है, गहराई में बसा हुआ है, वहां पर इतना पानी आया, इतना पानी आया कि आज तक मैंने नहीं देखा। पानी आगे प्रवाहित किया गया, नौ गांव आगे भी वहां जलमग्न हो गये। परन्तु कवास में पानी बहुत था, अभी है पर कवास के पास ही उत्तरलाई जहां पर हवाई अड्डा भी है तो वहां पर भी है सदियों से पहले से ही उत्तरलाई के पास जिसको हम लाणी बोलते हैं, उसमें रबी भी होती है, होती रही है। विक्रम संवत 2047 में भी इसी तरह से कवास डूब गया था और उत्तरलाई का हवाई अड्डा भी डूब गया था। कई दिन लग गये थे उस पानी को सोखने में। कितने ही महीने बाद में जाकर गर्मियों में वह पानी खत्म हुआ था, तब जाकर के हवाई अड्डे का पानी भी खत्म हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया और जल संसाधन मंत्री महोदय को सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस कदर नदियों ने अपना रास्ता तय किया है कवास के आगे

(श्री तगाराम चौधरी)

और आगे, कवास के आगे वह पानी प्रवाहित किया जाता है तो लूणी नदी है, वहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, उसके बीच में धोरे भी हैं, आबादी है, खेत है, सब कुछ है, तो वहां पर कवास के पानी को खेती और पेयजल के सम्बन्ध में उपयोग में लाने के लिए विशेषज्ञों को भेजकर सर्वे करवाया जाए। और भविष्य में वहां पर इस प्रकार का पानी आए। तो कवास कस्बा पहले से ही इस बात के लिए तैयारी कर चुका है, बाड़मेर के पास में ऊंचाई पर बाड़मेर आगोर पंचायत में वहां पर बसना चाहता है। कार्यवाही शुरू कर दी है राजस्थान सरकार ने। सभी सम्बन्धित विभाग और जिला प्रशासन रात-दिन लगा हुआ है पुनर्वास के लिए और राजस्थान आवासन मण्डल भी लगा हुआ है, उसको देखते हुए यहां पर वृहत् रूप से बांध बना दिया जाए। के उत्तरलाई का पानी है लाणी का, बाड़मेर से उत्तरलाई और कवास, ढलान में है उत्तरलाई से कवास भी वहां पर बाँध बनने से पेयजल और सिंचाई का भी साधन हो जायेगा। बाड़मेर जिला बहुत बड़ा जिला है, 1976 से वहां पर कोई बाँध नहीं है, कोई नहर नहीं है तो पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए यदि यह योजना बन जाए और क्रियान्वित हो जाए तो नदी आएगी, क्योंकि अब उम्मीद है हमको कि उस क्षेत्र में प्रकृति ने अभी बरसात का मन बनाया है और उसका यह परिणाम है। इस बात के लिए तो मुझे दुःख हुआ कि मेरे क्षेत्र में 109, उनमें से कुछ बाहर के भी थे, लेकिन अधिकतर मेरे क्षेत्र के भाई-बहिन हैं, वे संसार छोड़ गये, उसकी मुझे चिंता है, मैं बार-बार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन इसके उपरान्त भी भविष्य के लिए और राजस्थान के हित में कृषि को बढ़ावा देने के लिए, पेयजल की व्यवस्था करने के लिए यह योजना बनाई जाए। आपने समय दिया, क्योंकि लोढ़ाजी ने पहले मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मेरा गला काम नहीं दे रहा है, इसलिए आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** धन्यवाद। वह तो आपको जान-बूझकर कह रहे हैं। श्री रामप्रताप कासनिया।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया, उसका तो क्षेत्रीय विधायक विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक तो कह रहे हैं कि बांध बनाकर पानी वहां रखा जाए और आपने पानी निकालने की बात की है। आप इनकी बात सुनते ही नहीं हो क्या? आपने तो इनके खिलाफ फैसला कर दिया।

**श्री उपाध्यक्ष:** बीच में आप काहे को..

**श्री अमराराम चौधरी**: भविष्य के लिए इन्होंने सजेशन दिया है। अभी तो जैसे-जैसे निकल रहा है, चैनल, इसमें तो इनका कोई एतराज थोड़े ही है।

**श्री उपाध्यक्ष:** भविष्य के लिए कह रहे हैं।

**श्री हेमाराम चौधरी**: अच्छा, भविष्य का।

**श्री अमराराम चौधरी:** इसीलिए तो चैनल बना है। यह तो भविष्य के लिए कि क्या होना चाहिए, वह बताया आपने। वह तो टैक्निकल इंजीनियर वगैरह जो राय देंगे, वही होगा और आप कहेंगे वैसे ही करेंगे।

**श्री हेमाराम चौधरी:** अभी वाला पानी निकाल देंगे और भविष्य वाला पानी आएगा, इसकी बात है क्या?

**श्री तगाराम चौधरी :** गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य क्या फर्मा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया?

**श्री उपाध्यक्ष:** वह आ गया, समझ गये आप।

**श्री हेमाराम चौधरी:** वह आपके समझ में आना ही नहीं है।

**श्री तगाराम चौधरी :** भविष्य के लिए, इस वर्ष क्या किया, क्या कर रहे हैं..

**श्री उपाध्यक्ष:** वह समझ गये, समझ गये।

**श्री तगाराम चौधरी :** उससे आगे भविष्य के लिए निवेदन कर रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं आपको। जचे तो आप जैसा मन बनावें वैसा करें। सरकार को यदि यह मेरा सुझाव अच्छा लगे, सार्थक लगे तो करवाए। मेरा तो सुझाव देना है।

**श्री हेमाराम चौधरी:** मैंने तो आपकी ही पैरवी की, यह मलवे के भले के लिए। इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए कह रहा हूं।

**श्री तगाराम चौधरी** : सब के भले के लिए और ईश्वर को साक्षी रखते हुए में सुझाव दे रहा हूं, बाकी कोई राजनीति खेले तो न तो मैंने राजनीति मेरे जीवन में की है और न मैं सीखा हूं। मैं तो जो बात है वह कह रहा हूं। किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे, कुछ भी करे। मैं वहां था ही नहीं, वह तो वहां की जनता मेरे लिए साक्षी है...

**श्री हेमाराम चौधरी:** मैंने तो दिगम्बर सिंहजी, डूडी साहब से कहा है, कि बाड़मेर एमएलए साहब कहें वैसा करो और यह कहां कर रहे हैं। यह तो दूसरी बात कह रहे हैं। यह आपकी दोनों मंत्री बात नहीं सुन रहे हैं।

**श्री रामनारायण डूडी:** वह तो अपनी बात कह रहे हैं। भविष्य के अंदर जो मलवा और लो एरिया है और तीन नदियां आ रही हैं और आगे के लिए बात कर रहे हैं। आप इनकी बात में कहां से फंस रहे हैं।

**श्री तगाराम चौधरी :** वहां कितनों को राहत बांटी है...

**श्री हेमाराम चौधरी**: आप दोनों कह दो कि इनकी बात से सहमत, आपने तो फैसला उलटा किया इनके।

**श्री अमराराम चौधरी:** नहीं-नहीं।

**श्री हेमाराम चौधरी**: बिलकुल उलटा किया। आपने तो पानी वहां से निकालने..

**श्री अमराराम चौधरी:** फैसला तो इमरजेंसी फैसला था किस प्रकार से पानी निकाला जाए। भविष्य के लिए उन्होंने यह योजना बनाने की जो बात कही है उसमें आप भी सम्मिलित होंगे और आप की राय को भी मान करके किया जाएगा। ऐसे क्या?

**श्री तगाराम चौधरी**: मैं भविष्य के लिए कह रहा हूं।

**श्री हेमाराम चौधरी:** भविष्य के लिए बाँध भले ही बना दें, लेकिन अभी जो पानी कवास में भरा पडा है उसके बारे में क्या राय है, यह भी तो राय दें न क्षेत्रीय विधायक होने के नाते? यह इसके बारे में राय नहीं देते, अभी तो आज की सोचो न।

**श्री अमराराम चौधरी:** सर्वसम्मति से जो फैसला हुआ उसमें आप भी साथ थे। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया:** अगर राजनीतिज्ञ लोग बहस करना छोड़ दें और विशेषज्ञों के ऊपर छोड़ दे, काम कर लें, वह अपने आप कर देंगे।

**श्री अमराराम चौधरी:** 15 दिन के बाद पानी-पानी सब करेंगे, सब खेती होगी उससे बढ़िया। (व्यवधान)

**श्री तगाराम चौधरी:** सदस्य साहब, क्या मेरे से सलाह लेना चाहते हो? मैं तो आप जब फर्माओ तब देने को तैयार हूं, क्या लेना चाहते हो, बोलो? मेरी सलाह आप मानोगे तो मैं तो दूंगा।

**श्री हेमाराम चौधरी:** आप इनको दो, यह नहीं मानते। मैं तो आपकी बात को, इनको पूछो, मैंने कहा क्षेत्रीय विधायक की क्या राय है, बताओ तो सही, यह इनकी राय का आज पता लगा। हमें तो इतने दिन, आज दिन तक

(श्री हेमाराम चौधरी)

पता नहीं पड़ा कि इनकी क्या मंशा है और क्या राय है, आज इनकी मंशा प्रकट हुई, राय यहां सदन में आयी।

**श्री तगाराम चौधरी:** आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है।

**श्री नरपत सिंह राजवी**: इतने दिन तो आपने बात ही नहीं की इनकी।

**श्री तगाराम चौधरी:** आपने तो टी.वी. पर बोला था वह भी नहीं सुना होगा। मैं वहां..(व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी:** इसका मतलब आपने इनकी राय को दरकिनार किया, गौर नहीं किया इनकी राय पर। (व्यवधान)

**श्री नरपत सिंह राजवी**: इतने दिन तो आपने इनकी बात ही नहीं मानी। उपाध्यक्ष महोदय, इतने दिन तक तो आपने इनकी बात ही नहीं मानी, आज मनाने जा रहे हो। तगारामजी वरिष्ठ सदस्य हैं...(व्यवधान)

**श्री तगाराम चौधरी:** मेरी क्या राय रही है वह भी आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सेवा करने में लगा हुआ हूं और मैंने पूरा जीवन समर्पित कर रखा है इसलिए वहां जनता के बीच में था और रहूंगा। मेरे तो वह है साक्षी। आप चाहे कह दो कि इन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

**श्री नरपत सिंह राजवी:** आपको सारा ढलान का बता दिया, उसके बाद भी समझ में नहीं आऐ तो क्या करें? इनकी सलाह पूरी माननी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण डूडी**: जनता के बीच में ही नहीं, इनकी ढाणी भी बाढ़ के बीच में आई हुई थी और घर में से जो श्रीमतीजी थीं वह बाढ़ के अंदर थीं इनका मतलब आधा पोर्शन चला गया, पूरे का पूरा खेत बह गया, आपने देखा ही नहीं। आप ब्याईजी की ढाणी भी देख लेते। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी**: खेत मेरा भी बह गया है।

**श्री रामनारायण डूडी:** जब हम गये तो हमारी गाड़ी फंस गई थी, धक्के मार कर, सीढ़ियां लगाकर, कुछ करके जैसे-तैसे बाड़मेर ढाणी में पहुंचे। आप जरा पहुंच जाते तो ठीक रहता उनको।

**श्री हेमाराम चौधरी:** आपने इनकी बकरियां, गायें भी तो निकाली थीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

न। बकरियां भी तो आपके जवानों ने, अमरारामजी ने बकरियां भी तो निकाली थीं न इनकी। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया**: बाढ़ जैसे विषय पर दांव-पेंच नहीं खेलें तो उचित रहेगा।

**श्री उपाध्यक्ष:** यह तो इनके घर की बात है, कोई दांव-पेंच नहीं है।

**श्री रामप्रताप कासनिया:** मूल बात तो परची दी हुई है उस पर बोलने दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: हां, साहब। गांव बड़ोपल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण करने हेतु।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): थोड़ा-बहुत इधर-उधर हो जाए तो माफ कर देना, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष:** थोड़ा-बहुत इधर-उधर नहीं।

## पीलीबंगा के गांव बड़ोपल में माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण

**श्री रामप्रताप कासनिया:** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के अंदर गांव बड़ोपल बहुत पुराना गांव है, पांच हजार से ऊपर की जनसंख्या है। वहां पर सेम के कारण से गांव के अंदर जो विद्यालय का भवन बना हुआ था, वह भवन पूर्णतः नष्ट हो गया। उस गांव के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, चार सौ-साढ़े चार सौ बच्चे हैं, भवन नहीं है।

**(समय : 15.55 बजे)**

**(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)**

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन गांव के लोग नहीं बना सकते और उनमें इतनी हैसियत भी नहीं है। पिछले पच्चीस-तीस वर्ष से उनके लिए खाने के लिए अनाज तक नहीं है, गांव के लोग जन सहयोग करने में असमर्थ हैं। इतना बड़ा भवन न तो कोई पंचायत बना सकती, न पंचायत समिति बना सकती। सभापति महोदय, इस विद्यालय से इर्द-गिर्द के दस-बारह गांव जुडे हुए हैं जिनके बच्चे इस बड़ोपल गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन

(श्री रामप्रताप कासनिया)

करना चाहूंगा कि पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे आज के इस युग में उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सभापति महोदय, पूर्व में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत जब मुख्य मंत्री थे उस समय सेमग्रस्त इलाके के अंदर जो भी गांव थे उन सब को भवन बनाने के लिए पैसा दिया गया था। परंतु बड़ोपल गांव के अंदर किसी कारणवश वह भवन का निर्माण नहीं हो पाया। सभापति महोदय, मैं सरकार से बड़े ही नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि यह विषय बहुत गंभीर है। सुबह परची की बात आई तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कैसे-कैसे विषय पर परची दे देते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह विषय वह बाढ़ वाली-सी हालत है, इससे ज्यादा विषय कोई गंभीर हो नहीं सकता, साढ़े तीन सौ, चार सौ बच्चे हैं, सीनियर सैकण्डरी स्कूल है, भवन रहित है। प्राइमरी स्कूल के अंदर तीन कमरे बने हुए हैं, वहां सारे बच्चे बैठ नहीं सकते, पेड़ों के नीचे बच्चे बैठते हैं। एक मैं निवेदन और करना चाहूंगा कि पिछले दिनों में गांव में आंदोलन चला था, आंदोलन में हमारे जैसे राजनीतिज्ञ लोग घुस गये। मैं जयपुर आया हुआ था। सभापति महोदय, वहां दस गांवों के लोग इकट्ठा हुए और लगातार दस दिन तक धरना रखा। मैं जाते ही गांव के लोगों से मिला और उनसे पूछा कि इस समस्या का समाधान अगर वाकई में ही करवाना चाहते हो तो हमारे राजनीतिक दलों के चक्कर में मत आओ। क्रमिक अनशन पर दस आदमी बैठे थे, मैंने उनको यह कहा था। मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा और मुझे ऐसा भरोसा है कि संवेदनशील सरकार है, आपके भवन का निर्माण होगा, कृपा करके आप धरना उठा दीजिये। तो उन्होंने मेरे कहने से वह धरना भी उठा दिया और भाषण देने वाले लोग आगे तारीख 13 रखी हुई थी, इंतजार करते ही रह गये। पुनः मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह विषय बहुत ही संवेदनशील है, उस गांव की हालत बहुत ही दयनीय है। मैं गांव के नाम तक बता दूं।

**श्री सभापति:** धन्यवाद।

**श्री रामप्रताप कासनिया:** उस विद्यालय से जो गांव जुडे हुए हैं, मैं गांव की संख्या बता दूं।

**श्री सभापति:** गांवों की संख्या बताने की जरूरत ही नहीं है।

**श्री रामप्रताप कासनिया:** बड़ोपल, माणकथेड़ी, 2 एलबीएम, ठाकरूवाला

(श्री रामप्रताप कासनिया)

चक, 8 एसपीडी, लबाणा चक, 19 एसपीडी, 20 एसपीडी, 18 एसपीडी, 11 एसटीपी, ओडावाला चक, पोलता वाली ढाणी...

**श्री सभापतिः** आपने बड़ोपल के लिए परची दी थी, बड़ोपल के लिए।

**श्री रामप्रताप कासनियाः** हैं, जी?

**श्री सभापतिः** बड़ोपल के लिए आपने परची दी थी और उसके बारे में आपने बता दिया सारा कुछ।

**(समय : 16.00 बजे)**

**श्री रामप्रताप कासनियाः** बता तो दिया पर सभापति महोदय, मुझे...

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): सभापति महोदय, यह बात बहुत सही है, वास्तव में 1990-91 से लेकर यह विद्यालय सेम के कारण से नष्ट हो गया और विद्यालय के बच्चों की आज भी चार कमरों में बैठकर शिक्षा पूरी हो रही है। इसके लिए जमीन का अलॉटमेंट है वो तो हो गया। बिल्डिंग बनाने के लिए भी जो पीडब्ल्यूडी से हमने एस्टीमेट मंगाया, वो लगभग 1.81 लाख का बना। मैं सोचता हूं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में सीधे ही कोई भवन निर्माण का पैसा मिलता नहीं है, पर जैसे अभी प्राइमरी स्कूल में आपका विद्यालय चल रहा है चार कमरों में, सर्वशिक्षा अभियान में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए तो कमरे बनाने की कुछ अपने को सुविधा उपलब्ध है। मैं सोचता हूं कि उसी में अभी कुछ कमरे बनाकर जो टैम्प्रेरी आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो होगी। लेकिन जो टोटल पैसा है, या तो जनसहभागिता से या सरकार कोशिश करेगी किसी स्कीम में यह कवर हो । समस्या बहुत ही जिनाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है हम जो प्राथमिक विद्यालय अभी चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान में कुछ पैसा लेकर उसी प्राथमिक विद्यालय में और कमरे बनाकर इनकी जितनी मिनिमम आवश्यकता की पूर्ति हम कर सकते हैं, वो हम करेंगे।

**श्री सभापतिः** धन्यवाद।

**श्री रामप्रताप कासनियाः** धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके लिए सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं।

**श्री सभापतिः** माननीय श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

## पूगल उपनिवेशन तहसील को मर्ज कर रेवेन्यू रिकार्ड ट्रांसफर करने विषयक

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की उपनिवेशन तहसील पूगल के एक चरण का लंबे समय से प्रयास चल रहा था कि उपनिवेशन तहसील को मर्ज कर दिया जाए। इसके एक चरण के मर्ज की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए कुछ समय पहले आदेश जारी किये गये और उसके एक चरण को रेवेन्यू तहसील में मर्ज कर दिया गया। उपनिवेशन विभाग ने अपना रिकार्ड ट्रांसफर कर दिया रेवेन्यू विभाग को लेकिन उस रिकार्ड का उपयोग रेवेन्यू विभाग इसलिए नहीं कर पा रहा है कि अभी राज्य सरकार से उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं किया जा सका और स्पष्ट आदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नहीं मिल पाये। आज लगभग डेढ़-दो महीने का समय हो रहा है, आम काश्तकार अपने लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए अगर उपनिवेशन कार्यालय में जाना चाहे तो वहां से चूंकि रिकार्ड ट्रांसफर हो चुका है इसलिए वो विभाग कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्योंकि स्पष्ट आदेश उनके पास नहीं आये इसलिए उस रिकार्ड को खोलकर अभी तक काम करना प्रारम्भ नहीं कर पा रहा है। इस हेतु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर कोई स्पष्ट आदेश शीघ्र जारी किये जाएं जिससे जो सोच हमारी रही है काश्तकारों को राहत प्रदान करने की, उस सोच की पूर्ति हो सके।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी का द्वितीय चरण है उपनिवेशन तहसील पूगल का, इसमें वर्तमान समय में अलाटमेंट के कार्य रुके हुए हैं और इससे पहले अलॉटमेंट का प्रोसेस जब थोड़े दिन पहले शुरू किया गया था, लोगों को नोटिस दिये गये थे। जिन लोगों द्वारा अपने अलाटमेंट के लिए एप्लीकेशंस लगायी गयी थी, उनके अलाटमेंट शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए मीटिंग भी एसीसी के स्तर पर बुलाई गई। पर किस दर पर उनको आबंटन हो, यह स्पष्ट नहीं था। पूर्व के वर्षों में वर्ष 2001 के आबंटन की दर को आधार बनाते हुए आबंटन किया जा रहा था जो 2005 तक प्रभावी रहा। वर्ष 2006 में जब आबंटन करने के लिए संबंधित काश्तकारों को नोटिस दिये गये तो उसमें एक लाइन लिखी गई कि आगामी आदेशों को ध्यान में

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को ध्यान में रखते हुए दर का निर्णय लिया जाएगा। मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, वहां के जिन हालात को देखते हुए 2001 से 2005 तक वर्ष 2001 की दर पर ही जो आबंटन किया जा रहा था, उन हालात में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। नहरी पानी इस स्तर का नहीं मिलने लगा है कि हम यह सोचें कि वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को उपलब्धता हो रही है। हालात भी अकाल के लगातार वहां पर बनते आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में आपने जो एक अलॉटमेंट पर बैन लगाया है, इस रोक को हटाया जाए और दर को भी निश्चित किया जाए कि 2001 की दर पर आबंटन हो।

दूसरा मेरा निवेदन है कि यह जो रोक लगायी गयी थी, इस रोक को लगाये जाने का आदेश कार्यालय आयुक्त, उपनिवेशन द्वारा 26-6-06 को जारी किया गया। उसके अन्दर हवाला दिया गया, 'माननीय राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में बीकानेर में संपन्न बैठक 22.6.06 में गहन विचार विमर्श होने के पश्चात यह निश्चित किया गया कि गृह विभाग में दिनांक 14.4.06 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में विशेष आबंटन एवं सील बिड मूल्य प्रक्रिया से भूमि विक्रय हेतु अधिसूचित सूचियों को आगामी अन्य आदेश तक इन भूमियों का आबंटन एवं विक्रय स्थगित रखा जाएगा क्योंकि इनको फायरिंग रेंज के 62 गांवों के विस्थापितों के लिए आरक्षित किया जाना है।' मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, कि ये जिस आदेश के तहत वहां पर रोक लगायी गयी है, फील्ड फायरिंग रेंज के संभावित गांवों का अभी वहां पर कोई जिक्र नहीं है। अगर है तो माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी प्रक्रिया कोई शुरू हो चुकी है, क्या गांवों को उठाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है? अगर लिया जा चुका है तो इनका निस्तारण कब तक होगा, कब तक वो गांव उठेंगे? अगर ऐसा नहीं है तो यह एक लोगों में संशय है, लोगों में भय है, आम जन इस बात से चिंतित है कि वो अपने उस घर में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। सैकड़ों वर्षों पुराना उनका गांव है, काश्तकार भयभीत है जो काश्तकार नयी जगह पर जमीन चाहता है उसको जमीन नहीं मिल पा रही है। तो कृपया इसके बारे में एक उचित आदेश प्रसारित करवायें।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

इसके साथ-साथ आपने एक बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू की थी कि ऐसे कृषि स्नातकों को एक्सपेरीमेंट करने के लिए अपनी ली गई डिग्री का उपयोग करने के लिए आपने उनको मुरब्बे आबंटित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। लगभग साढ़े छह सौ से ज्यादा कृषि स्नातकों को आपने मुरब्बे आबंटित किये। आज लगभग सात सौ के आसपास कृषि स्नातकों के आपके पास आवेदन लंबित है वो आपसे मुरब्बे उसी प्रकार से चाहते हैं जैसे पूर्व के कृषि स्नातकों को दिये गये। कृपया इनको भी आप आबंटन की प्रक्रिया शुरू कराएं, यह मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

मंत्री महोदय से आशा करूंगा कि मंत्री महोदय इसमें कोई प्रभावी आदेश करेंगे। दो शब्द मेहरबानी करके इसके बारे में कुछ कहने का कष्ट करेंगे, मेरा निवेदन है आपसे।

**श्री सभापति:** धन्यवाद। माननीय श्री बत्तीलाल। मंत्री महोदय, आप बोल रहे हैं? एक मिनट, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं पहले।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, लूणकरणसर से आने वाले विधायकजी ने चार पाइंट पर्ची के माध्यम से उठाये। पहला विशेष आबंटन वाला था और दूसरा पूगल को राजस्व तहसील में मिलाने वाला था तीसरा बेरोजगार जो कृषि स्नातक हैं उनको भू आबंटन के मामले में था और चौथा आबंटन पर रोक का था। जहां तक पहले बिंदु का मामला है, इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं, सभापति महोदय, केवल अधिसूचना जारी होनी है, क्योंकि उनकी चकबंदी वगैरह में पूरी तरह डिटेल में इसका सारा होता है इसलिए माइन्यूटली देखते हैं। करीबन 20 तारीख तक इसकी भी अधिसूचना जारी कर देंगे।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल**: धन्यवाद।

**श्री रामनारायण डूडी**: दूसरा जो आपका राशि वाला मामला है विशेष आबंटन वाला, तो इसकी पूरी 2001 से लगाकर, 2002 से लगाकर और इसके बीच के अन्दर उनकी राशि निर्धारित की जाए, किस दर पर जमीन का मूल्य लिया जाए, इस संबंध में भी दस प्रतिशत की बढ़ोतरी और इस प्रकार का निर्णय लेकर हम बहुत जल्दी ही यह आदेश निकालने वाले हैं। यह हमारा सारा मामला एग्जामिन हो चुका है। चौथी बात आपने जो रोक वाली बात कहीं है, यह रोक वाली बात, सभापति महोदय, 56 गांव और एमआरएफएफ के

(श्री रामनारायण डूडी)

अन्दर देने का हमारे पास भारत सरकार से प्रस्ताव आया था डिफेंस का तो हमने सारा उनका कर लिया, उनके 56 गांवों को हम उठाएंगे। 56 गांव उठने के बाद में हमने उनको कहां-कहां जमीन देनी होगी, किस कलस्टर के अन्दर देनी होगी, यह सारा एग्जामिन करने के लिए थोड़ी रोक लगायी थी। यह बात सही है रोक लगायी गयी थी, मगर अब हमारे पास उस जमीन को आबंटन करने के लिए उनको बसाने के बाद इतनी जमीन हमारे पास उपलब्ध है, जो एप्लीकेशन वगैरह आ रही हैं, हमने उस रोक को हटा दिया है।

जहां तक सवाल बेरोजगार स्नातकों को भूमि देने का मामला है एक्सपैरीमेंट के तौर पर उसमें काफी एप्लीकेशन आई हैं। कितनी एप्लीकेशन आई हैं, इतनी तो मेरे पास डिटेल अभी आई नहीं है।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): 700 के करीब हैं ।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): आपके अनुसार आई होंगी । इस मामले में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक कंडिशन है कि जो लड़का स्नातक करने के बाद सर्विस में जाना चाहेगा, उसको जमीन नहीं मिलेगी । यह सारा एग्जामिन करके देख लेंगे। जो मैरिट पर होता है उनको देने ऐसा कोई मामला नहीं है, आगे से चलता आ रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है ।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): धन्यवाद, मंत्रीजी ।

**श्री सभापति:** माननीय श्री बत्तीलालजी ।

## अध्यापकों की भर्ती करने विषयक

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने शिक्षकों की भर्ती, विद्यालयों को खोलना और कक्षों का निर्माण करने में जो कीर्तिमान स्थापित किये हैं वे आने वाले समय में आने वाली सरकारों के लिये और सम्पूर्ण देश के लिये प्रेरणा के स्रोत का कार्य करेंगे । मान्यवर, पिछले 5 साल में एक अध्यापक की भर्ती नहीं हुई और अब एक लाख अध्यापकों की भर्ती जारी करना, 16 हजार स्कूलों का खोलना, 35 हजार अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करना इस बात का द्योतक है कि यह सरकार कितनी दायित्वपूर्ण है, इसकी कितनी कार्यक्षमता है, इसकी कितनी कार्य कुशलता है। यह मात्र एक शिक्षा के क्षेत्र से ही घोषित होता है । मान्यवर, यह कहा जाता है कि

(श्री बत्तीलाल)

आदिवासी की बच्ची मर गई, आदिवासी अशिक्षित है। यह सोची समझी चाल में ऐसा रचा गया है । मान्यवर, 19 विधान सभा क्षेत्र आदिवासियों के हैं वहां आज तक 60 साल में एक आईएएस ये पैदा नहीं कर सके। 5वीं क्लास से ज्यादा आदिवासी पढ़े नहीं, गरीबी बनी रहे ताकि इनको वोट लेने का और सदन में आने का मौका मिल सके । ज्यादातर कांग्रेस के नुमाइंदे बांसवाडा में रहे- हरिदेव जोशीजी के रूप में या फिर उदयपुर में रहे माननीय सुखाड़ियाजी के रूप में या भीलवाड़ा में रहे माननीय माथुर साहब के रूप में । मान्यवर, सबसे गई बीती स्थिति है आज, आज आदिवासी नंगा है, भूखा है, गरीब अशिक्षित है तो बांसवाड़ा में है । सबसे ज्यादा गया बीता है तो उदयपुर में है या फिर भीलवाडा में है । यह ऐसा क्यों हुआ? 60 साल में यह इसलिए हुआ कि इन्होंने कभी इनको शिक्षित नहीं करना चाहा। अब आप अंदाजा लगाइए कि कोटड़ा जैसी गई बीती जगह पर इन्होंने कभी स्कूल नहीं खोला, कभी उच्च शिक्षा की कोशिश नहीं की । हमारी सरकार ने कालेज खोला कोटड़ा में ठेठ आदिवासी क्षेत्र में।

**श्री सभापति**: आपको टोडाभीम के बारे में बोलना है ।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): खैरवाडा में और थानागाजी में। (व्यवधान) मान्यवर, आप सुन लीजिए। देखो, मैं आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूं। मैं अच्छी तरह मेरी समस्याओं को रखूंगा मैं बोलने के लिये स्वतंत्र हूं, मैं क्या बोलूं। आप सुन लीजिए आप डिस्टर्ब न करें ।

मान्यवर, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार ने एक योजना बनाई है कि वास्तव में सही नीति से कैसे गरीब को शिक्षित किया जाए, कैसे उसकी आर्थिक मदद की जाए, कैसे उसको ऊंचा उठाया जाये। इसीलिए हायर एजुकेशनल कालेज खोले गये हैं वे बिलकुल आदिवासी क्षेत्रों में खोले गये हैं। एक सेनापति की तरह हमारी मुख्य मंत्रीजी ने अपनी फौज को तैनात किया है, अपने मंत्रियों को तैनात किया है, अपने कार्यकर्ताओं को तैनात किया है, प्रत्येक गरीब को टच किया है हर रूप में । उनका खाना देखिए, जानवरों को चराये जाने वाले भोजन को ये मिड-डे मील के रूप में देते थे । उससे आधे बच्चे तो वैसे ही बीमार हो जाते थे । जिन बच्चों का खाना जानवरों से गया बीता हो उनसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वह भारत का स्वस्थ नागरिक बन सकता है, बुद्धिमान नागरिक बन सकता है। या कम्पीटिशन में हम वर्ल्ड लेवल पर आ सकते हैं ।

(श्री बत्तीलाल)

मान्यवर, इसी दौरान आपने मुझे एक कालेज बख्शीश किया ठेठ आदिवासी क्षेत्र टोडाभीम में । टोडाभीम में पूर्वी राजस्थान में एक नगर पालिका है जो केवल आदिवासियों की है । आपने उसमें एक कंडिशन लगा दी कि वह जन सहभागिता से खोला जाए। वहां इतने गरीब लोग हैं कि अपनी जनसहभागिता उसमें वे अदा नहीं कर सकते । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपने और आदिवासी क्षेत्रों में दिया है- खैरवाडा में दिया है, थानागाजी में दिया है, कोटड़ा में दिया है वैसे पूरे सरकारी खर्चे पर उस कालेज को बनाया जाए। मैं जानता हूं, माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने इसकी बजट में घोषणा की है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के मुंह से जो निकल गया, बजट में घोषित हो गया वह शत प्रतिशत अक्षरशः: पालन होना है। पर उसको जल्दी कार्यान्वित कर दिया जाए, जल्दी वहां भर्ती चालू कर दी जाए तो मैं इसके लिये बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा । हमारी मुख्य मंत्रीजी की कथनी और करनी समान है, जो कहती हैं वह करती हैं, इसमें तो हमको पूरा विश्वास है। हम जिस नाव में बैठे हैं उसका नाविक इतना मजबूत है, राजस्थान की हर गरीब जनता यह सोचती है कि हमारा मुख्य मंत्री हमारे साथ है । इसीलिए जिस तरह उनका वित्तीय प्रबन्धन कुशल है उसी तरह उनका बाढ़ प्रबन्धन भी कुशल है इसको पूरा हिन्दुस्तान मान गया । यदि सही प्रबन्धन नहीं होता तो लोग यहां से पलायन कर जाते । एक भी आदमी आज जयपुर में आकर धरना नहीं दे रहा बाढ़ के आधार पर। एक भी आदमी बाहर नहीं गया । लोगों का इतने अल्प समय में इस तरह सुयोग्य तरीके से वापस आ जाना यह कोई साधारण आदमी का काम नहीं है । मैं तो यह कहूंगा वास्तव में मुख्य मंत्री के रूप में राजस्थान में वसुंधरा राजेजी वरदान हैं और एक तरह से साक्षात देवी का अवतार हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया है।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपके माध्यम से ...

**श्री सभापति**: धन्यवाद ।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रकृति से लड़ने की क्षमता किसी में नहीं हो सकती चाहे वह सरकार कोई भी हो । अब ऐसा कौन क्या जाझा करें कि बाडमेर जहां हमेशा सूख पडता था वहां बाढ़ आ गई । लेकिन सवाल यह है कि उनकी कार्यक्षमता देखिए आप कि किस तरह

(श्री बत्तीलाल)

का प्रबन्धन किया कि हर परिवार को टच किया, हर व्यक्ति को टच किया, हर गरीब को टच किया। वास्तव में जो सब से ज्यादा इन्होंने कार्य किया है वह यह किया है कि उन्होंने एक संबल पैदा कर दिया कि वसुंधरा राजेजी की सरकार, वसुंधराजी के कार्यकर्ता, उनके मिनिस्टर हमारे साथ हैं। इससे गरीब में एक आत्मविश्वास पैदा हो गया कठिनाई से लडने के लिये और इस विभीषिका से निकलने के लिये । मान्यवर, हमारे देश का एक ढांचा है कि हम क्या करते हैं, हम केवल देखते हैं ।

**श्री सभापति**: अब आप समाप्त करें ।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): सोनिया गांधीजी देखकर चली गईं और शर्म की बात है कि एक रुपया देकर नहीं गईं । यह क्या करते हैं कि मुम्बई में आतंकवादियों ने विस्फोट किया वह वहां पर देखने चली गईं, सहानुभूति दिखाई ...

**श्री सभापति**: अब आप समाप्त करें ।

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, इनका भाषण बड़ा प्रभावी हो रहा है तो कृपया थोड़ा समय दे दें ।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): सभापति महोदय, बडी मुश्किल से तो मेरे बोलने के लिये लाटरी खुली है । मुम्बई में विस्फोट हुए, सबसे पहले यह लोग पहुंचे, लेकिन यह लोग नहीं चाहते कि आतंकवाद पर किसी तरह का अंकुश लगाया जाए यह आतंकवाद मिटे । यह आतंकवाद को मजबूत करते हैं और केवल झूठी सहानुभूति दिखाते हैं कि लोग मर गये इसका हमको भारी दुःख हो रहा है । दुःख क्या हो रहा है, आपने जो कानून अटल बिहारी वाजपेयीजी ने बनाया था उसको वापस ले लिया । क्या अधिकार है आपको कब्जा करने का? आप यह चाहते हैं एक तुष्टीकरण की नीति के तहत किये लोग एक समुदाय विशेष के हैं इनका वोट हमको लेना है इसलिए आतंकवादी हों, हिन्दुस्तान की जनता मरे, तो मरे लेकिन इनकी सहानुभूति हमारे साथ रहनी चाहिये। यह इनके दिखावे की नीति है, यह करना कुछ नहीं चाहते । मैं विवेकानंदजी को पढ रहा था ...

**श्री सभापति**: अब आप समाप्त करें ।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): उसमें यह था, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में क्या अंतर है । विवेकानंदजी ने यह लिखा है कि पाश्चात्य संस्कृति में लोगों में दया, सहानुभूति और करुणा नहीं होती है । यही प्रदर्शन सोनिया गांधीजी ने किया । इनमें मानवतावाद की चीज नहीं है ।

**डा. सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): इनका भी ध्यान रखें, मंत्रिमंडल के विस्तार में यह बहुत जरूरी है, ध्यान रखना ।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): मैं आपसे पहले इस सदन में आया हूं, आपसे ज्यादा पढ़ा-लिखा हूं आप मेरी बात को सुनिए । आप सुनने को तैयार नहीं हैं ।

**डा. सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): मैं तो आपकी पैरवी कर रहा हूं। मेरे से पहले आये हो इसीलिए आपको मंत्री बनाने की पैरवी कर रहा हूं ।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): .. (व्यवधान) आपने इस देश का भट्टा बैठा दिया । (व्यवधान) लोग आपके नाम से नफरत करते हैं । आप 10-20 साल सत्ता में दुबारा आने के लिये भूल जाएं, यह तय शुदा है । आपने जो किया है वह राजस्थान की जनता जान रही है कि आपने क्या किया है । आप एक आइएएस का नाम बता दीजिए। आदिवासी आदिवासी करते हो, आप बताइए, आपने वहां कितने आईएएस और आईपीएस पैदा किये? हमने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया इसलिए पूर्वी राजस्थान के आदिवासी आज सबसे आगे हैं। और वहां लोग जो आपको वोट देते रहे हैं, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उन लोगों की यह हालत है कि एससी आपको छोड गये... (व्यवधान)

**डा. सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): राजेन्द्रजी, केबिनेट मिनिस्टर बनाना है या स्टेट मिनिस्टर बनाना है, फैसला कर लें । (व्यवधान)

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): बडी मुश्किल से मेरे बोलने का मौका आया है और यह बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं । आप अच्छी तरह सुन लीजिए ...

**श्री सभापति:** टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य बत्तीलालजी, आप विराजें।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): धन्यवाद, साहब ।

**श्री सभापति**: माननीय श्री रिछपालजी मिर्धा ।

## स्पष्टीकरण

### रिछपाल मिर्धा श्री, का महराम चौधरी का विधान सभा की कार्यवाही देखने हेतु पास बनवाने हेतु की गई अनुशंसा में नाम की भ्रांति विषयक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): सभापति महोदय, मैं यह स्पष्टीकरण इसलिए देना चाहता हूं कि यह विधान सभा की कार्यवाही देखने से संबंधित एक मामला आया है। 8 तारीख के समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

एक खबर आई है। रिछपाल सिंह मिर्धा ने बनवाया महराम का पास । जयपुर, 7 अक्टूबर नागौर के बाबूलाल हत्याकांड में वांछित महराम का विधान सभा का पास नागौर जिले के डेगाना विधान सभा क्षेत्र के विधायक रिछपाल सिंह मिर्धा की अभिशंसा पर बनाया गया था । महराम को जयपुर शहर और नागौर पुलिस ने शुक्रवार को यहां अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विधायक जगत सिंह के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया था ।

**श्री सभापति**: अख़बार पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): इसको नहीं पढ़ूंगा तो जो बात मेरे को कहनी है वह नहीं आएगी । इसमें तारीख का आया है अभी मैं पूरी बात स्पष्ट करूंगा ।

मेहराम नाम के व्यक्ति ने विधान सभा की कार्यवाही देखी थी और उसका पास रिछपाल सिंह मिर्धा की सिफारिश पर बनाया गया था। मगर पास बनाने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से विधान सभा सचिवालय में भेजी गयी अवांछित तत्वों की सूची में मेहराम नाम के किसी व्यक्ति का नाम नहीं। विधान सभा सचिवालय से उसी व्यक्ति का पास बनाया जाता है जिसका नाम असामाजिक तत्वों की सूची में शामिल नहीं हो और किसी विधायक ने उसकी अभिशंसा की हो। विधान सभा सदस्य एक दिन में दो व्यक्तियों के पास बनवा सकता है। मेहराम के इस प्रकरण ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह् लगा दिया। हत्या काण्ड में वांछित अपराधी का सूची में नाम तक शामिल नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जिस नाम के व्यक्ति के पास जारी होने के फार्म पर साइन किये वह मेहराम पुत्र रामकरण चौधरी, ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी सर्व शिक्षा अभियान, नागौर में है, अभी कार्यरत है। वह मेरे पास आये थे अपने हार्ट का ऑपरेशन करवा के और उन्होंने मेरे को कहा कि मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से मेरे को कुछ मदद मिल सकती है क्या? तो मैंने उनको यह बात कही, आप अपने कागजात देते हैं, मैंने एक चिट्ठी मुख्य मंत्रीजी को लिखी और चार तारीख को उसी व्यक्ति का पास बनाया। रवाना होते समय उसने कहा, विधान सभा की कार्यवाही देखनी है, साइन कर दिए। चार तारीख को ही मैं मुख्य मंत्रीजी से यहां मिला उनके कक्ष में और यहां उनके कागजात दिए जो अभी उनके सचिवालय में मौजूद होंगे। इसमें लिखा है

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

कि उसको पास जारी किया गया छह तारीख को। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने जिस मेहराम नाम के व्यक्ति का पास के लिए साइन किया वो मेहराम अभियुक्त नहीं था। वह तो एक अध्यापक है और चार तारीख को विधान सभा की कार्यवाही देखी है, न कि छह तारीख को देखी है। इसका पास भी 29 नम्बर पर बना है मैंने जिसको साइन किये हैं और वह पास भी अभी यहां विधान सभा में मौजूद है। चाहे तो विधान सभा अध्यक्ष महोदय इस पूरे प्रकरण की जांच करा लें। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता था कि यह अभियुक्त नहीं है और मैंने जिस व्यक्ति का पास बनाया उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। उसने चार तारीख को विधान सभा की कार्यवाही देखी है, न कि छह तारीख को देखी है। इस समाचार पत्र में यह खबर आई है, सदन में और मीडिया में जो भ्रांति हुई, उसका स्पष्टीकरण देने के लिए आपके समक्ष यह बात रखी है। आपने समय दिया, धन्यवाद।

**श्री सभापतिः** धन्यवाद। अब आप क्या कहना चाहते हैं?

## हरिमोहन शर्मा श्री, का अनुसूचित जाति और जनजाति की कार्यशाला योजना में राशि स्वीकृत करवाने के एवज में कमीशन लेने का आरोप लगने विषयक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मेरा भी एक्सप्लेनेशन है, स्पीकर साहब ने अलाउ किया है। माननीय सभापति महोदय, दिनांक 5.10.2006 को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैंने अनुसूचित जाति और जनजाति की कार्यशाला योजना में सात करोड़ उन्नीस लाख रूपए जो राज्य सरकार में उन लोगों को 3-4 साल से देने बाकी हैं इस मामले में अपने विचार प्रकट किए थे। उसके बाद माननीय मंत्रीजी श्री मदन दिलावर ने जो इसमें वक्तव्य जारी किया जो यहां पर स्टेटमेंट दिया, मुझे यह जानकारी मिली है कि माननीय सदस्य कुछ लोगों से यह वादा करके आये हैं, उन्होंने कहा है कि 5 प्रतिशत राशि मुझे दे देंगे तो वहां से स्वीकृतियां निकलवा दूंगा। मुझे जानकारी मिली है कि 5 प्रतिशत में सौदा करके आये हैं माननीय सदस्य कि 5 प्रतिशत राशि इनको दे दी जाएं तो ये दबाव बनाकर स्वीकृति करवा देंगे। लेकिन यह सदन और मैं इस दबाव में आने वाला नहीं हूं। नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। इनकी आदत रही है कमीशन खाने की और लगातार कमीशन खाने की आदत रही है। इनकी ओर से यहां दबाव में कमीशन खाने की कार्यवाही करना चाहते हैं, मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। यह माननीय मंत्री महोदय ने यहां दिया

(श्री हरिमोह्न शर्मा)

है और बिना किसी ठोस आधार के, बिना किसी नोटिस के माननीय मंत्रीजी ने जो दिया है, मैं इसको असत्य, गलत और भ्रामक मानता हूं। मेरे तीन विकल्प हैं, या तो माननीय मंत्री महोदय इसको वापस ले लें और इसको डिलीट कर दें। दूसरा, यह कि माननीय गुलाबजी कटारिया की अध्यक्षता में समिति इन आरोपों की जांच करे और जांच करने पर अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं सदन से त्यागपत्र दूं, अगर माननीय मदनजी दिलावार असत्य पाये जाते हैं तो वो सदन से त्यागपत्र दें। इसमें जो भी विकल्प आप चाहें, वह विकल्प आप चुन लें।

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): सोनिया गांधीजी से जांच करा ली जाए, यदि ये निर्दोष साबित हो जाते हैं तो मेरे शब्दों को वापस ले लूंगा। मैं सदन में वादा करता हूं, मेरे शब्द वापस ले लूंगा। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, यह मंत्री का नमूना देखिए आप, यह नमूना देखिए मंत्रियों का। माननीय सभापति महोदय, ये क्या कह रहे हैं, सोनिया गांधीजी से जांच करा लीजिए ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ...(व्यवधान) नहीं तो आप इस्तीफा दोगे?

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): माननीय सदस्य ने बिना सोचे-समझे मेरे ऊपर यह कहा कि मैं मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ करने में लगा हुआ हूं और यहां तक भी मैंने सुना, इसमें कार्यवाही में है या नहीं है कि एक प्रतिशत लेते हैं। मैं समझता हूं कि इन शब्दों को यदि वापस किया जाता है .....(व्यवधान)

**श्री हरिमोह्न शर्मा** (हिण्डौली): हां, एक प्रतिशत शब्द का न तो मैंने कहा, न किसी रिकार्ड में है। इसलिए वापस लेने का सवाल ही नहीं है।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): एक प्रतिशत के लिए कहा है आपने...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री हरिमोह्न शर्मा** (हिण्डौली): अगर एक प्रतिशत रिकार्ड में दर्ज है तो मैं वापस लेता हूं। लेकिन एक प्रतिशत का मैंने कहा ही नहीं है, इसमें है ही नहीं।(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): रिकार्ड में नहीं है तो मैं भी इनको विलोपित करने की अनुशंसा करता हूं।

**श्री सभापति:** प्लीज आप बिराजिए, खत्म हुआ यह मामला। इनको स्पष्टीकरण देना था दे दिया। श्री रघुवीर सिंह मीणा।

## सूचना

## सरकारी विभागों में बैकलाग भरने विषयक

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक महासंघ के अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजपाल मीणा पिछली दो तारीख से गांधी सर्किल पर हड़ताल पर हैं और चार तारीख से भूख हड़ताल पर हैं, आमरण अनशन पर है। उनके साथ सात आदमी और हैं। पिछले 3 दिन से उनकी हालत भी खराब हो रही है। सरकार के ध्यान में यह ईश्यू लाया गया है, सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं ली गई है, प्रशासन की तरफ से उनकी कोई केयर नहीं की गई है इसलिए हमारी तरफ से निवेदन यह है कि आपके माध्यम से सरकार उनकी बात सुने, उनकी क्या मांगे हैं, उसकी जानकारी ले। मैं यहां आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि उनकी मुख्य 5-7 मांगें हैं- एक तो राज्य में 82 हजार बैकलॉग को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस सरकार के समय का है। किसके समय का है यह डिबेट का विषय नहीं है परन्तु 82 हजार का जो बैकलॉग है उसको पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, एक मांग यह है। दूसरी, पदोन्नति में जोन ऑफ कन्सिडरेशन को हटाया जाए। तीसरी मांग है, भर्ती एवं पदोन्नति के नियम एवं उप-नियम आरक्षित वर्ग के हितों के अनुकूल तथा संविधान सम्मत होने चाहिए। ''आर.के. सब्बरवाल बनाम भारत संघ'' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आरक्षण के पद आधारित कर दिये हैं कि आरक्षित वर्ग के पद को सामान्य वर्ग से नहीं भरा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कानून का रूप ले चुका है परन्तु उसकी अनुपालना नहीं की जा रही है। चौथा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अधिशासी अभियंताओं, सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं, सिविल डिप्लोमा, जयपुर विद्युत वितरण निगम विभाग, सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग एवं समस्त विभागों में पदोन्नति व आरक्षित पदों को शीघ्र भरें। पांचवां, आरक्षित वर्ग के लिए बने नियमों का उल्लंघन

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

करने वालो को दण्डित करने का प्रावधान किया जाए। छठा, 10.10.2002 के सेवा-नियमों को प्रभावी रूप से लागू करें तथा आरक्षित पदों को आरक्षित वर्ग द्वारा ही भरा जाए। सातवां 20.10.2000 के कार्मिक विभाग के सर्कुलर को प्रभावी रूप से लागू करना। ये मुख्य उनकी मांगें हैं। सभापति महोदय, एक बात और उदाहरण के तौर पर कहना चाह रहा हूं कि एम डी एच यूनिवर्सिटी, अजमेर में इन्टरव्यू चल रहे हैं उसमें 80 टीचिंग स्टाफ के लिए भर्ती चालू है। आठ तारीख से दस तारीख तक भर्ती है उसमें इन्टरव्यू हो रहे हैं। एक भी पद एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया है, 80 के 80 पद सामान्य वर्ग से भरे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार जिस तरह से इन वर्गो के अधिकारों का ध्यान नहीं रख रही है, इन वर्गो के कर्मचारियों के हितों की अनदेखी हो रही है, इसका पूरी तरह से ध्यान नहीं रख रही है, हमारा सबका आक्रोश है। राजस्थान में यह सरकार जो बनी है अधिकांश इन वर्गो के मतदाताओं के आधार पर, मत के आधार पर राज में आई है और आज अगर इनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा तो निश्चित तौर पर इन वर्गो का दिल टूटेगा। इन वर्गो का विश्वास इस राज के प्रति हटेगा तो इसका खमियाजा तो इस राज को भुगतना ही है परन्तु आज जिन लोगों को यह उम्मीद है कि हमे हमारा अधिकार मिलना चाहिए, उन अधिकारों के प्रति भी हम सभी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि ये जो भूख-हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण-अनशन पर बैठे हैं, उनकी बातें सुनकर इन वर्गो के अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके प्रति सरकार क्या करना चाह रही है। आपके माध्यम से सरकार से मैं स्थिति स्पष्ट कराना चाहूंगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आ गयी न बात।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि पूरे राजस्थान में 82 हजार पद बैकलाग के बकाया हैं।

**श्री सभापति:** वह बात आ गयी, इन्होंने बता दी।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम पिछले 3 साल से लगातार इस हाउस में इस बात को रखते आये हैं।

**श्री सभापति:** आप विराज जाएं।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): जब भी सैशन आता है तब हम छोटी-मोटी पर्ची देकर इस मामले को उठाते हैं। पिछली बार जब विधान सभा का सत्र था, माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी जो हमारे शिक्षा मंत्रीजी हैं, उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि हम जल्दी ही बैकलॉग भरेंगे। लेकिन अभी तक उसकी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई है। इसी तरह से आर.एस.ई.बी. का भी, हमने विधान सभा में मामला उठाया। आर.एस.ई.बी. में एक कमेटी, उसमें एस.टी., एस.सी. के मैम्बर भी लिये गये। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी आर.एस.ई.बी. में अधिशासी अभियंताओं के परमोशन नहीं किये गये हैं। तो सभापति महोदय, लगातार टालमटोल किया जा रहा है। एक जोन आफ कंसिडरेशन का मामला है, उसमें अगर 3 प्रमोशन करने हैं तो उसके हिसाब से लिया जाता है। अगर नीचे एस.सी., एस.टी. का है तो उसको नहीं लिया जाता। इसके कारण से जान-बूझकर टालमटोल किया जा रहा है। सभापति महोदय, एक बार विभागवाइज जितने विभागों में जितने बैकलॉग के पद हैं उन पदों पर अभियान चलाकर भर्ती की जाए। सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि हर बार आश्वासन तो हमको मिला है लेकिन आश्वासन के बाद आगे कार्यवाही नहीं बढ़ी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति**: धन्यवाद।

**श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई): सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन और है कि अभी जयपुर डिस्कॉम के अन्दर 35 सहायक अभियंताओं का रिवर्शन कर दिया गया, उसमें एस.सी., एस.टी. का साथ में रिवर्शन कर दिया जब कि नियम ऐसा है कि यदि हमारी पोस्ट बकाया है तो हमारा रिवर्शन नहीं कर सकते।

**श्री सभापति**: आ गयी बात।

**श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई): जब कि हाल ही में 7 ए.ईन. को जे.ईएन. बना दिया गया। जयपुर डिस्कॉम के मामले में उस समय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सबका प्रमोशन करेंगे, बैकलॉग भरेंगे। बैकलॉग के प्रमोशन तो अलग रहे, जो रैगुलर 4 साल से ए.ईएन. थे, सहायक अभियंता के पद पर कार्य कर रहे थे, उनका अभी हाल ही में रिवर्शन कर दिया गया। इस सम्बन्ध में भी मंत्री महोदय कुछ जानकारी दे दें।

**श्री सभापति**: धन्यवाद।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय सभापति महोदय, 3 साल से, जब भी कोई बजट या दूसरा सत्र होता है तो माननीय सदस्य मिलकर यह मांग उठाते हैं कि बैकलॉग भरा जाना चाहिए और हर बार सरकार की तरफ से बहुत पाजिटिव जवाब मिलता है कि बैकलॉग भरने की सरकार की मंशा है। मुझे यह कहते हुए खुशी भी है, गर्व भी है कि शिक्षा विभाग ने तो लगभग सारा बैकलॉग पूरा कर दिया था पिछली भर्ती तक। अब नई भर्ती में जो होगा वह और जो होगा, वह मिलेगा। (व्यवधान) शिक्षा मंत्रीजी ने कई बार यहां घोषणा कर दी, आंकड़े दे दिये आपको, 19-20 फर्क होगा तो वह भी हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि बाकी विभागों में बैकलॉग की पूर्ति इसलिये नहीं हो पा रही है कि जो प्रमोशन के पद हैं उनमें जोन आफ कंसिडरेशन आड़े आ जाता है। पहले राजस्थान में नियम था कि....। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे क्यों बोल रहे हैं, बार-बार?

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): पहले यह नियम था कि जितनी कुल वेकेंसी होती हैं उसके 5 गुना को कंसिडर करते थे। उसमें बैकलॉग और आरक्षित पद पूरे नहीं हो पाते थे। फिर सरकार ने 5 से 7 गुना कर दिया। अब 7 गुना का नियम है। राजस्थान सरकार में यह नियम है। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि भारत सरकार में बैकलॉग भरने के लिये, प्रमोशन करने के लिये 5 गुना-7 गुना जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी एलीजिबल कैंडिडेट होते हैं, योग्य पात्र होते हैं उन सबको कंसिडर किया जाता है और इस तरह से वहां बैकलॉग भरा जाता है। खुद मैंने एक केस डील किया था टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, बी.एस.एन.एल. जो बाद में हो गया। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अपने यहां एक मीणा थे, जो ए.इन. से एक्स.ईएन. बनने थे और जोन आफ कंसिडरेशन के कारण उनको वंचित किया जा रहा था। पोस्ट खाली थी, एलिजेबल थे, फिर भी नहीं ले रहे थे। मैंने उस केस की पैरवी की थी। उस केस को भारत सरकार ने कंसिडर किया और उस केस में जो ट्रिब्यूनल है भारत सरकार का, उस ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि एस.सी., एस.टी. के मामले में जोन आफ कंसिडरेशन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जितने भी एलिजिबल हैं, सबको अवसर देना चाहिए। ऐसा ही कुछ और प्रदेश सरकारों में भी जो प्रमाण इस सदन में भी पेश हो चुके हैं, सरकार के सामने भी पेश हो चुके हैं। यह आपके माध्यम से इस सरकार से

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

निवेदन है कि वही नियम जो भारत सरकार में है और वही नियम जो अन्य 4-5 स्टेट्स में है, वह राजस्थान सरकार भी लागू करे और यह जोन आफ कंसीडरेशन की समस्या खत्म करे। जितने भी एलिजीबल कंडीडेट हों, उन सबको कंसिडर करे ताकि यह बैकलॉग की स्थिति पूरी हो सके। कहने को तो हमने आरक्षण दे रखा है 16 प्रतिशत एस.सी. को और 12 प्रतिशत एस.टी. को, लेकिन यदि आप सर्वे करवाएंगे राजस्थान सरकार के सारे विभागों का या भारत सरकार के सारे विभागों में 15 और साढे सात के हिसाब से सर्वे करवाएंगे तो उस रेशो में, उस अनुपात में एस.सी., एस.टी. के कर्मचारी नहीं हैं। उसका एक मात्र कारण यह बैकलॉग है। यह बैकलॉग इसलिये नहीं भरा जाता है कि जोन आफ कंसिडरेशन आड़े आता है। इस पर सरकार पुनर्विचार करे और पाजिटिव निर्णय जल्दी करे, तो यह असंतोष अधिक बढ़ने से रुक सकेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मुझे निवेदन करना है। (व्यवधान)

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): सभापति महोदय, बिजनस तो पूरा कराइये आज का, बिजनस तो पूरा कराइये। (व्यवधान) आप यह इस डिबेट को... (व्यवधान) नहीं, नहीं, एक मिनट, मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप इसकी डिबेट बंद करें। (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): आप बैठ जाइये।

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): आप कौन होते हैं मुझे बैठाने वाले? (व्यवधान) नहीं तो बताओ, क्या हम नहीं हैं शुभ-चिंतक एस.सी., एस.टी. के, जो आप बैठाएंगे? बैठाएंगे बोलते हैं आप। आप उधर बात करिये, सभापतिजी से बात करिये।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य।

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इस बात पर हूं कि जो बिजनस है, पहले बिजनस पूरा कराइये, उसके बाद में यह 6 घण्टे बहस शुरू करिये, मुझे इसमें कतई एतराज नहीं है।

**श्री सभापति**: सुन लिया मैंने, विराजिये आप।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं।

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये। आप विराजिये।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं बिराजने वाला हूं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से कि जो मेरे निवास पर 2 दिन पहले यहां....(व्यवधान) नहीं, बिलकुल नहीं।

**श्री सभापतिः** आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप बीच में नहीं बोलेंगे।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): जो मेरे घर के अन्दर नाटक हुआ है उसका जवाब दें। जब मैं यहां बैठा था विधान सभा के अन्दर। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** आप विराज जाएं। आप विराजें।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): नहीं, मैं बिलकुल नहीं विराजने वाला। आप मुझे जवाब दीजिए कि 300 पुलिसकर्मियों को विधायक नगर के अन्दर मेरे घर के... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजिये। अंकित नहीं हो, आप विराज जाएं।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री सभापतिः** आपको मैंने बोलने की अनुमति नहीं दी है, आप विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप मुझे नाम से बोलने के लिये मजबूर न करें। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजिये। आप विराजिये।

**श्री जगत सिंह (**लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बार-बार सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष, सभी एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी....(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप मुद्दे की बात बोल दें। आप टाइम देखिये, 4.38 हो गये।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): हम सभी चिन्तित हैं। तो मैं यह बार-बार जब भी हमारी विधान सभा आहुत की जाती है, हम लोगों का पर्ची के माध्यम से सवाल उठता है और हमें आन्सर दे दिया जाता है। सरकार हमारी गम्भीर है तो इतना लम्बा समय, ढाई साल हो गया, बारबार हम इस बात को उठाकर रह जाते हैं। हम चाहते हैं हमारे मंत्रीजी बैठे हैं, उसका हम सब को जवाब दें ताकि पूरे प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाए। एस.सी., एस.टी. के प्रति जो आपका एक लगाव है, हम लोगों को भी यह लगेगा कि सरकार हमारी, अनुसूचित जाति-जनजाति, ओ.बी.सी. की सीटों को भरने के लिये तत्पर है। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि सरकार जवाब दे।

**श्री सभापति:** एक मिनट, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने राजकीय सेवा में एस.सी.,एस.टी. के बैकलॉग के बारे में चिन्ता की है। सभापति महोदय, यह समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, यह समस्या बहुत पुरानी है। जिन राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के आमरण-अनशन पर बैठने की बात कही है, सरकार उनसे वार्ता करने के लिये तैयार है। कोई शिष्टमण्डल ने अभी तक एप्रोच नहीं किया है। मैं यह जरुर निवेदन करुंगा कि जिस तरह जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा...

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, आपस में खड़े-खड़े बात न करें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कि शिक्षा विभाग में इसी सरकार के चलते एस.सी. और एस.टी. का बैकलॉग 14471 पूरा हुआ। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद के अन्दर संविदा स्तर पर जो भर्ती हुई, उसमें 100 एस.सी. और 6 एस.टी., जो चिकित्सा विभाग में प्रसाविका की भर्ती की उसमें भी एस.सी. के 69 और एस.टी. के 51 और माननीय सभापति महोदय, जो जोन आफ कंसिडरेशन की बात यहां पर चल रही थी, पहले जोन आफ कंसिडरेशन में पाँच तक का था उसको सात तक करने का आदेश भी 5.8.2004 को इसी सरकार ने किया है। मैं तो यही आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस-जिस संवर्ग में जो-जो भर्ती होगी, बैकलॉग को पूरा करने का प्रयास पहले भी सरकार ने किया है, आगे भी सरकार करेगी। सरकार की कथनी और करनी में अन्तर इसलिए नहीं है कि शिक्षा विभाग में जो अभी हाल ही में भर्ती के लिए अभ्यर्थना भेजी गयी है 28939 की आर.पी.एस.सी. में, जितना बैकलॉग बनता है उसको पूरा करने की दृष्टि से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसी तरह भेजी गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य की चिन्ता सरकार की चिन्ता है और सरकार संवेदनशील है। माननीय जो इनके अध्यक्षजी बैठे हैं आमरण अनशन पर, उनसे सरकार को बातचीत करने में कतई गुरेज नहीं है और मैं आपसे ही कहूंगा कि आप भी उनसे बातचीत करने के लिए कहें क्योंकि अभी तक तो किसी ने एप्रोच किया नहीं। (व्यवधान) आप वह वार्ता किसी भी स्तर पर करना चाहें तो ले आइये, उनसे वार्ता करने में कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): शिक्षा विभाग के लिए कोई तकलीफ नहीं है, शिक्षा विभाग से भरे जा रहे हैं लेकिन अन्य विभागों के अन्दर जो पद खाली पड़े है, उनके संबंध में ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): टाइम दे दिया, कब बात करेंगे? (व्यवधान)

**श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बात कर लें। आप उनको अभी पांच बजे, 6 बजे, जब कभी भी लाना चाहें, आप चाहें... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): अभी बुला लेते हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, बुला लो। (व्यवधान)

**श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई): जयपुर डिस्काम में कर दिया, उनके बारे में भी बताएं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: धन्यवाद।

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): नहीं, एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि से 213 व्यक्तियों को जे.ईन. से ए.ईन. बना दिया गया सिंचाई विभाग में। बेक डोर एण्ट्री से विभिन्न तरीके अपना कर 213 को उसमें बना दिया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति का एक भी व्यक्ति उसमें नहीं लगाया गया है। उसी प्रकार से सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग में 25 सीटों पर, 25 व्यक्तियों को भर्ती

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

किया गया है। उसमें एस.टी. का एक व्यक्ति था और एस.सी. के 10 थे, उनमें भी एक भी व्यक्ति को नहीं लिया गया है। जोन आफ कंसीडरेशन का नहीं लेकर विभिन्न तरीके से उनको ए.ईन. के पदों पर पदोन्नति दे दी गयी है। इसी प्रकार से पी.एच.ई.डी. में भी 28 लोगों को क्रमोन्नत कर दिया गया है, उनमें भी किसी भी व्यक्ति को नहीं लिया गया है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अचानक मामला उठा है।

**श्री सभापतिः** बहुत बोल लिये। धन्यवाद।

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): विद्युत मण्डल में भी 46 व्यक्तियों को ले लिया गया, उसमें भी एक भी एस.सी., एस.टी. के व्यक्ति को नहीं लिया गया है।

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी ने कह दिया अब ... (व्यवधान) बैकलॉग पूरा भरा जाएगा। (व्यवधान)

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): नहीं, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि 16 और 17, जोन आफ कंसिडरेशन वाला सुप्रीम कोर्ट ने खतम कर दिया है। जोन आफ कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट ने खतम कर दिया है।

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): सभी को चिन्ता है एस.सी. और एस.टी. की। माननीय सभापति महोदय, पीड़ा समझो, यह तो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, इनकी पीड़ा को समझो आप सभी। (व्यवधान)

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): और यह 16 और 12, एस.सी. और एस.टी. का लागू होना चाहिए। जोन आफ कंसिडरेशन को खतम कर दिया गया है। इसमें मैं यही निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): माननीय सभापति महोदय, हमारा काम नहीं हुआ है।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): सरकार के ध्यान में यह बात और लाना चाहते हैं कि ... (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** अब विराजिये आप। श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## अधिसूचना

### पंचायती राज विभाग

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ( श्री कालूलाल गुर्जर, पंचायती राज मंत्री के स्थान पर) माननीय सभापति महोदय, मैं अधिसूचना संख्या एफ 4(2) आर.डी./आर.ई./आर.आर.ई.जी.एस./06, दिनांक 13.10.2005 जिसके द्वारा राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2006 लागू की गई है, सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सभापति**: माननीय श्री वीरेन्द्र मीणा।

### वित्त विभाग

**श्री वीरेन्द्र मीणा** (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय सभापति महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न 11 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या-एफ.4(31)वित्त/आब/2005 दिनांक 20.1.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.1(17)वित्त/आब/82 दिनांक 22.1.1986 में संशोधन किया गया है ।
2. अधिसूचना संख्या-एफ.4(31)वित्त/आब/2005 दिनांक 20.1.2006 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (संशोधन) नियम, 2006 विरचित किये गये है ।
3. अधिसूचना संख्या-एफ.4(44)वित्त/आब/2005 पार्ट-I दिनांक 28.2.2006 राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या-एफ.4(15)वित्त/आब/2005 दिनांक 1.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी तृतीय (संशोधन) नियम, 2006 विरचित किये गये हैं।
5. अधिसूचना संख्या-एफ.4(44)वित्त/आब/2005 दिनांक 1.4.2006 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या-एफ.4 (62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.3.1997 में संशोधन किया गया है ।
6. अधिसूचना संख्या-एफ.4(44)वित्त/आब/2005 दिनांक 1.4.2006

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्राण्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाईसेंस) (संशोधन) नियम, 2006 विरचित किये गये हैं।

7. अधिसूचना संख्या-एफ.4(44)वित्त/आब/2005 दिनांक 12.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2006 विरचित किये गये हैं।

8. अधिसूचना संख्या-एफ.4(44)वित्त/आब/2005 पार्ट-II दिनांक 26.4.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.4(12)वित्त/आब/2002 दिनांक 1.4.2002 में संशोधन किया गया है ।

9. अधिसूचना संख्या-एफ.4(44)वित्त/आब/2005 पार्ट-II दिनांक 26.4.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.4(17)वित्त/आब/2004 दिनांक 1.4.2005 में संशोधन किया गया है ।

10. अधिसूचना संख्या-एफ.4(44)वित्त/आब/2005 पार्ट-II दिनांक 11.5.2006 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (तृतीय संशोधन) नियम, 2006 विरचित किये गये हैं।

11. अधिसूचना संख्या-एफ.4(44)वित्त/आब/2005 पार्ट-III दिनांक 12.5.2006 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लि. से क्रय की गई शराब पर 'बिल कम ट्रांसपोर्ट पास' जारी किये गये हैं।

**श्री समर्थ लाल** (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह जो बैकलॉग का मामला चल रहा है।

**श्री सभापति:** अब वह टाइम चला गया।

**श्री समर्थ लाल** (राजगढ़): सुनिये आप सुनिये। यह बड़ा सीरियस मामला है। आपने दूसरा बिजनस ले लिया। बैकलाग का अर्थ क्या है? बैकलाग का अर्थ यह है जो मेरी समझ में आया है कि उनके स्थान पर दूसरे लोग ले लिये गये और उनको पीछे रख दिया गया। 82 हजार तक की संख्या बैकलाग के माध्यम से पहुंच गयी राजस्थान सरकार के अन्दर। चाहे इस सरकार का दोष हो, चाहे पिछली सरकारों का दोष हो, हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी भी सरकारें हैं, इन हिन्दुस्तान की सरकारों का बैकलाग आप देख लीजिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा बैकलाग है। इसका कारण क्या है? इसका निराकरण होना चाहिए। राजेन्द्र राठौड़जी ने इसका बयान दे दिया, उत्तर दे दिया, इससे एस.सी., एस.टी. के सदस्य और राजस्थान की जनता संतुष्ट नहीं है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: धन्यवाद। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री विष्णु मोदी।

# समिति का प्रतिवेदन

## याचिका समिति (क्र.सं. 3)

**श्री विष्णु मोदी** (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मैं याचिका समिति, 2006-07 ग्रामीण विकास, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित याचिका समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

# सूचना

## राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आरक्षित वर्ग के बैकलाग की पूर्ति हेतु आमरण अनशन

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): सभापति महोदय, सीनियर लीडर ने जो बात अभी कही है ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक बात सुन लीजिए आप ... (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): सीनियर लीडर ने जवाब दिया कि ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी में, आज भर्ती चालू है ... (व्यवधान) 80 पद हैं, इन 80 पदों में से एक पद एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए ... (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): ये 82 हजार पद हैं। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): सरकार चाहती क्या है? सरकार कोई उत्तर दे।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): 82 हजार पद का, ... (व्यवधान) कोई मामूली बात नहीं है। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): आप क्या करेंगे? नहीं, नहीं, अभी सरकार के ध्यान में लाये हैं हम कि एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी में आज इन्टरव्यू चल रहे हैं ... (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): सरकार खुद जवाब नहीं देती है तब तक हम इस बात को आगे नहीं बढ़ने देंगे। (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): वहां पर एस.सी. और एस.टी. के पदों पर उनको भर लिया जा रहा है ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): 80 पद है, 80 पदों के खिलाफ एक पद भी एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए, किसी के लिए नहीं रखा है, रिजर्व क्लास के लिए नहीं रखा है। (व्यवधान) सरकार की मंशा क्या है, स्पष्ट करें। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, एक मिनट आप विराजिये। माननीय सदस्यगण, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय ने आपको पूरा स्पष्ट कर दिया है। उस बात को लेकर आप संतुष्ट हो गये। (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): 8 तारीख से 10 तारीख तक आज कल तो हो गये पर ... (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, मामला पूर्व सरकार का हो या वर्तमान सरकार का हो ... (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): वे संतुष्ट हो जाते तो दुबारा क्यों खड़े होते? इसका मतलब माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी में 80 पद हैं, इन 80 पदों में से 80 पद जनरल से ले रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): इतने समये से ... (व्यवधान) आज दिन तक एस.सी. और एस.टी. के लोगों को राहत नहीं मिली है। सरकार की आखिर मंशा क्या है?

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): कोई भी एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी., किसी भी रिजर्व क्लास के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं रखे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि सरकार की क्या मंशा है? (व्यवधान) अभी जानकारी ली क्या? व्यक्ति नहीं मिले? स्पष्ट करें कि सरकार की मंशा क्या है? (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, यह स्पष्ट करें कि मंशा क्या है? (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, पिछली बार भी जब बैकलॉग की बात चली थी तो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने पूरा आश्वासन दिया था।

**श्री सभापतिः** विराजिये।

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): पिछली बार भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): कुछ भी नहीं हुआ उसका। (व्यवधान) एक भी जो भरे जाएंगे तो दूसरी जाति का एक भी व्यक्ति नहीं लिया जाएगा। पूरा का पूरा एस.सी., एस.टी. से भरा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यदि यह नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार की मंशा में ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): खोट है। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** आप विराजिये।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): 82 हजार पद कब तक भर दिये जाएंगे? सरकार कब तक भर देगी? (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): आने वाले समय में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सरकार ने उनके नेता के लिए टाइम भी दिया, वह बात तो ठीक है, पर हम तो यह कहेंगे कि सरकार के प्रतिनिधि वहां पर जाएं।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): क्या तकलीफ है, क्या शिकायत है? कौन करेंगे? नहीं भरे जा रहे हैं, इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए आज। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अभी मंत्रीजी ने कह दिया। राज्य सरकार वार्ता के लिए तैयार है। (व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, हर बार सरकार की तरफ से झूठा आश्वासन दे दिया जाता है। (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): इससे संवेदनशील मसला इस प्रदेश में कोई हो नहीं सकता। सभी पार्टियां अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास का राग आलापती हैं और आज दिन तक उनके साथ इतना बड़ा अन्याय। 82 हजार पदों को रिक्त रखना, यह कितनी बड़ी शर्म की बात है? कब तक इस बात को ... (व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): तिवाड़ीजी इसीलिए सदन में नहीं आये हैं।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): आखिर सरकार कब तक इन पदों को भरने की मंशा रखती है, यह स्पष्ट होना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य।

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी., और ओ.बी.सी. के बैकलॉग को नहीं भरना चाहते हैं और तीन साल से झूठ बोल रही है ... (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): 82 हजार पद खाली हैं। सभी पार्टियां एस.सी., एस.टी. और अनुसूचित जाति के विकास की बात करेंगी, सभी चिन्ता जाहिर करते हैं और 82 हजार पद खाली हैं। सरकार कब तक इन पदों को भरने का अपना विचार रखती है, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): मैंने आपके सामने उदाहरण रख दिया कि आज इन्टरव्यू चल रहे हैं। एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी, अजमेर में इन्टरव्यू चल रहे हैं। 80 में से एक भी पद ... (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** आप विराज जाइये। जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, बैकलॉग भरे, कुछ भी करे सरकार, पर देश के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है आरक्षण। बैकलॉग भरो इसमें ... (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): क्या खतरा है? क्या खतरा पैदा हो गया?

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): बैकलॉग भरो, हमें कोई एतराज नहीं है। पर इस देश के अन्दर यह आरक्षण जब तक खतम नहीं होगा जब तक यह ... (व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने ... (व्यवधान)

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान) केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए कि यह आरक्षण प्रणाली समाप्त होनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): यह सरकार के झूठे आश्वासन कब तक चलेंगे? ... (व्यवधान)

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): बैकलॉग क्या है, इसको भी देखो। (व्यवधान) बैकलाग क्यों है? किस बात का आरक्षण? (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, आप विराजिये।

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, किस बात का आरक्षण? आरक्षण खतम किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): खाली आश्वासन दे दिये जाते हैं। (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): आपकी दी हुई चीज नहीं है। (व्यवधान)

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): बिलकुल हमारी दी हुई चीज है। (व्यवधान) एक तरफ तो 30 परसेंट वाले सलैक्ट हो रहे हैं और एक तरफ 90 परसेंट वाले भीख मांग रहे हैं। काहे का न्याय है? कोई न्याय नहीं है, कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** अंकित नहीं हो।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): ×××

**श्री हीरालाल** : ×××

**श्री सुरेश मीणाः** ×××

**श्री मुरारी लाल मीणा**: ×××

**श्री अशोक बैरवा** : ×××

**श्री जीतमल खांट** : ×××

**श्री जयराम जाटव** : ×××

**श्री सभापतिः** आप बिराजें। मैंने आपको बोलने के लिये नहीं कहा है। (व्यवधान) मैं करौली से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** : ×××

**श्री अशोक बैरवा** : ×××

**श्री हीरालाल** : ×××

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, आसन पैरों पर । (व्यवधान) निवाई से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

**श्री जयराम जाटव** : ×××

**श्री गोविन्दराम मेघवाल** : ×××

**श्री सुरेश मीणा** : ×××

**श्री विजय बंसल** : ×××

**श्री जीतमल खांट** : ×××

**श्री विजय बंसल** : ×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : ×××

**श्री अशोक बैरवा** : ×××

**श्री हेमराज मीणा** : ×××

**श्री रामप्रताप कासनिया** : ×××

**श्री सभापतिः** आप बैठिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) सदन का समय बढ़ाना है। (व्यवधान) बैठिये। (व्यवधान)

**(व्यवस्था-सूचक घंटी)**

**श्री विजय बंसल** : ×××

**श्री जीतमल खांट** : ×××

**श्री सभापति :** आप बैठिये। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** :×××

**श्री गोविन्दराम मेघवाल** : ×××

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है कि आप बिराजें। ...(व्यवधान) वह जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान) आप सुनो न ...(व्यवधान) आप बैठो तो सही। मंत्रीजी बोल रहे हैं । (व्यवधान) मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं । आप सुनो तो सही। (व्यवधान) नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान) जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजें । मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, बैकलॉग की समस्या, जब से सरकार में नियुक्ति प्रारम्भ हुई है, योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण यह समस्या निरन्तर बनी हुई है। सभापति महोदय, मैंने पहले जैसा निवेदन किया कि 5-8-2004 को जब इस मौजूदा सरकार ने यह देखा कि जोन ऑफ कंसिडरेशन में पांच गुना अभ्यर्थी को लेने के कारण लोग आ नहीं पाते, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, तब पांच गुना को सात गुना करने का काम भी इसी सरकार ने किया। जिस तरह मैंने...(व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह सराड़ा** : ×××

**श्री हेमराज मीणा** : ×××

**श्री मुरारी लाल मीणा** : ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मैं कोट कर रहा हूं वह पत्र । कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 5-8-2004 के द्वारा पांच गुना से सात गुना करने का काम हुआ था। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो इसी शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्रीजी ने सही कहा था 14,471, मैं निवेदन करूं, इन पदों पर बैकलॉग की भर्ती की गयी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार की मंशा है, सरकार ...(व्यवधान)

**श्री समर्थ लाल मीणा** : माननीय सभापति महोदय, सदन की कार्यवाही चलने से पहले समय बढ़ाइये आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मैं बढ़ा रहा हूं। बढ़ा रहा हूं। सरकार बैकलॉग को पूरा करना चाहती है । परन्तु वर्षों का बैकलॉग कोई एक वर्ष में पूरा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस जिस विभाग में जो जो रिक्तियां आएंगी, रिक्त पदों के विरूद्ध बैकलॉग भरने का पूरा प्रयास सरकार करेगी।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

सभापति महोदय, मैं चूंकि आज सरकारी मुख्य सचेतक महोदय नहीं हैं, इसलिए प्रार्थना करूंगा कि सदन का समय आज जिन विषयों पर बहस होनी है, वह बहस और माननीय मंत्रीगण का उत्तर पूरा होने तक समय बढ़ा दिया जाए।

**श्री सभापतिः** प्रश्न यह है कि सदन का आज की कार्य सूची समाप्त हो तब तक समय बढ़ाया जाए ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : माननीय मंत्रियों का उत्तर पूरा होने तक समय बढ़ाया जाए।

**श्री सभापतिः** कार्य सूची और माननीय मंत्रियों का उत्तर पूरा होने तक बढ़ाया जाए ?

**(स्वीकृत)**

समय बढ़ाया गया।

**श्री हेमराज मीणा** : ×××

**श्री रघुवीर सिंह सराड़ा** : ×××

# सूचना

## राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आरक्षित वर्ग के बैकलाग की पूर्ति हेतु आमरण अनशन

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी अलग एक्ट के तहत है, उसकी भर्तियां भी उस एक्ट के तहत हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अधीन है। इसलिये इसके बारे में मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी संवेदनशीलता से बैकलाग पूरा करने के लिये सरकार कृतसंकल्प है। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह सराड़ा** : ×××

**श्री हेमराज मीणा** : ×××

**श्री सुरेश मीणा** : ×××

**श्री संयम लोढ़ा** : ×××

**श्री अशोक बैरवा** : ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जिस तरह मैंने पहले निवेदन किया कि विश्वविद्यालय में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, फिर भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति :** आप विराजें। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : सभापति महोदय, दो हजार पद भारत सरकार ने एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम में राजस्थान सरकार को दिये और 23 करोड़ रुपये दिये हैं। सहायक ग्राम रोजगार योजना में चपरासी, एल.डी.सी. सब आप लगा रहे हैं, पर कोई भी रिजर्वेशन को फालो नहीं कर रहे हो आप । हण्डरेड परसेंन्ट आपने ओपन रखा हुआ है। दो हजार पोस्ट हैं करीब । आप नहीं कर रहे हो तो बता दें।

**श्री विजय बंसल** : ओ.बी.सी. में रिजर्वेशन राजस्थान सरकार ने दिया। भरतपुर और धौलपुर में जाटों को आज तक केन्द्र सरकार ने नहीं दिया, आपने कभी मांग उठाई? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: ठीक है, आप बिराजें। (व्यवधान) राज्य में अकाल, बिजली एवं मौसमी बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर विचार। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : सभापति महोदय, एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम में दो हजार पद भारत सरकार ने दिये, मार्च, 2006 में 23 करोड़ रुपये दिये हैं और एक भी पद का रिजर्वेशन नहीं किया गया है तमाम जिलों के अंदर।

**श्री रघुवीर सिंह सराड़ा** : ..(व्यवधान) सरकार का प्रतिनिधि नहीं जाएगा? हम जानना चाह रहे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे ज्ञापन लेने जाएगा या उनको उठाने जाएगा क्या ?

**एक माननीय सदस्य**: सरकार का प्रतिनिधि भेजो वहां। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह सराड़ा** : सरकार का प्रतिनिधि जाएगा क्या गांधी सर्किल पर?

**श्री राजेन्द्र राठौड़**: मैंने निवेदन किया, सरकार के दरवाजे खुले हैं । आज आप जब कभी भी उचित समय समझें, सरकार बात करने को तैयार है। बाहर सरकार जाकर बात थोड़े ही करेगी ।

**श्री रघुवीर सिंह सराड़ा** : छह दिन से खाये-पिये बिना वह सब लेटे हुए हैं, उनको उठाकर आपके दरवाजे पर लाने से रहा । क्या आप वहां जाएंगे? (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** : किसी को भेजकर उनको उठाओ। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह सराड़ा** : आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जो लोग बिलकुल ..(व्यवधान) सरकार के प्रतिनिधि वहां भेजो । अगर नहीं भेजना है तो न कह दो। (व्यवधान) मर जाएं तो मर जाएं। सरकार वैसे भी गोली चलाती आई है। (व्यवधान) वैसे खून पर खेल रही है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उनके बिना भी बात कर सकते हैं। (व्यवधान)

**श्री विजय बंसल** : बी.एस.पी. के माननीय सदस्य, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीरामजी गुजर गये, उनके शोक में तो जाओ कम से कम। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह सराड़ा** : वह मर जाएं तो मर जाएं, आपको कोई परवाह नहीं है। (व्यवधान)

**(समय : 17.00 बजे)**

**श्री सभापति**: अब आप विराज जाएं।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): सभापति महोदय, कुछ तो संतोषप्रद जवाब दिलाओ।

**श्री सभापति:** आपको बोल दिया न मंत्रीजी ने कि आप टाइम फिक्स कर लें।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): हमारी मांग है सरकार का प्रतिनिधि जाए, प्रशासन की तरफ से जाए, आमरण अनशन पर जो बैठे हैं उनको उठाए। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, टाइम इज ओवर। चलो, चलो, टाइम खतम। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): कब तक जिंदा रहेंगे वो? (व्यवधान)

**श्री सभापति:** माननीय सी.एस. बैद।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): उठ कर कह दो, सभापति महोदय, कोई सरकार छोटी नहीं हो जाएगी। कमजोर तबका है, भूख-हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर हैं ...(व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): आश्वासन तो देना होगा। (व्यवधान)

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): सभापति महोदय, अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया था, क्या विधायकों की वास्तव में कोई वो है ...(व्यवधान) उनसे मिलने कोई आ सकता है। उनके घर पर पुलिस ने जो अत्याचार किये हैं उसके बारे में कोई जवाब है? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

**(व्यवस्था-सूचक घंटी)**

**(आसन द्वारा इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश)**

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): ×××

**श्री सभापति:** आप विराजें।

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): ×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, आप आसन की बिना अनुमति के बीच-बीच में यों ही खड़े हो जाते हैं, आप विराजें। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री विजय बंसल**: (भरतपुर) :

**श्री सभापति:** अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): ×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): ×××

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्य, विराजें।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): ×××

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): ×××

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): ×××

**(श्री सुरेश मीणा और श्री मुरारी लाल मीणा, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में प्रवेश)**

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): ×××

**श्री गोविन्दराम मेघवाल** (नोखा): ×××

**श्री हीरालाल** (निवाई): ×××

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**(श्री सुरेश मीणा और श्री मुरारी लाल मीणा, माननीय सदस्यों द्वारा पुनः स्थान ग्रहण)**

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, एक मिनट मेरी बात तो सुनें। आसन पैरों पर है, मेरी बात तो सुनें आप। माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनें।

**(व्यवस्था-सूचक घंटी)**

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): ×××

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): ×××

**श्री सभापतिः** ऐसा है कि आप सब साथ में बोलेंगे तब सुनूंगा नहीं, एक माननीय सदस्य कोई बात कहेगा तो बात समझ में आएगी कि क्या बोल रहे हैं। अब आप सब खड़े हो गये।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री सभापतिः** हां।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि एस.सी., एस.टी. के वोट नहीं चाहिए, उनको हम खरीद लेते हैं। अगर यह आपकी मानसिकता है तो आप अंदाज लगाओ, आजादी के पहले क्या

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

स्थिति होगी जब आजादी के 60 साल बाद भी यह स्थिति है? इनको उनके अधिकारों को देने के लिए सरकार तैयार नहीं।

**(समय :17.06 बजे)**

**(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री नरपत सिंह राजवी** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रिकार्ड देख लिया जाए, प्रोसिडिंग देख कर उसके आधार पर अगर ऐसा आपत्तिजनक किसी माननीय सदस्य ने किया है, अगर कोई बात कही है तो उसको एक्सपंज करनी चाहिए।

**एक माननीय सदस्य**: माफी मांगनी चाहिए।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): मंत्री महोदय, एक्सपंज से काम नहीं चलेगा, यह बड़ी गलत बात है कि किसी इतने बड़े समुदाय के लिए इस सदन में यह बात कह दें कि इनको खरीदा जाता है।

**श्री रघुवीर सिंह** मीणा (सराड़ा): या तो यह बोले यह वापस लें।

**(व्यवस्था-सूचक घंटी)**

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपसे भी निवेदन कर रही हूं। यह इनसे ही नहीं, आपसे भी निवेदन कर रही हूं। यह मैं आपसे भी निवेदन कर रही हूं, आप भी विराजें, एक बार विराजें। नहीं ...(व्यवधान) विराजिये। आप स्थान ग्रहण करिये, कृपया। (व्यवधान)

आप आसन को सुनेंगे भी नहीं? मैं निवेदन यह कर रही हूं कि अभी मैं यहीं पर मंगा कर देख लेती हूं, यदि अंकित हुआ है तो उसे एक्सपंज कर दूंगी और माननीय सदस्य, इस तरह की बात ...(व्यवधान) नहीं, क्या किया जाए आपका? बात पूरी नहीं सुनते। माननीय सदस्य, भरतपुर से आते हैं न आप प्रापर से?

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): हां।

**श्री अध्यक्ष:** भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, इस तरह की भाषा और इस तरह के चार्ज आप किसी पर भी, किसी जाति विशेष पर नहीं भविष्य में लगाएंगे और यदि आपने लगाए हैं तो आपका सदन में इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए।

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा सदन, सत्ता पक्ष के लोग भी मौजूद हैं और उधर तो सब ने सुना है, उनका तो कोई विश्वास नहीं है, आप सत्ता पक्ष के एस.सी., एस.टी. के लोगों से पूछ लीजिए कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि नहीं की है, फिर रिकार्ड दिखाने की कहां बात हो गयी? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: रिकार्ड देखने में कहां आपत्ति है? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): कोई नहीं सुनेंगे हम। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप उनसे कहिये, माफी मंगाएं। आप तुरन्त कहें माफी मांगें। यह पूरा सदन सुन रहा है और आप कह रही हैं आप रिकार्ड देखेंगी, गलत बात है। (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): कोई बात नहीं सुनना चाहते ...(व्यवधान) यह बात सदन में कही गयी है, कही गयी है।

**श्री अध्यक्ष:** आसन ने व्यवस्था दे दी न। (व्यवधान) दे दी तो। आसन ने व्यवस्था दे दी है।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, हम भी हमारे हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं। जो आज हमें गाली दी है माननीय सदस्य ने, इतनी बड़ी गाली कोई नहीं हो सकती। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** मैंने व्यवस्था दे तो दी। स्पष्टीकरण दे दें आप थोड़ा।

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा था कि आप एस.सी., एस.टी. के वोटों से जीतकर आते हो। उस पर मैंने सदन में यह कहा, आप निकालकर देख लें कि, मुझे नहीं चाहिए एस.सी., एस.टी. के वोट, हम अपने व्यवहार, अपने कामों से जीतकर आते हैं। सिर्फ मैंने यह कहा है इसके अलावा कुछ नहीं कहा।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): सरासर गलत है यह। (व्यवधान)

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): दूसरी बात यह है कि ...(व्यवधान) इस बात की धमकी दी कि एस.सी.एस.टी. के वोटों से जीतकर आते हैं तो उसके जवाब में यह कहा था कि मुझे नहीं चाहिए इनके वोट। मैं दुबारा कह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन आरक्षण खतम होना चाहिए। आर्थिक आधार पर होना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) सबके लिए है। मैंने निवेदन कर दिया आपसे कि मैं अभी प्रोसीडिंग मंगाकर देख लेती हूं और देखकर यदि सचमुच में उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करवाऊंगी। (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): नोट नहीं हुई है। यह कहा है और मेरे मुंह पर कहा है । सारे सदस्यों ने सुनी है यह बात। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकरण में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं एस.सी.एस.टी. के बैकलाग का ....

**श्री अध्यक्ष:** आप क्या कह रहे हैं ?

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मेरे दाएं-बाएं, मेरे से दुश्मनी हो गयी ...(व्यवधान) मुझे मेरा स्पष्टीकरण, मेरी बात एक मिनट तो कहने दो। मैं कोई एस.सी.एस.टी. के बैकलाग के विरोध में नहीं हूं। मैंने तो, अध्यक्ष महोदय, यह कहा है यह जो आरक्षण की व्यवस्था है, इस देश के लिए, इस प्रजातंत्र के लिए बहुत भारी खतरा है। अगर करना है तो आर्थिक बेस पर करो, नहीं तो यह भाई से भाई को लड़ाने वाला काम इस आरक्षण के माध्यम से हो रहा है। मैंने किसी वर्ग विशेष का कोई विरोध नहीं किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बैकलाग अगर है तो ...(व्यवधान) मैं इससे कतई असहमत नहीं हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इस राजनीति में वोट बटोरने के लिए आरक्षण वाला जो मुद्दा है यह देश को ले डूबेगा। अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र के लिए बहुत भारी खतरा है। समय रहते हुए हम सच्चे मन से इस विधान सभा के अन्दर पक्ष-विपक्ष संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भेजें और इसकी अगुवाई करें कि यह आरक्षण अगर करना है तो आर्थिक बेस पर करो। जाति वर्ग विशेष पर आरक्षण नहीं होना चाहिए।

**श्री गोविन्दराम मेघवाल** (नोखा): हम लोग इसके विरोध में हैं, आर्थिक आधार पर नहीं। (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): जाति विहीन समाज ...(व्यवधान) कर लीजिए ....

**श्री गोविन्दराम मेघवाल** (नोखा): उस जाति में जो गरीब हैं उनको भी दो, लेकिन आर्थिक आधार पर कोई इसका फैसला नहीं होगा।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर यह जात-पांत यह भी बंद करना पड़ेगा। यह जातिवाद भी बंद करो।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मैंने आपसे जैसा कि कहा है उस समय सभापति महोदय ने ...(व्यवधान) बीच में नहीं बोलें, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, शांत रहें। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी सभापति महोदय जब यहां पर विराजमान थे तो सभापति महोदय ने यह कहा अंकित नहीं हो, इसलिए प्रोसीडिंग में तो नहीं आया है उनका यह शब्द लेकिन फिर भी ...(व्यवधान) बात पूरी नहीं करने देते। आप मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए मुझे। फिर भी मैं जा रही हूं चैम्बर में और चैम्बर में जाकर के मैं टेप रिकार्डर सुन लेती हूं कि टेप रिकार्डर में क्या दर्ज हुआ है, यदि इस तरह के कोई शब्द हैं तो उसके बाद आगे व्यवस्था दूंगी । मैं सुन लेती हूं, जा रही हूं। (व्यवधान)

**श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई): सारा सदन इस बात को सुन रहा है और किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं कहा ...(व्यवधान)

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): इन्होंने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा, इन्होंने पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कहा है। कोई एक व्यक्ति के लिए थोड़े ही कहा है । (व्यवधान)

**श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई): और अगर एक्सपंज भी कर दिया तो सारे सदन के अन्दर इस प्रकार से बेइज्जत करना अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** जब तक मैं टेप रिकार्ड नहीं सुन लूंगी, मैं किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचूंगी, निर्णय पर नहीं पहुंचूंगी। जब तक कृपया आप शांत रहें और भाषण अपना-अपना जिसे बोलना है वह अपना क्रम जारी रखें। मैं जा रही हूं, सुन लेती हूं ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप पहले स्पीकर का नाम पुकार जाएं।

**श्री अध्यक्ष:** डाक्टर चन्द्रशेखर बैद।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, मुख्य बात थी वह बात तो स्पष्ट हो जाए पहले। आपने व्यवस्था दी थी उसके अन्दर भी हमने बात उठाई थी । हमारी मांग थी कि भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर बैठे हैं प्रदेशाध्यक्ष एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के कर्मचारियों के। सरकार से मांग की थी कि इनके प्रतिनिधि मण्डल वहां जाएं या आपके प्रतिनिधि जाएं, उनसे बात करें और उनसे अनशन समाप्त करने की बात करें और उनकी जो मांगें हैं

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

वे सुनें। उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं बोला। दूसरा हमने यह निवेदन किया था कि एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी में कल, आज और आने वाला कल तीन दिन इंटरव्यू चल रहे हैं, अस्सी पदों के लिए भर्ती हो रही है, उसमें एक भी अनुसूचित वर्ग का या किसी भी रिजर्व क्लास के किसी भी व्यक्ति के लिए कोई पद का प्रावधान नहीं रखा है। तो सरकार की क्या मंशा है इसमें? तो हमने क्या बुरा पूछ लिया? इसमें पता नहीं कहां पूछ लिया कि एस.टी., एस. सी. के वोट नहीं चाहिए, जूते देंगे और वो करते हैं, ऐसी कोई बात कर दी।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्रीजी, जो अनशन पर बैठे हुए हैं, कृपया किसी को भेजकर उन्हें रस पिलाकर अनशन से उठवा दीजिए? इसमें क्या है ।

मैं माननीय सदस्यों को एक सूचना और देना चाहूंगी और मैं एक शोक प्रस्ताव पढ़ रही हूं।

## शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

### कांशीराम श्री, पूर्व सदस्य, लोक सभा के निधन पर

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं दिवंगत हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक तथा लोक सभा के पूर्व सदस्य श्री कांशीराम के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री कांशीराम का जन्म 15 मार्च, 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के गांव खवासपुर में हुआ। आपने गवर्नमैंट कालेज, रोपड़ से बीएससी की उपाधि प्राप्त की।

श्री कांशीराम दसवीं लोक सभा के लिए नवम्बर, 1991 में हुए उप चुनाव में उत्तर प्रदेश के इटावा निर्वाचन क्षेत्र से तथा वर्ष 1996 में ग्यारहवीं लोक सभा के लिए पंजाब के होशियारपुर निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए।

श्री कांशीराम ने समाज के दलित वर्ग के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए वर्ष 1981 में दलित शोषित संघर्ष समिति का गठन किया। आपने अप्रैल, 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तथा लगभग दो वर्ष तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। दलितों के उत्थान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे श्री कांशीराम ने दलित राजनीति को एक नई दिशा दी।

आपकी पत्रकारिता और लेखन में विशेष रुचि थी। बर्थ आफ बामसेफ और एन ईरा आफ द स्ट्रूजेज आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री कांशीराम सितम्बर, 2003 से पक्षाघात से पीड़ित थे। लम्बी बीमारी के बाद रविवार दिनांक 8 अक्टूबर, 2006 को देर रात्रि में उनका निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत श्री कांशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

**(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)**

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया था मंत्री जी को .....

**श्री अध्यक्ष:** मंत्री जी को जब कह दिया गया ...(व्यवधान) देखिए आप बार-बार खड़े न हों। जब एक बार कह दिया गया आसन की तरफ से, आप बैठे-बैठे ...(व्यवधान) जब एक बार आसन की ओर से कह दिया गया तो मंत्री अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि आसन ने जब यह व्यवस्था दी है तो निश्चित तौर से एक न एक मंत्री वहां जाएंगे और आज उन्हें उठा देंगे।

**(समय : 17.19 बजे)**

**(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)**

# विभिन्न विषयों पर विचार

## राज्य में अकाल, बिजली एवं मौसमी बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर विचार

**श्री सभापति**: माननीय श्री चन्द्रशेखर बैद।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह जो आज चर्चा का विषय रखा गया है मौसमी बीमारियां, अकाल और बिजली, जिससे पिछले कुछ महीनों से अपना प्रदेश पीड़ित है, उसके बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में आज से तीन साल पहले पहली बार जब कोई चिकित्सक चिकित्सा मंत्री बना तो पूरे राज्य को यह आशाएं थीं कि वह चिकित्सा के मामले में संवेदनशील होंगे, वह चिकित्सा के मामले में दूरदृष्टि रखकर काम करेंगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जैसी स्थिति प्रदेश में बनी, अपना प्रदेश विभिन्न आपदाओं से पीड़ित हुआ और विभिन्न प्रकार की बीमारियां अपने प्रदेश में फैलने लगीं। मैं छोटा-सा निवेदन करूं, आशा की जाती थी कि जो चिकित्सक होता है वह ज्यादा संवेदनशील होगा और बीमारियों के बारे में ज्यादा जानकारी रखकर सही समय पर सही दिशा-निर्देश देगा, सही स्टैप्स उठाएगा। लेकिन यह जानकर बड़ा खेद हुआ कि पहली बार पश्चिमी राजस्थान के अन्दर 12 जिले बाढ़ से पीड़ित हुए, जगह-जगह पानी भर गया। आप भी वहां पधारे। वहां की जनता में जो कुछ आपने किया उससे आपका नहीं पूरे प्रदेश का सिर शर्म से झुक गया। आप किसी जगह स्टेथस्कोप लगाकर देखकर 15 मिनट में फोटो खिंचाकर वापस अपने वाहन में बैठकर आ गये। आपने वहां कोई आवश्यक दिशा-निर्देश नहीं दिये। उसके बाद उस जगह की जो हालत बनी है उन 12 जिलों में जगह-जगह पानी इकटठा होने से बीमारियां फैली हैं, जानवर पानी में डूबे रह गये, दूसरी चीजें पानी में डूबी रह गयीं। जो गन्दगी फैली उसके बारे में जो प्रीवेंटिव मेजर लेने चाहिये थे, वे सही समय पर नहीं लिये गये। आपको तो ज्ञान है, सारी जगह सब लोगों को ज्ञान है Prevention is better than cure. सही समय पर, मैंने आज से करीब दस दिन पहले बाड़मेर का दौरा किया। बाड़मेर दौरे के बाद जो स्थिति वहां उभरकर सामने आयी, किसी जगह अगर आपदा है तो क्या यह सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उस जगह समुचित दवाइयां उपलब्ध करायी जाएं ? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वहां पर मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया जाए ? अगर हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो सारे देश की सेना बार्डर के ऊपर आकर खड़ी होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, 58 प्रतिशत पोस्ट्स बाड़मेर जिले के अन्दर आज की तारीख में वेकेंट पड़ी है जबकि बाड़मेर जिला अपने राज्य का ऐसा जिला है जहां दूर-दराज गांव और ढाणियां हैं। यह तो स्थिति तब है जब वहां आपदा की स्थिति बनी हुई है। राज्य के दूसरे हिस्से

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

तो आपने प्रयास किया, दूसरे जिलों से डाक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ वहां भेजा लेकिन वे दूसरे जिले जहां से आपने भेजा, खाली हो गये, वहां क्या स्थिति बनी? मैंने स्वयं बाड़मेर के हास्पिटल में जाकर आपके मलेरिया रजिस्टर को चैक किया, मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि वहां पर जो मलेरिया के केसेज पिछले दिनों से आ रहे थे उसमें प्लाजबाडियम फाइव एक्स और प्लाजबाडियम फेल्सीफेरम भी है। पिछले 15-20 दिनों से जिसको दिमागी मलेरिया कहते हैं वह तेजी से बढ़ रहा है और वहां गांवों, ढाणियों में जहां कि समुचित एण्टी मलेरियल मेडिसिन उपलब्ध होनी चाहिये, उपलब्ध नहीं हैं। कई गांव ऐसे हैं, आपने वहां जाकर दौरा किया है। आपने यह जानकारी रखने का प्रयास किया कि दूरदराज गांवों के अन्दर मरीज किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है ? वहां कितनी एम्बुलेंसेज हैं ? आपकी मोर दैन फिफ्टी परसेण्ट एम्बुलेंस वहां डिफंक्ट पड़ीं है। मैंने वहां कलक्टर साहब से बात की, उनको भी मैंने यह कहा कि कम से कम कुछ वाहनों का इंतजाम तो करवा दें जिससे गांव के लोग ज्यादा बीमार होने से आस-पास के प्राइमरी हैल्थ सेण्टर, कम्युनिटी हैल्थ सेण्टर, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में या जोधपुर जाकर अपना इलाज करवा सकें। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी। ऐसी व्यवस्था नहीं किये जाने का ही कारण है कि आज सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने ये मामला उठाया वह उसी की परिणिति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रदेश में मौसमी बीमारियों का इंतजाम किया गया वह बहुत ही दुःखदायी रूप से और संवेदनहीनता से किया गया। आप देखिये, माननीय मुख्य मंत्रीजी एक दिन में तीन-तीन बार जाकर सवाई मानसिंह स्टेडियम में निरीक्षण करती हैं कि यहां घास कैसी उग रही है, यहां लाइट है कि नहीं है ? एक बार भी आपने या माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जाकर जहां कि रिकार्ड तोड़ मेडिकल आउटडोर में मरीज आए हैं, जमीन पर हर जगह मरीज लेटा हुआ है, यह जानने का प्रयास नहीं किया कि मेरे प्रदेश में मरीजों का क्या हाल है? उनको सही दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है ? उनको सही जांच की सुविधा मुहैया करायी गयी है कि नहीं ? यह एक संवेदनहीनता का सवाल है कि आज हमारे प्रदेश के लोग संसाधनों के अभाव में, जांच के अभाव में, डाक्टर्स के अभाव में, पैरा मेडिकल स्टाफ के अभाव में इन बीमारियों से जूझ रहे हैं और रास्ता कोई दिखाई नहीं देता। और तो और

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

यह जो आप कह सकते हैं कि ये प्रतिपक्ष में हैं, हमारी आलोचना करने के लिये ही आते हैं। आपकी खुद की पार्टी में आपके लोगों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने तीन साल में पहली बार आपको प्रताड़ित किया और आपको यह कहा कि डी.डी.टी. ही नकली है, दूसरी मच्छर मारने की जो दवाइयां हैं वे नकली हैं। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या यह सरकार का दायित्व नहीं बनता कि अब भी स्थिति में सुधार करे। ज्यादा बजट उपलब्ध कराए, ज्यादा दवाइयां मुहैया कराए और दूर-दराज के इलाकों में तुरन्त प्रभाव से कुछ एम्बुलेंसेज जरूर उपलब्ध कराए जिससे वहां के मरीज एक जगह से दूसरी जगह जाकर सही तरीके से इलाज करा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज कई तरह की बीमारियां उठ खड़ी हुई हैं जैसे चिकनगुनिया, डेंगू फीवर। अब डेंगू फीवर के लिये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने हेतु आपने यह तो कुछ दिन बाद घोषणा कर दी कि इसकी जांच मुफ्त में करायी जाएगी। नि:शुल्क करायी जाएगी। हर जगह भीड़ लग गयी। कहां कहां आपने ये नि:शुल्क जांच की सुविधाएं उपलब्ध करायीं ? सिर्फ गिने-चुने मेडिकल कालेज से जुडे हुए अस्पताल में ही उपलब्ध करायीं। हर जगह तो उपलब्ध नहीं करायीं। यह जानकारी रखना जरूरी है कि अभी भी छह करोड़ बाईस लाख में से चार करोड़ बाइस लाख लोग ग्रामीण इलाके में निवास करते हैं। उसमें क्या चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायीं? उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये आपने क्या किया ? यह डेंगी फीवर आपने यह तो कह दिया कि जांच नि:शुल्क होगा, आपने क्या यह भी देखा कि कोई गरीब आदमी चाहे उसके पास बी.पी.एल. का कार्ड हो या न हो यदि वह इस बीमारी से पीड़ित हो गया, जांच तो आपने करा दी उसको आपने कह दिया आपको डेंगी फीवर है, अब वह करेगा क्या ? उसको आपको जांच के साथ यह भी घोषणा करना जरूरी था कि जो भी गरीब आदमी है जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है हम उसको सरकार की तरफ से नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हो गयी ?

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आप तो सबका कम्बाइंड ही जवाब देना। रुको, आप इतने उतावले मत हो जाओ। अभी तो कई चीजें हैं आप इतने उतावले मत होओ।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं तो हाथ की हाथ ही हिसाब साफ करूंगा, पीछे उधार रखने वाला नहीं।

**श्री सभापति:** आप तो, मंत्रीजी, नोट कर लो, अभी आपको जवाब देना है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने सब कुछ नोट कर रखे हैं।

**श्री सभापति**: आप तो उत्तर देते समय बता देना।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): यह एक-एक सवाल के जवाब के बारे में..(व्यवधान) उधार काहे का, आज ही चुका देना बारह बजे के पहले। इतना क्या उतावलापन हो रहा है? आज जो हालत हो रही है...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** बैठे-बैठे बात नहीं करें।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आपके एक सवाल का आज ही उत्तर मिला, जांच के उपरान्त 21746 मलेरिया के रोगी पाये गये जिनमें 1557 पी. एफ. के रोगी पाये गये। क्या यह प्रमाण आपके दिये हुए उत्तर के अन्दर ही काफी नहीं है कि प्लाजबाडियम फेल्सीफेरियम मलेरिया अपने प्रदेश के अन्दर पाँव पसारने लगा है? आज साठ साल पूरे हो जाने के बाद भी हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि मलेरिया को कण्ट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यह तो बहुत छोटी-सी बीमारी है, और जब मलेरिया को ही कण्ट्रोल नहीं कर सकते तो फिर दूसरी बीमारियों को तो क्या कण्ट्रोल करेंगे ? एक तो मैं आपसे विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके ...

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं बीच में कहना चाहूंगा। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि मलेरिया जैसी बीमारी को बहुत छोटी-सी बीमारी कह रहे हैं जैसे तो भाषण देने के बाद ही मलेरिया खतम हो जाएगा। मलेरिया के बारे में आपको भी नालेज होनी चाहिये कि मलेरिया कण्ट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। मलेरिया के कण्ट्रोल के लिये जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी नार्म्स हैं, केन्द्र सरकार के द्वारा बनाये जाते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आज जो भी डी.डी.टी., बी.एच.सी. की आप बात कर रहे हैं वह भी सारी वहां से सप्लाई होती है। कौनसी जगह डी.डी.टी. स्प्रे करना है, कौनसी जगह नहीं करना है, ये सारे नार्म्स केन्द्र सरकार से तय होते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, दस दिन पहले आपने दौरा किया बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का आपको बहुत-बहुत बधाई। जब उन पर सब गुजर चुका, जो मरने

(डा. दिगम्बर सिंह)

थे मर चुके, जो बचने थे बच गये। उनकी जो व्यवस्था होनी थी वह सब हमने कर दी। उसके बाद आप दस दिन पहले वहां पधारे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर जो आप कह रहे हैं कि हमने कोई व्यवस्था नहीं की, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मोबेलिटी सपोर्ट के लिए भी बाढ़ग्रस्त जो भी जिले हैं उनमें पांच-पांच लाख रूपये हमने कलक्टर्स को एडवांस में भेज रखे हैं और जितने भी सब सेन्टर्स राजस्थान के अंदर हैं, यह पहली बार होगा, डा. बैद साहब, आपने भी पिछले पांच साल शासन किया था, अगर एक भी सब सेन्टर को कोई फूटी कौड़ी आपने दी हो तो मुझे रिकार्ड बता दें, हमने दस हजार रूपये अनटाइड फंड के पिछली बार सब सेन्टर्स पर दिये और इस साल बीस हजार रूपये हर सब सेन्टर्स पर दिये। सभापति महोदय, मैं जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष हमने बीस हजार रूपये अनटाइड फंड के हर सब सेन्टर्स पर केवल इसलिए दिये हैं कि किसी गांव में कोई आपदा हो जाए, किसी गांव में कोई बीमारियां फैल जाए तो उसके लिए दवाइयों की या और जो भी व्यवस्था करनी हो तो सब सेन्टर्स पर भी नर्स को किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़े। हमने 25 हजार रूपये की अनटाइड फंड में हर पीएचसी पर व्यवस्था की है। एक लाख रुपये हमने हर सीएचसी पर व्यवस्था की है।

सभापति महोदय, आपने डेंगू टैस्ट की सस्ती लोकप्रियता की बात की, उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा, डा. बैद साहब, सस्ती लोकप्रियता की बात नहीं है, यह गरीब आदमी को मदद करने की भावना की बात है। राजस्थान के किसी जिले में मेरे ख्याल से राजस्थान की हिस्ट्री में आज तक इतनी दवाइयों की सप्लाई नहीं हुई होगी जितनी इस बार हमने की है। जो रूटीन की हमारी दवाइयां हर पीएचसी पर, सीएचसी पर सप्लाई होती हैं, डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई होती थीं, उसके एक्सट्रा हमने 17 करोड़ 23 लाख जिलों के लिए प्रोवाइड किये है।

सभापति महोदय, आज एक-एक ट्रक भरकर, बाड़मेर के इतने विधायक और मंत्री महोदय बैठे हैं, आप पूछ लीजिये कि अगर किसी से जीएलएस की, जीडब्ल्यू की बोतल भी अगर बाजार से मंगवाई जा रही हो तो। सबको हास्पिटल से सप्लाई की जा रही है। आज हर सब सेन्टर्स पर, हर पीएचसी पर, हर सीएचसी पर दवाइयों की उपलब्धता की कमी नहीं है। इसलिए केवल घोषणाएं करना जरूरी नहीं है, हम काम कर रहे हैं। घोषणाओं में विश्वास नहीं करते हैं।

(डा. दिगम्बर सिंह)

सभापति महोदय, अगर आप मलेरिया को छोटी-सी बात बता रहे हैं, आप डेंगू को छोटी-सी बात बता रहे हैं तो आपको तो बड़ी तकलीफ है, अगर हम यह रोकथाम नहीं करते, अगर हम यह प्रीवेंटिव मेजर्स नहीं लेते तो जो आज दिल्ली में हाल हो रहे हैं उससे ज्यादा बदतर हाल राजस्थान का हो जाता। दिल्ली में कोई बाढ़ नहीं आयी, दिल्ली में कोई पानी नहीं भरा। आज प्रधानमंत्री का निवास सुरक्षित नहीं रहा। आज दो सांसद एम्स में भर्ती हैं। आज वहां की बात तो कर नहीं रहा, राजस्थान के 12 जिले पानी में इतनी बुरी तरह से डूबे और उनमें भी हमने महामारी होने से बचाया। यह हमारे लिए प्लस पाइंट है। यह हमारे लिए एक तरह से एप्रिसिएशन लोग दे रहे हैं और आप इसको झेल नहीं पा रहे हैं। आप तो दौरा करके आये अभी दस दिन पहले, तब तक तो आपको सब कुछ सामान्य मिला होगा।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): यह पहले गये होंगे या बाद में गये होंगे, हम लोग शुरू में ही पहुंच गये थे। आपसे पहले पहुंचे हैं। आप दस दिन बाद में पहुंचे हैं, मंत्रीजी।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): सात दिन हम रहे, कोई नहीं आया वहां कांग्रेस का ...(व्यवधान) सात दिन वहां लगातार गांव के अंदर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं आया (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): यह तो मेडिकल के लिए एक दिन गये थे ...(व्यवधान) हम लोग पहुंच चुके थे वहां पर सेवा करने के लिए ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मैं खड़ा था वहां सात दिन तक लगातार, एक भी नहीं आया वहां कांग्रेस का कोई ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): एक भी नहीं आया कांग्रेस का सात दिन के अंदर कवास के अंदर ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आपको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी एक महीने तक टीम वहां पर काम करती रही और उसने इतनी सेवाएं बांटीं। उसका आपने धन्यवाद नहीं दिया (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): सिटी के अंदर कोई नहीं आया ...(व्यवधान) वहां लोकल कांग्रेस वाले ही नहीं आये वहां पर (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** अब आप बिराजें। (व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): सभापति महोदय, मैं माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य से जानना चाहूंगा कि आप बाड़मेर गये और रास्ते में जैसलमेर बीच में था, जैसलमेर क्यों नहीं आये? सीधे बाड़मेर गये और बाड़मेर भी आप दस दिन पहले गये। वहां जाकर आपने क्या देखा, यह बताएं आप? (व्यवधान) मंत्रीजी की तरफ से, हैल्थ मिनिस्टरजी की तरफ से जैसलमेर जिले की हर साइड में सारी व्यवस्था की गयी और पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने आज से दो दिन पहले राजस्थान पत्रिका में न्यूज दी ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, बिराजें (व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): हर गांव में चार-चार, पांच-पांच आदमियों की मृत्यु होती है और सदन को इस ढंग से गुमराह करना, जैसलमेर जिले में 682 गांव हैं, इसका मतलब हजारों आदमी मलेरिया से खतम हो गये? (व्यवधान) इस ढंग के स्टेटमेंट देना। जैसलमेर जिले में ओनली सात आदमियों की मलेरिया से मृत्यु हुई है, यह हम मानते हैं। लेकिन रोज इतने-इतने आदमी मर गये, कल्लाजी आप पधारे, लेकिन आप गोठें करते रहे, किसी आदमी के दुःख-दर्द की आपके दिल में नहीं थी।

**श्री सभापतिः** धन्यवाद।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सांगसिंहजी, दिल पर हाथ रखकर कहते हो कि हमने दुःख-दर्द नहीं किया?

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): बिलकुल आपकी जगह बता सकता हूं ...(व्यवधान) जगह बता सकता हूं ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप जब मेरे को मिले थे तब तो यह कह रहे थे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और यहां विधान सभा में गलत बयानी कर रहे हैं आप।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): नहीं, नहीं।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): बिलकुल गलत बयानी कर रहे हैं। कांग्रेस ने जितनी वहां सेवा की उसके मुकाबले में बीजेपी ने 1/10 काम भी नहीं किया। क्या बात करते हो आप। (व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): आप आठ दिन बाद तो पधारे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, इनका न तो

कोई नेता गया, न कोई इनका अध्यक्ष गया। न प्रदेशाध्यक्ष गया, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष गया। (व्यवधान) केवल मात्र बातें ही बातें कीं आपने, और कोई काम नहीं किया ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): सबसे पहले हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी पहुंचीं ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमारे से पोल मत खुलाओ ...(व्यवधान) कई मंत्रियों को तो सवेरे-सवेरे भागना पडा, चार-पांच बजे। क्या बात करते हो आप (व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): कोई नहीं भागा ...(व्यवधान) एक भी मंत्री नहीं भागा, पूरे मंत्रियों की टीम वहां रही है। (व्यवधान) पूरी टीम वहां रही है मंत्रियों की। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): बात तो यह है कि हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी सबसे पहले पहुंची हैं (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): वहां पर जितना काम हम लोगों ने किया है ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): तीन बार राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी जैसलमेर और बाड़मेर का दौरा कर चुकी हैं ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): उसका 1/10वां हिस्सा भी आपने नहीं किया ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्यगण, आपसे मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कृपया आसन की आज्ञा के बिना अपनी सीट से नहीं खड़े हों। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): सभापति महोदय, सारी अच्छी व्यवस्थाओं के बाद जो चुनाव सर्वे आया है 45 का, वह चिंता जनक है, आप मानते हो न वह तो। आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था है ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, विराजें, हिण्डौली से आने वाले सदस्य। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): जनता ने कहा है आपके द्वारा कराये गये सर्वे में ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): सर्वे आया कि अशोक गहलोत नम्बर वन पर, वह क्या हुआ? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, ऐसा है, जब आप जवाब देंगे उस समय आप जो भी बात हो, जो भी माननीय सदस्य बोले उसका जवाब दे देना। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फिर बात अधूरी रह जाती है, पूरी बात ध्यान में रहती नहीं है। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** माननीय मंत्रीजी, अप बीच में उठेंगे तो यह जवाब में खड़े होंगे और बाद में कंट्रोवर्सी डवलप होगी। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि मुख्य मंत्रीजी एस.एम.एस. नहीं देखने गयी, वहां पर नीचे जमीन पर मरीज लेटे हुए हैं। मैं खुद परसों के दिन ही एस.एम.एस. हास्पिटल का दौरा करके आया, एक-एक वार्ड में और आउटडोर में जाकर आया, मैं आपको निवेदन कर दूं कि मेडिकल के वार्डस में ज्यादा रश नहीं था, मेडिकल के आउटडोर में जरूर रश था। रश आर्थोपैडिक में था, मैंने जाकर बताया, आर्थोपैडिक के वार्ड में इतनी भीड़ हो रही है, यहां कौनसे इंफेक्शन से डिजीज फैल रही है।

**श्री सभापति:** माननीय मंत्री महोदय, इनका कहने का फर्ज है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारा जवाब देने का फर्ज है।

**श्री सभापति:** हां, जवाब देना है, जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय सदस्य, मैं वहां भी ... (व्यवधान)

**श्री सभापति:** आप विराजें प्लीज, गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): पहले कौन गया और बाद में कौन गया...

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, अब आप विराजें प्लीज ...(व्यवधान) आप विराजें ...(व्यवधान) पचास माननीय सदस्य बोलने वाले हैं पचास।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): चाहे अकाल का मामला हो, हर

(डा. जालम सिंह रावलोत)

परिस्थिति में बाड़मेर को जितना संभाला है, जैसलमेर को जितना संभाला है ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी। (व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): इस सरकार ने वह 32 जिलों में से किसी जिले में नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी उठकर खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान) बी.डी. कल्ला जी अभी असत्य बोल रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** शिव से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): आप इस्तीफा देने को तैयार हो क्या? यदि मुख्य मंत्रीजी तारूणाव जी नहीं गयी हों तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं नहीं तो आप इस्तीफा दे दे। (व्यवधान) तारूणाव जी बाड़मेर जिले का गांव है जो जलमग्न है, आपने कहा था कि मुख्य मंत्रीजी तारूणाव जी नहीं गयी हैं जबकि सारे अखबारों में जब उनका टूर हुआ था, उसके अगले दिन फ्रंट पर पहली खबर थी। साथ में आठ-आठ मंत्री थे, तारूणाव जी वह गयी थीं। (व्यवधान) भीलों की बस्ती वह गयी थीं लेकिन बी.डी. कल्लाजी असत्य बोल रहे थे ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** अब आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) प्लीज, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ...(व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): अभी उन्होंने कहा कि कई मंत्री ...(व्यवधान) आप नाम बताएं कौनसा मंत्री बीच में भागकर आया, आप नाम बताएं।

**श्री सभापतिः** माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, इस प्रकार से तो व्यवस्था नहीं चलेगी ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): गाले की बस्ती नहीं गये थे।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): मैं कह रहा हूं आपने तारूणाव जी का नाम लिया है, गयी थीं कि नहीं गयी थीं, बताएं? तारूणाव जी की बात है ...(व्यवधान) तारूणाव जी वह गयी थीं और तारूणाव जी हरसावे के पास है। हेमारामजी जानते हैं।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): गाले की बस्ती नहीं गयी थीं ...(व्यवधान) गाले की बस्ती नहीं गयीं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: शिव से आने वाले माननीय सदस्य।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ऐसा है गाले की बस्ती नहीं गयी हैं, यह सही बात है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप इनको अंकित नहीं करें ...(व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री सभापति**: आपका अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजें। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: बढ़िया काम हम लोगों ने किया है तो जनता अपने आप जवाब दे देगी, हम क्यों फालतू में ...(व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): नहीं पूरा नहीं। नहीं, पूरा नहीं। (व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): एम.पी. साहब को माफी मांगनी पड़ी ...(व्यवधान) राजेन्द्रजी राठौड़ को माफी मांगनी पड़ी। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: शिव से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि आप विराजें। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): कभी कोई माफी मांगता है, कभी कोई माफी मांगता है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप आसन को मजबूर नहीं करें। (व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): इसके लिए बाड़मेर में तो एम.पी. साहब ने माफी मांगी, यहां राठौड़ साहब ने माफी मांगी। अब यह रोजाना ...(व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री सभापति**: माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय जालम सिंहजी रावलोत। माननीय सदस्य, आप बिना आसन की अनुमति के खड़े नहीं होंगे। आप विराजें।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ×××

**श्री सभापति**: बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच में क्यों व्यवधान कर रहे हो? (व्यवधान)

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): आप तो धन्यवाद दो, राजस्थान के सारे डाक्टर, आपका सारा स्टाफ 24 घंटे काम कर रहा है। उनको तो धन्यवाद दो। आप लोग आपस में क्या लड़ रहे हो? 24 घंटे काम कर रहे हैं वो लोग। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजें प्लीज। अब आप 10 मिनट में समाप्त करें।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मैंने तो शुरू ही नहीं किया, साहब। बीच में ही चिकित्सा मंत्रीजी खड़े हो गये। मैंने तो मेरी बात कही ही नहीं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: पांच मिनट ही बोलने दिया इनको तो। क्या करें? (व्यवधान) दो-दो मिनट का कह रहे हो। (व्यवधान) तय कर लो दोनों तरफ से। अब आप इस प्रकार बीच में बोलेंगे तो फिर टाइम तो लगेगा ही। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आपके माध्यम से मैं बड़े विनम्र शब्दों में माननीय चिकित्सा मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी वो जवाब दें तो कृपा करके यह बता दें, उन्होंने कई तरह के एक्सप्लेनेशन दे दिये, यह बता दें कि बाड़मेर में चिकित्सकों की कितनी सैंक्शंड पोस्ट हैं और आज की तारीख में वहां कितने चिकित्सक लगे हुए हैं? दूसरा, वहां पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट कितनी हैं? डेढ़ महीने बाद अभी ए.एन.एम. की भर्ती की है, डेढ़ महीने तक वहां के लोग तरसते रहे, न तो वहां पैरा मेडिकल स्टाफ था, न पूरे डाक्टर थे, न मेडिसिन थी, न एम्बुलेंसेज थीं। आप तो इनकी संख्या बता दें। मैं यह नहीं कह रहा कि कितने कम थे या कितने ज्यादा थे, आप तो उनकी संख्या बता दें कि एम्बुलेंसेज कितनी थीं और कितनी वहां मौजूद थीं?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बता देंगे।

**श्री सभापति**: बता देंगे।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बीमारी की हालत में पूरा प्रदेश ग्रस्त है और जिस तरीके से सरकार का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है वह बिलकुल इन-एडिक्वेट है। आपने कहा कि तीन दिन पहले आप सवाई मानसिंह चिकित्सालय गये थे वहां आपने नहीं देखा क्या कि जो सैण्ट्रल लैब

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

है उसके सामने कैसे हजारों आदमियों की भीड़ लगी हुई थी? क्या यह सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि टेलीविजन के माध्यम से......

**श्री सभापतिः** यह आ गया न। बार-बार यह क्यों रिपीटीशन कर रहे हैं?

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सही तरह की जानकारी उपलब्ध कराते जिससे कि इस तरह की स्टेम्पीड अस्पताल में तो नहीं होती? जिससे जो वास्तव में जैन्युइन पेशेंट है, मैं आपको सिंसियर एडवाइज दे रहा हूं, जो जैन्युइन पेशेंट हैं वो सफर करता है और जो फालतू के लोग हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है, छोटा-मोटा दूसरी तरह का कॉमन कोल्ड हो गया वो भी वहां पर लाइन में खड़े हैं कि मेरा भी डेंगू फीवर का टैस्ट सैंकड़ों रुपये का टैस्ट, फ्री में हो जाएगा, तो वह भी लाइन में खड़ा होकर अपना टैस्ट करवाने को लालायित है। इस तरह की व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक है जिससे कि वास्तव में जो मरीज है उसको लाभान्वित किया जा सके।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान के गरीब मरीजों को सरकारी अस्पताल कैटर नहीं कर सकते। क्या सरकार की ड्यूटी नहीं थी कि प्राइवेट चिकित्सालयों के अन्दर इस तरह की कम दाम में व्यवस्था करते और फ्री के अन्दर जितने भी चैरिटेबल हास्पिटल और ट्रस्ट खुले हुए हैं उनके अन्दर गरीब मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराई जातीं? लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपके जो 12 जिले बाढ़ से ज्यादा ग्रस्त हैं वहीं की बात कर रहा हूं। आपकी एम्बुलेंसेज के अभाव में प्राइवेट गाड़ियां 100-100 रुपये लेकर मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं और प्राइवेट नर्सिंग होम के अन्दर इलाज कराती हैं। मैंने स्वयं उनकी पर्चियां देखी हैं। इस तरह की व्यवस्था में सुधार करना अत्यावश्यक है जिससे कि आज जो आपदा है, बीमारियों से अपना प्रदेश पीड़ित चल रहा है उससे जल्दी छुटकारा पाया जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। एक मिनट, साहब।

**श्री सभापतिः** धन्यवाद।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मेरे टाइम में तो इंट्रप्शन इतना हो गया, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया।

**श्री सभापति:** प्लीज। आपका तो जवाब भी मिल गया।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): बिजली की स्थिति के बारे में मैं पांच मिनट ही बोलूंगा। मैं यह बताना चाहूंगा, आज सरकार कई तरह के दावे करती है कि हमने इतनी बिजली का उत्पादन कर दिया, हमने इतनी बिजली मुहैया करा दी लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है। आज से 15 दिन पहले यह सरकार के द्वारा दिये गये जवाब की चार लाइनें हैं जो मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। जनवरी, 2004 से अब तक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में किसी भी नवीन विद्युत उत्पादन इकाई से उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया, क्या दर्शाता है यह? आज आप कितने भी सही या झूठे दावे कर लें, बिजली जो एक आम उपभोक्ता को उपलब्ध आपको करानी है उसमें तो आपने बढ़ोतरी की ही नहीं। राजस्थान राज्य में जहां पूर्ववर्ती सरकार में 1750 मेगावाट नई बिजली का उत्पादन किया गया था, आज एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं किया गया। जितनी भी नवीन विद्युत उत्पादन इकाइयों में सरकार यह दावा करती है कि हम बिजली का उत्पादन शुरू कर देंगे, वह नवम्बर, 2008 के पहले शुरू नहीं होगा क्योंकि आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि आपके जितनी भी विद्युत उत्पादन इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू होना था और समय पर कम्प्लीट होना था, केन्द्र सरकार ने भी आपसे पूछा, आपने बार-बार यही जवाब दिया, जैसे गिरल लिग्नाइट तापीय विद्युत परियोजना प्रथम चरण, आपने पहले लिखकर दिया कि सितम्बर में कम्प्लीट हो जाएगा, बाद में आपने कहा कि नवम्बर में कम्प्लीट हो जाएगा और अब थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट आया कि यह तो जनवरी या फरवरी में कम्प्लीट होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश काफी पीछे चला गया है और एक आम उपभोक्ता को आज जो विद्युत आप उपलब्ध करा रहे हैं वह दूसरे राज्यों से कई गुणा महंगे दाम पर बिजली खरीदकर फिर उपलब्ध करा रहे हैं। तो प्रदेश के ऊपर तो चपत पड़ रही है पैसों की और विद्युत उपलब्ध हो रही है बाहर से खरीदी हुई। वह भी स्थिति आगे आने वाले समय में यह होने वाली है कि आपको आस-पास के राज्यों से, नार्दर्न ग्रिड से बिजली उपलब्ध नहीं होने वाली है क्योंकि आपको जो विद्युत परियोजनाओं पर धन खर्च करना था प्लान में और नान प्लान में, पिछले तीन साल का आप उठाकर देख लें, आपने उससे 25 प्रतिशत खर्च किया है। एक मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए राज्य को साढ़े चार करोड़ रुपये उपलब्ध

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

करवाने पड़ते हैं, उस हिसाब से तो जो टार्गेट आपने फिक्स किया है, जो बड़े-बड़े एडवरटाइजमेंट पेपर में दिये गये हैं कि 2008-09 तक राजस्थान राज्य विद्युत के मामले में स्वावलम्बी हो जाएगा, वो बिलकुल झूठे वादे हैं, झांसे देने वाले हैं और जनता को गुमराह करने वाले हैं।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, आज हमारे माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री साहब यहां बैठे हुए हैं, कि चूरू जिले के अन्दर जो अकाल की स्थिति बनी हुई है पिछले आठ सालों से लगातार बनी हुई है क्या यह

**(समय : 17.47 बजे)**

**(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

है क्या यह जरूरी नहीं हो गया कि अपन जो भी गिरदावरी करवाते हैं उसका समय निर्धारण ठीक तरीके से किया जाए? यह जरूरी नहीं है कि हमेशा जिस तरीख से गिरदावरी शुरू होती है उसी तारीख से शुरू हो। दूसरा, गिरदावरी कराने के बाद में जो फसल खराब हो गई उसका मुआवजा सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिया गया। सरकार इस चीज को मानती है कि जो फसल में खराबा हो गया और जिन किसानों का इन्होंने प्रीमियम करोड़ों रुपये का ले लिया, यह रिपोर्ट आने के बाद कि हण्डरेड परसेंट खराबा है, 12 महीने हो जाने के बावजूद अभी तक किसानों को उसका भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि जो भुगतान किया जाता है उसमें एक हिस्सा बीमा कम्पनी का होता है, एक हिस्सा केन्द्र सरकार का होता है और एक हिस्सा राज्य सरकार का होता है। बीमा कम्पनी से जब यह जानकारी ली गई तो बीमा कम्पनी ने पैसा जमा करा दिया, केन्द्र सरकार का पैसा आ गया लेकिन राज्य सरकार का हिस्सा नहीं आने के कारण उन किसानों को जो लगातार आठ साल से अकाल से पीड़ित हैं, आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के उन हिस्सों में जहां लगातार अकाल की स्थिति बनी हुई है, गिरदावरी का समय निर्धारण पुन: किया जाए, वहां अकाल राहत काम जल्दी शुरू किये जाएं, वहां श्रमिकों की संख्या पहले के हिसाब से नहीं, ज्यादा मात्रा में रखी जाए और जो मुआवजा उनको मिलने वाला था कृषि बीमा का, वह शीघ उन्हें उपलब्ध कराया जाए। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री जोगाराम पटेल।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय राज्य में अकाल, बिजली एवं मौसमी बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है, राजस्थान की जो जनसंख्या है उसके लिहाज से यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में सबसे जरूरी है आज के जमाने में बिजली, चाहे वह कोई क्षेत्र हो। व्यावसायिक हो, घरेलू हो या कहीं पर भी हो, बिजली आज जीवन का एक आवश्यक अंग हो गया है। मान्यवर, अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ विषय रखा, कुछ तथ्य भी रखे, मैं आपके सामने तथ्य रखते हुए यह निवेदन करूंगा कि मौजूदा सरकार ने वसुंधरा राजेजी के नेतृत्व में जब से सत्ता संभाली है बिजली के उत्पादन में, बिजली के वितरण में, बिजली की व्यवस्था में क्या-क्या सुधार कार्य किये हैं। मेरी नोलेज के अनुसार इतिहास में शायद पहली बार होगा, इतने विकास के कार्य बिजली के लिए नहीं हुए।

अभी हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उस राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने जो मुख्य बात रखी थी, उन्होंने यह कहा था कि वर्तमान युग में भारत को आर्थिक क्षेत्र में आगे ले जाना है तो बिजली की व्यवस्था सबसे जरूरी है। दूसरा उन्होंने यह कहा था कि बिजली के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह है बिजली की छीजत या बिजली की चोरी। तीसरा उन्होंने यह कहा था कि बिजली के संबंध में प्राइवेट पार्टनरशिप किया जाना भी बहुत आवश्यक है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर राजस्थान का परीक्षण करेंगे तो आप यह पाएंगे कि राजस्थान ने इस विषय में बहुत पहले से ही प्रयास किये हैं और वे इतने सार्थक प्रयास हैं, आप यकीन करेंगे कि वाकई इस ओर बहुत विकास राज्य कर रहा है।

सबसे पहले बिजली की समस्या के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह बिजली की छीजत। मैं विश्व के दो-चार देशों के आंकड़े देकर बताऊंगा कि यह समस्या खाली राजस्थान या किसी अन्य प्रदेश की नहीं, केन्द्र सरकार की नहीं, वह विश्व की समस्या भी धीरे-धीरे बनती जा रही है। अभी जो छीजत आयी है वह करीब 40 प्रतिशत छीजत का एवरेज आया है, कहीं ज्यादा कहीं कम। छीजत का सही तरीके से मीनिंग देखा जाए, एक शब्द आता है छीजत उसको तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। उसका पहला भाग

(श्री जोगाराम पटेल)

है वह यह है कि बिजली की चोरी हो रही है वह कितनी हो रही है। दूसरा भाग है इस बिजली की चोरी के अंदर टैक्निकली कितनी बिजली खराब हो रही है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तीसरा भाग है बिजली की जो बिलिंग होती है चाहे बिलिंग मीटर रीडिंग की मार्फत हो या मीटर खराब करने की वजह से हो। इन तीन भागों में बिजली की छीजत को डिवाइड किया जा सकता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ज्यादा, कहीं कम एवरेज है। कहीं 21 परसेंट, कहीं 55 तक पहुंच गया, कहीं इससे भी कम रह गया। शहरी क्षेत्रों में कहीं 13 से 20 परसेंट और औद्योगिक क्षेत्रों में 6 परसेंट बिजली की छीजत हो रही है। ये मार्च, 2006 तक के आंकड़े हैं। अगर आप शहरवाइज देखेंगे, गांववाइज देखेंगे, जयपुर में 37, अजमेर में 43, जोधपुर में 41, इस तरह के बिजली की छीजत के आंकड़े अभी तक उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के आधार पर अगर आप देश के प्रदेशों की स्थिति देखें, हरियाणा में 32 परसेंट, पंजाब में करीब 26 परसेंट, उत्तर प्रदेश में 35 परसेंट, दिल्ली में सबसे अधिक 44 परसेंट, गुजरात में 25 परसेंट, राजस्थान में 40.25 ये आंकड़े सभी प्रदेशों में बिजली की छीजत के संबंध में हैं जहां-जहां छीजत हो रही है।

मान्यवर, इतना ही नहीं अगर आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन में 13 परसेंट, इंग्लैंड में करीब 12 परसेंट, जापान में करीब 8 परसेंट की छीजत हो रही है। यह विश्व और प्रदेश के स्तर पर छीजत की स्थिति है। अगर आप राजस्थान प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, राजस्थान प्रदेश के विभिन्न भागों में अगर आप देखें तो जयपुर सर्किल में 50 परसेंट, बीकानेर में 53 परसेंट, जोधपुर में 52 परसेंट, अजमेर में 22 परसेंट, चित्तौड़गढ़ में 45 परसेंट, कोटा में 36 परसेंट, पाली में 24 परसेंट, नागौर में 60 परसेंट- सबसे अधिक नागौर में है- सीकर में 55 परसेंट, उदयपुर में 27 और श्रीगंगानगर में 51 परसेंट छीजत हो रही है। ये छीजत के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि बिजली के उत्पादन और वितरण में सबसे बड़ी दिक्कत है, आम उपभोक्ताओं को चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हों, चाहे कृषि क्षेत्र में हों, चाहे घरेलू क्षेत्र में हो, क्यों नहीं मिल रही है इसके कारण ये हैं।

मान्यवर, अभी जो तकनीकी रूप में छीजत के तीन भाग है अगर इन भागों में डिवाइड किया जाए तो जो तकनीकी लोस है, लाइन लंबी होने या और किसी कारण से होने, उसमें करीब 18 परसेंट है। जो मीटर रीडिंग या

(श्री जोगाराम पटेल)

बिलिंग की वजह से है उसमें करीब दो परसेंट है और रिमेंनिंग थैफ्ट होता है, बिजली की चोरी होती है वह करीब 20 परसेंट है। इन आंकड़ों का एनेलिसिस किया गया और इन आंकड़ों के आधार पर देखा गया तो पता लगा कि छीजत अगर एक परसेंट कम कर दी जाए तो एक करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। एक परसेंट से 71 करोड़ रुपये का नुकसान इन कंपनियों को हो रहा है। अगर सालाना छीजत 20 परसेंट घटा दी जाए तो सालाना 1400 करोड़ रुपये की बचत इस बिजली में हो सकती है। इस एनेलिसिस के हिसाब से राजस्थान सरकार ने अपने प्रयास किये और उन प्रयासों के तहत जो मेन चार उपाय छीजत को रोकने के लिए किये जाने चाहिए थे, वे राजस्थान सरकार ने किये, जिसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत-बहुत बधाई दूंगा। मैंने ब्रीफ किये हैं, पहला उपाय किया इंसुलेटेड केबल का प्रयोग बिजली की लाइनों के रूप में। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई जगह लगाई गई है और दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में भी लगायी गई होगी, सर्विस लाइन में आर्म्ड केबल लगायी जा रही है। इलेक्ट्रोनिक मीटर कई क्षेत्रों में लगाये गये हैं, कई क्षेत्रों में लग रहे हैं और ट्रांसफार्मर बिलिंग की मीटरिंग। जो ट्रांसफार्मर लगता है उसके ऊपर मीटर लग जाता है और मीटर लगने से अब पता लग जाता है कि पर्टीकुलर ट्रांसफार्मर से कितनी बिजली किस क्षेत्र में जा रही है। इसकी वजह से बिजली छीजत में काफी कमी आने के प्रयास हुए हैं और काफी कमी आई भी है।

इतना ही नहीं मान्यवर, राजस्थान सरकार ने इस ओर विशेष प्रयास किये हैं जो उल्लेखनीय ,हैं, जैसे पिछले बजट में आया था कि 34 थाने सिर्फ इस विभाग से संबंधित राजस्थान में खोले गये हैं ताकि बिजली की थैप्ट के संबंध में, बिजली के अन्य मामलों के संबंध में तुरंत कार्यवाही हो, उनको पनिशमेंट मिले और जो थैफ्ट करते हैं उनको यह पता लगे कि बिजली की चोरी करने से उनको नुकसान होने वाला है, उनको सज़ा मिलने वाली है। मान्यवर, इतना ही नहीं, इस संबंध में और भी प्रयास किये गये हैं, जो जले हुए या बंद मीटर थे उनको बदलने की कार्यवाही भी की गई है। यह एक प्रयास था बिजली की छीजत को रोकने का। जो सबसे बड़ा और मुख्य कारण है बिजली की समस्या पैदा होने का वह छीजत है। छीजत के तीन पार्ट में किसी भी रूप में लें, वे छीजत के कारण हैं।

मान्यवर, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और

(श्री जोगाराम पटेल)

शहरी क्षेत्र में, इन तीनों ही क्षेत्रों में अलग-अलग सुधार करने, बिजली सप्लाई करने, मैं उत्पादन के पाइंट पर भी आऊंगा, उसके लिए अलग-अलग कार्यवाही की है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो 11 केवी फीडर सुधार कार्यक्रम हाथ में लिये हैं वह विशेष उल्लेखनीय हैं। 11 केवी फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत, मान्यवर, राजस्थान सरकार ने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की स्थापना की। दूसरा, 25 केवी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर से कनेक्शन देना जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स लगे हुए हैं उसमें मीटर एनबीसी व केपेसिटर लगाने की व्यवस्था। नंबर तीन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से सीधे कृषि उपभोक्ताओं तक इंसुलेटेड सर्विस लाइन डालना। नंबर चार एलटी ओवरहैडेड लाइन को एबीसी से बदलना। उपभोक्ताओं की वर्तमान सर्विस लाइन को आर्म्ड पीवीसी एक्स एलपी केबल से बदलना। ये मुख्य रूप से पांच कार्य किये हैं ग्रामीण क्षेत्र में 11 केवी फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत।

मान्यवर, दूसरा वर्तमान में जो औसत छीजत ग्रामीण क्षेत्र में है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं 55 परसेंट तक पहुंच गई है और कहीं 20 और 21 परसेंट तक रह गई है, उसमें सुधार करने के लिए ..(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): इस समय गांवों में बिजली है नहीं, आप तारीफों के पुल बांध रहे हो।

**श्री अध्यक्ष:** आपका मौका जब आए तब कहिएगा बिजली नहीं है। वे बोल रहे हैं। आपको भी टोकेंगे।

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): उनसे नहीं कहा। उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि हम चिन्ता कर रहे हैं गांवों में बिजली पहुंच नहीं रही है और आप तारीफें खींच रहे हो।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): चिन्ता करो आप। इस चिन्ता में इसी स्थान पर कई साल तक रहोगे। इस सुधार कार्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात यह छीजत 15 प्रतिशत से कम होने की संभावना है। इस योजना को चालू करने से पहले प्रारंभिक तौर पर जयपुर जिले का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। ग्राम बधाल ..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप ऊर्जा के मंत्री तो नहीं हो जो इन सब बातों का जवाब दे रहे हो। आपको अपनी बात कहनी हो वह कहो। यह जवाब तो ये देंगे। (व्यवधान)

**(समय : 18.00 बजे)**

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मुझे जो बात कहनी है मैं वही कह रहा हूं। मुझे जो बात कहनी है, कहूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** ऊर्जा मंत्रीजी क्या कहेंगे?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): और इस पर किसी को अधिकार नहीं है कि मैं यह बात कहूं और यह बात नहीं कहूं। यह मेरा अधिकार है और मैं अपने अधिकार के रूप में मेरी बात कह रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष:** हां, सही है, कहिए, लेकिन आप 11 मिनट ले चुके हैं और आपको 4 मिनट और दूंगी तो आप कनक्लूड कर दीजिए।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मैं अभी प्रारंभ ही हुआ हूं, मान्यवर, मैं संक्षेप में बात पूरी करूंगा। यह 5 मिनट जो देर हुई, यह मुझे अलग मिलेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: बोलने वाले सब हैं, ऐसा कैसे होगा ?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): बोलने वाले बहुत कम हैं।

**श्री अध्यक्ष:** बोलने वालों की तो लम्बी-चौड़ी लिस्ट है।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): 55 परसेंट से 15 परसेंट की छीजत कम हो गई और मैंने जैसा निवेदन किया, एक परसेंट छीजत कम होती है तो कितना फायदा होता है।

**श्री अध्यक्ष:** 25 आदमी और हैं बोलने वाले।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मैं 5 आदमियों का समय मेरी तरफ से कर दूंगा, 5 आदमी मेरी साइड के नहीं बोलेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है, अच्छी बात है, बोलिएगा आप तो। आप तो एट लैंथ बोलिए। सत्ता पक्ष वालों, आपका समय जा रहा है, मैं नहीं जानती, आपका समय जा रहा है।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): इसी तरह शहरी क्षेत्रों में छीजत कम करने के लिए भी, मान्यवर, बहुत सुधार कार्य किये गये हैं। उसका विवरण आज नहीं दूंगा क्योंकि आपने समय की पाबंदी की है, नहीं तो सारे आंकड़े मेरे पास हैं कि इतनी शहरी क्षेत्रों में छीजत कम हुई है। मान्यवर, इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र में भी छीजत बहुत ही कम हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम 10 प्रतिशत, 9 प्रतिशत के बीच में छीजत कम हुई है। यह छीजत कम करने की जो कार्यवाही हुई इससे बिजली की आपूर्ति में बहुत ही सुधार हुआ है।

(श्री जोगाराम पटेल)

इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वह है उत्पादन का। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 3 साल में, 5 साल में हमने इतना उत्पादन कर दिया, आपको करीब ढाई साल हो गये, पौने तीन साल हो गये, कोई भी उत्पादन नहीं किया। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, उत्पादन में, जो आपने बात कही, उसके मैं आंकड़ों सहित तथ्य रखना चाहता हूं। दिसम्बर, 1998 तक 3393.25 मेगावाट ...

**श्री अध्यक्ष:** यह मंत्रीजी क्या बोलेंगे ? आप सब बता दो तो फिर ऊर्जा मंत्री क्या बोलेंगे ?

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): हमारा तो आग्रह है मंत्रीजी का जवाब भी इनसे ही दिलवा दो।

**श्री अध्यक्ष:** कुछ तो जवाब के लिए उनके पास भी छोड़ो आप।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मेरा निवेदन यह है, न मैं मंत्री वेटिंग हूं, यह हमारी मुख्य मंत्रीजी का प्रिविलेज है, पर मैं सत्ता पक्ष का सदस्य होने के नाते इनकी एक-एक बात का जवाब देने का अधिकार रखता हूं और तथ्यों सहित आपके सामने रख रहा हूं। अब मेरी इस बात से इनको पीड़ा हो तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर तथ्य सुनने की क्षमता हो तो शांति से सुनें और वापस तथ्य बता दें कि साहब, फलां फैक्ट असत्य था तो मैं लायबल हूं। अब तक सुनने की क्षमता पता लगेगी कि, राजस्थान की पूरी जनता को पता लग रहा है, वास्तविकता राजस्थान सरकार की जनता के सामने आ रही है। उसका तो कोई इलाज ही नहीं है मेरे पास।

तो मैं निवेदन कर रहा था उत्पादन के मामले में। और दिसम्बर, 2003 में सत्ता परिवर्तन हुआ तब उत्पादन था वह 4959.57 मेगावाट था और अब उसके बाद सितम्बर, 2006 तक वह है 5545.60 मेगावाट, यह उत्पादन फिर किसने किया ? (व्यवधान) कागज पढ़ो, घर देखो, यहां बैठे बैठे बोलने से नहीं होता है, कागज निकालो, सरकार के आंकड़े निकालो तब पता लगेगा। एक दिन पढ़ कर नहीं आए कभी। (व्यवधान) अगर मेरे पास यह असत्य हो तो बोलो कौन सी शर्त ? है मंजूर ? (व्यवधान) राजस्थान सरकार ने इस साल के अन्दर 4 हजार से 5545 मेगावाट उत्पादन किया। अभी कुल है, नहीं तो मैं एक-एक ग्रिडवाइज बतलाता आपके सामने। 2914 मेगावाट, वह उत्पादन अभी सितम्बर, 2008 और जनवरी, 2007 में होने वाला है। सारे फीगर मैं आपके सामने रखने वाला था। यह मेरा दूसरा बिन्दु था उत्पादन का।

(श्री जोगाराम पटेल)

मान्यवर, इतना ही नहीं, उत्पादन के अलावा वितरण भी आवश्यक है और वितरण अगर प्रापर नहीं हो तो उत्पादन करने का बराबर उपयोग नहीं हो पाता है। वितरण के मामले में...

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, आप ऊर्जा मंत्री बनने के काबिल हो।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): अभी तो मैंने शुरू किया है, मान्यवर। मेरा फर्ज होने के नाते मैं अपनी बात कह रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: हां, कहो।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, यह हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, हमारे जिले के साथ तो आप अन्याय मत करो। (व्यवधान)

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): नहीं, अच्छे ऊर्जा मंत्री हैं, सहयोगी भी कह सकते हो। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मान्यवर, मेरा समय जा रहा है, फिर आप कहेंगे कि आपका समय इतना हो गया।

**श्री अध्यक्ष**: हां, हां, बोलिए, बोलिए।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): आपूर्ति के मामले में, मान्यवर, 2003-04 में 2685 करोड़ यूनिट उत्पादन था और 2004.05 में जो आपूर्ति होने वाली है उसके बदले में 2953 यानी 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई, उसके उपरांत 2005-2006 में 3152 करोड़ यूनिट यानी 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई। यह सरकार संवेदनशील है। अभी आरोप लगाया गया था कि सरकार संवेदनशील नहीं है इसीलिए राजस्थान सरकार ने जब से सत्ता संभाली, मार्च, 2004 में दो सौ करोड़, 2004-05 में 322 करोड़ रुपये और 2005-06 में 635 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च कर आपूर्ति में व्यवधान नहीं आने दिया, पूरी-पूरी आपूर्ति की। मान्यवर, इतना ही नहीं, कृषि कनेक्शन के लिए मैं आपको लिस्ट देने वाला था यह रिवाइज, पर मैं आपको एक कंसोलीडेटेड फीगर बता रहा हूं, करीब एक लाख 99433 कृषि कनेक्शन जो इनके समय में 8 और 10 साल के पीरियड में थे, राजस्थान सरकार ने अपनी बजट घोषणा के अनुसार रिलीज किये। करीब 99433 एग्रीकल्चर कनेक्शन देंगे इण्डस्ट्रीज वालों को दिए, घरेलू को भी दिये तो नैचुरल है कि उत्पादन बढ़ेगा, आपूर्ति भी करनी पड़ेगी। विशेष एग्रीकल्चर कनेक्शन देने के साथ ही साथ, मान्यवर, इतना ही नहीं, कृषि कनेक्शन ...(व्यवधान)

**श्री मंगलाराम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़): विशेष श्रेणी के कितने कनेक्शन दिये, कितने बाकी हैं ?

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): गांवों की हालत खराब है, बिजली है नहीं।

**श्री अध्यक्ष**: बीच में नहीं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): एक ही आवाज आएगी।

**श्री अध्यक्ष:** आपका जब मौका आए तो कितनी बिजली मिलती है यह कह दें। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मान्यवर, एक ही आवाज आएगी।

**श्री अध्यक्ष:** आपका मौका आए तब बोलिएगा।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): एक ही आवाज इसीलिए आएगी क्योंकि इनके पास कोई तथ्य नहीं हैं, इनके पास कुछ नहीं है। एक ही आवाज है, अगर आदमी गोरा हो तो, साहब, यह तो काला है। दिन हो तो कहेंगे रात है। यह कभी मंजूर नहीं करेंगे कि कोई काम किया गया है। यह कभी मंजूर नहीं करेंगे क्योंकि इनका यही दायित्व है। कोई इनका दायित्व नहीं है। बैठे-बैठे बोलना, बिना तथ्य बोलना, बीच में टोकना, इसके सिवाय इनके पास कुछ नहीं है।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का बिजनेस बाढ़ की गंभीरता को, अकाल की गंभीरता को ...

**श्री अध्यक्ष:** बाढ़ की नहीं, मौसमी बीमारी की ...

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): अकाल, बिजली और मौसमी बीमारी।

**श्री अध्यक्ष**: हां।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): वह तो सारा सब्जैक्ट एक तरफ रह गया और यह सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ...(व्यवधान) तीन घंटे लाइट मिल रही है वह भी किश्तों में मिल रही है, आधे घंटे लाइट आती है, एक घंटे के लिए चली जाती है।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): आधे घंटे नहीं आ रही है। ...(व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गंभीर मुद्दा है वह तो एक तरफ रह गया, आज यहां हाउस में यह तारीफें सुनने के लिए थोड़े ही बैठे हुए हैं हम लोग। ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): सुनने की क्षमता रखो।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): बहुत क्षमता है लेकिन आप मौके की गंभीरता को तो देखो, क्या है ? ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): यह तो दिल्ली की सरकार को सलाह दो। ...(व्यवधान) वहां बताओ।

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी): आपको अभी मंत्री नहीं बनाने वाले, चापलूसी मत करिये, सुझाव दीजिए कि लाइट कैसे मिलेगी।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): राजस्थान के गांवों के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो घंटे भी सिंगल फेस नहीं मिल रही है, यह बिजली की स्थिति है। 3-4 घंटे से ज्यादा कहीं बिजली नहीं मिली है।

**श्री अध्यक्ष:** आपका जब अवसर आए तो आपको बोलना हो, आप बोलिएगा। वह उनकी मर्जी से बोल रहे हैं, उनको लगता है कि ...

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ठीक है, सरकार की गलतफहमी बनी रहनी चाहिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): हां, बस ठीक है। एक बात कह दूं, यह कांग्रेस संस्कृति है कि इसको मंत्री बनाना है उसको मंत्री बनाना है, यह हमारी संस्कृति नहीं है। अब आप अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास नहीं करेंगे। हमारे किसको मंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है, यह हम विचार करेंगे, आप इसमें कैसे दुःखी हो रहे हैं? आपके समय आप दुःखी खूब हुए, इस्तीफे दिये, पेपर भी फेंके, वह भी किये, अब आपका विषय थोड़े ही है। आपको याद दिला दूं, मैं रात को पिछली प्रोसीडिंग्स पढ़ रहा था, यहां माननीय राजेन्द्र सिंहजी विराजे हैं, इन्होंने यह घोषणा की थी...

**श्री अध्यक्ष**: राजेन्द्र सिंहजी कहां विराजे हैं ?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): यहां नहीं होंगे तो कहीं होंगे। मान्यवर, आप तो यहीं थीं, आपका स्टेटमेंट है, हम यह घोषणा करते हैं कि आने वाला राज हमारा बनेगा और एक आपके क्षेत्र के गुरूवर थे, उनके स्टेटमेंट में यह कहा था कि आपके हम सारी समस्या दूर कर देंगे। आज मैं घोषणा करता हूं आपके सामने कि आप आने वाले समय में यहां इधर आने वाले नहीं हैं, यह आप गांठ बांध कर रख लें।

**एक माननीय सदस्य**: आप भविष्यवक्ता हैं क्या ?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): हां, हूं, कह रहा हूं मैं आपके सामने। आप थे वह पढ़ा हुआ है, हाउस की प्रोसीडिंग्स में है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तो ममताजी का भविष्य बता दो बाकी सब की अपन बाद में बात करेंगे।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): वकील हूं, बिना फीस लिए नहीं बताता हूं। फीस दे दो तो बता दूंगा।

इतना ही नहीं, बी पी एल परिवारों की इनको बड़ी चिंता है और बी पी एल परिवारों के लिए आपके सामने बहुत ज्यादा कह रहे हैं। इनके समय 15 हजार बी पी एल परिवारों को प्रति वर्ष यह कनेक्शन देते थे और वसुन्धरा राजेजी के राज में 45 हजार बी पी एल परिवारों को प्रति वर्ष कनेक्शन दिया जा रहा है। बोलिए आप?

इतना ही नहीं, मान्यवर, बी पी एल परिवारों को 50 प्रतिशत जो बिजली का टैक्स लग रहा था उसमें छूट दी। पहले एक रुपया सत्तर पैसे, और वसुन्धरा राजेजी ने पिच्चासी पैसे कर दिया, यह फायदा किया। इसलिए यह सारे जो हैं, इस विषय पर मैंने निवेदन किया। मान्यवर, जो विशेष उपलब्धियां रही हैं, मैं बहुत संक्षेप में एक मिनट में, फिर दूसरे विषय पर आऊंगा। सरकार की जो विशेष उपलब्धियां रही हैं आंकड़े नहीं दूंगा सिर्फ हैडवाइज गिनाऊंगा- छीजत कम करना, कृषि कनेक्शन,..

**श्री अध्यक्ष**: आप बिजली पर ही नहीं, मौसमी बीमारियों पर कुछ नहीं कहेंगे?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): अभी आ रहा हूं। मैं कवास में सात दिन लगातार रहा था। कवास के अन्दर था सात दिन, कोई  नहीं आया था वहां, मैं अभी निवेदन करूंगा आपको। छीजत कम करना, कृषि कनेक्शनों का मैंने जैसा अभी बताया, कृषि नीति के तहत साधारण श्रेणी के मांग पत्र में जो ये 45 हजार रुपए लेते थे उसकी जगह पर 20 हजार रुपए लेते हैं। तीन खम्भों पर, दो खम्भों पर, पांच खम्भों पर, वह सारे के सारे कम किये। 11 के वी फीडर सुधार कार्यक्रम, सात सौ करोड़ रुपए...

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखे हुए आंकड़े पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): कभी आज दिन तक कोई भाषण दिया है हाउस में, मैं भी दो साल से देख रहा हूं? कभी एक भी आंकड़ा रखा है, आंकड़ा एक दिया है हाउस में? हाउस में एक भी आंकड़ा देकर बता दो, मैं मान लूंगा।

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): आंकड़े तो विभाग ने जो दिए हैं वही तो बोल रहे हैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): रात को पढ़ो, आंकड़े निकालो तब पता लगेगा।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): यह राजेन्द्र सिंहजी ने जो कुछ लिखकर दिया है वह पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): लिखकर दिए हैं वह पढ़ रहे हैं, उसको हम वैसे ही मान लेंगे। एक-एक कापी सर्कुलेट कर देना। ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): राजेन्द्र सिंहजी ने लिख कर दिया है वह तो अलग विषय है।

**श्री अध्यक्ष**: बीच में व्यवधान नहीं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): आप जैसे तो सौ जन्म ले लेंगे तो भी आंकड़े इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, यह मैं लिख कर दे देता हूं, एक नहीं सौ जन्म।

**श्री अध्यक्ष**: व्यवधान नहीं पैदा करें, खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): तो फिर आसन को सम्बोधित करें।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): ...(व्यवधान) फिर आ जाओ तो मेरी शक्ल पर थूक देना। ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** व्यवधान नहीं पैदा करें।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मान्यवर, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की योजना लागू की गई, 24 घण्टे बिजली मिलेगी। बी पी एल परिवारों को कनेक्शन, विद्युत दरों में कमी। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात जो आपके सामने कह रहा हूं उसका आप में से कोई भी जवाब दे देना। जब आपकी सरकार थी, विश्व बैंक से आपने 850 करोड़ रुपए का लोन लिया था और लोन में आपने शर्त यह रखी थी कि 2004-2005 में 12 प्रतिशत, 2005-2006 में 5 प्रतिशत, 2006-2007 में 8 प्रतिशत की विद्युत दरों में वृद्धि करेंगे। लेकिन मौजूदा सरकार आने के बाद माननीय वसुन्धराजी ने यह निर्णय लिया कि कोई वृद्धि नहीं करेंगे और आपकी दी हुई इस वृद्धि को भी खतम कर दिया। इस सरकार की इतनी सारी योजनाएं...

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह झूठी तारीफों को सुन-सुन कर मेरे कान खराब हो गये हैं, मैं इनका बहिष्कार करके जा रहा हूं। गांवों में बिजली है नहीं।

**(माननीय सदस्य श्री अशोक बैरवा (खण्डार) का बहिर्गमन)**

**श्री अध्यक्ष:** चलो, पधारो आप तो। आपके कान खराब हो रहे हैं तो आप पधारो। ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): सुनने की क्षमता नहीं है। इतना ही नहीं मान्यवर, पिछली सरकार ने कुल 32.33 प्रतिशत विद्युत दरों में वृद्धि की थी। पांच साल के आंकड़े मैंने कुछ रात को बैठकर जोड़े तो इनकी सरकार के समय में 32.33 प्रतिशत कुल वृद्धि हुई थी।

**एक माननीय सदस्य** : देखिए, ये ममताजी भी जा रही हैं।

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा समय पूरा इनको देंगे तो एक-एक करके सब चले जाएंगे। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): वर्तमान सरकार के अभी तक के कार्यकाल में वृद्धि हुई है मात्र 10 प्रतिशत की। रियायतें दी हैं जिससे 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसके सिवाय कोई वृद्धि नहीं हुई है। किसी में कोई हिम्मत नहीं है। इतना ही नहीं, मान्यवर, इस वृद्धि को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने कुल 450 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है । इस वजह से यह वृद्धि रुकी है।

**श्री अध्यक्ष:** लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, आज सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा नहीं है। आज माननीय सदस्यों को अपने इलाके की मौसमी बीमारियों, अकाल, पानी और बिजली इन सब के अभाव के ऊपर अपने विचार प्रकट करने का मौका है। इसलिए आप विषय पर आओ।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आपने इनको कह दिया ऊर्जा मंत्री बनने लायक हो तो इन्होंने बिजली के और दूसरे कागज निकाल लिए, यह मौसमी बीमारियों को और अकाल को तो भूल गए। जोधपुर में बारिश नहीं हुई। लूणी के अन्दर 47 प्रतिशत माइनस बारिश हुई हैं वहां अकाल की चपेट है, इससे इनको कोई मतलब ही नहीं है। इनको तो केवल बिजली की उपलब्धियां गिनानी हैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): एक मिनट सुन लो। लूणी के किसी गांव में या किसी कस्बे या किसी ढाणी में कोई बाढ़ से प्रभावित नहीं है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): अकाल।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): अब सुनो आगे। अकाल की सुनो।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): कह दो, अकाल नहीं है।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): अरे, सुनो।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आप अपने आंकड़े दे रहे हो, यह लो मैं भी बता दूं आपको।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, यहां 'अरे' नहीं कहते।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): जोधपुर में पिछली बार 340.5 बारिश हुई थी और अब की बार 156.6 ही हुई है, आपके माइनस 54 प्रतिशत है यह, यह क्यों भूल रहे हो?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): अरे, सुनो, अभी बैठो।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): 'अरे' क्या होता है?

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): 'अरे' क्या होता है?

**श्री अध्यक्ष**: फिर वही बात?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मान्यवर, चूंकि अकाल की बात बीच में आ गई इसलिए मैं पहले कह दूं।

**श्री अध्यक्ष:** यहां सदन में 'अरे' शब्द नहीं कहा जाता है। अजी बोलिए। अजी सुनिए, ऐसा बोलिए।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): वकील हैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मान्यवर। इनको भी मान्यवर, आपको भी मान्यवर। मेरे से तो ये बहुत वरिष्ठ हैं।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, आइन्दा जब कभी आएंगे तो इनका पास नहीं बनाएंगे, एक्स एम एल ए का पास इनके पास रहेगा, यह पक्की बात है।

**श्री अध्यक्ष:** आप कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं और किसी के बारे में आपको यह कहने का अधिकार भी नहीं है।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मेरा यह कर्तव्य है, ...(व्यवधान) मैं इनको ससम्मान जवाब देता हूं।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): यह अच्छी बात नहीं है। किसी के लिए इस प्रकार की भविष्यवाणी करना भी ठीक नहीं है। माननीय सदस्य भी आपके कोई धुरन्धर को हरा कर आए हैं, यह कोई कम नहीं हैं। ...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): हमें तो इन एक के लिए कहा है, इन्होंने तो पूरी कांग्रेस के लिए कह दिया कि आप भी यहीं बैठोगे, तब आप कहां चले गए थे? अपने खुद के गिरहबान में भी झांको। यह तो पूरी कांग्रेस

(मोहम्मद माहिर आजाद)

की भविष्यवाणी कर दे और हमारे एक माननीय सदस्य ने कह दिया तो आपके मरोड़ उठ रहे हैं। बेचने के बांट दूसरे और खरीदने के बांट दूसरे मत रखो।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): आप कुछ कहते हो वह तो याद नहीं है और दूसरा कोई कहता है उस पर आप प्रतिक्रिया करते हैं। ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): हमारे यहां परम्परा है कि हम व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगावें और हमें सम्बोधन करना है तो 'मान्यवर' का सम्बोधन करें। मैं देख रहा हूं, यह मेरे हिसाब से सही नहीं, बाकी यह जाने और इनका काम जानें। मान्यवर, मैं इस विषय के सम्बन्ध में...

**श्री अध्यक्ष:** आप पूरे 29 मिनट ले चुके हैं, और कितना समय लेंगे?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): दो-तीन मिनट और लूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मान्यवर, मेरा एक विषय मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। पूर्ववर्ती सरकार के भेदभावपूर्ण तरीकों के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 29 हजार कंज्युमर हैं और करीब 12 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बकाया है, इसमें से 6 करोड़ रुपए एक फैक्ट्री का बाकी है और 6 करोड़ रुपया अलग है। उसके बावजूद भी एक सब डिवीजन है और...

**श्री अध्यक्ष:** आप सब कुछ देखकर बोल रहे हैं, मैं बहुत देर से देख रही हूं कि आप कागज से देख रहे हैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): कोई भी देखा हुआ नहीं है, सब मेरी पर्ची पर फीगर हैं, इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से क्रीएशन ऑफ सब डिवीजन की मेरी मांग है। सरकार के स्तर पर मेरा निवेदन है कि झालामड़ में क्रीएशन ऑफ सब डिवीजन का जो मामला विचाराधीन है उसको तुरन्त सुलटाया जाए। मान्यवर पंचवर्षीय योजना के तहत नंदवान, लूणी, धावा, पालासनिया, झालामड़ में जो जी एस एस का प्रस्ताव विचाराधीन है उसको भी तुरन्त निपटाया जाए, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। अब जहां तक रहा सवाल अकाल का और...

**श्री अध्यक्ष**: विषय पर आप अब आ रहे हैं?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): अकाल और मौसमी बीमारियां, जहां तक मौसमी बीमारियों का प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण अगर गांव या क्षेत्र है तो वह है कवास, कवास के अंदर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी डूडी साहब, अमरारामजी, चिकित्सा मंत्रीजी, वह सब के सब वहां गए थे और सात दिन तक मेरी भी ड्यूटी कवास में ही थी और मैं सात दिन तक लगातार कवास। ग्राम में रहा था। कवास ग्राम के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले राजस्थान सरकार की ओर से जहां-जहां पानी भरा हुआ था, चाहे कवास गांव के अंदर हो चाहे आसपास के क्षेत्र में हो, टैक्निकली तो मैं दवाइयों के नाम नहीं बता पाऊंगा लेकिन वहां छिड़काव इस बात के लिए किया गया कि कहीं कोई बीमारियां नहीं फैलें, पानी गंदा नहीं हो। मान्यवर, रेत के टीलों के ऊपर...

**श्री अध्यक्ष:** अब कृपया कनक्लूड कीजिए।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): जहां-जहां हम गये वहां डाक्टरों के कैम्प लगे हुए थे, डाक्टर, कम्पाउण्डर और जितनी जरूरत थी उतनी दवाइयां वहां मौजूद थीं। यह व्यवस्था प्रारम्भ में ही कर दी गई थी। आपकी ओर से अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैं बाड़मेर गया और वहां कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, मान्यवर, मैं जब वहां गया उस वक्त दिल्ली की एक टीम आई हुई थी कोई एक एन.जी.ओ. था प्राइवेट। एक मुम्बई की टीम आई हुई थी, वह एन.जी.ओ. प्राइवेट था। उन्होंने मेरे सामने रिकार्डिंग की और यह बताया कि हम कई बार जाते हैं, भूकम्प में भी गये हैं, बाढ़ में भी गये हैं पर ऐसी सुव्यवस्था जो मेडिकल टीम की है, वह हमने कहीं नहीं देखी। यह उन्होंने एन.जी.ओ. ने कहा, वह रिकार्डिंग है। मान्यवर, इतना ही नहीं, जैसा अभी माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने बताया दवाइयों के बारे में, सब सेन्टर्स पर जो सब्सिडी दी है या जो पेमेंट दिया, वह इतिहास में पहली बार है चाहे दवाइयों के मामले में हो, डाक्टर्स के मामले में हो, नर्स के मामले में हो। डाक्टर्स की कमी या नर्स की कमी खाली एक-दो साल में नहीं हुई है। अगर लगातार आप भर्ती करते रहते तो आज यह समस्या नहीं आती। फिर भी पूरे प्रदेश में जो दिल्ली में स्थिति है, वह नहीं है। दिल्ली में डेंगू फैला हुआ है, वह राजस्थान में नहीं है, इसके कारण से इसकी व्यवस्था की गई है।

उसके अलावा, जहां तक अकाल का मामला है, माननीय सदस्य ने कहा कि गिरदावरी क्यों नहीं कर देते हो। आपको तो बहुत जानकारी है, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रूल्स में गिरदावरी का समय निर्धारित है और नियमों

(श्री जोगाराम पटेल)

के विपरीत कार्य करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। नियमों में सरकार के गिरदावरी करने का समय तय है, उस समय में गिरदावरी का कार्य हुआ है और वह नियमानुसार हुआ है, इसलिए यह जो आपका काम था, वह गलत था।

प्रीमियम के सम्बन्ध में आपने यह कहा कि राजस्थान ने अपना शेयर नहीं दिया। मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान ने अपने हिस्से का शेयर सबसे पहले दिया, केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से का शेयर नहीं दिया इसलिए बीमा की राशि वितरण करने में देरी हुई है। यह इनके जिम्मे है, ये आंकड़े मंगाकर देख सकते हैं। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया माननीय सदस्यों के सामने, मैंने आंकड़े रखने का प्रयास किया। मेरे आंकड़े रखने में आपको कोई ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल आता-जाता रहेगा पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात सदन के सामने रखना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): मैंने यह बात गुलाबचन्द कटारियाजी से भी पूछी थी, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। मेरे निवास से दो-तीन दिन पहले जो हुआ हादसा, मैं यहां विधान सभा में मौजूद था। मेरे पीछे से पुलिस जबरदस्ती मेरे घर में घुस गई...

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य। डीग से आने वाले माननीय सदस्य। डीग से आने वाले माननीय सदस्य।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): ...बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी अरैस्ट वारंट के...

**श्री अध्यक्ष:** डीग से आने वाले माननीय सदस्य। डीग से आने वाले माननीय सदस्य, आप किस पर चर्चा करना चाहते हैं?

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): इसका जवाब वह क्यों नहीं देते? जो आदमी आठ महीने से, 10 महीने से घूम रहा है प्रदेश के अन्दर...

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ये लक्ष्मणगढ़ से आते हैं लक्ष्मणगढ़ से।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): ... हरेक मंच के ऊपर खड़ा है और उसका विवरण यहां है...

**श्री अध्यक्ष:** सोरी, सोरी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप किस बात पर खड़े हुए हो?

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): आपने उसको तब गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जो डीडवाना कांड में मुख्य आरोपी है, आज की तारीख में भी जो खुले में घूम रहा है और जो गुंडे हैं, आपने तीन महीने के अन्दर क्या कार्यवाही की है इस बारे में?

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): मैं सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं, आप इसका जवाब दीजिये।

**श्री अध्यक्ष:** लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप बोल किस पर रहे हैं?

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): मैं अपने निवास पर जाकर यह देखता हूं कि 300 पुलिसकर्मी छतों पर बंदूक लेकर तैनात खड़े हुए हैं और वहां कहते हैं कि वहां उग्रवादी खड़े हैं।

**श्री अध्यक्ष:** आप क्या कह रहे हैं? आप आसन की तरफ मुखातिब हों, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। आप जरा आसन की तरफ मुखातिब हों।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): और वह संवाददाताओं को फोन करके कहते हैं कि मुठभेड़ होने वाली है। आप क्या करना चाहते हैं? गोलीकांड करवाना चाहते थे आप वहां? आप उस चीज का जवाब क्यों नहीं देते मुझे।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये माननीय सदस्य।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं विधायक हूं, मैं कह रहा हूं कि आम जन के साथ क्या हो रहा होगा? क्या आप किसी के घर के अन्दर ऐसे घुस जाते होंगे? मेरे नौकर की टांग तोड़ दी, कम्प्यूटर तोड़ दिया, दीवार तोड़कर आप घुस गये।

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, एक

(श्री विजय बंसल)

आदमी के घर पर पुलिस जाती है तो सर्च वारंट लेती है। एक विधायक के घर में जब वह विधान सभा में मौजूद है और पुलिस...

**श्री अध्यक्ष:** लक्ष्मणगढ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे एक बात पूछ रही हूं। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य...

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): इस चीज का क्या जवाब है इस सरकार के पास में?

**श्री अध्यक्ष:** आप आसन की तरफ मुखातिब हों, पहले आप आसन की तरफ मुखातिब होइये। मैं आपसे यह बात पूछ रही हूं कि आखिर आप खड़े हुए, क्या-क्या कहना चाहते हैं? कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो कहना चाहिए था।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** हां तो फिर आपको इजाजत लेनी चाहिए थी। आप खड़े होकर यूं ही बोलने लगे। आप इजाजत लीजिये, बोलिये। हां, अब बोलिये, आपको क्या कहना है? हां, बोलिये।

## स्पष्टीकरण

## जगत सिंह श्री, का विधायक आवास में कथित मुजरिम की गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रवेश विषयक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे स्पष्टीकरण देने का मौका दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से कि आज की तारीख में प्रदेश में ऐसे कितने लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे हैं और जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पहले यह सूचना दी जाए? मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति आठ महीने से...

**श्री अध्यक्ष:** आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन के नाम पर सब कुछ पूछने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपको यदि कोई अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है तो दीजिये। आप बोलिये उस बारे में।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति मेरे घर में मुझे मिलने आया, मैं वहां मौजूद नहीं हूं, मैं यहां विधान सभा में बैठा हूं। मेरे आने से पहले ही पुलिस जबरदस्ती मेरे घर के अन्दर घुस जाती है without search warrant, without arrest warrant, मेरे घर के अन्दर तोड़फोड़ करती है, मेरे लोगों के साथ हाथापाई करती है। मेरे नौकर की टांग तोड़ दी,

(श्री जगत सिंह)

उसके प्लास्टर यहां से लेकर नीचे तक लगा हुआ है आज भी। और आज कहते हैं कि मैं आरोपी को शरण देता हूं। नौ महीने में उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ऐसे व्यक्ति को जो 25 तारीख से हमारे साथ दुनिया भर के राजनेता नागौर में मंच पर विराजमान थे, जिले का एस.पी. और कलक्टर वहां खड़े थे, उसकी वीडियोग्राफी हो चुकी है, तब क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया? आपको वही मौका मिला जब मेरे घर में आये थे मुझे मिलने के लिये? इस बात का जवाब किसके पास है? और यह किसी साजिश के तहत हुआ है और पूरे मीडिया को बुला दिया वहां। आप केवल मुझे फोन करके कह देते कि, साहब, हमारे पास में यह सूचना है कि आपके घर में ऐसा कोई आदमी है, आप उसको हैण्डओवर कर दें। आप ले जाइये, कौन मना कर रहा है आपको? पर यह सब नाटक करने की क्या जरूरत है विधायक नगर के अन्दर? जैसे आपने कश्मीर की घाटी बना दी। ऐसा माहौल बना दिया कि अन्दर कोई उग्रवादी घुसा हुआ है। मैं वहां पहुंचूं और बंदूक तान करके ऐसे सिपाही खड़े हुए हैं हमारे ऊपर, तो यह, गुलाबचन्दजी, यह क्या तानाशाही है, आप इसका जवाब दीजिये?

**श्री अध्यक्षः** आप जवाब नहीं मांग सकते। पर्सनल एक्सप्लेनेशन आप अपना दे दीजिये।

**श्री जगत सिंह** (लक्ष्मणगढ़): मैडम, मैं इनसे जवाब मांग रहा हूं, दीजिये जवाब, यह कोई तरीका है? (व्यवधान)

## व्यवस्था

### अपमानजनक शब्दों के लिए क्षमा-याचना

**श्री अध्यक्ष**: मैंने आसन से एक व्यवस्था दी थी और मैंने आसन से यह व्यवस्था दी थी कि मैं जाकर टेपरिकार्डर सुनूंगी कि उसमें भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या कहा है और उसके बाद में अपनी व्यवस्था दूंगी। मैंने टेपरिकार्डर सुन लिया। मैं उन शब्दों को नहीं दोहराना चाहती जो माननीय सदस्य के मुख से निकले हैं क्योंकि वह एक सम्पूर्ण जाति के ऊपर, एक सम्पूर्ण वर्ग के ऊपर वह एक तरह के अपमानजनक शब्द हैं। यह मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कोई भी माननीय सदस्य क्या किसी जाति के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकता है। जन प्रतिनिधि हैं हम लोग और जन प्रतिनिधि इस विधान सभा के अन्दर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के आज मुंह से जो कुछ निकला, सदन से बड़ा कोई नहीं है, सदन सर्वोपरि है और सदन में माफी मांगने से बड़ी कोई बात नहीं होती है। कोई गलत बात कभी निकल भी जाये किसी के मुंह से तो उसको क्षमा मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता है, बल्कि संसदीय मर्यादा का पालन करता है, इसलिए मैं चाहूंगी, आप इसके लिए अपनी ओर से कह दें कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला है जिससे किसी को आघात पहुंचा हो तो मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं, उसकी मैं क्षमा याचना करता हूं।

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मेरे को जब उन्होंने उकसाया कि आप हमारे वोटों से जीतकर आते हो। मैंने इनसे यह पूछा है कि जहां रिजर्व सीट है, क्या सवर्ण के वोटों से आप नहीं जीतकर आते हो? मैंने उसके बाद यह कहा कि मुझे आपके वोट नहीं चाहिए। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा।

**श्री अध्यक्ष:** वह जीतते हैं। नहीं, मैंने सुना है, देखिये, अब आप यह मत करिये। इतना बड़प्पन और दिखाइये कि यदि अपने मुंह से भी यह निकल गया है तो उसके लिए मुझको अफसोस है यह कह दीजिये। क्या बात है इसमें...(व्यवधान) क्या बात है इसमें। सदन सर्वोपरि है।

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा है, सत्य कहा है, इसलिए मैं खेद प्रकट नहीं करूंगा। मैं सदन छोड़कर जा रहा हूं।

**(श्री विजय बंसल, माननीय सदस्य सदन छोड़ कर चले गये)**

**श्री अध्यक्ष:** यह तो कोई बात नहीं हुई आपकी। (व्यवधान)

**श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ऐसा आचरण यहां पर करते हैं, यह बहुत आपत्तिजनक स्थिति है। यह एक बहुत ज्यादा आपत्तिजनक स्थिति है और इनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। माननीय सदस्य, जो हमने सुना है...(व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है, पूरा सदन गवाह है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने के बाद इस तरह की अपमानजनक स्थिति है कि आसन को चैलेंज कर जाएं और एस.सी. एस.टी. का अपमान करना, यह इस प्रकार से ठीक नहीं है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है। मुझे बड़ा अफसोस है भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से किया है यहां पर, यह न केवल आसन का अपमान है, बल्कि कन्टेम्प्ट आफ द हाउस है। मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके से वह गये हैं यहां से, इस बात का बड़ा अफसोस है।

**श्री बहादुर सिंह गोदारा**: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि कोई ऐसे अपमानजनक शब्द कहें...

**श्री अध्यक्ष:** नीयत से नहीं चलता काम, यहां शब्द जो निकलते हैं उनसे चलता है काम। (व्यवधान)

**श्री रामकिशोर मीणा**: हम देख रहे थे किस प्रकार की नीयत थी, किस प्रकार का उनका आचरण था। एक पूरे समाज को जिस प्रकार से लांछित कर रहे थे वह घोर निंदनीय है।

**श्री बहादुर सिंह गोदारा**: फिर भी कोई ऐसे शब्द निकल गये हों जो माननीय सदस्यों को अनुचित लगे हों, हम उसके लिए माफी मांगते हैं।

**श्री रामकिशोर मीणा**: इसका तो समय पर आकर के हम देंगे जवाब, किस प्रकार का आचरण है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप कंटेम्प्ट आफ द हाउस, आप कंटेम्प्ट आफ द चेयर, इन दोनों के दोषी हैं। आप जब तक शब्द नहीं, वह माफी नहीं मागेंगे, मैं आपको आगे नहीं बोलने दूंगी। (व्यवधान) आप विराजें, आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री विजय बसंल**: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी इस तरह की कोई मंशा नहीं थी, फिर भी अगर मेरे मुख से कोई गलत बात निकलती है, बगैर किसी दवाब के मैं खेद व्यक्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

**श्री रामप्रताप कासनिया:** अध्यक्ष महोदय, अगर एक मिनट का समय दें तो जगत सिंहजी वाले प्रकरण में मेरे ऊपर भी अख़बार में कुछ उलटे-पुलटे आरोप लगाये हैं...

**श्री अध्यक्ष:** आप भी फर्मा दीजिये पर्सनल एक्सप्लेनेशन।

**श्री रामप्रताप कासनिया:** मेहराम से मेरा क्या लेना-देना है, अध्यक्ष महोदय...

**श्री राजेन्द्र राठौड़:** क्यों इसको अब लम्बा कर रहे हो?

**श्री रामप्रताप कासनिया:** लम्बा क्या कर रहा हूं मैं, जो घटनाक्रम...

**श्री अध्यक्ष**: देखिये, एक मिनट में आपको जो कुछ कहना है, कह दीजिये।

## स्पष्टीकरण

### रामप्रताप कासनिया श्री, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**श्री रामप्रताप कासनिया**: हां, एक मिनट में। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास माननीय सदस्य सुरेशजी आये और उन्होंने कहा जगत सिंहजी के क्वार्टर के चारों तरफ पुलिस छावनी बनी हुई है और प्रेस वाले खड़े हैं और गली भी पूरी तरह से जाम हो गई। तो मैंने कहा, ऐसी क्या बात है? तो कहा कि अंदर कोई मुल्जिम बता रहे हैं। तो मैंने कहा, अपन चल के एमएलए साहब हैं तो उनको समझाते हैं और मुल्जिम है तो पुलिस के हवाले करें। हमारे जाते ही पुलिस वाले और मीडिया वाले हमारों चारों तरफ हो गये। हमने कहा, क्या माजरा है? तो उन्होंने कहा कि अंदर मुल्जिम है। तो हमने कहा, पांच मिनट का समय दो, हम एमएलए साहब हैं तो उनको समझाते हैं और मुल्जिम है तो आपके हवाले कर देंगे। हमने घंटी बजाई तो अंदर जगत सिंहजी नहीं थे, रामू, एक्स विधायक, यदुनाथ सिंहजी के लड़के, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के तुरंत बाद, अध्यक्ष महोदय, केवल चद्दर और बनियान पहने हुए था और चप्पल थी, एडिशनल एस.पी. और डीवाई.एस.पी. के बूट से मेरा नाखून कुचल गया। और अभी भी काला है, कोई भी डाक्टरी मुआयना करवा सकते हैं। तब मैंने यह निवेदन किया कि अगर आप इतने ही तीसमारखां थे तो पहले घुस जाते, हमने तो आपका सहयोग किया है। प्रेस के लोग और पुलिस के चालीस-पैंतालीस आदमी एकदम कमरे में घुस गये। सुरेशजी जो हैं उनको धक्का लगा, वह तो आगे चले गये और मेरा पैर कुचल गया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हो कि नाखून, ऊंट भी कितना ही झूठ में हो उसके लग जाए तो वह भी गिर जाए, मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई तो मैं चिल्लाया और एडिशनल...

**श्री अध्यक्ष:** आप गिरे तो नहीं? गिर गये क्या आप? गिरे तो नहीं न?

**श्री रामप्रताप कासनिया**: गिरा नहीं, असत्य नहीं बोलूंगा। राजस्थान

(श्री रामप्रताप कासनिया)

पत्रिका को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हू-ब-हू जो घटना थी वह छापा है। दस मिनट में मुल्जिम बाहर आ गया, वहां कोई धक्का-मुक्की मैंने नहीं देखी। अव्वल तो मैंने अंदर ही प्रवेश नहीं किया, जो कुंडा था वह खुलवाया, कोई गुनाह नहीं किया। उलटा पुलिस और प्रेस ढाई घंटे से वहां लगे हुए थे उनकी मदद की। और आरोप उलटा लगता है कि इन्होंने मीडिया का विरोध किया, इन्होंने पुलिस का विरोध किया। मेरे समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, बोले तक नहीं और कहते हैं, विरोध किया। उलटा कानून की मदद की और यह बात बिलकुल सही है, बाहर निकलते ही सुरेशजी के ये शब्द थे कि अगर इस आदमी को अरेस्ट करना था, यह पांच दिन से तो मैं देख रहा हूं, यहां सड़कों पर घूम रहा है।

**एक माननीय सदस्य**: दो महीने से।

**श्री रामप्रताप कासनिया**: नहीं, उन्होंने जो शब्द कहे कि +++

**डा. सुरेश चौधरी**: पांच दिन से विधायक निवास में घूम रहा था।

**श्री रामप्रताप कासनिया:** विधायक निवास के इर्द-गिर्द रोज इस आदमी को घूमते हुए मैंने देखा है, ये उनके शब्द थे। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। न हमने कोई मीडिया का विरोध किया, न कोई पुलिस का विरोध किया। नाखून पर चोट लगी तो ये जरूर शब्द निकले कि इतने तुम तिसमार खां थे तो ढाई घंटे से यहां घूम रहे थे हमने दरवाजा खुलवा दिया और हमारे ही पैर कुचल रहे हो। हमने तो आपको कहा हम पांच मिनट में मुलिज्म है तो आपके हवाले कर देंगे...

**श्री अध्यक्ष:** बस ठीक है, हो गया आपका एक्सप्लेनेशन।

**श्री रामप्रताप कासनिया:** यह इतना सा घटनाक्रम था, अध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** थैंक यू। थैंक यू। शंकर सिंह राजपुरोहित।

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा, इस मामले में चूंकि मेरा भी नाम आया है माननीय सदस्यों के साथ और लगातार दो दिन आया है। चूंकि यह सर्वोच्च सदन है, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है, इसमें अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कृपया मेरा पर्सनल क्लैरिफिकेशन, पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दूं?

**श्री अध्यक्षः** दे दीजिये, आप भी दे दीजिये।

## सुरेश चौधरी डा., सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**डा. सुरेश चौधरी**: माननीय अध्यक्षजी, शुक्रवार को यहां से सवा पांच बजे मैं मेरे 2/8 विधायक नगर (पश्चिम) में गया। माननीय जगत सिंहजी का 3/5 जो विधायक नगर (पश्चिम) ही है, मेरे घर के सामने है, वहां पर पुलिस और मीडिया की इतनी ज्यादा भीड़ थी...

**श्री अध्यक्षः** जगत सिंहजी वाली बात तो कह दी। अब अपनी कोई कार के एक्सीडेंट की कहना चाहें तो कह दीजिये। यह बात तो आ गई।

**डा. सुरेश चौधरी**: यह उसी से जुड़ी हुई है, माननीय अध्यक्षजी। जब वहां इस तरह के हालात देखे, मैं मेरे मकान से नीचे उतर कर आया सवा सात बजे। वहां जो आम जनता खड़ी थी, लोग-बाग़ खड़े थे, उनको हमने पूछा कि यहां क्या माजरा है, क्यों इतनी भीड़ हो रही है। तो वहां मेरे को यह कहा गया कि...

**श्री अध्यक्षः** यह +++ शब्द निकाल दें। +++ शब्द एक्सपंज कर दें।

**डा. सुरेश चौधरी**: यहां पर अंदर डकैत छिपा हुआ है और यहां पर अब मुठभेड़ होगी। यहां हमारे विधायक निवास पश्चिम के बच्चे और महिलाएं छतों पर चढ़े हुए थे। तब मैं माननीय कासनियाजी के पास गया और वहां जाकर उनको कहा कि यहां पर माहौल इस तरह कर रखा है कि यह विधायकों और वीआईपीज की बस्ती नहीं होकर यह कोई गुण्डों की बस्ती हो और अंदर कोई हिन्दुस्तान का मोस्ट वांटेड छिपा हुआ हो। तब मैं और माननीय कासनियाजी वहां गये, हमने घंटी बजाई, राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पर भी यह फोटो छपा है हमारा। अगर हम विरोध करते होते तो गेट के सामने हमारा मुंह होता, न कि घंटी बजाते हुए। उस तरह शालीनता से खड़े हुए होता। जैसे ही हमने घंटी बजाई, अंदर से एक्स एमएलए यशवंत सिंह रामू ने गेट खोला और जाली में से हमने उनको कहा कि अंदर 302 का मुल्जिम है तो उसको आप कानून के हवाले करें, यहां पर इस तरह बस्ती का माहौल खराब करने का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि 302 का नहीं है, झूठा फंसाया गया है, 120-बी में फंसाया गया है, एफ.आई.आर. में नाम तक नहीं है। तब हमने उनको यह कहा कि आप 302 भी छोड़िये, आप 120-बी भी छोड़िये, यह अगर 323 का भी अगर मुल्जिम है तो इस तरह इस बस्ती का माहौल खराब नहीं करें, इसको कानून के हवाले करें। तब उन्होंने मेरे को और कासनियाजी को

(डा. सुरेश चौधरी)

अंदर बुलाया, मैं और कासनियाजी जैसे ही अंदर जाने लगे, पीछे से एडिशनल एस.पी. थे, डीवाई.एस.पी. थे और प्रिंट मीडिया के लोग थे, उन्होंने धक्का देते हुए मेरे जाकर घुटने लगे जमीन पर, तब मैंने उनको यह कहा कि यह आपकी शालीनता नहीं है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ हैं, आप कार्यपालिका हैं, इस तरह से अगर व्यवहार किया जाए तो हम कोई गुण्डें-बदमाश नहीं हैं, हम यहां पर इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के पंच हैं। आपकी रिक्वैस्ट पर हम इसको कानून, मैंने बार-बार कहा है और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर यह आया है कि कानून का अगर कोई मुल्जिम है तो वह कानून के हवाले हम करवाएंगे। यह उस दिन का घटनाक्रम हुआ।

परसों मैं मेरे कार्यकर्ता को दिखाने एसएमएस अस्पताल गया। वहां डाक्टर ने पर्ची लिखी, दवाई लिखी। दवाई लेने के लिए मैं मेडिकल स्टोर के आगे रूका, कार्यकर्ता को मैंने कहा, गाड़ी बैक कर लो। गाड़ी बैक करते हुए किसी स्कूटर के टकरा गई। स्कूटर वाले ने उस कार्यकर्ता को पीटना चालू कर दिया ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए। मैंने जाकर बीच-बचाव किया। इसी दौरान किसी ने, वहां आगे भीड़ रहती है, इसी दौरान किसी ने कह दिया कि यह तो डाक्टर सुरेश चौधरी है, एमएलए है। वहां मेरा एमएलए होना ही, माननीय अध्यक्षजी, एक अभिशाप साबित हुआ मेरे लिए। क्या एक जन प्रतिनिधि कहीं भी किसी तरह की बात नहीं कर सकता? क्या कार्यकर्ता किसी भी राजनैतिक दल की पूंजी होते हैं, कार्यकर्ता किसी भी राजनैतिक आदमी की पूंजी होते हैं और अगर किसी कार्यकर्ता के साथ कोई मारपीट करे तो क्या उसका नेता उसको खड़ा देखता रहेगा? मैंने बीच-बचाव किया। वहां यह कहा गया कि, अच्छा, एमएलए है, एमएलए की धौंस दिखाता है। तब मैंने चिल्ला कर कहा कि मैं अगर एमएलए की धौंस दिखा रहा होता, मैं आपको चला कर कहता कि मैं एमएलए हूं। आप लोगों में से ही किसी ने कहा है कि एमएलए है, इतने में मेरे कार्यकर्ता के उन्होंने थप्पड़ मारने चालू कर दिये। मैं मेरे कार्यकर्ता को जबरदस्ती लेकर घीसता हुआ मेडिकल स्टोर के अंदर ले गया कि यहां आम पब्लिक खड़ी है, यहां कोई बुद्धिमानी नहीं है इनसे बहस करने का। इतने में वहां से किसी ने फोन कर दिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग आ गये, पहले दिन की चूंकि हमारी हाट-टाक्स हुई थी, दूसरे दिन उसका यह बदला लिया कि कुचल कर मार दूंगा, यह मार दूंगा। जिस तरह की घटना है, जो उस दिन हुई

(डा. सुरेश चौधरी)

परसों, वह आम घटना ही है जो आम सड़क पर चलते हुए किसी के भी साथ हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है और हमारे साथ भी हो सकती है। लेकिन उस तरह की घटना को जो एक सिटी चैनल नहीं दिखाता, उस तरह की घटना को इलेक्ट्रानिक मीडिया ने नेशनल लेवल पर दिखाया, हमारा चरित्र हनन किया।

**श्री अध्यक्ष**: आपने कह दिया, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण हो गया।

**डा. सुरेश चौधरी**: धन्यवाद, मैडम।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: आप अब क्या देंगे, क्या कहेंगे।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल**: आप इजाजत फर्माएं तब तो बोलूं न मैं। आप मुझे अलाउ करें न पहले।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन आपको भी देना है क्या?

**श्री नन्दलाल बंशीवाल**: नहीं, मेरे को पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री अध्यक्ष**: आपको देना है पर्सनल एक्सप्लेनेशन?

**श्री नन्दलाल बंशीवाल**: नहीं, मैं कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता।

**श्री अध्यक्ष**: तो फिर?

**श्री नन्दलाल बंशीवाल**: मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत फर्माएं तो अपना निवेदन आपको सुना दूं।

**श्री अध्यक्ष**: देखिये, इतना महत्वपूर्ण, अकाल...

**श्री नन्दलाल बंशीवाल**: नहीं, मैं तो पूरी यों भी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: अकाल, मौसमी बीमारी, बिजली...

**श्री नन्दलाल बंशीवाल**: जो एमएलएज के घर के अंदर घुस कर पुलिस इस तरह से बर्ताव करे और एमएलएज के लिए कहे कि तुम एमएलए की धौंस देते हो, यह कोई बर्दाश्त करने लायक नहीं है, अध्यक्ष महोदय।मैं निवेदन

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

करना चाहता हूं कि आज पुलिस का क्या हाल हो रहा है। पुलिस एमएलए के साथ इस तरह से कर रही है, पुलिस वाले जिसको जैसी मरजी कर लें। अभी एक मदन लाल चिरानिया आदमी है, कोई पुलिस भर्ती हुई थी, सेना की भर्ती हुई थी...

उसके अन्दर नाम आ गया, आज वर्तमान में जो डीजीपी पुलिस हैं उन्होंने अपने हाथ से एफआर लगा दी और उसको आपके एसओजी पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि वो शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी है। क्या यह पुलिस का बर्ताव है। आज पुलिस जैसा चाहे वैसे किसी के साथ बर्ताव कर लेगी? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर बात है, एमएलए के साथ पुलिस का बर्ताव ठीक नहीं है। जगतसिंहजी के घर के अन्दर घुसकर जो पुलिस ने बर्ताव किया, दो-दो, तीन-तीन माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, यह बहुत ही विचारणीय विषय है।

**डा. सुरेश चौधरी**: निन्दा की जानी चाहिए।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल:** नहीं, बहुत विचारणीय विषय है अध्यक्ष महोदय। आपको इस बात पर कोई व्यवस्था देनी चाहिए। एमएलए कोई छोटा-मोटा वार्ड पंच या वो तो है नहीं, एमएलए ढाई-तीन लाख की जनता के ऊपर चुनकर आता है । आज लोकतंत्र में उनकी सुनी जाती है। मगर इतनी बड़ी महा पंचायत के विधायक के साथ इस तरह का बर्ताव हो वो बर्दाश्त नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर कोई न कोई व्यवस्था अपनी तरफ से दें।

**श्री अध्यक्ष:** एमएलए की गरिमा बनी रहनी चाहिए, ठीक बात है।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल**: आप व्यवस्था फर्माएं अपनी तरफ से, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष:** एमएलए को भी गरिमा रखनी चाहिए और उसकी गरिमा पुलिस को भी बनाये रखनी चाहिए। ठीक है, समझ गई बात आपकी। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल:** अध्यक्ष महोदय, कोई एमएलए के घर पर आएगा तो तख्ती लटकाकर तो नहीं आएगा कि मैं चोर हूं, गुण्डा हूं, बदमाश हूं, मैं अपराधी हूं। कोई लटकाकर थोड़े न आएगा। बिलकुल सही है, हमारा कोई कार्यकर्ता हमारे पास आएगा।

**श्री विजय बंसल:** किसी एमएलए से मिलने के लिए कभी भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है, उसके माथे पर तो नहीं लिखा कि यह चोर है, वांटेड है क्या है। उसके बाद आम आदमी के घर घुसने के लिए पुलिस को सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट की आवश्यकता होती है। विधायक अगर यहां बैठे हैं यहां सदन में, विधान सभा चल रही है, पीछे से पुलिस इस तरह से आतंकवादी की तरह से व्यवहार करे तो शायद इस विधान सभा के सदस्यों का, बहुत-बहुत निन्दनीय कार्य है, इनका अपमान है इस पर कोई व्यवस्था दें।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित:** माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ... (व्यवधान) नहीं मुझे बताया है अध्यक्ष महोदय ने बोलने के लिए, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। आप कहें तो मैं बैठ जाऊं।

**श्री जगत सिंह:** गृह मंत्रीजी, आप तो जवाब दीजिये, आप ऐसे अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? विदाउट सर्च वारंट जो घुस रहे हैं लोगों के घर में, आप क्या कार्यवाही करेंगे उनके खिलाफ?

**श्री महीपाल यादव:** माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को कुछ बताना चाहिए, माननीय सदस्यों के साथ इस तरह से पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है। आज मैं भी उसी लाइन में रहता हूं, मेरा भी ...

**श्री जगत सिंह:** कल महीपालजी का नंबर आ जाएगा।

**श्री महीपाल यादव:** नहीं मेरा भी 2/1 है ।

**श्री जगत सिंह:** कल किसी का भी नंबर आ जाएगा। सरकार बदल जाएगी, कटारियाजी, आपका नंबर आ जाएगा।

**श्री महीपाल यादव:** यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पुलिस की नादिरशाही आपके संरक्षण में हो रही है। आप बताइये, ऐसा क्यों हो रहा है, किन नियमों में? क्या सर्च वारंट दिया गया था? माननीय विधायक यहां असेम्बली में बैठे हुए हैं । आप बोल नहीं रहे हैं कुछ?

**श्री विजय बंसल:** ...(व्यवधान) पन्द्रह दिन पहले पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है मंच पर ...(व्यवधान) वो मुल्जिम नहीं है।

**श्री महीपाल यादव:** माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे ज्योति नगर में विधायकों के साथ धक्का-मुक्की हो रही हो...

**श्री मदन राठौड़:** अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय विधायकों ने बात कही है, यह वास्तव में गंभीर है। पुलिस को थोड़ा संवेदनशील रहना

(श्री मदन राठौड़)

चाहिए था और वहां विधायक को सूचित करना चाहिए था कि आपके घर में कोई इस प्रकार का व्यक्ति है, विधायक स्वयं उसको समर्पित कर देते। लेकिन यह ठीक बात नहीं है। वास्तव में विधायकों का अपमान है।

**श्री महीपाल यादव**: तीन-तीन विधायकों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, बताइये?

**श्री मदन राठौड़:** नहीं, यह गलत बात तो है, थोड़ा-सा इसको तो संभालना ही पड़ेगा।

**श्री महीपाल यादव**: विधान सभा चल रही है, माननीय सदस्य विधान सभा में हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और उनके धक्का मुक्की हो रही है। उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या करेंगे, बताइये आप सदन में?

**श्री जगत सिंह:** आप बताइये तो सही।

**श्री अध्यक्ष:** मैं मंत्री को बाध्य तो नहीं कर सकती लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकती हूं ...(व्यवधान)

**श्री जगत सिह**: क्या मौन रखा हुआ है आपने?

**श्री अध्यक्ष:** मैं मंत्रीजी को बाध्य नहीं कर सकती ।

**श्री महीपाल यादव**: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कोई व्यवस्था तो दें।

**श्री अध्यक्ष**: मैं बाध्य नहीं कर सकती जवाब देने के लिए ।

**श्री महीपाल यादव**: चार-चार माननीय सदस्य आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: सीआरपीसी में 302 में या 120 बी का जो मुल्जिम होता है उसके लिए कोई वारंट निकालना, सर्च वारंट करना आवश्यक नहीं है, उसे जनता का आदमी भी पकड़कर अरेस्ट करवा सकता है, यह मैं आपको नियम बता रही हूं।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा:** अध्यक्ष महोदय, यहां तक तो बिलकुल आपकी बात ठीक है कि 302 और 120 बी में मुल्जिम को कोई अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है। लेकिन सदन का यह मानना है, माननीय सदस्यों का यह मानना है कि किसी भी माननीय सदस्य के साथ, उसके पीछे से इतने बेइज्जत तरीके से अगर पुलिस प्रशासन कार्यवाही करती है तो निश्चित रूप से

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

यह निंदनीय है और पुलिस को इस मामले में पूरी गंभीरता और शालीनता बरतनी चाहिए। सरकार को भी चाहिए इस बात के लिए, माननीय सदस्यों को किसी भी प्रकार के जो अधिकार हैं उनके ऊपर इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं हो। माननीय सदस्य को सूचित करने के बाद अगर मुल्जिम पेश नहीं हो तो फिर आप उस वक्त के लिए कोई कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो सकते हैं, लेकिन यह कोई तरीका नहीं होता है जिस तरीके से आपने माननीय सदस्य के घर पर किया।

**श्री अध्यक्ष:** श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, कृपया बोलें।

**डा. जालम सिह रावलोत**: पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं था, माननीय सदस्य से पूछा तक नहीं। मैंने पूरे व्यवहार को अपनी आंखों से देखा है, माननीय सदस्यों के साथ अपमान हुआ है। जगतसिंहजी को बताना चाहिए था, वो आपका विषय है लेकिन उनके मकान के बिलकुल ऊपर मेरा मकान है, पुलिस का व्यवहार बहुत गलत था। मेरे भी छोटे-छोटे बच्चे हैं उन सब को भी धक्का लगा कि आपके एमएलएज के घर पर इस तरह से वातावरण होता है क्या। ये तो पुलिस का व्यवहार बहुत गलत था।

**श्री मदन राठौड़:** यह बात तो सही है, यह ठीक नहीं है।

**डा. जालम सिंह रावलोत**: पुलिस के गलत व्यवहार की तो बात करेंगे हम।

**श्री अध्यक्ष:** श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी बैठे हैं, यह तो कुछ कहें, आज इन्होंने मौन थोड़े रखा हुआ है, कि आइंदा पुलिस ऐसा नहीं करेगी, कि मैं जांच करवाऊंगा।

**श्री अध्यक्ष**: I can't compel the minister.

**श्री जगत सिंह:** आप कुछ बोलिये तो सही। गृह मंत्रीजी आप जवाब तो दें।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आप बाध्य तो नहीं कर सकते लेकिन ...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह**: राज आपका है, आप जवाब तो दें।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ....इतने सारे लोग कोई बात कह रहे हों तो फिर आप भी यह कह रही हैं कि ऐसे मैं बाध्य नहीं कर सकती।

**श्री जगत सिंह:** आपकी सरकार नहीं रहेगी और आपके साथ हो जाएगा तीन साल बाद तो आपको क्या महसूस होगा?

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ...(व्यवधान) आप उनको बुलवाने के पक्ष में नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष:** गृह मंत्रीजी इतने संवेदीनशील हैं, कोई इस तरह का मैटर हो तो वो स्वयं खड़े होकर उस बारे में वक्तव्य देते हैं, जब कभी भी आया है।

**श्री जगत सिंह:** फिर आपकी कौन सुनेगा?

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आपको तो पूरा अधिकार है।

**श्री अध्यक्ष:** मुझे अधिकार क्या है क्या नहीं, वो छोड़िये। लेकिन वो नहीं कहना चाहते इस बारे में तो मैं कंपैल नहीं कर सकती उनको। I can't compel him to speak.

**श्री महादेव सिंह:** लेकिन अध्यक्ष महोदय, कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए।

**श्री जगत सिंह:** अध्यक्ष महोदय, फिर मैं तो यह मानकर चलूंगा ..

**श्री अध्यक्ष:** श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर):...(व्यवधान) आप सदन की अध्यक्ष हैं और सदस्यों के हितों की रक्षा नहीं करेंगी तो कौन करेगा?

**श्री जगत सिंह:** इनके कहने पर यह अन्याय हुआ है और मेरा अपमान हुआ है और मैं इनसे जवाब चाहूंगा।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): आप गृह मंत्रीजी को इस बात के लिए कहिये ये बात कहें। अगर 302 का मुल्जिम था तो बाहर खड़े रहकर मैंबर को बुला लेते और उसको आप निकाल देते।

**श्री अध्यक्ष:** अब श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, आप बोलें।

**श्री जगत सिंह:** ...(व्यवधान) कोई जवाब नहीं देंगे मुझे ये। आप तो जवाब दीजिये । आप काहे को मौन रखे हुए हो? ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** क्यों? क्यों देना चाहिए? (व्यवधान) वो नहीं देना चाहते।

**श्री जगत सिंह:** क्यों जवाब नहीं आपके पास कोई? आपके पास कोई जवाब नहीं है? आप गृह मंत्री हैं इस प्रदेश के, हम आपकी शरण में रहते हैं

(श्री जगत सिंह)

तो आपके पास जवाब नहीं है इस चीज का? दस विधायकों ने आपसे प्रश्न पूछा है, एक छोटी-सी चीज का आप जवाब नहीं दे सकते? दीजिये आप।

**श्री अध्यक्ष:** आप बोलें।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित:** माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है उसके लिए जवाब भी दे देंगे, अभी मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ है और ...

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अब दे दो आप।

**श्री जगत सिहः** आप ही दे दो जवाब। आप तो, साहब मंत्री बनने जा रहे हो आप दे दो जवाब।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ...(व्यवधान) माननीय विधायक बैठे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार हो गया गृह मंत्रीजी के राज में ।

**श्री जगत सिंह:** आप दे दीजिये।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित:** मौका मिलेगा तो वो भी दे दूंगा।

**श्री जगत सिंह:** मंत्री तो हैं आपके पास, दे दो।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित**: अभी दे देंगे।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): सब सदस्यों के साथ यही इन गृह मंत्री जी के राज में होना है। आज ये जवाब नहीं देते। इनको कहना चाहिए कि इसकी जांच कराएंगे ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): शंकरसिंहजी, क्या यह सदन भावी गृह राज्य मंत्री को सुन रहा है? भावी गृह राज्य मंत्री को सुन रहा है?

**श्री अध्यक्ष:** मंत्रीजी खड़े हैं।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): मेरे राज में यह अन्याय हो रहा है, मैं सारा अधिकार आपको देता हूं, अगर मेरा इसमें दोष है तो जो सज़ा आप मुझे देंगे वो स्वीकार कर लूंगा।

**श्री जगत सिंह:** यह कैसा जवाब है? यह कैसा जवाब है?

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): गृह मंत्रीजी दोष किसका है?

**श्री जगत सिंह:** आपका तो दोष है ही, पुलिस आपके नीचे ही तो आती है ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): सदन में तो गृह मंत्रीजी आप हैं, आपसे ही पूछेंगे दोष किसका है, आप बताइये?

**श्री जगत सिंह:** पुलिस हम थोड़े ही चला रहे हैं, पुलिस तो आप चला रहे हो ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): जिस तरह की बातें लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, कासनियाजी ने, डा. सुरेश चौधरी ने बताई हैं ..

**श्री जगत सिंह**: या तो अधिकारी आपकी मानते नहीं हैं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उससे यह लगता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं, इसलिए आपको सदन को बताना चाहिए ।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा**: यह तो विधायक के मान-सम्मान की बात है, विधायकों के सम्मान को बरकरार रखने के लिए सरकार को विरोध प्रकट करना चाहिए।

**श्री रामप्रताप कासनिया**: अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि वो आदमी चार दिन से जयपुर में घूम रहा था, पुलिस उसके पीछे थी?

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ...(व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी आपके निर्देश पर नहीं हो रहा है, आप पर किसी ने उंगली नहीं उठायी है। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस कर रही है, इसको आपको रोकना चाहिए था। आप पर थोड़े ही कह रहे हैं।

**श्री विजय बंसल**: (व्यवधान)... कृपया इतना तो करें कि जिन्होंने इस तरह की कार्यवाही की है उन्हें तो आप दंडित करेंगे, और इस तरह की पुनरावृत्ति विधायकों के साथ नहीं हो।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ...कि आप करा रहे हो, आपके निर्देश पर हो रहा है, आपके संरक्षण में हो रहा है, यह नहीं कह रहे हैं कोई।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा:** ...(व्यवधान) यह आपके ऊपर आरोप नहीं है। आपके रहते हुए अगर प्रशासन में, पुलिस में कोई अधिकारी इस प्रकार की कार्यवाही करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही करने की बात है। आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है माननीय सदस्यों का मान-सम्मान बरकरार रखने की।

**श्री रामप्रताप कासनिया**: सवाल इतना-सा है कि वो चार दिन से घूम रहा था जयपुर की सड़कों पर तो वो ही स्थान क्यों चुना गया? उसको पुलिस पहले ही पकड़ सकती थी, खुले आम रोड पर घूम रहा था।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना आप समझ ही गयी होंगी, सीआरपीसी में साफ है, किसी भी आदमी के साधारण यदि आपराधी भी हो और बड़ा अपराधी हो, उसके मकान में घुसते हैं तो पुलिस वालों को अपना सर्च देकर घुसना चाहिए। सीआरपीसी में है, माननीय गृह मंत्रीजी आप सारी बात जानते हो ...सवाल यह है कि माननीय सदस्य यहां सदन में थे । आपसे मिलने पब्लिक के आदमी आते हैं, सामान्य आदमी आता है, दूसरे प्रदेश का आदमी भी आ सकता है ।

**श्री अध्यक्ष:** मैंने इस बारे में चर्चा की आज्ञा नहीं दी है । उन्होंने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना था, दे दिया ।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, चर्चा का सवाल नहीं है यह एक बहुत गंभीर मामला है । आज आखिरी दिन है, कल हम माननीय गृह मंत्रीजी से बात नहीं कर पाएंगे । हम आपके ऊपर कोई लांछन या कोई तोहमत नहीं लगा रहे हैं, लेकिन गृह विभाग इस तरह से बात करे, वहां की पुलिस इस तरह से बात करे और माननीय सदस्य जिसका कोई लेना-देना नहीं और अख़बार में आये, 120 बी में यह करेंगे, क्या वह वहां हथियार लेकर उसके साथ लडने के लिये गया था क्या? माननीय सदस्य को क्या पता? हमारे घर पर 10 आदमी अभी बैठे हैं ...

**श्री अध्यक्ष:** वह तो घर पर थे ही नहीं, पीछे से कोई भी घुस सकता है घर में। वह तो थे ही नहीं घर पर । बात साफ हो गई जगत सिंहजी वहां नहीं थे, बात साफ है, पीछे से घर में घुस गया होगा ।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): यह माननीय सदस्य के विशेषाधिकार हनन का मामला है, अखबारों में जिस तरह से बेइज्जती हो । अभी दौसा से आने वाले माननीय सदस्य जिस प्रकार से बात कर रहे थे, हर सदस्य के साथ जो चीज हो रही है, माननीय सदस्य की गाडी चोरी चली जाती है, हम सदन में यह नहीं कह सकते कि साहब चोरी का मुकदमा दर्ज कराओ। माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार होता है, हम सदन में नहीं कह सकते कि मुकदमा दर्ज कराओ। आखिर हम सरकार से जानना चाहते हैं राजस्थान की पुलिस इस तरह का जो वातावरण बना रही है, क्या उसको आप सही मानते हो? सही मानते हो तो इसके बारे में आप जांच कीजिए। जो भी तथ्य होगा आपके सामने आएगा। अध्यक्षजी को आप बताइए या सदन के सदस्यों की एक कमेटी बैठाइए, माननीय गृह मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, यह साधारण

(श्री रामनारायण मीणा)

लाइटली लेना कि वह तो हत्या का मुल्जिम था, गोली का मुल्जिम था सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि एक सदस्य के साथ जिस तरह का व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया, जिस तरह से जलील किया गया और जिस तरह से अखबारों में समाचार आया। यह एक सदस्य का सवाल नहीं है, यह पूरे सदन का सवाल है । आज सारे सदन के सदस्य इस बात के लिये उद्वेलित हैं, दुःखी हैं, चिंतित है। इस तरह से यदि पुलिस व्यवहार करने लग जायेगी और जिस तरह से अखबारों में बात आएगी तो क्या आप इसको ठीक मानते हो । इसलिए मेरा तो आपसे करबद्ध निवेदन है, गृह मंत्रीजी, मैं इसको देखूंगा, दिखाऊंगा, बात करूंगा और इस तरह का व्यवहार पुलिस द्वारा दुबारा नहीं हो इस बात का हमें आश्वासन चाहिये । अध्यक्ष महोदय, हम तो आपकी संरक्षता में रह रहे हैं । सदन चल रहा है और चलते हुए सदन में जिस तरह का व्यवहार हुआ है, सदन का कोई भी सदस्य उसको ठीक नहीं मान सकता, न मानना चाहिये। यह व्यवहार कतई भी प्रजातांत्रिक तरीके का नहीं है। जो प्रोसीजर दिया गया है सीआरपीसी या जिस तरह से क्रिमिनल को पकडने का प्रोसीजर दिया गया है, उसके तहत यह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम नहीं कहते कि वहां सर्च वारंट लेकर आओ । माननीय सदस्य को सूचित किया जा सकता था, बात की जा सकती थी कि हमें यहां इस तरह का अंदेशा है । कोई बात बिना कहे जिस तरह से यह हुआ है इसलिए हम तो आपसे अनुरोध करेंगे कि इसके बारे में आप देखें, बात करें। और, गृह मंत्रीजी आपके ऊपर तो किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, आप इससे चिंतित मत होइए ।

**श्री अध्यक्षः** अब आप समाप्त करें ।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): हम तो केवल आपकी पुलिस की व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, राजस्थान के जो हालात हैं उसको ठीक देखना चाहते हैं और इसके बारे में आपसे कार्यवाही चाहते हैं ।

**श्री अध्यक्षः** चर्चा समाप्त ।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): मैंने आपके भाव सुने, अधिकांश सदस्यों का था कि जैसे गृह मंत्री ने ही सब कुछ कराया हो, यह मुझे महसूस हुआ । (व्यवधान) इस कारण से कहा कि जब मैं ही अपराधी बन गया तो न्याय तो फिर इस कुर्सी से ही मांगा जाए।

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): नहीं, हमारी किसी की भी यह भावना नहीं

(डा. सुरेश चौधरी)

थी कि गृह मंत्रीजी का दोष है और गृह मंत्रीजी के इशारे पर यह हुआ है । चूंकि राजस्थान की पुलिस राजस्थान के गृह मंत्री के अधीन है इसलिए हमारा आपसे निवेदन था कि आप कुछ व्यवस्था दें, कुछ आश्वासन दें ।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): हमारे सब का एक है कि पुलिस का जो व्यवहार है वह निंदनीय है, आप उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हो?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): जिस भाषा में बोला जा रहा था, मैं भी इंसान हूं, जिस भाषा में बोला जा रहा था, जिस टोन में बोला जा रहा था उसमें यह लग रहा था जैसे सारा अपराध मैंने ही किया हो। तो फिर मैं तो इस कुर्सी से ही न्याय मांग सकता हूं, मैं तो उसका न्याय कर नहीं सकता जब मैं स्वयं अपराधी हूं । मैंने आपकी भावना सुनी है, मैं यहां बैठा हूं तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई कान बंद कर रखे हैं । जो कुछ आपने भावना प्रकट की है वह मेरी जिम्मेदारी है, जो मुझे करना है वह मैं करूंगा । लेकिन इस टोन में कि जैसे अपराध मैंने किया हो, इस तरह से अगर आप मुझे यूं गुस्से में आंख दिखाना चाहो तो मैं भी आदमी हूं, मेरे मन को भी अखरता है। इतने अच्छे ढंग से हर चीज को, हाउस में कोई चीज छिपाता नहीं, कोई बात इधर से उधर नहीं करता हूं लेकिन कम से कम बोलने की टोन तो ठीक हो जिसके कारण मेरे को यह लगे कि वास्तव में यह सदन में बात हो रही है या क्या हो रही है। यह मेरे को अखर गया। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, जो भावना आपने प्रकट की है मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसके अनुसार जो मुझे ठीक लगेगा, उचित लगेगा उसके आधार पर करूंगा। लेकिन यह आंख दिखाकर कोई यह दिखाना चाहेगा तो यह मेरे लिये संभव नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष:** यह तो आंख आसन को दिखाते हैं ।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आपके रहते हुए यह व्यवहार पुलिस का हो, हम इसे उचित नहीं मानते । (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी पर कतई शंका नहीं है, शंका इस बात की है कि चार दिन से वह जयपुर में रोड पर घूम रहा था। यह निवेदन कर रहे हैं, आप पर हम कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं । इतनी-सी बात है कि उसको पुलिस पकड़ना चाहती थी वह बाहर पकड़ सकती थी चार दिन में।

**श्री अध्यक्ष:** अब इस प्रकरण पर चर्चा समाप्त हो गई । अंकित नहीं होगा ।

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): ×××

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): अध्यक्ष महोदय, जो विषय चल रहा था वह भी काफी जरूरी था लेकिन जिस विषय पर आपने आदेश फर्माया है वह भी बहुत जरूरी है ।

**श्री अध्यक्ष:** आप अपने विषय पर आइए, जाने दीजिए उस विषय को।

## विभिन्न विषयों पर विचार

## राज्य में अकाल, बिजली एवं मौसमी बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर विचार

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): मैं वही कहूंगा आपकी आज्ञा से। देशभर में और उसके बाद आज राजस्थान में यह बात तो कहनी पडेगी कि जल चेतना यात्रा के बाद राजस्थान के मैक्सिमम जिलों में जल ही जल हो गया, अकाल नाम मात्र का रहा है । उससे भी निपटने के लिये जब पूरे प्रान्त में अकाल था...

**श्री अध्यक्ष:** प्रान्त में जल ही जल नहीं हुआ है यह ग़लतफ़हमी है आपको । हम अकाल से पीड़ित हैं । हम तो अकाल से पीड़ित हैं, आप जल ही जल कह रहे हो ।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि मैक्सिमम जिलों में जहां पश्चिमी राजस्थान में वर्षों से अकाल पड रहा था वहां पर जल ही जल हुआ है, यह कोई न कोई ताकत तो है, शक्ति है ।

**श्री अध्यक्ष:** लोग बर्बाद हो गये, पशु मर गये और यह शक्ति हो गई।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): अध्यक्ष महोदय, लेकिन आने वाले 20-25 साल के लिये आबाद भी लोग हो गये हैं । जो चले गये हैं उनके लिये तो निश्चित तौर पर मन में वेदना है । अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले में जिस प्रकार से बरसात का कहर हुआ लेकिन महादेव की कृपा से किसी प्रकार की कोई जन धन की हानि नहीं हुई और उसके कारण कि पूरा प्रशासन जाग्रत था। जन प्रतिनिधि, मतलब हमारे तो जब जमाई नदी आई उसके पहले एक एक गांव में हमने ढोल बजाये कि गांव के लोगों, जागते रहो पानी आएगा

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

और। उसके कारण कहीं पर कोई जन की हानि नहीं हुई । अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अकाल पूरे प्रदेश में पिछले दो वर्षों में था, जिस प्रकार से अकाल का प्रबन्धन हमारी राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने किया, पूरे राजस्थान में अकाल में जितनी सहायता मिलनी चाहिये, जितने श्रमिकों को मानदंड मिलना चाहिये वह अपने आप में इतिहास बनाया है । पिछली कांग्रेस की सरकार में यह सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, मैंने पहले भी कहा है, अकाल के समय में इनके क्षेत्र में 11 अकाल राहत में गेहूं के घोटाले हुए और गेहूं के घोटाले करने वाले इनकी पार्टी के इनके सदस्य रहे हैं। कल्लाजी के यहां बीकानेर में 22 घोटाले। यह इतिहास बनाया है आप लोगों ने। और हमने यह इतिहास बनाया है कि अकाल के समय पूरे राजस्थान में कहीं पर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। उसका परिणाम यह हुआ। जब नीयत साफ होती है तो बरसात भी खूब आती है। बरसात भी काफी आई और नीयत के कारण बरसात आई । अध्यक्ष महोदय, दोपहर में जो विषय चल रहा था, कल्लाजी जिस हिसाब से कह रहे थे, राजस्थान की सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि यह तो केन्द्र ने किया, यह केन्द्र की सहायता है। केन्द्र की सहायता क्या है राजस्थान अपने हक का लेता है, केन्द्र के घर से नहीं ले रहा है। यह तो हमारे प्रदेश का हक है । मैंने पहले भी कहा है, पांच शब्दों का मंत्र था यह । लंदन के एक बहुत बडे ज्योतिष ने कहा था, पांच शब्दों का मंत्र था जिस मंत्र के कारण कांग्रेस की सरकार गई और पांच शब्दों का जो मंत्र था उस मंत्र के कारण वसुंधरा राजेजी की सरकार बहुत बडी ऊंचाइयों पर पहुंच गई । वह शब्द बहुत जोरदार है, रामनारायणजी बता दूं? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं तो मैं इनको बता देता हूं।

**(समय : 19.00 बजे)**

**एक माननीय सदस्य**: इनको बता देंगे तो ये आ जाएंगे।

**श्री अध्यक्ष**: आप तो बता ही दो पांच अक्षरों का मंत्र।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): 5 शब्दों का, रामनारायणजी, आपको मंत्र बता देता हूं। वह था मंत्र, 'खजाना खाली', जिसके कारण कांग्रेस गयी। और वसुन्धराजी की सरकार ऊंचाइयों पर गयी, 'खजाना भरा'। सिर्फ 5 शब्दों का मंत्र है, इस मंत्र के कारण आज हमारी सरकार ऊंचाइयों पर है।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

विद्युत के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में आज जिस प्रकार से प्रबन्धन हमारी सरकार ने किया है, जब पहली बार, शासन वसुन्धराजी ने सम्भाला, उस समय कांग्रेस के समय में 3-4 घण्टे मेक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे और हमने आते ही, पहले ही वर्ष में 8 घण्टे खेतों को बिजली पहुंचाई। उसके कारण से जैसे रायड़ा की खेती पिछले 2 वर्षों में देखी है, बढ़ गयी है। आज जो बैलेंस थोड़ा-बहुत बिगड़ा है, आप लोगों ने अपने शासनकाल में इलेक्ट्रिक पैदा करने की चिन्ता नहीं की। और हम अगर, मैं कोई आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं, इस चिन्ता को पहले ले रहे हैं, आने वाले समय में हम इस राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कह रहा हूं, देखिये, मान्यवर, बैलेंस इसलिये बिगड़ा कि 50 साल के इतिहास में आप लोगों ने जो खेती के कनेक्शन के लिये, कृषि कनेक्शन के लिये लाइन कितनी लम्बी थी, इनकी चिन्ता नहीं की। और इन दो वर्षों में 75-80 हजार कनेक्शनों को देकर एक इतिहास बनाया। लेकिन एक बात है, यह जो बैलेंस बिगड़ा है, आज हमने 6 घण्टे इलेक्ट्रिसिटी देने की जो घोषणा, और बराबर हो गयी है, इस 12 तारीख से 6 घण्टे दे देंगे और आने वाले समय में इस विद्युत को बढ़ाने के लिये वसुन्धराजी तत्पर हैं। देखिये, वह तो केन्द्र की पॉलिसी के कारण आज हम इलेक्ट्रिसिटी एडवांस में नहीं खरीद पाये हैं, समस्या जनता पर पड़ रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस के बंधु, प्रतिपक्ष के बंधु गुहार लगाते हैं, आप कह रहे हैं 5 वर्षों में आपने क्यों नहीं बनाया। अब तो कर रहे हैं न। 5 हजार का एक सिंगल फेज तो ट्रांसफार्मर पर, एफ.आर.पी. का हमने प्रोजेक्ट लिया है हाथ में, जिसके कारण 44 प्रतिशत छीजत इलेक्ट्रिसिटी की कम होगी। उसके बाद आने वाले दिनों में 24 घण्टे घरों में बिजली देने वाले हैं। चिन्ता मत करिये, वह दिखने आज जाएगी। घबराइये मत, संतोष रखिये, मन में पेशेंस रखिये।

**श्री अध्यक्ष:** ऊर्जा मंत्रीजी, आपके लिये कुछ नहीं छोड़ेंगे। यह कुछ नहीं छोड़ेंगे आपके लिये। (व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): मेरे विधान सभा क्षेत्र में, माननीय मंत्री महोदय, 2-3 छोटी-छोटी समस्याएं हैं, जो करनी जरुरी हैं। 220 के.वी. पाली जिले में बाली में उम्मेदपुर को 132 की सप्लाई जाती है जो 70

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

किलोमीटर की लाइन जाती है। अब तो उम्मेदपुर से 30 किलोमीटर पर जालौर जिले में 220 के.वी. का लेटा में बन चुका है, उस लेटा से जोड़ दिया जाए। यह मैंने पहले भी निवेदन किया है, बहुत महत्वपूर्ण है यह। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये जो सालों से समस्या है, उस समस्या का निदान हो जाएगा। बाकी, जालौर के लिये भीनमाल को 400 के.वी. जी.एस.एस. की परमीशन दें। यह हमारे पूरे जालौर जिले के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

चिकित्सा के लिये माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बहुत ही सजग मंत्री हैं, कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले एक धन्यवाद मैं पावर मिनिस्टर को देना चाहूंगा आपके माध्यम से। पहली बार यह देखा गया कि इतनी बाढ़ की स्थिति हुई, सारी जगह लाइनें डैमेज हो गयीं, खम्भे गिर गये, लेकिन मैं जालौर जिले की स्थिति बताता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदया, तीसरे से चौथा दिन नहीं लगाया, किसी भी गांव को तुरन्त इलेक्ट्रिफाई नहीं किया। यह पहली बार हुआ है। यह सजगता जो आपके डिपार्टमेंट ने दिखाई, उसके लिये आपका डिपार्टमेंट बहुत बधाई का पात्र है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बहुत ही सजग मंत्री हैं। पेशे से डाक्टर हैं, लोगों की चिन्ता जानते हैं। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को आपके माध्यम से एक निवेदन करुंगा कि मौसमी बीमारियां हुई हैं, अस्पतालों में लम्बी-लम्बी लाइनें, देखिये, यह तो प्रकृति का प्रकोप है, उसके लिये कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सजगता, मतलब आपने जहां पर भी जहां डाक्टर ज्यादा थे, वहां से दूसरी जगह, जहां तकलीफ है, वहां पर पहुंचाये। आपने व्यवस्था करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि कहीं पर हम कम पड़े हैं। उसको हम पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आहोर में सी.एच.सी. सेण्टर है, पूरे जालौर जिले में सबसे हाइएस्ट ओ.पी.डी. है। पूरे वर्ष का 60 हजार का ओ.पी.डी. होता है और 5-7 हजार का इनडौर होता है। जो रैफरल हास्पिटल जालौर में है, उससे भी अधिक मेरा ओ.पी.डी. है। तो मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे यहां पर एक तो 30 बैडेड सी.एच.सी. सेण्टर है, उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि इस बार हमारी यह हालत हुई कि हमने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से नीचे गद्दे बिछाकर मरीजों को रखा, एक पास में स्कूल किराये पर लेकर, प्राइवेट स्कूल थी उसमें हमने मरीजों को सुलाया। जगह नहीं थी हमारे पास में। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 1990 में यह पी.एच.सी. सेण्टर से सी.एच.सी. सेण्टर बना था। बहुत समय हो गया है, 30 बैडेड है।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

वहां दानदाता तैयार है भवन बनाने के लिये। बस आप परमीशन दे दें, इसको 100 बैडेड करें।

**श्री अध्यक्ष:** कृपया समाप्त करें।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-दो मिनट। मैं खाली मेरे विषय ले रहा हूं, कोई आंकड़े नहीं दे रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष:** पहले तो आप प्रशंसा में लगे रहे और अब विषय पर आये आप। पहले समस्याओं से शुरू करते आप।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करुंगा, अपनी एक पॉलिसी है कि कम से कम 15-20 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई पी.एच.सी. सेण्टर हो। मेरे ऐसे दो सेण्टर हैं, जहां पर बहुत दूर-दराज है मतलब बाड़मेर जिला भी पड़ता है, पाली जिला भी पड़ता है। बॉर्डर का गांव है, वहां पी.एच.सी. सेण्टर के लिये मेरा निवेदन है। एक तो संखवाली और एक सांखना और एक भोरड़ा, ये तीनों स्थान ऐसे हैं कि जहां 20-20 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई चिकित्सा सेवा नहीं है। इसलिये मेरा एक निवेदन है कि एक कम से कम पी.एच.सी. हमें दें। उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भी एक भागनी और एक जोगनी अति आवश्यक है, वहां पर सब सेण्टर के लिये आप परमीशन दें। यह मेरे एरिये की व्यवस्था के लिये है।

**श्री अध्यक्ष:** कृपया समाप्त करें। (व्यवधान) उप केन्द्र खोलने की बात थोड़े ही है, मौसमी बीमारी में बताते कुछ आप।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): मौसमी बीमारी में आपसे एक निवेदन है मेरा।

**श्री अध्यक्ष:** अब आप रहने दें। उसको बोल लिया आपने।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): मैं एक निवेदन करुं जो पानी आया है, पाली जिले का पूरा पानी जालौर जिले को और बहता हुआ आगे जाता है, बाढ़ की स्थिति थोडी बनी है। जहां-जहां भी बाढ़-बचाव में पेच वर्क, किनारे टूट गये हैं...

**श्री अध्यक्ष:** बाढ़ वर्क तो खतम हुआ न।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): खतम हो गया, लेकिन वह भी जरुरी है, मैडम।

**श्री अध्यक्ष:** तो बाढ़ का नहीं है आज। बाढ़ पर हो गयी चर्चा।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): हां, नहीं है। अकाल राहत में हमारे गांव नहीं हैं। लेकिन जो खेत उजड़ गये हैं उनकी भी हमें चिन्ता करनी है इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि इस पर ध्यान दें।

**श्री अध्यक्ष:** Thank you, धन्यवाद। मोहम्म्द माहिर आजाद।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): फिर से मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं इस सरकार का एक बहुत बढ़िया प्रबन्धन रहा, इतनी बड़ी आपदा के बाद भी हम सभी सुरक्षित इतना बचा पाये और जन की सेवा कर पाये। आओ हम सब मिलकर राजस्थान को सुखी बनाएं। एक चिकित्सा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, जो-जो स्वयंसेवी संस्थाएं इस काम में लगीं, उनको आप एप्रीशिएट जरूर करें, उनको धन्यवाद आपकी ओर से दें, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: मोहम्मद माहिर आजाद।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिना भूमिका बनाये...

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): अकाल राहत पर चर्चा हो रही है और अकाल राहत मंत्रीजी हैं नहीं। अकाल राहत मंत्रीजी तो हैं नहीं।

**श्री अध्यक्ष:** बैठे हैं, बैठे हैं, 3 मंत्री हैं, 4 मंत्री हैं।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अकाल राहत मंत्रीजी नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष:** केबिनेट बैठे हैं 4 तो।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, अकाल पर चर्चा हो रही है और अकाल राहत मंत्रीजी हैं ही नहीं, फिर काहे की चर्चा है?

**श्री अध्यक्ष:** आप कृपया मेहरबानी करके विराजिये।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): नहीं, आप कहें तो बैठ जाते हैं, पर अकाल राहत मंत्रीजी को तो बुलाएं आप। (व्यवधान) अकाल राहत मंत्री को तो बुलवाओ, जो सुनेंगे बात। नहीं तो इस चर्चा से क्या फायदा?

**श्री अध्यक्ष:** कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है, संयुक्त जिम्मेदारी है। माननीय मंत्री बैठे हैं। वे भी आ जाएंगे। आप विराजिये, आप विराजिये।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): संयुक्त जिम्मेदारी तो तब है जब कोई बाहर गये हों। ये तो अभी थोड़ी देर पहले सदन में बैठे थे और अकाल की चर्चा हुई तो उठकर चले गये।

**श्री अध्यक्ष:** आपकी पार्टी के माननीय सदस्य नहीं बोलने दे रहे हैं, मोहम्मद माहिर आजाद। आपको आपकी पार्टी के लोग नहीं बोलने दे रहे हैं, मैं क्या करुं, I am very sorry for that.

अक्ल का अजीर्ण होता है तब आदमी यही करता है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन राज्य में अकाल, बिजली एवं मौसमी बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कर रहा है। आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से तीन हिस्सों में विभक्त करते हैं- एक, शुष्क जिसमें पश्चिमी राजस्थान आता है। दो, आर्द्र शुष्क जिसमें मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र आता है। और तीन अर्द्ध-शुष्क, जिसमें पूर्वी राजस्थान के सात जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और दौसा आते हैं, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल प्रकृति ने कुछ इस तरीके की घटना की है कि हमारा जलवायु का जो विभक्तीकरण था राजस्थान का, यह बदल गया। जिस पश्चिमी राजस्थान में सदियों से अकाल पड़ता था वो बाड़मेर और जैसलमेर तो अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की चपेट में आ गये और पूर्वी राजस्थान जिसके अन्दर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं पहली बार ऐसा हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वो अकाल की चपेट में आ गये। अगर गत वर्ष की तुलना में इस साल के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष भी अगर वर्षा के हिसाब से देखें तो हमारे पाँच जिले एक्सेस रेनफॉल में थे जिसमें 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक एक्सेस रेनफाल हुआ था। 12 डिस्ट्रिक्ट नार्मल रेनफाल में थे और 14 डिस्ट्रिक्ट डेफिसिट रेनफाल में थे और एक डिस्ट्रिक्ट स्कैंटी रेनफाल में था। इस बार भी अगर इस साल के 30 सितम्बर तक के आंकड़े देखें तो स्थिति यह है कि जो एबनार्मल रेनफाल हुआ है वह 10 डिस्ट्रिक्ट में हुआ जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बासंवाड़ा, डूंगरपुर, पाली हैं। मैं चूंकि बाढ़ पर चर्चा नहीं है इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो डेफिसिट रेनफाल में आ गये। उन 14 डिस्ट्रिक्ट में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अजमेर, जिसमें एवरेज रेनफाल 514 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी लेकिन 386 सेंटीमीटर ही हुई और 25 प्रतिशत कम रही। अलवर जहां 578 सेंटीमीटर होनी चाहिए 427 हुई 26 कम रही। सवाईमाधोपुर जिसमें

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हमेशा हैवी रेनफाल होता था 816 एवरेज रेनफाल होनी चाहिए थी वहां मात्र 31 हुई। टौंक में 644 होनी चाहिए थी, जो 32 रही। जयपुर जो राजधानी है, जिसमें 589.3 होनी चाहिए थी यहां 33 प्रतिशत कम रही। दौसा में 563 के मुकाबले 346 हुई वहां 39 कम रहीं, नागौर में भी 321 सेंटीमीटर के बजाय 196 हुई, 39 कम रही। धौलपुर जहां 648 का अनुमान था वहां 395 हुई, 39 कम रही, जिस इलाके से आप आती हैं ,माननीय अध्यक्ष महोदय, झुन्झूनूं में 360 सेंटीमीटर वर्षा का एवरेज आता है, वहां पिछली वर्षा भी 197 सेंटीमीटर हुई थी और इस बार भी 200 हुई यानी 44 प्रतिशत कम हुई। करौली में 697 की अपेक्षा मात्र 53 हुई, 47 कम रही। बीकानेर में 243 की अपेक्षा 49 प्रतिशत कम रही। भरतपुर में जहां से मैं आता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार 568 एवरेज की जगह 816 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी इस बार 289.6 हुई, यानी 49 प्रतिशत कम रही। चूरू जहां से संसदीय कार्य मंत्रीजी आते हैं, आपके जिले की एवरेज वर्षा जो है 335.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए पिछली बार 263 हुई थी और इस बार 164 ही रह गई, यानी 51 प्रतिशत कम हुई है। जोधपुर जहां 340.5 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होनी चाहिए थी वहां मात्र 156.6 सेंटीमीटर हुई। इस तरीके से 54 प्रतिशत कम रही तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का अगर हम एवरेज लें तो राजस्थान में एवरेज 119.3 आया है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार भी सवाईमाधोपुर, टौंक, जयपुर, झुन्झूनू, करौली, बीकानेर, चूरू और जोधपुर ये आठ डिस्ट्रिक्ट थे जहां औसत से कम वर्षा हुई थी और इस बार जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी ये डिस्ट्रिक्ट आये हैं।

मेरा निवेदन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह है कि पूर्वी राजस्थान जहां हमेशा हैवी वर्षा होती थी, आज पहली बार यह अकाल की चपेट में आ गया। इन जिलों के अन्दर मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के हिसाब से आपका फेमिन कोड क्या कहता है? क्या आप अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करें? आपके पास गिरदावरी आती है, गिरदावरी का एक टाइम फिक्स है, 15 सितम्बर से 16 अक्टूबर के बीच गिरदावरी होती है, वह गिरदावरी चल रही है। गिरदावरी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी इस टाइम को एक तो बढ़ाने का कष्ट करिए और दूसरा मेरा आपसे निवेदन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इसमें चारे को भी ले लेते हैं, घास को भी ले लेते हैं, सबको ले लेते हैं, हमने माननीय अध्यक्षजी से,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपसे भी निवेदन किया है और माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबे वाले जिलों को आप अकाल के अन्दर ले लें और 49 प्रतिशत हो गया तो छोड़ दें, एकाध प्रतिशत के अन्दर फर्क पड़ जाता है तो आप जिला कलक्टरों को निर्देश दें कि सिम्पेथेटिकली किसान के हित में थोड़ा विचार-विमर्श करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी जिस जिले से आते हैं, आपके खण्डार में हालांकि बाढ़ आई लेकिन वहां कोई बारिश पर्याप्त नहीं हुई। या एवरेज से ज्यादा हुई इसलिए बाढ़ नहीं आई वह तो आपके कोटा-बैराज का जो पानी छोड़ा वह पानी आपके होते हुए केशोरायपाटन होकर वहां आ गया, इसलिए खण्डार में बाढ़ आई। लेकिन आज भरतपुर की स्थिति यह है कि वहां अण्डरग्राउण्ड वाटर नीचे चला गया आज वहां पानी का संकट आ रहा है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अकाल की दृष्टि से तीन हिस्सों में राजस्थान को बांटिये। तीन हिस्सों से मेरा तात्पर्य यह है, एक हिस्सा तो वह होता है जहां लोगों को रोजगार की जरूरत होती है। एक इलाके में रोजगार के लिए आप किसी आदमी को ढूंढेंगे तो सौ-सवा सौ रूपए में भी नहीं मिलता है, एक इलाका है जहां पानी की दिक्कत आती है और एक इलाका वह है जहां पशुओं के चारे की दिक्कत आती है। सब जगह एक-सी समस्या नहीं होती। पश्चिमी राजस्थान में चारे का संकट हो सकता है, पूर्वी राजस्थान में चारे का संकट नहीं है लेकिन हमारे यहां पर संकट आज की तारीख में पेयजल का आ रहा है। मैं भरतपुर का आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर को तीन जगह से पानी मिलता था- एक गंभीरी नदी से मिलता था, एक पाचना से मिलता था और एक रूपारेल से मिलता था। आज रूपारेल से पानी नहीं मिल रहा है, पांचना के ऊपर आपने रोक दिया। गंभीरी और बाणगंगा के अंदर जगह-जगह एनीकट से पानी नहीं मिल रहा है। यहां भरतपुर को पानी मिलता है गुड़गांवा कैनाल से। गुडगांवा कैनाल की जगह पहाड़ी से होते हुए सीकरी सिस्टम में पानी आता था और सीकरी सिस्टम से बैरूदोमोरा होते हुए ककड़ा बाँध के जरिए डीग तक पानी जाता था। पशु-पालन की दृष्टि से भरतपुर राजस्थान के अग्रणी जिलों में आता है, पोखरों वाले सिस्टम में परिस्थिति यह है कि आज सारी पोखरें सूखी पड़ी हुई है। न तो वहां लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है, न सिंचाई की व्यवस्था है। इसलिए आज सिंचाई मंत्रीजी भी यहां

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नहीं होते तो अच्छा होता, आप उन तक यह बात पहुंचा देंगे। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप कहने को तो अकाल बोलते हो, लिखने में अकाल बोलते हो, आप सारी चीजों में अकाल करते हैं, लेकिन जब आप डिक्लेयर करते हो तो आप अकाल डिक्लेयर नहीं करके अभाव डिक्लेयर करते हो। ज्यादा फर्क नहीं, फर्क इतना-सा है अकाल और अभाव में, अगर आप अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करें तो फेमिन कोड के जरिए आपकी जिम्मेदारी है कि उस इलाके के लोगों के खाने-पीने की, रोजगार की, पशुओं के चारे की सारी व्यवस्था आप पर आ जाए। लेकिन आप अभाव करके एक हौज बना देते हैं, रोस्टर लगा देंगे, हर परिवार में से हम एक को मजदूरी दे देंगे, उसका इतना काम करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह है कि ईमानदारी से आप राजस्थान के अन्दर अकाल घोषित कीजिए। बड़े ही जोर-शोर से मेरे विपक्षी साथी कहते थे, अशोक और अकाल एक ही राशि है और वसुंधरा और वर्षा एक राशि है। पिछले साल 14 जिले के अन्दर अकाल था और आज भी 15 हजार गावों में भी अकाल था और अब आपकी गिरदावरी रिपोर्ट आ जाएगी आप अब भी देख लेना कि राजस्थान के अन्दर अकाल की कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। पूर्वी राजस्थान में तो न यमुना का पानी आप दिला पाये, न चम्बल से आप पेयजल की योजना आप अब तक एक्जीक्यूट कर पाये। मैंने माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय को लिस्ट दी थी कि हमारे यहां पानी का संकट है, बिलकुल पीने का पानी नहीं है। उसमें कुछ तो हैण्डपम्प स्वीकृत किये हैं, लेकिन आज आवश्यकता यह है कि जब तक आप वहां पर मैदानी बोर की व्यवस्था नहीं कराएंगे, हमारा जो खोरी, जलालपुर, बुडली, तेस्की, झंझार का इलाका है वहां पर पानी का संकट पैदा हो गया है। आज पूर्वी राजस्थान के अन्दर अकाल की पहली बार छाया आई है, वहां के लोग अकाल सहन करने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन यह है कि इन 14 डिस्ट्रिक्ट में से खासकर पूर्वी राजस्थान को आप स्पेशल पैकेज देंगे।

आज आप उठाकर देख लीजिए, अकाल के ऊपर अगर मैं आकड़े दूं तो 1950-51 से लेकर आपने कब-कब कितना-कितना पैसा अकाल के ऊपर खर्च किया, लेकिन आपने कोई स्थाई समाधान करने की कोशिश नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके 1950-51 में मात्र 36 लाख रुपये अकाल पर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

खर्च हुए थे, फिर 1951-52 में 30 लाख हुए, 1952-53 में 1 करोड़ 4 लाख हुए, 1953-54 में 49 लाख हुए। ये सारे आप कहें तो आकड़े पढ़ूं। आपने 2004-2005 में 190 करोड़ 54 लाख और 2005-2006 में 364 करोड़ रुपये अकाल पर खर्च किये हैं। अकाल पर खर्च किये हैं लेकिन अकाल का कोई स्थाई समाधान करने की तरफ हम क्यों नहीं गये? हर साल हम मिट्टी सड़क से इधर खोदकर इधर डाल दें उसके बाद वह मिट्टी वापस उड़ कर, बह कर वापस चली जाए। हमने न कोई परिसम्पत्तियों का निर्माण किया, न स्थाई सम्पत्तियां बनायीं और न अकाल में स्थाई कोई निर्माण किया। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है, मेहरबानी करके, इन जिलों में जिन जिलों से आप भी आते हो, जिन जिलों से चिकित्सा मंत्रीजी भी आते हैं, इस पूर्वी राजस्थान और जो 14 जिले सीकर, झुन्झुनूं, नागौर बीकानेर समेत आपको बताये हैं, इनके अन्दर अकाल का पहले से ही प्रिकोशन हो जाए कि कहां पानी की व्यवस्था करनी है, कहां पर चारे की व्यवस्था करनी है, कहां पर लोगों को रोजगार की व्यवस्था करनी है। उसका आप सर्वे कराकर उसकी स्थिति बनाएं और जिला कलक्टर्स को कहें कि किसान के हित में सही तरीके से गिरदावरी रिपोर्ट भेजें। इसमें कोई समस्या नहीं आती, 49, 50, 51 करने में, लेकिन आपने भी यह तय कर रखा है कि 50 परसेंट से ज्यादा जहां पर खराबा, हम उसी के अन्दर अकालग्रस्त मानेंगे। ऐसी स्थिति में तो सवाईमाधोपुर में भी आपकी एकाध पंचायत समिति आएगी, हमारे यहां भी एकाध जगह आएगी और हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए अकाल के संबंध में तो मेरा आपसे निवेदन यही है।

जहां तक बिजली का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 1752 मेगावाट बिजली का रिकार्ड उत्पादन किया था और तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा कोटा आये तब की थी। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। मैं भी यह मानता हूं कि आप प्रयास कर रहे हैं। प्रयास का रिजल्ट यह तो है नहीं कि आज हमने बिजलीघर बना दिया और उसका कल से ही रिजल्ट आने लग जाएगा। बिजली की कमी है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है और यह भी सही है कि आज हर आदमी बिजली पर निर्भर हो गया है। आज से पचास साल पहले बिजली

(मोहम्मद माहिर आजाद)

केवल प्रकाश के लिए, उजाले के लिए काम आती थी। आज तो मसाला पीसना हो तो कोई शिला-गट्टे पर नहीं पीसेगी, उसको मिक्सर चाहिए। आज तो प्रेस भी करेंगे तो कोयले की प्रेस नहीं करेंगे, सबको बिजली की चाहिए। मोबाइल भी चार्ज, सारा काम बिजली से हो रहा है। लेकिन बिजली मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आप अपना जब उत्तर देंगे, इस बात का जवाब दें। कांग्रेस के शासन काल में कभी मई, जून, जुलाई के अन्दर पावर कट हुआ हो तो आप बता दीजिए। आज क्या स्थिति आ गयी, कि अभी गेहूं की फसल नहीं आयी और उसके लिए छह-छह घंटे पावर कट हो रहा है। सात-सात घंटे पावर कट हो रहा है। डिवीजनल हैडक्वार्टर पर इतना, जिला हैडक्वार्टर पर इतना, पंचायत हैडक्वार्टर पर इतना। आखिर क्या परिस्थिति हो गयी कि आपको मई, जून, जुलाई से ही। पावर कट करने की नौबत आ गयी? पिछली सरकार की बनायी हुई बिजली थी, इससे आप तीन साल खींच गये। अब आगे और ज्यादा विकट स्थिति आने वाली है अगर आपने बिजली के उत्पादन की तरफ ध्यान नहीं बढ़ाया। आप उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, मानता हूं। आज कुछ भी काम करेंगे तो उसका रिजल्ट 2008 या 2009 में आएगा। लेकिन हम टी एण्ड डी लासेज को तो रोक सकते हैं। आज हमारे टी एण्ड डी लासेज क्या हैं? एकाध परसेंट आप कम कर लें या बढ़ा दें। मैं पिछली सरकार और इस सरकार की बात नहीं करता। जिस राज्य में 40 परसेंट बिजली की छीजत और चोरी होती हो, आप कैसे काम करेंगे? 40 परसेंट अगर टी एण्ड डी लासेज हैं और वह भी उन दोनों डिस्ट्रिक्टों में जहां से मुख्य मंत्रीजी जीतकर आती हैं झालावाड़ और जहां की मुख्य मंत्रीजी महारानी कहलाती हैं धौलपुर। आज भी राजस्थान में टी एण्ड डी लासेज के अन्दर धौलपुर और झालावाड़ नम्बर एक और दो की लड़ाई लड़ रहे हैं ... (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माहिर साहब, जो ज्यादा काम चल रहा है वह भी झालावाड़, बारां और धौलपुर में ही चल रहा है। रिनोवेशन प्रक्रिया इसीलिए कि किसी न किसी प्रकार से ये लासेज कम हों। ... (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मैंने उससे इंकार नहीं किया है लेकिन चोरी में भी रिकार्ड बन रहा है। आपके यहां छबड़ा में बना लिया, वह शुरू होगा तब होगा। मैंने उससे इंकार नहीं किया है। लेकिन क्या मंत्रीजी इस बात से इंकार कर सकते हैं कि हमारी बिजली की छीजत और चोरी झालावाड़

और धौलपुर में सबसे ज्यादा नहीं है? यह हकीकत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन टी एण्ड डी लासेज को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। अव्यावहारिक फैसले मत लो। हम मध्यप्रदेश से विण्ड एनर्जी ले रहे थे, वह तो हम इसलिए छोड़ दें कि यह महंगी है और फिर हम केरल से बिजली ले आये। बिजली खरीदने की बात करें तो मध्यप्रदेश तो हमारा पड़ोसी राज्य था। यहां से तो नजदीक से आ सकती थी। आपके और भी लासेज कम होते। केरल से बिजली लाना आपके लिए क्या कोई व्यावहारिक बात है? एक सुझाव मैं, माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्षजी के माध्यम से आपको यह और देना चाहता हूं, बिजली के संबंध में, कई बार इस सदन में चर्चा होती है और सब माननीय सदस्य इस तरफ ध्यान दिलाते हैं कि गांव के लोगों ने क्या गुनाह कर दिया? क्या आप शहर के अन्दर और इन नागरिकों में भेदभाव कर रहे हैं? आपके सम्भाग मुख्यालय पर तो बिजली दो घंटे कट होगी और जिला मुख्यालय पर 4 घंटे होगी और तहसील मुख्यालय पर 7 घंटे होगी और गांव में 2 घंटे ही बिजली आएगी, यह फर्क आप क्यों कर रहे हो? जब सबमें ह्यूमन राइट बराबर है तो फिर यह फर्क किस आधार पर कर रहे हो आप? मेरा आपसे निवेदन है कि गांवों के अन्दर भी लोग रहते हैं, गांवों के लोगों का भी जीवन है। वे भी इंसान हैं। ढोर-डांगर नहीं हैं। इसलिए आपको उनको भी बराबर ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** सिंचाई मंत्रीजी, आप ऐसे अख़बार नहीं पढ़ सकते। सिंचाई मंत्री, यह गलत बात है। ... (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): यह अख़बार पढ़ रहे हैं हाउस में। मेरा आपसे निवेदन यह है कि गांवों में लोगों को सिंगल फेस तो बिजली कम से कम मिले। आप थ्री फेस नहीं दें, लेकिन सिंगल फेस बिजली तो पर्याप्त मिले। गर्मी उसको भी लगती है। उसकी चमड़ी कोई ज्यादा मोटी नहीं हो गयी, मेहनती जरूर होता है।

एक सुझाव मैं आपको और देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि आप दिन में जो बिजली खरीदते हैं उसकी बनिस्बत जो रात में आप बिजली खरीदते हैं वह आपको सस्ती मिलती है? सही है कि नहीं यह बात? जब आपको रात में बिजली सस्ती मिल रही है और रात में कोई फैक्ट्री या कारखाने वाला उद्योगपति आपकी में बिजली नहीं लेना चाहता

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कि दुर्घटना हो जाएगी रात में आपके, लेकिन किसान खड़ा होकर यह कहता है कि सर्दी हो, चाहे जाड़ा हो या तपती हुई धूप भी हो, किसान रात में भी अपने खेत में खड़े होकर काम करता है। तो जब रात में आप किसान को बिजली देते हो तो वह भी कम से कम सस्ती तो देओ, तो उसको कुछ तो आर्थिक सुविधा उसकी मिले। जब रात में आपको बिजली सस्ती मिल रही है तो आप उस किसान को सस्ती दीजिए। किसान के साथ अन्याय क्यों करते हैं? फैक्ट्री वाले, कारखाने वाले और दूसरे उपभोक्ता लें नहीं और किसान रात में बिजली लेकर भी अपनी फसल को, अपनी आजीविका को बचाने का काम करता है तो इतनी मेहरबानी तो आप भी किसान के ऊपर कीजिए। यह मेरा आपसे बिजली के संबंध में निवेदन था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मौसमी बीमारियों का प्रश्न है ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** अब आप समाप्त करें।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मौसमी बीमारियों का जहां तक सवाल है, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप खुद भी एक चिकित्सक हैं। मीडिया और अखबारों में खूब दिखा कि आप खुद भी आला लगाकर मरीजों को देख रहे थे और सूई भी लगा रहे थे और आपकी डाक्टरों की टीम भी गयी। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने एक बयान दिया कि प्रशासन यदि 50 परसेंट पीड़ित लोगों तक भी राहत पहुंचा दे तो मैं यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूं। यह बहुत आब्जेक्शनेबल है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को तो यह कहना चाहिए कि हर पीडित व्यक्ति तक सरकार, प्रशासनिक लोगों को राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। मान लीजिए 100 लोग भूखे हैं और आप पचास पैकेट उनको दे आओ और पचास पैकेट नहीं दो तो यह कहां की न्याय की बात है? जब राज्य के मुखिया खुद यह कहें कि पचास परसेंट लोगों को भी अगर हमने, पचास परसेंट वाला तो फर्स्ट डिवीजन भी पास नहीं होता है इसलिए यह बात नहीं है। यह कहना चाहिए कि प्रशासन हण्ड्रेड परसेंट लोगों तक, अन्तिम छोर तक राहत पहुंचाने का काम करेगा, तब जाकर प्रशासनिक लोग काम करते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, अब आप कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मैं दो-तीन सुझाव दे दूं। आपने नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अच्छा बजट देकर उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया, उसके लिए भी बधाई देता हूं। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चिकित्सक, पहले हैल्थ मिनिस्टर बने थे उसके बाद ये राजस्थान में नई-नई बीमारियां आ रही हैं- कोई डेंगू आ रहा है, कोई चिकनगुनिया आ रहा है, कोई मंकीगुनिया आ रहा है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: चिकनगुनिया है वह। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मैं कल दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम देख रहा था कि जिन चार-पाँच राज्यों में यह बीमारी फैली उसमें केरल में तो शायद इसको महामारी घोषित कर दिया है। इसमें पांवों में घुटने लोगों के रह जाते हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। आप बयान दे देते हो । एस.एम.एस. हास्पिटल में आप जाकर आये, उसके लिए तो धन्यवाद कि, साहब, 317 पेशेंट आये हैं। गांवों का आदमी कहां से आएगा? वह दो, चार, पाँच दिन तो यही सोचता है कि बुखार चढ़ा है, तावड़ा आया है। वैद्यजी की या कोई ए.एन.एम. की गोली ले लाकर, क्रोसीन लेकर या पैरासीटामोल लेकर वह अपना काम चला लेता है। जब ज्यादा परिस्थिति खराब होती है तब जाकर वह शहर की तरफ भागता है।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

**श्री अध्यक्ष:** कृपया, समय का ध्यान रखें।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो खतरनाक बीमारियां यहां पैदा हो रही हैं इन बीमारियों की तरफ भी ध्यान दीजिए कि इन बीमारियों का इलाज हो, गांवों के लोगों तक हमारी चिकित्सा सेवाएं पहुंचे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** धन्यवाद, ठीक है। श्री मदन राठौड़। (अनुपस्थित) श्री बत्तीलाल। ... (व्यवधान) कब बोले बत्तीलाल?

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): नहीं बोला, साहब, इस पर नहीं बोला। अकाल पर नहीं बोला, साहब, मेरे भयंकर अकाल पड़ रहा है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अब मैं समय सीमा में रहने को कहूंगी आपसे, पांच पांच मिनट में आप अपनी बात कहें क्योंकि बहुत बोलने वाले हैं।

**श्री बत्तीलाल मीणा** (टोडाभीम): पांच ही मिनट में बोल दूंगा। मान्यवर, प्रकृति और मानव का संघर्ष अनादि काल से चला आ रहा है। लेकिन जैसे-जैसे मानव विकसित हुआ है, प्रकृति ने भी अपने नये-नये तरीके ढूंढ लिये हैं । बाड़मेर में जहां अकाल पड़ते रहते थे वहां बाढ़ आने लग गयी । सवाई माधोपुर और करौली में ज्यादा बारिश होती थी वहां पर अकाल भी पड़ रहा है तो ऐसा पड़ रहा है कि गवर्नमेंट की पकड़ में नहीं आ रहा है। मान्यवर, हो क्या रहा है कि गिरदावरी के टाइम फसल हरी, इनसे कहें कि 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा लिखाइये और जब खेतों में जाते हैं तो वह कहते हैं आपकी फसल तो हरी है। जब सितम्बर लास्ट में वर्षा नहीं होती है सवाई माधोपुर और करौली में, तो वहां भंयकर अकाल पड़ता है क्योंकि किसान जोत देता रहता है और लास्ट में अगली फसल कभी नहीं होती है। मेरा माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है, वह बैठे हुए हैं, पूरे हिन्दुस्तान में अब इन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली है कुशल बाढ़ प्रबन्धन के लिये, अकाल का भी कोई तरीका ढूंढें। कलेक्टरों को निर्देश दें। गिरदावरी 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा पटवारी नहीं दिखाएंगे, खेत में जाएंगे तो खेत हरा दिखेगा, वहां उनको फसल भी दिखेगी लेकिन किसान के पास कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, मंडी में बेचने के लिये कोई माल नहीं है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप कलक्टर को हिदायत दें कि स्पष्ट रूप से पकड़ोगे इस अकाल को तो हमें फायदा मिल सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सवाई माधोपुर और करौली में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जाएं। मुझसे आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप सारे राजस्थान के बारे में समझते हैं, अकाल से किस तरह से लड़ा जाता है, यह जानते हैं। आपने पिछले तीन सालों में अकाल के लिये प्रबन्धन किये हैं उससे वास्तव में लोगों की परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ है। आपने इस तरह के कई स्थाई समाधान सोचे हैं । हमारे सवाई माधोपुर और करौली के लिये 495 करोड़ रुपये की योजना स्वास्थ्य मंत्रीजी द्वारा तैयार की जा रही है, इसको युद्ध स्तर पर लाया जा रहा है । सवाई माधोपुर और करौली में आप हमेशा इस भागीरथी कार्य के लिये जनता में याद किये जाओगे। इसका स्थाई समाधान इस तरह का होगा जो पानी की समस्या का तो लोग नाम ही भूल जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इस योजना को जल्दी से जल्दी, दो साल में पूरा करवाएं ताकि उसका श्रेय अपन लोगों को मिल सके और हम कह सकें कि हमारे टाइम में यह योजना शुरू की और हमारे टाइम में इसको पूर्ण कर दिया और आपको पानी पिला दिया।

(श्री बत्तीलाल मीणा)

मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह इतना जानते हैं, इतना करते हैं कि हम समझते भी नहीं, उतना तो वह उससे आगे ही कर जाते हैं। उनका लक्ष्य है कि हर गरीब आदमी को, हर आदमी को चिकित्सा सुविधा से जोड़ें। मैंने कभी नहीं कहा लेकिन मेरे दो अस्पतालों– गुढारामचन्द्र जी और टोडाभीम को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा, मैं नाम नहीं समझता क्योंकि टैक्निकल शब्द है, इस तरह का दर्जा दे दिया, जाने कितनी शैयाओं का बना दिया। दो डिसंपेसरी दे दीं-पाटोली और करीरी। और चिकित्सा के क्षेत्र में इतने पैसे दिये हैं, इतने काम किये हैं। पहले अस्पतालों में जाते थे तो डाक्टर कहते थे पट्टी भी नहीं है, अब वह कह रहे हैं कि सब है, केवल मरीजों के आने की जरूरत है। बाजार से कहीं दवा खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा सामान यहीं मौजूद है। तो मैं इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा से जोड़ने का जो आपका लक्ष्य है वह वास्तव में राजस्थान क्या पूरे हिन्दुस्तान के लिये एक अनुकरणीय रहेगा। मेरे गांव के गरीब लोग जानते ही नहीं थे कि चिकित्सा सुविधा क्या होती है। आप अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सकते हैं । जब आप सुनामी लहरों में गये टोली को लेकर तो वास्तव में वहां भी आपकी चर्चा है। अमेरिका वाले लोग पूछने आये थे मोदीजी से कि आप यह बताइये ... (व्यवधान) ऐसा है, मंत्रीजी, कागजों में तो मैं यह सारा लिख नहीं सकता, लेकिन मोटी मोटी बात। पांच मिनट बांध रखे हैं इसलिए हम तैयारी करके ही नहीं आते हैं कि पांच मिनट हुई, घण्टी बज जाती है। लेकिन फिर भी हमारी जनता की जो समस्या है उसको मैं पांच मिनट में कहना चाहूंगा क्योंकि दो लाख व्यक्तियों की आवाज को हम अंजाम दे रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो पांच मिनट में कोई ऐसा शार्ट कट नहीं जो कह सकें।

मैं हमारे बिजली मंत्री जो प्रभावी हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके रहते हुए तीन साल में किसी तरह का कोई बिजली का आन्दोलन नहीं हुआ और बड़ी अच्छी आपने हमारी सुविधा की, हमारा घेराव नहीं हुआ। पब्लिक ने जो राज दिया था वह बेरोजगारी और बिजली के कारण ही दिया था। वहां तीन घण्टे में छह बार ट्रिप होती थी, हमारे टाइम में आठ घण्टे बिजली मिलती रही। लेकिन अब पिछले टाइम की तरह आप मोनिटरिंग करें, अब और ज्यादा किसानों को बिजली की जरूरत है। आप पांच घण्टे बिजली दे रहे हैं, किसानों की यह मांग है कि वह एस.टी. का जिला है, आप प्रभारी हैं, मैं

(श्री बत्तीलाल मीणा)

जनता की ओर से मांग करता हूं कि एस.टी. के किसानों को कनेक्शन देने में जो प्रतिबन्ध है, उसको खोलें आप। मान्यवर, यह बहुत बडा भागीरथी कार्य होगा वहां की जनता के लिये । लोग आपसे मांग करते रहे हैं कि किसानों को कुए के लिये कनेक्शन दिये जाएं। आपकी दैनिक कार्य योजना तो बहुत तगड़ी है । आप यह चाहते हैं कि हम 24 घण्टे बिजली देंगे। लेकिन आप कब दोगे? साल में दोगे, दो साल में दोगे? बिजली उत्पादन आपने कितना किया है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। लेकिन व्यावहारिक रुप से मैं यह कह सकता हूं कि पहले मुख्य मंत्रियों का घेराव होता था बिजली पर, बिजली के पीछे लोग अपने जूते छोड़ देते थे। लेकिन आज तक हमारा कोई घेराव नहीं हुआ, न कोई इस तरह का आन्दोलन हुआ। महा पड़ाव जरूर हुए लेकिन बिजली या किसी तरह की समस्या को लेकर नहीं हुए। वह एक गांव विशेष या एरिया विशेष को लेकर हुए। इसी तरह मैं यह आशा करता हूं कि इस बार भी आप अभी से मानिटरिंग शुरू कर दें। पिछले तीन साल में हमारी सरकार को जो ख्याति मिली है कि ऐसी अच्छी बिजली दी है, किसानों का उत्पादन बढ़ाया है, सारे काम किये हैं, उसी तरह हम अभी से सतर्क हो जाएं क्योंकि बिजली का मामला किसान से जुड़ा है, उसकी आर्थिक समस्या से जुड़ा है। बिजली यदि किसान को नहीं मिलेगी टाइम पर तो उसकी फसल खराब हो जायेगी, उसकी फसल का मामला है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार, हमारी मुख्य मंत्री स्वयं बिजली की मानिटरिंग करती हैं। आपने कितनी बिजली खरीदी, मैं उसके आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन पिछली सरकार तो उसकी कहीं पास में भी नहीं आती जितनी आपने बिजली खरीदी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली दें। आपसे हम प्रभावित हैं, मेरे तीन ..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** अब कृपया समाप्त करें।

**श्री बत्तीलाल मीणा** : तीन सब ग्रिड स्टेशन हैं उनके लिये मैं आपसे बार-बार निवेदन करता रहा हूं- वह तालचड़ा है, कमालपुरा है और दलपुरा है। आपके जो अधिकारी हैं वे टैक्निकल मिस्टेक निकालकर भेज देते हैं। कई बार ऐसे होता है कि वहां पर विभिन्न विचारधाराओं के जे.ईएन., ए.ईएन. लग जाते हैं और वे जे.ईएन., ए.ईएन. चलाकर उसमें कमी निकाल देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन तीनों ग्रिड स्टेशनों को मंजूरी दिलाएं ताकि किसानों को फायदा मिल सके। आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

**श्री अध्यक्षः** धन्यवाद। श्री महादेव सिंह खण्डेला।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त में वर्षा चक्र कुछ ऐसा रहता है कि कभी अधिक वर्षा होती है, कभी बहुत कम वर्षा होती है, कभी असामयिक वर्षा होती है। सदा बहने वाली नदियों का अभाव है और काश्तकारों के लिये पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। वर्षा नहीं होने से हमारे प्रान्त में अकाल लगातार पड़ते आ रहे हैं । औसतन दस साल में आठ साल अकाल पड़ते हैं। यहां के सारे किसानों की कमर टूट गयी और माली हालत बहुत खराब है। अकाल राहत कार्य जब भी शुरू किये जाते हैं तो पहले तो गिरदावरी नहीं होती है और गिरदावरी जो होती है वह भी सही नहीं होती । जहां अकाल है वहां गिरदावरी सही नहीं होने से अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये जाते। इसलिए मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों की तरफ ध्यान देकर समय पर गिरदावरी कराई जाए और लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिये तुरन्त काम चालू कराये जाए। बहुत समय से हमारे प्रान्त में इतना भयंकर अकाल है कि पशुओं के लिये चारा नहीं है। हमारा किसान मजबूर होकर पशुधन को अपने घर से खोल देता है, उनको रखने वाला कोई नहीं है। मेरा इस सरकार से इस संबंध में निवेदन है कि गौशालाएं ज्यादा से ज्यादा खोली जाएं और गौशालाओं के अंदर जो अनुदान राशि है उसको बढ़ाया जाए जिससे कि हम हमारी गौमाता की रक्षा कर सकें, उनको गौशालाओं में रख सकें। अकाल के हालात को देखते हुए आज लोग मजदूरी न मिलने की वजह से बहुत परेशान हैं इसलिए मौके पर आप जल्दी से जल्दी जिला कलक्टरों से कहकर गिरदावरी करवाकर अकाल राहत कार्य शुरू करवाएं। जहां तक पशुओं का सवाल है, पशुओं को देखने वाला भी कोई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप गौशालाओं में अनुदान राशि दिलाकर गायों की रक्षा के लिये व्यवस्था करवाएं, यह मेरा आपसे निवेदन है। वर्षा होती नहीं, नदियां हैं नहीं और वर्षा कम होने की वजह से जमीन का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है।

बिजली के लिये आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों को आठ घण्टे बिजली देंगे। डोमेस्टिक लाइट हम 24 घण्टे देंगे । एक फेस की लाइन हम पांच घण्टे देंगे। लेकिन आप अपने घोषणा पत्र के मुताबिक किसानों को बिजली नहीं दे रहे हैं। इस समय दोनों फसलों का टाइम है। किसान की मूंगफली पकने को आ रही है, उसमें पानी की कमी से वह पक नहीं सकेगी और आगे की बुवाई के लिये किसान जिसको हमारी भाषा में पळाव बोलते हैं,

(श्री महादेव सिंह)

वह पळाव नहीं कर सकेगा तो रबी की फसल भी नहीं बो सकेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बिजली दिलवाने की कृपा करें। जिससे हमारे किसानों की खरीफ की फसल की मूंगफली पकने के बाद पानी लगे और आगे की रबी की फसल बोने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा पळाव करके ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल बो सके। इसके लिए आप इस समय थोड़ा-सा ध्यान दें और बिजली की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करवाएं।

बिजली का जो आपने विस्तार कर रखा है, ज्यादा से ज्यादा छीजत इस बात की होती है कि आपकी लाइनें बहुत ही लम्बी हैं, ट्रांसफार्मर भी आपके जल्दी जलते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जगह-जगह छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर रखवाएं, बिजली की लाइनें जो पुरानी हैं, उनका नवीनीकरण करवाएं और एक 133 के.वी. का ग्रिड स्टेशन जल्दी से जल्दी लगवाएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में मैं कई सालों से निवेदन करता आ रहा हूं कि पूरे विधान सभा क्षेत्र में 132 के.वी. का ग्रिड स्टेशन नहीं है। आपसे निवेदन है कि खण्डेला में खण्डेला मोड़ के ऊपर एक प्रपोज्ड 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन है, वहां जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करवाने की कृपा करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

इस समय मौसमी बीमारियों का बहुत बड़ा प्रकोप है। आपको ध्यान है कि नहीं है, मुझे इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि अब की बार जब बीमारियां चालू हुईं तो कोई इसको चिकनगुनिया बोलता है, कोई इसको मंकीगुनिया बोलता है लेकिन हमारे इलाके में तो इसको गोडा तोड़ बुखार बोलते हैं। सबसे पहले खण्डेला में चालू हुई थी, आपके डिपार्टमेंट के भी बहुत लोग गये थे, बहुत-से आपके डाक्टर भी गये। मैंने पहले ही कहा था कि अभी तक इस बात का पता नहीं है कि वास्तव में इस बीमारी का क्या नाम है। जो आदमी पहले रोज, पहली बार बीमार पड़ा था उसके शरीर में आज तक वो दर्द होता आ रहा है और नये बीमार पड़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को मैंने चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन किया था ---

**श्री अध्यक्ष:** कृपया अब समाप्त करें।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): कि आप हमारे इलाके में एक अच्छी डाक्टर्स की टीम भेज कर इसकी जांच करवाएं। दिल्ली जांच होकर आयी है, अभी तक इसका पता नहीं है। पूना भी इन्होंने जांच के लिए भेजा था लेकिन अभी तक इस बीमारी का किसी को पता ही नहीं लगा। मेरे इलाके में बार गांव

(श्री महादेव सिंह)

में जो हास्पिटल बने हुए हैं, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं, वहां पर डाक्टर्स नहीं हैं। मेरा खुद का गांव है होद, वहां आज एक साल से डाक्टर नहीं है, हास्पिटल खाली पड़ा है। एक कम्पाउण्डर उसको संभालता है।

**श्री अध्यक्षः** कृपया समाप्त करें।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): खण्डेला के पास ही कोटड़ी है, वहां आपका डाक्टर नहीं है। खण्डेला नगरपालिका है, रैफरल हास्पिटल है, रैफरल हास्पिटल में वहां कितने डाक्टर हैं? लेडी डाक्टर वहां है नहीं, एम्बुलैंस दो-तीन साल से खराब पड़ी हुई है। इसी प्रकार से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्वाला में है, ग्वाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में खाली एक डाक्टर है, बाकी एक भी डाक्टर नहीं है। एक लेडी डाक्टर थी वह आपके आदेश से और लगा दी गयी है।

**श्री अध्यक्षः** अब आप समाप्त करें।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): हमारे इलाके में ए.एन.एम. गांवों में दाई का काम भी करते हैं और गांवों के लोग तो उनको डाक्टर समझ कर जो कुछ भी दवाइयां देते हैं वो ले लेते हैं।

**श्री अध्यक्षः** अब आप समाप्त करें। श्री हीरालालजी।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इलाके में हुई बीमारियों के ऊपर रोकथाम लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा डाक्टर और कम्पाउण्डर लगाएं। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री हीरालाल (**निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र निवाई में अकाल की स्थिति बन रही है। निवाई विधान सभा क्षेत्र पूरा अकाल की चपेट में है, सारे कुए, पोखर और यहां तक कि जल स्तर भी बहुत नीचे चला गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई नहर नहीं है, कोई बाँध नहीं है और कृषकों का सारा कृषि कार्य वर्षा पर निर्भर करता है। इस बार औसत से कम वर्षा हुई है इसलिए मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे विधान सभा क्षेत्र में गश्त गिरदावरी करके तुरन्त अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करवाए जाएं।

पशुओं की स्थिति यह है कि पानी के अभाव में पशु मारे-मारे फिर रहे हैं, कृषक भी अपने पशुओं को छोड़ देते हैं। इसी तरह से चारा डिपो की भी मेरे क्षेत्र में आवश्यकता है। साथ ही पीने के पानी की भी काफी समस्या है। मैं

(श्री हीरालाल)

आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में अधिक से अधिक पानी के लिए हैण्डपम्प की व्यवस्था करें। बीसलपुर के पानी के लिए बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, मैं सिंचाई मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध है कि जो कार्य चल रहा है वो युद्ध स्तर पर चला कर करें, क्योंकि निवाई विधान सभा क्षेत्र में 75 प्रतिशत गांच फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन कर रहे हैं जिससे कूबड़े, दाँत पीले हो जाते हैं, हाथ-पैर मुड जाते हैं। इसलिए बीसलपुर के पानी के लिए जो अभी काम चल रहा है उसको युद्ध स्तर पर चला कर निवाई को पानी मुहैया कराया जाए।

इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे क्षेत्र में जो रिक्त पद हैं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि दतवास के सी.एच.सी., निवाई में नर्सिंग स्टॉफ की कमी है। वैसे अभी वर्तमान में आपके चिकित्सा मंत्री बनने के बाद में धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे यहां डाक्टर्स की आपने संख्या बढ़ायी है, पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में पी.एच.सी. खरेड़ा, दतवास और रावली क्रमोन्नत कराने की कृपा करें। स्वास्थ्य उप-केन्द्र भी कम हैं, तीन सालों में कोई पी.एच.सी. या स्वास्थ्य उप-केन्द्र नहीं खुले हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य उप-केन्द्र और पी.एच.सी खोलने की कृपा करें।

बिजली के लिए हमारी सरकार ने जो कृषकों पर कनेक्शन का बैन लगा रखा है, मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि व बैन भी हटाएं ताकि किसानों को कनेक्शन मिले। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से है लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में रात को दस बजे के बाद प्रातः चार बजे तक बिजली बंद हो जाती है, उसमें बिजली की तार चोरी भी होती है, तेल चोरी भी होती है तो इसके लिए मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सिंगल फेस की व्यवस्था करें।

**श्री अध्यक्ष:** कृपया समाप्त करें।

**श्री हीरालाल** (निवाई): मेरे क्षेत्र में दो जी.एस.एस. खुले थे पिछली दफे, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ, कृपया उनको भी पूरा करवाने का कष्ट करें ताकि बिजली की समस्या दूर हो। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री अध्यक्ष:** धन्यवाद। श्री बृजकिशोर शर्मा।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, दूसरे नम्बर पर मेरा नाम था, आपने आगे-पीछे किया या हमारा ---

**श्री अध्यक्ष:** नाम था, उन्होंने खास तौर से भेजा है कि, साहब, मुझे पहले बोलने दो।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): तो, साहब, हमारे पर ही कृपा कर दो।

**श्री अध्यक्ष:** हां, आप पर भी कृपा कर देंगे। कर दूंगी कृपा आप पर।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी पर्ची दे रखी है।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): आप इन्हें पहले बोलने दें।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): नहीं, कोई बात नहीं, अब आप खड़े हो गये, बोल लो।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी पर्ची दे रखी है।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): नहीं, नहीं, आप बोलो।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): आप खड़े हो गये, आप बोल लो, कोई बात नहीं।

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, वो कह रहे हैं तो आप बोलिये।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): हां, बोलो।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): पांच मिनट बोलूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** बोलो तो फिर, आप बोल दीजिए। (व्यवधान)

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल, बिजली और मौसमी बीमारियों पर चर्चा हो रही है।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी पर्ची दी है।

**श्री अध्यक्ष:** हां, दी हुई है।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): हमारा नम्बर नहीं आएगा?

**श्री अध्यक्ष:** आ जाएगा।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

राजस्थान में अकाल की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान और अकाल का कोई पुराना रिश्ता हो, ऐसा आजकल लगने लग गया क्योंकि लगातार छः-सात वर्षों से राजस्थान में अकाल पड़ता आ रहा है। आपने तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, देखा होगा कि राजस्थान में छप्पने अकाल जैसे अकाल पड़े हैं, लोगों ने खेजड़ी के छोडे खा कर अपना जीवन-यापन किया था। आज पश्चिमी राजस्थान में जिस जिले से मैं आता हूं उसकी और मेरे क्षेत्र की कुछ बात आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्षः** कहिये, करिये।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार जो हमारे जिले में स्थिति बनी है नागौर में सामान्य से कम वर्षा हुई है। करीब-करीब सभी तहसीलों में- डेगाना में, मूंडवा में, परबतसर में, खींवसर में, जायल और मेड़ता के कुछ गांवों में अकाल की स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र डेगाना में 220 गांवों में से करीब 180 गांवों में अकाल है, पीने का पानी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से सर्वप्रथम यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो गिरदावरी अब की हो, वो न्यायपूर्ण तरीके से हो। गिरदावरी में कोई भेदभाव नहीं हो। जहां जितना खराबा हो उस स्थिति को सही रूप से अभावग्रस्त घोषित किया जाए। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में पशुधन बहुत है- गाय, भेड़, बकरी ज्यादा से ज्यादा चारा डिपो खोलने की आवश्यकता है। चारा डिपो जहां जरुरत है वहां खोले जाएं। पानी के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी तालाबों में पानी नहीं आया है। यह पीने के पानी की व्यवस्था सरकार कैसे करेगी, यह भी बात थोड़ा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, तो इस पर करते। इसकी व्यवस्था आपको कोई कन्टिंजेंसी प्लान बनाकर करनी चाहिए।

**श्री अध्यक्षः** अकाल राहत मंत्री हैं न, अकाल राहत मंत्री देंगे जवाब, वह बैठे हैं ना।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): हां, तो अकाल राहत मंत्रीजी कह देंगे।

**श्री अध्यक्षः** कह देंगे तो वह जवाब देंगे जब।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): हर जिले में अलग-अलग अकाल राहत के कार्य उपयोगी हैं। मैं मेरे क्षेत्र का निवेदन करना चाहता हूं कि तालाब

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

खुदाई, एनीकट का निर्माण, तीन-चार जो बाँध हैं उनकी पाल ऊंचा उठाने का काम, इन कामों को आप जब भी अकाल राहत कार्य शुरू करें तो ध्यान में रखें।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कुछ बातें बिजली के लिए निवेदन करना चाहता हूं। आज सदन में कहा गया कि आठ घंटे हम बिजली दे रहे हैं, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री अध्यक्षः** कब कहा, आठ घण्टे देंगे ?

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): आठ घंटे की घोषणा की है। सरकार की की हुई है।

**श्री अध्यक्षः** नहीं, वह तो पहले की थी लेकिन अब कब कहा कि आठ घंटे दे रहे हैं? अब तो नहीं कहा।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): तो मैं गलत कह रहा हूं, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं।

**श्री अध्यक्षः** अब तो, इस समय तो नहीं कहा न?

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): तो अब मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, फसल बुवाई का समय आ गया, अब जब बुवाई शुरू हो जाए तो आप कम से कम आठ घंटे बिजली की व्यवस्था कर दें। किसान जो पहले अकाल में मरा हुआ था, यह बिजली कहीं कोढ में खाज का काम नहीं कर दे। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आठ घंटे बिजली किसानों को आप दें देंगे तो कुओं वाली फसल हो जाएगी। कुओं का चारा अबके हमारे जिले में मिला है लोगों को बाकी पूरा चारा साफ हो गया । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मवेशी को बचाने के लिए बिजली आठ घंटे दे देंगे तो हमारे जिले के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंजीकृत गौशालाएं जो भी हैं हमारे जिले में, उन सबका अनुदान चालू रखा जाए। गौशाला का अनुदान बंद करने पर गायों की आगे ही दुर्दशा है। हमारे जिले में बहुत बड़े परबतसर, नागौर, डीड़वाना, डेगाना, रेण इत्यादि कई पशु मेले भरते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पशु मेले लगते हैं, मारवाड में मुख्य रूप से हमारे किसानों का पेट भरने का साधन है पशु पालन और खेती।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

मैं लगातार आठ वर्ष से इस सदन में आपके माध्यम से मांग करता आया हूं कि एक तीन साल तक के बछड़े को बाहर नहीं ले जा सकते, यह रोक लगाई हुई है। पिछले सत्र में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि एक सदन की कमेटी बनाकर इस समस्या का समाधान करेंगे, इस कानून में संशोधन करेंगे। पर मुझे आज बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, आज तक उस कानून में न कोई संशोधन हुआ और न किसी प्रकार की आगे कोई प्रगति हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे नागौर जिले की नस्ल हिन्दुस्तान में मशहूर है, उसको बचाने के लिए गाय को बचाना जरूरी है। इसलिए इस कानून में संशोधन किया जाए और यह संशोधन करके हमारे काश्तकारों को राहत दी जाए।

**श्री अध्यक्ष:** अब आप समाप्त करें।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): समाप्त कर दूं ?

**श्री अध्यक्ष**: समाप्त से मतलब समय पांच मिनट का हो गया है इसलिए मैं कह रही हूं, समाप्त करिए। कनक्लूड कर दें।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): बस दो मिनट में कर दूंगा। जो हमारे जिले में पानी की स्थिति है, कुओं का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, खेत लोगों के खराब हो रहे हैं । हर वर्ष, अध्यक्ष महोदय, जिप्सम डालकर उन खेतों में धान उगा रहे हैं क्योंकि जब भी कुओं का पानी खेत में पिलाते हैं तो सुबह सफेद चादर बिछी हुई मिलती है, इतना फ्लोराइड हो गया है कुओं के पानी में। इस विषय पर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए, सदन को चिन्ता करनी चाहिए कि आने वाले वर्षो में पानी की क्या स्थिति होगी, राजस्थान के काश्तकार की क्या स्थिति होगी। काश्तकार आज, अध्यक्ष महोदय, चाहे किसान कार्ड से लोन ले रहा है, वह भिखारी बनने की तरफ जा रहा है, उसकी जमीन गिरवी हो रही है। तरह-तरह के ट्रैक्टर खरीद रहा है और वह जमीन उसकी रहने वाली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर काश्तकार का कोई हितैषी है तो राजस्थान सरकार को समय पर बिजली देनी चाहिए। मिलावटी खाद, बीज जो मिल रहा है उससे बचना चाहिए और इसकी समय-समय पर जांच होनी चाहिए। और जो पानी का लेवल नीचे गया है उसके बारे में सरकार को चिन्ता करनी चाहिए कि आने वाले वर्षो में राजस्थान के किसान का क्या होगा। अगर राजस्थान का

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

किसान कमजोर हो गया तो प्रदेश कमजोर हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री जोगाराम पटेल:** माननीय अध्यक्ष महोदय, पाँच माननीय विधायक विराजे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: क्या फर्माया आपने ?

**श्री जोगाराम पटेल**: सिर्फ पाँच माननीय विधायक विराजे हैं बाकी सब गये, कोई चिन्ता नहीं है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): इनके 120 में से 20 हैं। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: सिर्फ पाँच माननीय विधायक हैं, यह भी जाएंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** श्री बहादुर सिंह गोदारा।

**श्री बहादुर सिंह गोदारा** (नोहर): अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे क्षेत्र में भयंकर अकाल की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा सबसे पहले सरकार से यह निवेदन है कि हनुमानगढ़ जिले का थोड़ा क्षेत्रफल नहरी है जिसकी वजह से भयंकर अकाल होते हुए भी कभी वहां अकाल नहीं घोषित किया जाता। अभाव की स्थिति घोषित की जाती है जिससे राहत कार्य नहीं खुल पाते, लोगों को रोजगार नहीं मिलता और लोगों को मजबूरी में मजदूरी के अभाव में पलायन करना पड़ता है।

**(समय : 19.57 बजे)**

**(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस तहसील में, जिन गांवों में भयंकर अकाल की स्थिति है उनको अकालग्रस्त घोषित किया जाए और उनमें स्थाई तौर पर इस तरह के काम करवाए जाएं ताकि अकाल की विभीषिका कम हो, लोगों को राहत मिले, लोगों को पूरी मजदूरी मिले।

अकाल में आम तौर पर देखा गया है कि मिट्टी इधर से उधर करवा दी जाती है। वह कोई ठोस काम तो नहीं। थोड़े दिनों के बाद उस काम का कहीं नामो निशान नहीं रहता, पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। फर्जी की हाजरियां लगती हैं। थोड़ी-सी देर काम करके लोग हाज़िरी लगाकर फेमिन का वर्क पूरा कर देते हैं । मेरे क्षेत्र में नोहर फीडर, सिद्धमुख कैनाल आए हुए आज दस

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

साल हो गये, चूरू लिफ्ट सिंचाई योजना भी दस साल पहले आ गई थी लेकिन अभी तक न उस क्षेत्र का सर्वे हुआ है, न वहां मोगे, खाले, माइनर बने हैं जिसकी वजह से पानी का समुचित उपयोग नहीं होता। अकाल में लोगों को जो पानी मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस साल भी बड़ा भयंकर अकाल है, आप उसे अकालग्रस्त घोषित करें और नहरों का सर्वे करवाकर खाले-नाले बनवाकर लोगों को इस भयंकर अकाल के अन्दर पानी दिलाने की चेष्टा करें ताकि लोग चार-छह बीघा में भी खेती करके अकाल का मुकाबला कर सकें।

दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर बरसात के पानी को इकट्ठा करके हम इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल करें तो अकाल की विभीषिका काफी कम हो सकती है। बारानी एरिया के अन्दर भी बड़े कुण्ड बनाकर, डिग्गी और जोड़ बनाकर पानी एकत्रित किया जा सकता है। बरसात के अभाव में उस पानी को इस्तेमाल करके फसल को दो-दस बीघा के अन्दर जीवित रखकर किसान अपने खाने लायक अनाज और अपने पशुओं के लिए चारा पैदा कर सकता है। अकालग्रस्त क्षेत्र में आए साल करोड़ों रुपए खर्च होता है। थोड़े दिनों के बाद यह पता ही नहीं चलता कि वहां क्या काम करवाया गया है। इस अकाल को रोकने के लिए कि आइन्दा उस क्षेत्र में अकाल नहीं पड़े, डिग्गियां बनवाई जाएं, कुण्ड बनवाए जाएं, पानी का स्थाई प्रबन्ध किया जाए और नहरी क्षेत्र का सर्वे करवाकर खाले, नाले और खेतों में डिग्गियां बनवाकर पानी दिया जाए ताकि वह उस पानी का इस्तेमाल करके लोग अकाल से बचाव कर सकें।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में भी बिजली की भयंकर कमी रहती है। गांवों में जब भी जाते हैं तो उलाहना यह मिलता है कि जब हमें बिजली की जरुरत होती है, बिजली नहीं मिलती है। जब जरुरत नहीं होती है तब थोड़ी देर के लिए आती है। इसलिए गांव वाले बड़े परेशान हैं। तो काश्तकारों को कम से कम उचित समय पर बिजली दी जाए ताकि वे भी कुछ राहत महसूस कर सकें।

**(समय : 20.00 बजे)**

बीमारी का जहां तक सवाल है, हमारे कुछ एरिया में राजस्थान कैनाल आती है और पीने का पानी करीब क्षेत्र में राजस्थान कैनाल से लिया जाता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा से सेम का पानी इतना डाला जाता है राजस्थान

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

कैनाल में कि हमारे पूरे क्षेत्र के अन्दर पीलिये की बीमारी और दूसरी बीमारियां फैंलती रहती हैं। तो मेरा अनुरोध है सिंचाई मंत्रीजी से, आप यह सुनिश्चित करें कि पंजाब और हरियाणा का सेम का पानी हमारी नहर में गिराया नहीं जाए। अगर वह बड़ी मुख्य धार में भी पानी गिराना शुरू कर देंगे तो हमारे पूरे एरिया के अन्दर परमानेंट बीमारी फैलती रहेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस नहर में जो पानी पंजाब और हरियाणा से सेम का गिर रहा है, उसे रुकवाने की चेष्टा करें।

मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि नहर का पानी भी हमारे क्षेत्र में बहुत कम मिल पाता है। पहले तो हरियाणा हमें कम देता है, दूसरा हरियाणा के काश्तकार भी चोरी करते हैं। फिर हमारे क्षेत्र में आने के बाद हमारे काश्तकार भी उस पानी की चोरी करते हैं जिसकी वजह से हमारी टेल में पानी नहीं पहुंच पाता, बड़ी मुश्किल से आधी दूर तक पानी पहुंचता है। बहुत-से काश्तकार नहरी एरिये में होते हुए भी नहर के पानी से वंचित रह जाते हैं जिससे अकाल की मार उनके ऊपर दुगनी पड़ जाती है। खेती करते हैं, एक आध बुवाई पानी से हो जाती है, खर्चा लग जाता है। लेकिन अगर दुबारा पानी नहीं मिलता है तो खेती हो नहीं पाली। खर्चा काश्तकार के लग जाता है। उल्टा उसके अकाल में भी नुकसान लग जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को इन बातों की तरफ गंभीरता से विचार कर ध्यान देना चाहिये और काश्तकारों की इन समस्याओं का समाधान निकालना चाहिये। आपने समय दिया उसके लिये बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री हेमराज मीणा।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली, मौसमी बीमारी और अकाल के मामले में अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा। मेरे क्षेत्र में अकाल नहीं है इसके लिये तो मैं, मेरा इलाका और मेरा डिस्ट्रिक्ट बहुत खुश है। सरकार भी बहुत खुश है इससे कि अकाल जैसी स्थिति मेरे इलाके में नहीं है। सबसे पहले अकाल भी मेरे इलाके से ही शुरू होता था जहां पर ऐसी क्राइसिस थी कि आदिवासियों की भयंकर मौतें हुई हैं। इसके लिये भी सरकार को बधाई दूंगा कि सरकार ने अच्छे काम किये हैं तो भगवान प्रसन्न हुआ और हाड़ौती में अकाल नहीं है।

चिकित्सा के क्षेत्र में बीमारी भी नहीं है। चिकनगुनिया बारां में है

(श्री हेमराज मीणा)

उसका इलाज तत्परता से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रीजी को केवल एक निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगंज, शाहबाद और बारां डिस्ट्रिक्ट पूरा ट्राइबल का इलाका है, पूरे ट्राइबल इलाके में तीन साल तक सरकार रहने के बाद भी अभी तक डाक्टर्स की जगह खाली पड़ी हुई हैं। मेरा तो विनम्र निवेदन आपसे यह है, किसी भी प्रकार से आप जहां पर जगह खाली हैं उन डाक्टर्स की जगह भर दें। आपने 15-16 सब सेण्टर खोले थे, 16 सब सेण्टर तो आपने खोले लेकिन अभी तक ए एन एम की पोस्टिंग नहीं हुई और जिनकी पोस्टिंग आपने की है उस ए एन एम ने अभी जोइन नहीं किया। किशनगंज में आक डाक्टर्स की कमी है, शाहबाद में डाक्टर्स की कमी है। तीन साल तो लगातार मैंने आपको भी पत्र लिखा, मुख्य मंत्रीजी को भी पत्र लिखा उसके बाद भी जगह नहीं भरी, यह खेदजनक बात है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप डाक्टर्स की पोस्टिंग करके वहां जगह भरें ताकि किसी भी प्रकार का क्राइसिस उस इलाके में न आ सके।

बिजली के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने पिछले तीन सालों में बिजली में काम बहुत किया। फीडर रिनोवेशन का काम लिया हाथ में, उससे बिजली की छीजत रुकी है। हाड़ौती में खूब काम हुआ। झालावाड़, बारां में काम अभी चल रहा है। सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर लगे हैं ताकि गावों को सिंगल फेस की बिजली मिले। यह काम भी सरकार ने किया। 33 केवी. सब स्टेशन लगाने का काम सरकार ने किया। कई सारे 33 केवी. सब स्टेशन, 132 केवी. सब स्टेशन इलाके में लगे हैं, उससे बिजली के क्षेत्र में बहुत सारा सुधार हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद कई सारी दिक्कतें हमारे सामने हैं जो मैं सरकार के सामने, आपके माध्यम से मंत्रीजी के सामने रखना चाहूंगा। उन दिक्कतों को दूर करें ताकि जनता को लाभ हो सके। आपने छह घण्टे बिजली देने का अनाउंस किया हुआ है। पहले आठ घण्टे का था, अब छह घण्टे का कर दिया। छह घण्टे बिजली देने का अनाउंस तो किया है और वास्तव में आपने यहां से बिजली की व्यवस्था की होगी छह घण्टे बिजली देने की लेकिन हमको थ्री फेस बिजली छह घण्टे के समय से क्षेत्र में हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिल नहीं रही है। उसकी व्यवस्था बनाएं आप। कोई ऐसी मानिटरिंग की व्यवस्था हो जिससे बिजली सही समय पर मिले। बारां से बिजली, जब बारां का मीटर देखते हैं, 132 की फीडर देखते हैं तो वहां रीडिंग

(श्री हेमराज मीणा)

यह आएगी कि पांच घण्टे फीडरों में बिजली जा रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गांवों में बिजली पहुंच नहीं रही है। गांवों में लाइन फाल्ट है। गांवों में लाइनों की मेंटिनेंस नहीं है। इस पर आपको गहराई से विचार करना पड़ेगा। शाम के समय आप बिजली देते हैं बत्ती के लिये। आपने नियम बना रखा है कि सात से ग्यारह बजे आप बिजली देंगे। चार बजे बिजली देंगे सुबह छह बजे तक। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार ऐसे फाल्ट आते हैं कि पन्द्रह-पन्द्रह दिन बिजली गुल रहती है। ऐसी मानिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे बिजली किसानों को, उपभोक्ताओं को समय पर मिले। यह सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने है।

आपने बिजली नीति घोषित की थी। संशोधित बिजली नीति 18.9.2004 को जारी की है। एग्रीकल्चर पालिसी के बाद आपने कोई पालिसी जारी नहीं की। उस पालिसी के अनुसार आपने जिस तरह से बिजली कनेक्शन पिछले दो सालों में दिये, 99,000 कनेक्शन आपने दिये लेकिन उसके बाद पिछले एक वर्ष से लगातार जो एग्रीकल्चर के प्रार्थना पत्र लम्बित हैं, उन लम्बित प्रार्थना पत्र के डिमांड नोटिस बंद हैं, एक वर्ष से लगातार। पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। आपने कट आफ डेट जारी की, कट आफ डेट जारी करने के बाद भी आपने डिमाण्ड नोटिस जारी करने के लिये यहां से आदेश निकाला है कि इसको बंद कर दिया जाए।

**(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)**

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): मैं आपको आदेश सुनाना चाहूंगा। स्पेशल श्रेणी, फार्म हाउस श्रेणी में लम्बित आवेदकों को निगम के आदेश क्रमांक आर आई ओ/25/दिनांक 5.5.2002 के द्वारा मांग पत्र जारी करने पर एवं आदेश क्रमांक आर आई ओ/126/दिनांक 17.5.2005 के द्वारा नये आवेदन लेने पर भी रोक लगी हुई है। जो पुराने प्रार्थना पत्र जमा थे उनके डिमाण्ड नोटिस निकालने पर रोक। उसके साथ आपने यह भी रोक लगा रखी है कि नये प्रार्थना पत्र भी नहीं लिये जाएंगे। तो काश्तकार क्या करेगा ? पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे ऊपर क्षेत्र के लोगों का, किसानों का एक दवाब है कि न डिमाण्ड नोटिस जारी हो रहे हैं और न ही किसी भी प्रकार नये प्रार्थना पत्र लिये जा रहे हैं। मंत्रीजी, मैं जानता हूं कि बिजली की तो कमी

(श्री हेमराज मीणा)

होगी आपके पास, बिजली देने में आपके सामने कई सारी बाधाएं होगी, उसके बाद भी आप एक व्यवस्था करे कि डिमाण्ड नोटिस जो पुराने प्रार्थना पत्र लम्बित हैं उनके जारी हों और प्रार्थना पत्र प्रारम्भ करें यह जारी किया जाना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): मांग पत्र, घरेलू कनेक्शन आपने कर दिये...

**श्री उपाध्यक्ष**: हेमराजजी, पाँच मिनट का समय ले लिया आपने।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): मैंने तो अभी बोला ही नहीं। मेरी तो बहुत सारी बातें हैं।

**श्री उपाध्यक्ष:** काफी कह दिया आपने।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): बिजली की बात कहनी है। बिजली के बारे में बात पूरी कहूंगा मैं।

**श्री उपाध्यक्ष:** ज्यादा समय नहीं है। पांच मिनट से ज्यादा बोलने का समय नहीं मिलेगा। आप समाप्त करिये।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): बड़ी मुश्किल से नम्बर आता है। उपाध्यक्ष महोदय, घरेलू कनेक्शन आपने जारी रखे हुए हैं, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि किसी ने खेत में मकान बना लिया, खेत में मकान बनाने के बाद उसके खेत से एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं है लेकिन वह खेत पर यदि चाहता है कनेक्शन लेना सिंगल फेस का तो उस पर भी पाबन्दी लगायी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो खेत पर मकान बने हुए हैं, फार्म हाउस में जो मकान बने हुए हैं, जिनके पास एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं है तो उन पर भी सिंगल फेस की बत्ती देने के लिये आप कोई आदेश जारी करें ताकि उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, यह सारी बात आप मंत्रीजी को लिखकर दे देवें।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): कई सारे डिमाण्ड नोटिस आपने खारिज कर दिये क्योंकि किसानों के पास सरसों का भुगतान नहीं था। सरसों का भुगतान समय पर नहीं मिला तो उन काश्तकारों के डिमाण्ड नोटिस

(श्री हेमराज मीणा)

खारिज हो गये। मैं समझता हूं, जिनके डिमाण्ड नोटिस खारिज हो गये, मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको दुबारा मौका मिलना चाहिये। आज करोड़ों रुपये का भुगतान बकाया है, काश्तकार पिछले साल से इससे परेशानी में था तो उसके कारण से इनके डिमाण्ड नोटिस जमा नहीं हो पाये और खारिज हो गये। इनको पुनः जारी करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही दो-तीन बातें और निवेदन करना चाहूंगा। मेरे पूरे जिले में विद्युत लाइनों के तार ढीले हैं उसके कारण से फाल्ट बहुत आता है। लाइनों में ट्रिपिंग बहुत आती है। काश्तकारों की मोटरें लगातार जल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा था, पत्र में मैंने यह कहा था कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे प्राइवेट ट्रांसफार्मर लग रहे हैं। जो सक्षम काश्तकार हैं वे बाजार से ट्रांसफार्मर खरीदकर लाते हैं और लाइन के बगल में जहां खेत में उसके यहां से लाइन निकल रही है वहां से बोरिंग करके ट्रांसफार्मर लगाकर पानी दे लेते हैं, फिर ट्रांसफार्मर उठाकर घर ले जाते हैं। इस चोरी को रोका जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैंने पिछली बार मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा, मैंने विधायक दल की बैठक में भी यह बात कही थी लेकिन उसके बाद भी अभी तक विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि हमारे जो बिजली के अधिकारी हैं आरएसईबी के, उनकी मिलीभगत लगती है। दो ट्रांसफार्मर पकड़े गये, उस काश्तकार के खिलाफ तो कार्यवाही हुई लेकिन काश्तकार यह बयान दे रहा है कि मैंने जे.ईएन. और ए.ईएन. को दस हजार रूपये दिये हैं और मैंने ठेका किया है कि मेरे को दो महीने के लिए तुम बिजली चला लेने दो। और उसने अपनी बिजली चलायी। लेकिन जब दबाव पड़ा बिजली बोर्ड के अधिकारियों पर, उन्होंने पकड़ा। लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि 132 के.वी. जीएसएस बना हुआ है उस पर जितना एग्रीकल्चर का लोड है, जितना वास्तव में रिकार्ड में लोड है उतनी बिजली उससे हम दे रहे हैं, लेकिन उससे एक्सेस लोड बढ़ रहा है जहां इतने हमारे एग्रीकल्चर के कनेक्शन नहीं हैं। तो क्यों न हम बिजली बोर्ड के अधिकारियों को इस बात के लिए पाबंद करें, कि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो कि यदि इस 33 के.वी. पर या 132 के.वी. सब स्टेशन पर जितना लोड है उससे ज्यादा लोड आए, आ रहा है तो उसके लिए दोषी है तो वहां बिजली का इंजीनियर दोषी है? उसकी मिलीभगत के कारण से चोरी हो रही है, उस पर पाबंदी लगायी जानी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकार रहा हूं। आप अपना लिखित में दे दीजिये। श्री बृजकिशोर शर्मा।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो हमारा डिमांड नोटिस बनता है विशेष श्रेणी का, उसको आप चालू करें, जो लंबित प्रार्थना-पत्र हैं उन्हें जारी करें और नये प्रार्थना-पत्र आप स्वीकार करें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री बृजकिशोर शर्मा।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली, अकाल और मौसमी बीमारियों पर यह सदन ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: पांच मिनट में, कृपया पांच मिनट में समाप्त करें।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बोलना नहीं शुरू किया उसके पहले आप पांच मिनट कहने लग गये, तो इससे तो अच्छा है कि मैं बैठ जाऊं।

**श्री उपाध्यक्ष:** मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): मैंने बोलना शुरू नहीं किया उसके पहले ही आप यह बात कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में जयपुर शहर के अंदर आज तक इतनी गंदगी का आलम कभी नहीं रहा जितना गंदगी का आलम इस नगर निगम के टाइम पर हुआ है। इस नगर निगम के बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमएसडब्ल्यू रूल्स बने, इस नगर निगम ने उन रूल्स के तहत पिछली बार जो 80 रूपये टन के हिसाब से कचरा उठता था वह कचरा 6 गुना बढ़ाकर 500 रूपये टन तक कर दिया। उस एमएसडब्ल्यू रूल्स के मुताबिक ठेकेदारों को सारा कचरा कवर्ड ट्रेक्टर, कवर्ड ट्रक और मशीनों के द्वारा उठाना था। उपाध्यक्ष महोदय, इस नगर निगम ने तीन जोन बनाये मोती डूंगरी जोन, हवामहल पूर्व और हवामहल पश्चिम और 500 रूपये के हिसाब से ठेकेदारों को ठेका दिया गया। सारी सीवर लाइन, सारे नालों को साफ करने का ठेका भी इसी में शामिल था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तीन साल निकलने के बावजूद सरकार और नगर निगम की हालत यह है, यह फोटो मैं आपको सबूत के रूप में बताना चाहता हूं कल का अखबार जिसमें मुख्य

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

मंत्रीजी ने एक दौरा किया था जिन्होंने खुद इस बात को देखा है कि सारे के सारे जयपुर का कचरा खुले ट्रेक्टरों में जा रहा है। उसका नतीजा यह है कि आज ये मौसमी बीमारियां हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सारी की सारी सीवर लाइन चोक होने की वजह से उनका पानी उबाल खा रहा है और उसी के नतीजे में ये सारी मौसमी बीमारियां चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे मंकीगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, हो रही हैं। इतना होने के बावजूद मुख्य मंत्रीजी ने तीन पहले पहले भी चेतावनी दी थी कि इस तरह की सफाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके बावजूद उसका कोई असर नहीं हुआ। कल भी मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि गंदगी को रोका जाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता ना मुख्य मंत्रीजी की चलती है, न मंत्रीजी की चलती है और इस तरह से जयपुर शहर को बर्बाद किया जा रहा है। लोग हजारों की तादाद में हास्पिटल में बीमारियों के कारण घूम रहे हैं। आज जयपुर शहर का एक भी ऐसा परिवार नहीं है, जो चाहे करोड़पति हो, चाहे खाखपति हो, जिसमें मौसमी बीमारियों के वजह से आदमी बीमार नहीं हुआ हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी कि सरकार को कचरे में हाथ डालना पडा। कचरा उठाने के अंदर धांधली हुई, गलियों में टनों कचरा फैला हुआ है, अभी तक 90 प्रतिशत नाले साफ नहीं हुए हैं। नालों में सफाई आधी-अधूरी, निगम नहीं चेता, अखबारों में इतनी पब्लिसिटी होने के बावजूद, इतनी चेतावनी देने के बावजूद यह जयपुर का नगर निगम और यह राजस्थान की सरकार सो रही है। कुछ नहीं करना चाहती है। हालत यह है कि जहां हाथ डालो वहीं घोटाला। यह नगर निगम का है, निगम की कमाई हाथ की सफाई। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे टाइम दें तो मैं पढ़कर सदन में कुछ बताना चाहता हूं- मलबे से नाले जाम हो रहे हैं, सारे गड्ढे भरे नहीं तो चार्ज-शीट। चार्ज-सीट एक को देते नहीं हैं, चेतावनी जरूर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जब विधायक आपके द्वार के तहत मैंने दौरा किया तो एक-एक वार्ड में सौ-सौ, सवा सौ जगह ऐसी निकली हैं जहां कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। सीवर लाइनें चोक हो रही हैं। सीवर लाइनों की हालत आज अगर जिक्र करूं तो माननीय महापौर महोदय ने

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

तारीख 16.07.2005 का आदेश है कि सीवर लाइनें बदली जायेंगी और मंत्रीजी ने चार तारीख को मेरे क्वेश्चन के जवाब में यह कहा है कि कोई लाइन नहीं बदली जाएगी। मंत्रीजी सच्चे हैं या महापौर जी सच्चे हैं? अगर चारदीवारी में लाइन नहीं बदली गयी तो लोगों को सीवर लाइनें चोक होने के कारण, सीवर का पानी पीना पड़ रहा है। ऐसी हालत में किस तरह से यह सरकार कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं और ठोस आश्वासन चाहता हूं कि यह सरकार कब तक इन सीवर लाइनों को बदल देगी? साथ ही, मैन होलों और सीवर लाइनों को कब तक साफ कर देगी? सफाई की हालत यह है, कि यह आपके मंत्रीजी के दौरे का है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस तरह की सफाई बर्दाश्त नहीं होगी। माननीय मंत्रीजी स्पष्ट करें कि आखिर यह कब तक जयपुर शहर के साथ अन्याय होता रहेगा? उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते हैं तो मैं एक मिनट में खतम कर देना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: एक मिनट में करिये।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): एक ही मिनट में खतम कर दूंगा, आप चिंता मत करें।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की जिस तरह से कटौती की जा रही है, मैं उस पर बिजली मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। आज जयपुर शहर के अंदर जहां से पानी की सप्लाई होती है, पावर कट रोका जाना चाहिए। पानी की सप्लाई पर कम से कम  कट नहीं लगाया जाए। इससे जयपुर शहर के लोगों को पानी की निरन्तर सुविधा मिलती रहेगी।

इसके साथ-साथ मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि एस एम एस पर दबाव बढ़ रहा है और अन्य जो हास्पिटल हैं वहां डाक्टर्स पूरे नहीं लगे हुए हैं, वहां पूरी सुविधा नहीं है, जिस तरीके से इन्होंने डेंगू की फ्री जांच का आदेश खाली एस.एम.एस. में दिया है, वैसा ही फ्री जांच का आदेश आप पूरे राजस्थान के लिए दें। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, कि माननीय मंत्रीजी आ गए हैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है कि बाढ़ के अंदर जिस तरीके से सेफ्टी उपकरण बाढ आने के बाद खरीदे गये, उसी तरीके से, मंत्रीजी, परसों का आपका स्टेटमेण्ट है कि मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है और फोगिंग के इन्तजाम के लिए

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

आप मशीन अब खरीद रहे हैं। ऐसी व्यवस्था से क्या फायदा? आपको पहले सोचना चाहिए था। पहले यह सब कुछ इन्तजाम करना चाहिए था। चूंकि उपाध्यक्षजी ने मुझे समय की पाबन्दी में बांधा है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में, खास तौर से मेरे मोती कटला और रामगंज क्षेत्र के हास्पिटल्स में डाक्टरों का अभाव है, उन जगहों पर डाक्टरों की टीम लगाई जाए, क्योंकि वह माइनोरिटी का एरिया है और माइनोरिटी में बुरी तरीके से आपकी सारी की सारी सीवर लाइन चोक पड़ी हैं, लोग घर-घर बीमार पड़े हैं। उनको सुविधा मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री सुभाष चन्द्र शर्मा। सुभाषजी, पांच मिनट में।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): हां, उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार बिलकुल पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल, बिजली और मौसमी बीमारियों के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है उसमें अपने आप को सम्मिलित करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के जिन-जिन जिलों में बाढ़ आई उसके अलावा जो बाकी बचे जिले हैं, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, जयपुर जिला भी उससे अछूता नहीं है, 33 प्रतिशत से ज्यादा वर्षा कम हुई है और मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में तो यह हालत है कि फसल पकते-पकते खतम हो गई पानी की कमी के कारण, बरसात की कमी के कारण। मैं समझता हूं कि जितने भी जिले बैलेंस बचे हुए हैं, इन दस-बारह बाढ़ के जिलों को छोड़कर बाकी बीस-बाईस जिले जितने भी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप वहां अकाल राहत काम चलाने के लिए शीघ्र से शीघ्र ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों को राहत मिल सके, लोगों को पीने का पानी मिल सके, लोगों को खाने के लिए अनाज मिल सके। यह योजना आप पहले ही बनाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश को इसमें सहायता मिल पाएगी, लोगों को राहत मिल पाएगी। अन्यथा हालत वही होगी, जिस प्रकार से अभी फोगिंग की मशीन के बारे में कह रहे थे, कि मौसमी बीमारियां फैलने के बाद अगर फोगिंग मशीन खरीदने का हम प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के सारे जिले, अजमेर और भरतपुर संभाग के जितने जिले हैं, वे सारे इस वक्त बरसात की कमी के कारण पीड़ा भुगत रहे हैं। माननीय, इसमें मेरा क्षेत्र भी शामिल है। मैं

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबों के लिए, कम से कम जिन जिलों में फसल चौपट हो गई है, बर्बाद हो गई है उसके लिए आप अपने स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर निश्चित रूप से शीघ्र से शीघ्र निर्णय करेंगे और जनता को राहत दिलाएंगे।

जहां तक बिजली की बात है, बिजली के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने बिजली की छीजत कम करने के लिए काफी प्रयास किए हैं, लेकिन गांवों में बिजली नहीं देना सबसे बड़ा अन्याय है। आज गांवों की हालत यह है कि दो घण्टे, तीन घण्टे तक बिजली नहीं मिल पा रही है। माननीय मंत्रीजी, बिजली की व्यवस्था सुचारु रखने के लिए आपने फीडर सुधार कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया चलाया और फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत काफी काम भी हुए लेकिन फीडर सुधार कार्यक्रम के साथ-साथ बिजली की व्यवस्था और बिजली का प्रबन्धन आप जब तक नहीं करेंगे, गांवों में भी इन्सान रहते हैं, गांवों में भी आदमी हैं, गांवों की फसल चौपट हो रही है। बरसात भी नहीं हो रही बहुत सारे जिलों में, ऊपर से बिजली नहीं आ रही। इन दोनों के कारण आज किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच रहा है। मैं सोचता हूं इस बात की तरफ आप पूरा ध्यान देंगे और बिजली की व्यवस्था में सुधार करेंगे। बिजली का जनरेशन आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे बिजली खरीद कर दें, लेकिन किसान को बिजली चाहिए। आज विकास बिजली से जुड़ा हुआ है, अगर बिजली नहीं आएगी तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से बिजली के उत्पादन के साथ-साथ बिजली के प्रबन्धन की व्यवस्था करेंगे जिससे गांव के किसानों को और आम आदमी को बिजली मिल सके। आज गांवों की हालत यह है कि शाम के समय छह से आठ, छह से दस, सात से दस बजे तक जो बिजली मिलनी चाहिए, वह बिजली भी नहीं दी जाती। दो घण्टे की बिजली भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है और लोगों के खाना खाने और दिया बत्ती करने के समय भी नहीं मिल पाती। इसलिए इसका प्रबन्धन किया जाए, सुचारू व्यवस्था की जाए और गांवों में एक निश्चित समय के अनुसार बिजली की आपूर्ति की जाए तो मैं समझता हूं कि जनता को लाभ मिल पाएगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र  के चार बिजली घर 33 केवी के पैंडिंग चल रहे हैं- एक दांतिल फीडर है, एक रायकणपुरा फीडर है, एक बदनगर फीडर है, एक

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

राजनोता फीडर है। चार बिजली घरों के प्रस्ताव आ चुके हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शीघ्र से शीघ्र इनको स्वीकृत कराएं एवं काम चालू करवाएं। दो 132 केवी बिजलीघरों के प्रस्ताव हैं, एक लाडा का बास, पावटा में तथा एक गोनेडा केशवाना राजपूत में, दोनों ही 132 केवी के बिजलीघरों पर भी आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से बिजली का उत्पादन ठीक हो पाएगा।

जहां तक मौसमी बीमारियों की बात है, माननीय मंत्रीजी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूं कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में पावटा में सी.एच.सी. खोलकर हमारे कम से कम 50 गांवों की सवा लाख से ज्यादा जनता को लाभ पहुंचाया। इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अस्पतालों की जिस प्रकार से हालत है, अस्पतालों में चिकित्सक नहीं हैं, अस्पतालों में पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप शीघ्र से शीघ्र चिकित्सकों की नियुक्ति और पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। जहां तक अस्पतालों के रिक्त पदों की बात है, आज मेरे भवनाबास का अस्पताल खाली पड़ा है, सुखला का बास का अस्पताल खाली पड़ा है, गोनेड़ा अस्पताल खाली पड़ा है, रायकन का, रघुनाथपुरा का अस्पताल खाली पड़ा है। इनमें चिकित्सक नहीं है और अगर एकाध जगह चिकित्सक हैं भी तो वह डेपुटेशन पर जयपुर में या अन्यत्र कहीं स्थानांतरित कर दिए गए हैं, पद स्थापित कर दिए गए हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इन मौसमी बीमारियों के समय ऐसी परिस्थिति में आप उनको निश्चित रूप से गांवों के अंदर अस्पतालों में डेप्यूट करवाएंगे और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी भी आप शीघ्र से शीघ्र पूरी करेंगे। मैं बधाई देता हूं मेरे सी एच सी खोलने के लिए। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वहां स्टाफ भी शीघ्र से शीघ्र लगाएं। इसके साथ मैं निवेदन करूंगा कि मौसमी बीमारियों, बिजली, अकाल के ऊपर पूरा मंथन करके प्रदेश के ज्वलंत हालात को देखते हुए निश्चित रूप से समय रहते अगर कदम उठाएंगे तो हम राजस्थान में अच्छा प्रबन्ध कर पाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री जीतमल खांट। जीतमलजी, शार्ट में ही कहना।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आज अकाल, बिजली एवं मौसमी बीमारियों पर हमारे माननीय सदस्यों ने यहां अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, आपने भी मुझे समय सीमा में बांधा है।

**श्री उपाध्यक्षः** वैसे भी आप तो टू-द-पाइंट ही कहते हैं।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। मुझे यह बात सदन को बताते हुए खुशी है कि हमारे पानी का एवरेज जहां पर 800 मिलीमीटर होना चाहिए था, वहां पर इन्द्र देवता की मेहरबानी से 1750 मिलीमीटर बारिश के कारण रिकार्ड तोड बारिश हुई है और 105 साल का एक नया बांसवाड़ा का इतिहास लिखा गया है। यह वैसे हर तरीके से ठीक है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ट्राइबल सब प्लान एरिया में इस अतिवृष्टि से कम से कम मात्र अकेले बांसवाड़ा जिले में 30 हजार कच्चे मकान गिरे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर सारी की सारी फसल पूरे जिले की चौपट हो गई है, अकाल की परिस्थिति नहीं चाहते हुए भी अतिवृष्टि की वजह से अकाल बना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कृषि मंत्रीजी बैठे हुए हैं इसलिए मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे रबी की फसल बिलकुल करीब है और आज सरकार का रेट और बाजार का रेट इतना ऊंचा है कि आम व्यक्ति का हाथ अभी थम गया है, रोजगार का अभाव है, किसी के हाथ में पैसा है या नहीं है। परिस्थिति यहां है, पूरे जिले के अन्दर बुवाई के समय किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। मैं हमारे कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप सहकारी विभाग से या बीज उपलब्ध कराने के लिए कोई न कोई रियायत दें। वर्ना हमारे पूरे बांसवाड़ा, डूंगरपुर के किसानों की हालत आज थम गई है, उनके पास में न तो कोई रोजगार है, न पेशा है और इस अतिवृष्टि हालत में उस घर की माली हालत बड़ी नाजुक बन गई है। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी यहां नहीं हैं, लेकिन आज बांसवाड़ा जिले के अंदर आदिवासी के घर की तलाशी ले ली जाए तो एक क्विंटल अनाज किसी आदिवासी के मकान में नहीं है, यह हालत है।

बांसवाड़ा जिले के अंदर रोजगार गारंटी योजना भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही है और नियमों के अंदर बंधा हुआ है कि एक परिवार के मुखिया को 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाए। 2006-07 के अंदर एक मुखिया ने 100 दिन पूरे कर लिये तो आज हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है। बांसवाड़ा जिले को रोजगार गारंटी शुरू कर दी है, यह बहाना करके अगर अकाल राहत से नहीं जोड़ा गया तो तमाम उदयपुर संभाग के अंदर, बांसवाड़ा,

(श्री जीतमल खांट)

डूंगरपुर और उदयपुर ग्रामीण के पूरे इलाके के अंदर हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। गृह मंत्री कटारियाजी, आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि उस इलाके के अंदर चप्पे-चप्पे का आपको ध्यान है, जानकारी है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि काम के बदले अनाज योजना को अगर हाथ में नहीं लिया गया और इन जिलों को अगर नहीं जोड़ा गया तो स्थिति बड़ी खराब होगी।

मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि एनडीए की सरकार में जब दिल्ली के अंदर अटलजी की सरकार थी और यहां पर अशोकजी गहलोत राजस्थान के मुख्य मंत्री थे भारत सरकार ने इतना गेहूं दिया कि गरीब से गरीब किसान की कोठी में भी अनाज भरा पड़ा था। आज उस इलाके की स्थिति बड़ी खराब है। भारत सरकार ने भी गरीब व्यक्ति को 35 किलो देने का प्रावधान किया था उसमें भी कटौती करके 20 किलो कर दिया है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र को अगर रोजगार गारंटी के भरोसे रखा गया तो इलाके के अंदर हालत बिगड़ेंगे, कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, महामारी फैलेगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र को काम के बदले अनाज योजना से जोड़ा जाए ताकि वहां के गरीब आदिवासी को रोजगार मिल सके।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा, हमारे पालोदा के अंदर 132 केवी जीएसएस स्थापित करने के लिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर विद्युत व्यवस्था में सुधार करने का आपने जो प्रयास किया है, विद्युत मंत्रीजी, हम चाहेंगे पालोदा के बजाय परतापुर का स्थान है, हमारे मंत्रीजी भवानी जोशीजी भी विराज रहे हैं, हम चाहते हैं बीच का लोकेशन परतापुर कस्बा, वह बांसवाड़ा से भी जुड़ा हुआ है।

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): पालोदा में करने से बांसवाड़ा का गढ़ी और बागीडोरा क्षेत्र अलग हो जाएगा। इधर सागवाड़ा से जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से आती है, अगर उसकी ट्रिपिंग होती है तो यह पूरी विद्युत व्यवस्था गड़बड़ा रही है। परतापुर तो नहीं पालोदा का अलग हो जाता है तो पूरे बांसवाड़ा की अलग हो जाती है।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): ठीक है, हमारे मंत्रीजी की जो भावना है इस काम को हाथ में लें।

**श्री उपाध्यक्ष:** धन्यवाद जीतमलजी।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): मैं छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री जीतमल खांट)

हमारे उदयपुर संभाग से सारे मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा, जिले के बारे में हम ज्यादा डिसकस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 60 साल के बाद भी आज उस उदयपुर डिवीजन के पहाड़ों, पठारों, जगलों में बसे हुए आदिवासियों के घरों में जब रात पड़ती है तो एक दीपक टिमटिमाता है। यह स्थिति कब तक रहेगी? मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को कहना चाहूंगा कि जब तक सरकार एक बत्ती कनेक्शन के लिए कोई न कोई निर्धारित पैसा फिक्स नहीं कर देगा तब तक गरीब आदिवासी के घर में बिजली जलाना संभव नहीं है। पिछली बार भी हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस बारे में लिख भी चुके हैं, जिस प्रदेश के 60 साल के बाद भी आदिवासी के घर में अगर एक बिजली का बल्ब नहीं जलता है तो हम सबके लिए आजादी का मतलब कोई रह नहीं जाता है। यहां पर हमारे टीएडी मिनिस्टर हैं जिनके पास में करोड़ों रुपये का बजट आता है, कटारियाजी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर एक ऐसी मिसाल खड़ी करें, पूरे उदयपुर डिवीजन में एक बती कनेक्शन के लिए क्या प्रोसिजर है, कस्बे में किस तरह से बिजली उपलब्ध करायी जाए, इसके ऊपर आप विचार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ऐसा है, कोई प्रस्ताव टीएसपी एरिया के अंदर जो बजट था उसके अंदर ऐसा नहीं रहा जहां पर सस्ती विद्युतीकरण के नाम से हमने मांगा है और पैसा नहीं दिया। जितने प्रस्ताव दिये थे उतने स्वीकृत हो गये। आज तक दो-ढाई करोड़ रुपये के हमने काम कराये। धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्रीजी को, उनके विभाग ने तत्काल उसकी व्यवस्था करके सब जगह उस काम को पूरा कर दिया। अब बजट जितना होगा उस व्यवस्था के अंदर निश्चित रूप से ..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** फिर भी जो बचे वे आवश्यकतानुसार आप पूरा कराएं। धन्यवाद जीतमल जी।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): इस बात के लिए मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। कनेक्शन आप द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसके मिनिमम चार्जेज के ऊपर नीति निर्धारित नहीं की जाएगी। आज आप कनेक्शन दे देंगे, लेकिन जब 500-600 का बिल आएगा, जब वह 500-600 रुपये महीने का कमा नहीं सकेगा तो कैसे देगा? जब तक बिजली के एक बत्ती कनेक्शन के लिए कोई न कोई स्पेशल राशि निर्धारित नहीं करेंगे तब तक गरीब के घर में बिजली का एक बल्ब जलाना संभव नहीं है।

(श्री जीतमल खांट)

मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को एक निवेदन करना चाहूंगा। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आपने हमारे महात्मा गांधी हास्पिटल को तो बहुत बड़ी राशि दी है इसके लिए तो हम आपको बधाई देंगे। लेकिन मेरा विधान सभा क्षेत्र जो गुजरात की सीमा से सटता हुआ है, सलोपाट और गांगड़तलाई क्षेत्र जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर है, किसी व्यक्ति को अकस्मात कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो उसको वहां से उठाकर 100 किलोमीटर तक पहुंचाना हम सबके लिए बड़ी तकलीफ का विषय हो जाता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो सलोपाट और गांगड़तलाई पीएचसी है उसको कम से कम सीएचसी बनाए ताकि हमारे दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है उसको वहां राहत मिल सके। ज्यादा बात नहीं कहते हुए, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री बाबूसिंह राठौड़।

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अकाल, बिजली और मौसमी बीमारी पर चर्चा चल रही है, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको साधुवाद देना चाहूंगा। 2003 के चुनाव में सबसे पहले उन्होंने यह घोषणा की थी और घोषणा पत्र के अंदर यह लिखा था कि राजस्थान में हम सरकार में आये तो सबसे पहले किसानों के लिए फसल बीमा लागू करेंगे। वास्तव में उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा और उन्होंने फसल बीमा योजना लागू की। वास्तव में राजस्थान अकाल की मार हमेशा झेलता रहा है, विशेष तौर से मारवाड़ के अंदर हमेशा अकाल पड़ा है। पांच साल में एक साल जमाना होता है और चार साल अकाल पड़ता रहता है। विशेषकर जोधपुर जिले की अगर बात करें तो आप स्वयं जोधपुर जिले से हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र के पड़ोसी हैं, शेरगढ़ और फलौदी विधान सभा क्षेत्र पास-पास हैं, पिछले दो वर्ष की बात अगर हम करें तो पिछले दो वर्षों में फसल बीमा लागू हुआ। उस समय स्थिति यह बनी कि पहले साल के अंदर फलौदी विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो फसल बीमा का आकलन हुआ उसके अंदर 86 परसेंट फसल बीमा का पैसा मिला और शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 33 परसेंट मिला। पिछले वर्ष जो फसल बीमा का आकलन हुआ उसके अंदर विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 100 परसेंट फसल बीमा का पैसा माफ हो गया और विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अंदर 23 परसेंट

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

हुआ। यह इसलिए कह रहा हूं कि फलौदी और शेरगढ़ के अंदर अकाल की स्थिति में कोई फर्क नहीं था, दोनों जगह अकाल एक जैसा ही था, लूणी में भी था और ओसिया में भी था, लेकिन फसल बीमा का आकलन पता नहीं किस तरह से करते हैं। चार पंचायतों या चार गांवों का वे आकलन करते हैं और उन गांवों के अंदर जो अच्छा खेत होता है उसकी क्रोप कटिंग करके ले जाते हैं, इस प्रकार से उसका आकलन होता है। इस फसल बीमा लागू होने से किसानों को वास्तव में बहुत फायदा हुआ है। अगर पिछले वर्ष की मैं बात करूं तो विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अंदर 6 करोड़ 7 लाख का को-आपरेटिव का लोन किसानों ने लिया था फसल बोने के लिए और 4 करोड़ रुपया उन्होंने बैंकों से लिया था। करीबन 11 करोड़ रुपये किसानों का लोन माफ हुआ है, मगर सही ढंग से फसल बीमा का आकलन हो। और जैसे ही अकाल की स्थिति बनती है। उसमें अगर हम ग्राम पंचायत को माध्यम बनाकर फसल बीमा का आकलन करें तो वास्तव में सही फायदा फसल बीमा का लोगों को मिल सकेगा। जो गिरदावरी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से सौ परसेंट खराबा हमारा होता है और सौ परसेंट अकाल साबित होता है, पर सौ परसेंट अकाल साबित होने के बाद भी जोधपुर जिले के अन्दर, आदरणीय माननीय राजस्व मंत्रीजी बिराजे हैं, इनके विधान सभा क्षेत्र में भी यह स्थिति है कि आपकी फसल बीमा का भी 40 परसेंट पैसा आया है। तो वहां भी स्थिति यह बनती है। राजस्व रिकार्ड उठा कर देखो तो उसके अन्दर 90 परसेंट, सौ परसेंट, 75 परसेंट खराबा होता है और फसल बीमा जब आता है तो 25 परसेंट आया, 30 परसेंट आया। यह थोड़ी विसंगति है। मैं चाहूंगा कि इसमें किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, या केन्द्र सरकार सरकार से करवाने की जरूरत है या राजस्थान सरकार इसमें क्या कर सकती है, इसमें करें जिससे आने वाले समय में किसान जब खेती करता है या जमीन बोते हैं तो उस समय फसल उगते ही जो नष्ट हो जाती है उसका लाभ उनको मिल सके। खास है यह बात।

दूसरा, अकाल के बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जब अकाल पड़ा था और विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जब अकाल की चर्चा हुई थी तो अकाल में भाग लेते हुए काफी हमने सुझाव दिये थे। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का और मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, हमने उनसे यह निवेदन किया था कि कांग्रेस के समय में जो आंगनबाड़ी केन्द्र खुले,

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

कई वर्षों से वे झोंपड़ों के अन्दर चल रहे थे, गांवों के अन्दर जो स्कूलें बनी हुई थीं उन स्कूलों के अन्दर रसोई नहीं थी, आंधियां चलती थीं और खाना भी बनता नहीं था, खाना बनता था उसमें रेत आती थी, मुख्य मंत्रीजी ने उस बात पर ध्यान दिया। हमने निवेदन किया कि आप स्थाई परिसम्पतियां बनाइए, वास्तव में उन्होंने इस बात को महसूस किया और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने पिछली बार स्थाई परिसम्पतियों के लिए पैसा मंजूर किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्दर हम बात करें तो अकाल राहत के अन्दर पिछले वर्ष 12 करोड़ रुपये खर्च हुए और 12 करोड़ में 6 करोड़ रुपये स्थाई परिसम्पतियों के लिए। एक भी आंगनबाड़ी केन्द्र ऐसा नहीं बचा जो बना नहीं। एक लाख 65 हजार की लागत के आंगनबाड़ी केन्द्र बने और 60-60 हजार रुपये के रसोई घर बने। यह सब जगह इस प्रकार से स्थाई परिसम्पतियों के काम हुए। अभी विधायक महोदय और पूर्व वक्ता सभी बता रहे थे कि स्थाई परिसम्पतियों का निर्माण होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष आपने स्थाई परिसम्पतियों के काम दिये हैं, इस बार भी आप स्थाई परिसम्पतियों के काम दें, जो लोगों को नजर आएं। स्थाई परिसम्पतियों में जिस प्रकार से आपने आंगनबाड़ी और रसोई घर बनाये हैं, इस बार हम चाहेंगे, विद्यालयों के अन्दर चारदीवारियां नहीं हैं तो वे चारदीवारियां इस अकाल राहत के अन्दर जरूर देवें। जो हमारे कटान के रास्ते हैं, ग्रेवल सड़कें बनाने के लिए भी अगर आप काम देंगे तो उससे भी अच्छा समाधान होगा। ग्रेवल सड़कों का काम ज्यादा से ज्यादा दें, यह मेरा निवेदन रहेगा। अकाल के अन्दर इतना ही कहना चाहूंगा। और विशेष तौर से यह कहूंगा कि बाड़मेर, मारवाड़ और जैसलमेर में काफी बरसात हुई, बरसात भी लगातार नहीं होकर एक साथ होने से यह बाढ़ आई है। जोधपुर में सामान्य से कम बरसात हुई है। जोधपुर जिले में विशेषकर अकाल बहुत ज्यादा आता है, गिरदावरी रिपोर्ट आएगी तो आपको महसूस हो जाएगा कि वास्तव में 80 परसेंट से ऊपर जोधपुर के अन्दर अकाल है। आज भी स्थिति यह है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर गायों को हरा चारा नहीं मिल रहा है। हरा चारा नहीं मिलने से गायें अंधी भी हो रही हैं। और कमजोर भी हो रही हैं। आज भी हम सूखा चारा उनको खिला रहे हैं। इसलिए निवेदन यह करना चाहेंगे कि समय रहते चारा डिपो चालू हो जाएं तो गांव में चारा मिल सके। दूसरा मैं

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

ऊर्जा मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमको हरा चारा मिला नहीं है और सिंगल फेस के जो कनेक्शन आप कृषि कनेक्शन में देते हैं और प्रायोरिटी से देते हैं उन कृषि कनेक्शन पर रोक है, उसी आधार पर वे कनेक्शन दे रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो सिंगल फेस के कनेक्शन लेना चाह रहे हैं 2 हार्स पावर, 3 हार्स पॉवर या 4 हार्स पावर के आप अगर सिंगल फेस नहीं दे रहे हैं तो जहां पर 3 फेस की लाइन आई हुई है, 'आओ और पाओ' थ्री फेस में से वह सिंगल फेस का कनेक्शन कराकर चारा बोने के लिए अगर एक हैंडपम्प खुदवा कर मशीन लगा दें तो हरा चारा हमको मिल सकेगा। यह ऊर्जा मंत्री से हमारा निवेदन रहेगा।

दूसरा, अभी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना गांवों में चल रही है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेष कर मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण योजना की प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद में उन्होंने टर्न-की बेसिस पर ठेकेदारों को टेंडर दिये। जो व्यवस्थाएं पिछले वर्षों तक चलती रहीं, कभी हमारे यहां स्थिति थी कि गांव के अन्दर लोग इकट्ठे होते थे और मारवाड़ में कहते हैं कि ला करते हैं, सब लोग मिलकर गाड़ी लेकर, ट्रैक्टर लेकर जाते थे, खम्भे लाते थे, दूसरी बार चद्दर लाते थे, तीसरी बार तार लाते थे और कई परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता था। आज स्थिति यह है टर्न-की बेसिस पर ठेकेदारों को टेंडर देकर कि सारा सामान वही ला रहे हैं, वही सामान खींच रहे हैं, खम्भे खड़े कर रहे हैं, तार लगा रहे हैं, वही केबिल लगाकर ढाणियों के अन्दर कनेक्शन करके दे रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण काम आपने किया है, इसके लिए हम आपको साधुवाद देना चाहते हैं। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सौ करोड़ रुपये के काम केवल मात्र बिजली विभाग के चल रहे हैं, जिसके अन्दर आपने पांच तो अभी 33 केवीए के जीएसएस बनाये हैं। पिछले 50 वर्षों के अन्दर दो 132 केवीए के जीएसएस थे, दो आपने और 132 केवीए के जीएसएस मंजूर कर दिये। एक में एक करोड़ 10 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, दूसरे के अन्दर एक करोड़ 8 लाख खर्च हो रहे हैं। इसी प्रकार से एफआरवी का काम चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दो 132 के पहले थे, दो 132 के और बन गये।

**श्री उपाध्यक्षः** धन्यवाद, बाबूसिंहजी।

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): अब इसके अन्दर आप एक 220 केवीए और मंजूर करा देंगे तो बिजली की हमेशा, हमेशा के लिए समस्या का समाधान हो जाएगा।

**श्री उपाध्यक्ष:** बहुत बढ़िया।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): आप अन्याय कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ तो, कहीं दो करोड़, कहीं सौ करोड़।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): प्रगति प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत कर दें और क्या ? (व्यवधान)

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): इतना समय नहीं है, मैं आपको पूरा-पूरा एक-एक करके बताऊं लेकिन समय नहीं है। पूरे राजस्थान की बात है।

यह बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्दर जो स्कीम बनी थी, जो नियम बना था, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को यह गाइडलाइन, निर्देश या आदेश हुआ है उसके अन्दर यह लिखा हुआ है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्दर राजस्व गांवों को जोड़ा जाएगा, उन राजस्व गांवों के अन्दर जहां 15 कनेक्शन होंगे और 60 की आबादी होगी, 500 मीटर का (रेडियस एरिया) परिधि क्षेत्र होगा। उसके अन्दर हम कनेक्शन करेंगे। लेकिन अभी एक आदेश आया है उस आदेश के अन्दर यह लिखा है कि - "The hamlet should have minimum 15 nos. household and 60 nos. population within 500 metre radius." यह आदेश था पहले। अब जो कनेक्शन कर रहे हैं इस आदेश के हिसाब से गांवों के अन्दर लोगों ने 15 फाइलें जमा कराईं, 60 की आबादी के अन्दर और 500 रेडियस के अन्दर। उन्होंने फाइलें ले लीं, फाइलें लेने के बाद डिमाण्ड नोटिस निकल गये, डिमाण्ड नोटिस उनके जमा हो गये और जमा होने के बाद यह आदेश निकल गया कि 15 फाइलों का ग्रुप, 60 की आबादी और 270 मीटर के रेडियस के अन्दर कनेक्शन देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस 270 रेडियस के अन्दर जो कनेक्शन दे रहे हैं उस वजह से विसंगतियां आ रही हैं। आपस में झगड़े भी हो रहे हैं कि हमारे डिमाण्ड नोटिस होने के बाद कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। यह केन्द्र सरकार से कोई दबाव आया है, कोई गाइडलाइन बदल गई है या राजस्थान सरकार से बदली गई है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 500 के रेडियस एरिया के अन्दर जो पहले आपने स्कीम बनाई थी वही राजस्थान के अन्दर स्कीम लागू रहे और उसी हिसाब से हमारे कनेक्शन हों, नम्बर एक।

**श्री उपाध्यक्ष**: समाप्त कीजिए, बाबूसिंहजी, बाकी आप बता देना लिख कर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को।

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): दूसरा, मेरा निवेदन यह है राजीव गांधी विद्युतीकरण ...(व्यवधान) मैं तो सिर्फ मुद्दे की बात ही बोल रहा हूं, आंकड़े वगैरह तो मैंने सब नीचे रख दिये।

**श्री उपाध्यक्ष**: ठीक है, सब बात आ गई।

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): सिर्फ मुद्दे की बात, जो समस्या गांवों में आ रही है और गांव में हमको फेस करनी पड़ रही है, वही कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी लोग कहते हैं लेकिन आप हमें बोलने नहीं देते। आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो आपको भी कहते होंगे।

मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारे महामहिम भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री विराजते थे तो उन्होंने घरेलू कनेक्शन करने के लिए बहुत अच्छी योजना यहां लागू कर रखी थी कि पांच पोल के कनेक्शन ले सकते हैं। दो पोल के अन्दर 800 रुपये, उसके आगे 1200 रुपये, उसके आगे 1900 इस प्रकार से कनेक्शन होते थे। जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस सरकार के समय में ...

**श्री उपाध्यक्ष**: बाबूसिंहजी, अब आप काहे के लिए बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): मेरी बात सुनिए। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के अन्दर कनेक्शन ले सकते हैं, उसके बाद कनेक्शन नहीं ले सकते। हमारे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ही नहीं, दूसरी जगह के लोग भी ढाणियों में बसते हैं और ढाणियां जहां हैं वहां खातेदारी जमीन है वहां कनेक्शन ले नहीं सकते। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर कनेक्शन तो आपने तीन साल के अन्दर पूरे देने की हामी भरी है और आप कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रख रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आजादी के 60 साल के बाद जब घर के अन्दर रोशनी जाएगी तो वास्तव में उसके तो पहली बार आजादी आएगी। ज्यादा से ज्यादा अगर घरेलू कनेक्शन कर देंगे तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। और अभी योजना यह है कि सौ रुपये मीटर के हिसाब से अगर कनेक्शन देंगे तो वह डिमांड नोटिस कभी भर नहीं पाएगा, नहीं दे सकेगा। तो इस योजना के अन्दर जो कनेक्शन हो रहे हैं, ठीक उसके बाद एक पोल, दो पोल, तीन पोल कोई

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

कनेक्शन हो सकता है, वह कनेक्शन स्कीम बनाकर, यह राजस्थान की बात कर रहा हूं शेरगढ़ की नहीं है, बस बंद कर दूं ?

**श्री उपाध्यक्षः** धन्यवाद। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी । ...(व्यवधान)

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी तो नाम है, मैं सिर्फ दो मिनट बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको दो मिनट ही दे दीजिए।

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): मैं दो मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): दो मिनट ही दे दीजिए।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदस्य अंत तक बैठते हैं उनको सज़ा दी जाती है। लम्बे-लम्बे भाषण देकर लोग चले जाते हैं और हम यहां पर हमारे क्षेत्र की बात करने के लिए बैठे हैं। (व्यवधान)

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): आप 2-3 मिनट बोलने दीजिये, ज्यादा नहीं बोलेंगे।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): आप दो-दो मिनट दीजिये। (व्यवधान) केवल दो मिनट।

**श्री उपाध्यक्षः** बैठिये-बैठिये।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): मंत्रीजी, हम भी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी भी बात सुनिये।

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): ज्यादा टाइम नहीं लेंगे।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक घंटा भाषण देकर गये हैं सदस्य और हम यहां अंत तक बैठे हैं। कायदे से तो जो अंत में बैठे हैं उनको लम्बा समय मिलना चाहिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो गागर में सागर भर दें उनको तो बुला दो। (व्यवधान)

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बन्द कनेक्शन हैं उनको चालू किया जाए, उससे किसानों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** एक सैकण्ड, माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छह महीने के बाद वापस सत्र होगा और जो गांवों में स्थिति बन रही है, आपको नाम दिये हुए हैं, क्या कष्ट है बुलवाने में?

**श्री उपाध्यक्ष:** संयमजी, आपने कहा....बात तो करीब-करीब आ गई। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): जो लिस्ट भेजी हुई है तो आप क्यों नहीं बुलवा रहे हैं?

**श्री उपाध्यक्ष:** अपने को काफी मौका मिल गया है इन बातों को कहने का। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): विशेष रूप से अकालग्रस्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, हमारी बात तो रह गई और शहरी लोग यहां पर अपने भाषण सरका के चले गये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: मौका देंगे। संयमजी, वैसे तो इस सत्र के अन्दर हर सदस्य को काफी मौका इन बातों को कहने का मिला है, फिर भी थोड़ा कम समय के अन्दर समय देंगे अभी आपको।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ठीक है। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

**श्री उपाध्यक्ष**: पहले मुझे नाम पुकारने दीजिये। श्री संयम लोढ़ा। कृपया आप शॉर्ट में कहें।

**श्री संयम लोढ़ा (**सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अकाल, बिजली और मौसमी बीमारी जैसे मुद्दे पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। इन तीनों ही मुद्दो के बारे में सबसे खास बात यह है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि.....

**श्री उपाध्यक्ष:** आपने हमेशा इसी बात को दोहराया है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): न्यूनतम साझा कार्यक्रम की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहल पर हिन्दुस्तान की जनता को जो क्रांतिकारी अधिकार मिला रोजगार गारंटी का अधिकार, इस सरकार ने अकाल की विभीषिका के दौर में उस अधिकार को छीनने का काम किया है। जब भारत सरकार ने अकाल की मद में पैसा दे दिया, पूरे दक्षिणी

(श्री संयम लोढ़ा)

राजस्थान और अकाल प्रभावित सारे जिलों के अन्दर अकाल के काम खोलने की बजाय रोजगार गारंटी के तहत काम खोले गये और वो जाब सिक्योरिटी जो 100 दिन के लिए भारत सरकार ने उस गरीब आदमी को दी थी, वह छीनने का काम राजस्थान की इस वसुंधरा सरकार ने किया है। चाहे वह बांसवाड़ा जिला हो, चाहे डूंगरपुर जिला हो, चाहे उदयपुर जिला हो, पूरे आदिवासी अंचल के अन्दर अकाल के काम खोलने के बजाय रोजगार गारंटी के काम खोले गये और वो 400 करोड़ रुपया जो गरीब लोगों को 100 दिन की जोब सिक्योरिटी के लिए दिया था, जो आज काम आता वह नहीं आ रहा है। आज वह हाथ पर हाथ धरे बैठा है, उसके 100 दिन पूरे हो गये और रोजगार गारंटी में उसको काम नहीं मिल पा रहा है। सबसे घृणित काम इस सरकार ने यह किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बिजली का मामला है, बहुत उत्साह के साथ इस सरकार ने सत्ता संभाली थी, और क्या कहा था? लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना गिराल, गैर थर्मल परियोजना, धौलपुर 2006 में हम इनका प्रोडक्शन ले आएंगे। वो कांग्रेस शासन में स्वीकृत की हुई थीं, आप ला सके उनका प्रोडक्शन? आज आप छबड़ा का सैकण्ड प्रोजेक्ट लाने की बात कर रहे हो जबकि छबड़ा फर्स्ट के लिए लैण्ड एक्विजीशन का पैसा आप अभी तक नहीं दे पाये और सैकण्ड के लिए आपने लैण्ड तक फाइनल नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन तीन साल के अन्दर विद्युत उत्पादन में आपकी उपलब्धि क्या है? नगण्य। हर साल ढाई सौ मेगावाट की नई डिमांड जनरेट होती है और उसके अकोर्डिंग आप देखें तो राजस्थान की बिजली व्यवस्था को समाप्ति की ओर ले जाने का काम यह सरकार कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अब इनका कर्जा बढ़ा, घाटा बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा नहीं, कोई लोन देने को इनको तैयार नहीं। तब इनके दिमाग में किसी ने सुझाव दे दिया कि कोटा, सूरतगढ़ सुपर थर्मल प्लांट हैं इनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, रतन होते थे वैसे बिजली के क्षेत्र में ये रतन हैं। आप जिस डिसइन्वेस्टमेंट का अगर सोच रखते हो, आपने कंसल्टेंट भी अपाइंट किया है, अगर आपकी सोच है उसके माध्यम से पैसा उगाहने की तो कांग्रेस अपने मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। इस सरकार 2003 में

(श्री संयम लोढ़ा)

तत्कालीन कांग्रेस सरकार पवन ऊर्जा नीति लायी थी पर आपकी नीयत साफ नहीं थी जो तीन रुपये 32 पैसे यूनिट की दर थी उसको घटाकर दो रुपये 91 पैसे पहले करने का काम आपने किया और बाद में वापस सैटिंग करके 2004 में आपने वही रेट लागू कर दी। उससे राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के वातावरण को बहुत गहरा धक्का लगा। कहां तो ऐश्वर्या राय जैसे लोगों का सोच बन रहा था कि राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करेंगे, एक हजार करोड़ रुपया 2003 की कांग्रेस सरकार की पालिसी की वजह से पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आया था। लेकिन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम इस सरकार ने किया है और जो पैसा राजस्थान में इन्वस्ट होना चाहिए था वह सरकार की नीयत में खोट होने की वजह से महाराष्ट्र की तरफ डाइवर्ट हो गया। विनियामक आयोग तक यह मानता है कि निवेशक को लागत का 16 प्रतिशत मिलना चाहिए, महाराष्ट्र के अन्दर साढ़े तीन रुपया इन्वस्टर को मिल रहा है इसलिए इन्वस्टर ने वहां अपना पैसा लगाना उचित समझा। अब आप बहुत ठोक कर कहते हो, पांच हजार करोड़ रुपया लगाएंगे फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम में। इस एफ.आर.पी. का जनता क्या मतलब समझ रही है? एफ आर पी का मतलब जनता समझ रही है फण्ड रिज्यूम प्रोग्राम। इसका यह अर्थ लगा रहे हैं। अगर पांच हजार करोड़ रुपया खर्चा करने की मानसिकता है तो आप, मंत्रीजी, अपने जवाब में फेजवाइज बताना कि आपकी क्या प्लानिंग है उसको खर्चा करने की। आपके पास पैसे ही नहीं हैं। हमारे वक्त में वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो कुछ पैसा आया हुआ था उसको इधर-उधर डाइवर्ट करके आप खर्चा करने की कोशिश कर रहो हो। मुख्य मंत्रीजी की घोषणा क्या थी? यह 2004 का उनका यह भाषण मेरे पास है, बजट की कापी पड़ी हुई है....

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उपाध्यक्ष महोदय, घंटी दबाओ।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या घंटी दबा दो? आप बैठ जाओ अध्यक्ष की कुर्सी पर ऐसे घंटी दबाने का शौक है तो। कुछ सच्चाई सुनने का माद्दा रखो, खाली यह वसुंधरा की गीतावली मत सुनो। यह राजस्थान की विधान सभा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या घोषणा की थी?

**श्री हीरालाल** (निवाई): कभी सही कहते ही नहीं हो। कभी कुछ तो हट के कहा करो।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टी. एण्ड डी. लासेज को 25 प्रतिशत तक लाएंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। ले आये आप टी. एण्ड डी. लोसेज 25 प्रतिशत? दे दी आपने 24 घंटे बिजली? उस 24 के बीच में 'दो से चार' कर दो। एक 'से' और लगा दो। आज हालत यह है कि दो से चार घंटे बिजली आप उपलब्ध करा पा रहे हैं। फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम में स्थिति क्या है? पूरी तरह से मुख्य मंत्री का दावा खोखला साबित हुआ है। आप काम ठेके पर करा रहे हो जगह-जगह। 33 के.वी. के कितने काम बन्द पड़े हुए हैं? सुंदा माता तो बहुत प्रसिद्ध स्थान है, बार-बार मुख्य मंत्री जाती हैं, क्यों 33 के.वी. का काम बन्द पडा हुआ है? ये सारे काम जो ठेके पर चालू करने की आपने पद्धति शुरू की है, ठेकेदार के गोदाम में माल पहुंच गया और 65 प्रतिशत पेमेंट रिलीज हो जाता है। उसके बाद में वह काम करता नहीं, काम बंद पडा रहता है। जगह-जगह पर जिस तरह का काम उन्होंने किया है उस काम की दशा भी बहुत शर्मनाक है। मेरे क्षेत्र में सवली के अन्दर चार लोगों को करंट आया आपके इन ठेकेदार की बदौलत। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी जो आप सिस्टम लेकर आये हो, बहुत गलत है। जनता के धन का भारी दुरुपयोग हो रहा है। जो खम्भा आपका डिस्कॉम 1800 रुपये में लेता था वही ये ठेकेदार 2700 रुपये में सप्लाई कर रहे हैं। इससे जिन लोगों के निहित स्वार्थ हैं, जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनका भला भले ही हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी भी जानकारी में होगा, और मैं ज्यादा क्या कहूं इस सरकार की सोच के बारे में। बिजली जैसे महकमे में आधे मंत्री से काम चला रहे हैं। अगर बिजली जैसे महकमे को आप महत्व देते हो तो एक पूरा मंत्री तो लगा दो।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आधे नहीं, पूरे हैं, आप मेडिकल करवा लो।

**(समय : 21.00 बजे)**

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): इससे सरकार कितनी जिम्मेदार है इस महकमे के प्रति, उस सरकार का पता चलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही सत्र में आपको याद होगा कि जब ये आधे मंत्रियों का आना नहीं हुआ था, खाली केबिनेट-केबिनेट के 8 मंत्री थे, इसी सदन में मुख्य मंत्रीजी के परम् हितैषी पण्डित श्रीयुत् घनश्याम तिवाड़ी ने घोषणा की थी, यह अंगुली ऊंची कर-करके की थी कि तीन साल के अन्दर यह व्यवस्था राजस्थान के अन्दर लाकर खड़ी कर देंगे कि बिजली के खेत के कनेक्शन, कुए के कनेक्शन,

(श्री संयम लोढ़ा)
"आओ और पाओ", आओ और पाओ। दे रहे हैं क्या आज? आज क्या स्थिति है आपके एग्रीकल्चर कनेक्शन की? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर 20,000 तो कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। जिनके महीनों से किसानों ने डिमाण्ड नोट भरे हुए हैं, 20,000 कनेक्शन तो वे पैंडिंग पड़े हुए हैं और दो लाख किसान बिजली के कनेक्शन की लाइन में खड़े हैं जिसमें 70,000 तो पुराने हैं और डेढ़ लाख नये आवेदक हैं। राजस्थान के इतिहास के अन्दर जो काम कभी नहीं हुआ, इस सरकार ने वह काम भी किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के कनेक्शन के अन्दर कभी किसी तरह की रोक नहीं रही, कभी किसी तरह का टार्गेटवाइज प्रोग्राम नहीं रहा, "आओ और पाओ" की हमेशा से नीति रही है। पर कोआनेशन कमेटी की 14 जुलाई, 2006 को जो बैठक हुई है, उसमें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी 1430 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है पूरे राजस्थान के लिए। एक-एक जिले में 200 200 कनेक्शनों के आवेदक लाइन में खड़े हुए हैं जहां लक्ष्य दिया गया है 34 का, 54 का। इस तरीके से तो यह पहली सरकार है जिसने दलित वर्ग के किसानों के मामले के अन्दर भी इस तरह का स्टैण्ड लेने का प्रयास किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री उपाध्यक्ष**: कनक्लूड कीजिये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): कनक्लूड कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र जो किशनगंज से आ रहे हैं, वह कह रहे थे कि हमारे यहां हमेशा सूखा रहता है, इस बार सूखा नहीं, जमाना अच्छा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सिरोही जिले में भी जमाना अच्छा हुआ, लेकिन उस जमाने का किसानों को लाभ तब मिलेगा, जिस समय पानी नहीं था, कनेक्शन कटवा दिये, वे कनेक्शन जोड़ने का आम रिकार्ड तो सात साल तक रखा हुआ है कि सात साल की अवधि के अन्दर अगर कनेक्शन कटवा दिये हैं तो जोड़े जा सकेंगे, लेकिन वर्बल आर्डर सिर्फ दो साल का है और दो साल के लोगों के ही कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे जमाने का अगर किसानों को लाभ दिलाना चाहते हो तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त आवश्यक है कि पुराने जितने कनेक्शन उस समय पानी नहीं होने की वजह से किसानों ने कटवाये हैं, उनको वापस जोड़ा जाना चाहिए। अब आप, मंत्रीजी घोषणा तो कर देते हो कि इतने घंटे बिजली देंगे लेकिन फीडर का लोड कोटा नहीं बढ़ाते आप लोड कोटा

(श्री संयम लोढ़ा)

नहीं बढ़ाते हैं तो जो लोड डिस्पैचर एक्स.ईएन. है, वह हर जगह पर बिजली कटिंग कर देता है अपने लोड के हिसाब से। तो जब तक आप हर फीडर का लोड कोटा नहीं बढ़ाएंगे, तब तक यह स्थिति सुधरेगी नहीं और आज आप बिजली देना भी चाहते हो, वह बिजली उनको मिल नहीं सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना बनाकर दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की योजना, भारत सरकार का पैसा, आपकी उपलब्धि क्या? 33 योजनाओं के लिए 999 करोड़ का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें से 383 करोड़ रुपये 17 योजनाओं के लिए जारी हो गया, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

**(समय : 21.03 बजे)**

**(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

सारा काम ठप्प पड़ा हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो ढाणियों को जोड़ने के लिए बनाई गई है, एक भी योजना में काम नहीं चल रहा है, सब काम ठप्प पड़ा है। इसलिए...(व्यवधान) मैं तो नाम सहित गिना सकता हूं। मेरे यहां पर उम्मेदगढ़, गोलिया,.... हमारे जिले की जनता ने कोई गुनाह किया है क्या? (व्यवधान) पूरे क्षेत्र में काम ठप्प पड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, जब आपको राज सौंपा था, सिरोही जिले के अन्दर....

**श्री अध्यक्ष:** शिक्षा मंत्री क्यों कह रहे हो? यह तय हुआ था कि पांच मिनट का समय दिया जाए। आपने ले लिये हैं 12 मिनट। आपने 12 मिनट ले लिये हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तय करने वाले भी कांग्रेस के सचेतक महोदय हैं। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सिरोही जिले में 50 डाक्टर लगे हुए हैं और यह सब आपका प्रताप है। माननीय

(श्री संयम लोढ़ा)

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में व्यक्तिगत रूप से यह बात लाई और यह फीगर भी लाया, उन्होंने खुद आश्वस्त किया कि आरपीएससी से नये डाक्टर आ रहे हैं, वे सिरोही जिले में लगाये जाएंगे लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। आज सिरोही जिले की स्थिति यह बनी हुई है, आउटडोर देख लो, डाक्टर के घर देख लो, क्या चिकनगुनिया की स्थिति, क्या दूसरे रोगों की स्थिति, कतारें लगी हुई हैं। डाक्टर के घर पर भी अगर पेशेंट दिखाने जाता है, सुबह लाइन में खड़ा होता है तो उसकी शाम को बारी आती है। एक-एक परिवार को 3000-4000 रुपये का खर्चा करना पड़ा है इन बीमारियों से निपटने में। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सिरोही जिले के लिए जो एस.सी. एस.टी. बाहुल जिला है, इस जिले में आप विशेष ध्यान देकर चिकित्सकों की नियुक्ति करें। 35 ए.एन.एम. की पोस्टें आज भी खाली पड़ी हैं। अब आपने सिरोही जिले के लोगों को किसके भरोसे छोड़ रखा है? फिर आप तो, मंत्रीजी, जब एक आप आये, आपका इतना ऐतिहासिक स्वागत हुआ कि पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुआ।

**श्री अध्यक्ष:** आपके भरोसे छोड़ रखा है। सिरोही को आपके भरोसे छोड़ रखा है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनके भरोसे सिरोही जिले को अकेला थोड़े ही छोड़ेंगे, बिलकुल नहीं छोड़ रखा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपने, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल सही कहा है। मेरे भरोसे छोड़ा हुआ है इसीलिए अभी तक लोग मजबूती से काम चला रहे हैं। इनके भरोसे छोड़ा होता तो बिलकुल सर्वनाश हो जाता। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हालात चिकित्सा क्षेत्र में बने हुए हैं, 48,000 परिवार बी.पी.एल. के हैं, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा की व्यवस्था के लिए डाक्टर्स और दूसरे पैरा-मेडिकल स्टाफ को लगाने की कृपा करें। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** धन्यवाद। श्री हरीसिंह रावत, बोल लिये? श्री गोविन्द राम। श्री बाबूसिंह राठौड़, बोल लिये? श्री गोविन्द राम मेघवाल। श्री बंशीलाल खटीक, हैं नहीं। कन्हैया लाल मीणा, बोल लिये? भंवरलाल राजपुरोहित। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): श्री भंवरलाल राजपुरोहित को बुला लें।

**श्री अध्यक्ष:** आपको भी मौका दूंगी, आपका लिस्ट के हिसाब से आएगा मौका।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): अध्यक्ष महोदय, सब लोग घंटे-घंटे भर बोल गये, हमको बहुत कुछ कहना था। नागौर जिले से कोई बोला ही नहीं है, इसलिए हमको नागौर जिले के बारे में बोलना था।

**श्री अध्यक्ष:** नागौर से तीन मंत्री हैं।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): नहीं बोले, सब चुप बैठे हैं। सब मौन बनाये बैठे हैं। मैं अकेला ही बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अकाल का और राजस्थान में चोली-दामन का साथ है और इसका एक जियोग्राफिकल कारण है। इस कारण को लेते हुए मैं कहना चाहूंगा कि नागौर हमेशा-हमेशा अकाल में रहेगा। उसका कारण है, जियोग्राफिकल रीजन है, कि अरब सागर से मानसून उठता है, वह एक से 10 तक तो केरल से उठता है, फिर बंगलौर से 20 तक आएगा और फिर मुम्बई में 15 से 20 जुलाई और 15 जुलाई के बाद जो है वह गुजरात से उठता है, वह क्षीण होकर हमारे पास आता है। बरसात यदि जेठ में आ जाती है तो एंटी-सागर रेन आ जाती है, तब तो हम निहाल हो जाते हैं और बाजरी बीज देते हैं। जुलाई में बरसात होने के बाद में कभी भी आसोज में बरसात नहीं होती हमारे बडेरे कहते-कहते मर गये एक बरसात, एक बरसात। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शार्ट में यह कहना चाहता हूं कि नागौर में तो यह अकाल जब तक सृष्टि रहेगी, तब तक पड़ता रहेगा क्योंकि यह आपका जो साइक्लोन है, इसका रास्ता यही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल तो अकाल ज्यादा है, हमारे तीन साल में एक साल अकाल जरूर पड़ता है, अब की इस साल तो भयंकर अकाल पड़ा है। बरसात आषाढ़ में आई और सावन-सावन में बरसी और आषाढ़ लास्ट में आई और सावन में बरसी, और 10-15 आंगल बरसात आई। इसमें सिर्फ बाजरी बीजी। सावन में बरसने के बाद और उसके बाद में मोठ बीजे और उसके बाद सावन के बाद बरसात आई नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं बात करना चाहूंगा कि पूरे नागौर जिले में इतना भयंकर अकाल है उसका समाधान तो एक ही है और वह माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी ने बताया था नहरों को नहरों से जोड़ने वाला तो इससे क्लाइमेट चेंज होता। अब तक तो कुछ समझ में नहीं आया,

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

जियोग्राफी बदल गई। बाड़मेर में जहां न पहाड़, न कोई वनस्पति, और वहां पर भयंकर बरसात हो गई। हमारे दुर्भाग्य से वह भी कभी बरसात नहीं हुई। और अब बरसात हुई है तो 5-7 साल में नहीं होने से हमारा पानी तो 700 800 फुट गहरा चला गया। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि नागौर जिले में एक बहुत बड़ी समस्या होगी पानी की। पानी की भयंकर समस्या है, आज से है और बरसात सिर्फ एक बार हुई और 15-15 मिनट होकर रह गई। नागौर जिले में बहुत कम ऐसे तालाब हो सकते हैं जिनमें कोई छह महीने का पानी हो। मेरे मकराना क्षेत्र में तो पानी पाँच-चार महीने का ही था। मैं आज सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस कार्तिक के महीने के बाद में पानी नहीं रहेगा। पानी नहीं रहेगा तो पशुओं का कोई धणी नहीं। पानी नहीं रहेगा तो लोगों को, पशुओं को पानी की जरूरत पड़ेगी और सरकार ने हमारा जो इंदिरा नहर से स्वीकृत किया 900 करोड रूपया, वह नहीं शुरू होगा तो नागौर जिला प्यासा मर जाएगा, पानी में फ्लोराइड है, पानी आठ सौ फीट गहरा है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पानी की व्यवस्था अगले महीने से ही करे। गिरदावरी जो शुरू हो रही उसमें पिछले साल तो कुछ बदमाशी हुई, लेकिन अब की मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले मंत्री महोदय को आगाह किया था कि हमारे यहां जानबूझ कर पटवारी ने बदमाशी की है। वह पटवारी की बदमाशी आखिर तक चलती रही, फिर उसने वह फेमिन नहीं होने दिया तो नहीं हुआ, गरीबों को सहायता नहीं मिली तो नहीं ही मिली। लेकिन इस साल का मुझे विश्वास है कि इस साल में गिरदावरी ठीक होगी। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपके मार्फत मंत्री महोदय से कि इस साल को हमारे शीघ्र अकाल, 15 अक्टूबर तो आने वाला ही है, दीपावली के बाद पानी की व्यवस्था की जाय, चारे की व्यवस्था की जाए। यदि एंटिसिपेटरी व्यवस्था नहीं की तो भयंकर रास्ते हमारे खराब हो जाएंगे ब्रीडर होते हैं, हमारे तो पशुपालक रहते हैं वहां पर, पशुपालकों की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल प्रबन्धन जल्दी करे।

दूसरा मेरा निवेदन है, मैं ऊर्जा मंत्रीजी को तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे 220 का आपने सब ग्रिड खोला। आपने जो 220 का ग्रिड खोला है लेकिन उसमें आपने ए का बी कर दिया, इसलिए हमारे यहां तो स्टाफ का नुकसान हो जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

बी की बजाय ए करें ताकि स्टाफ आवे और वह कार्य पूरा हो। दूसरा आपने जो हमारे एक मनाणा में सब स्टेशन दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आदरणीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना नागौर जिले का सबसे बड़ा शहर है, वहां पर सवा लाख की पब्लिक हो गई है और बहुत डेन्स एरिया है। पानी कटोरी की तरह वहां इकट्ठा होता है इसलिए मलेरिया भयंकर है। मकराना के लिए मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि मकराना ऐसा शहर है जहां पर बहुत गंदगी है, गंदगी की वजह से मलेरिया है अस्पताल है और वहां तीस बैड का। नागौर जिले का सबसे बड़ा शहर उसमें तीस बैड हैं जबकि परबतसर वहां का पन्द्रह हजार की पोपुलेशन वाला शहर, शहर नहीं वह तो एक पंचायत हैडक्वार्टर जैसा सब डिवीजन है, वहां पर साठ बैड का है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय, आप जरा मानवीय दृष्टिकोण से उस मकराना को तीस की जगह साठ बैड तो करें, क्योंकि अभी भी आप देखें तो, जैसे अभी कोई मेरे मित्र कह रहे थे, लोग बरान्डे में पड़े हुए हैं, इतनी मलेरिया की बीमारी है कि बरान्डे में बाहर पड़े हुए हैं। एक तो वहां स्टाफ नहीं है, स्टाफ के लिए मैंने निवेदन कर दिया, आपने कहा कि अभी सलेक्शन होकर आ जाएगा, आज मेरी सीएचसी में तीन डाकटर हैं और दो कम्पाउण्डर हैं, आप अंदाज लगाएं कैसी व्यवस्था हो रही होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी व्यवस्था करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे मकराना पंचायत समिति, दस गांवों को छोड़ कर, मेरी कांस्टीटयुएंसी की ग्यारह पंचायत तो हैं कुचामन में, उसमें भयंकर अकाल है। हमारे पास हमारे मित्र बैठे हुए हैं कुचामन सिटी के एमएलए, उनसे पूछ लीजिये कि उस क्षेत्र में भयंकर अकाल है। पिछले साल भी अकाल था, लेकिन पटवारी ने अपनी हठधर्मी से नहीं लिखा। अब इस बात की, मैं आपको पहले आगाह, विधान सभा में आगाह करना चाहता हूं कि कोई बदमाशी नहीं करे और हम लोगों को अकाल से महरूम नहीं रखे। वहां पर टांके शुरू किये जाएं अभी से क्योंकि और तो कोई वहां साधन नहीं होगा, टांके शुरू कर दिये जा जो गोहे हैं, चौराहे और जो गोचर के रास्ते हैं या दूसरे रास्ते हैं, उन रास्तों के कच्चे काम शुरू किये जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर खेत के अंदर गरीबों को, बीपीएल वालों को, एक तो क्लस्टर काम शुरू कर

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

दिये जाएं और एक टांके शुरू कर दिये जाएं। टांके शुरू ज्यादा करें जिससे पानी की समस्या का हल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** थैंक यू। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय गिरदावरी का समय है पर हमारे पिछले वर्ष का तजुर्बा गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर अच्छा नहीं रहा। क्षेत्र में अकाल की हालत होते हुए भी अनेकों स्थानों पर गिरदावरी रिपोर्ट को आधार मानते हुए अकालग्रस्त, अभावग्रस्त क्षेत्र नहीं माना गया और वहां के लोग जो कष्ट पा रहे थे, वे सरकारी सहायता से वंचित रहे। वर्तमान समय में पुनः चूंकि गिरदावरी हो रही है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हालत जो वास्तविक हो, वह पेश होकर सामने आए जिससे पीड़ित पक्ष को सरकारी सहायता के रूप में कुछ लाभ मिल सके। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि मेरे विधान सभा क्षेत्र और बीकानेर जिले का अधिकांश क्षेत्र हर समय अकाल की चपेट में रहता है, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं। निश्चित रूप से कुछ इलाका गत वर्षों में सिंचित क्षेत्र में तब्दील हुआ है लेकिन जो बारानी इलाका है वहां पर आज भी वही कष्टदायक हालत है जो आज के बीस-तीस चालीस साल पहले हुआ करती थी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के आमजन का रोजगार का जरिया या तो बारानी खेती है या उसका पशुधन है। वर्तमान समय में औसत से 60 प्रतिशत से भी कम वर्षा ग्रामीण क्षेत्र में हुई है और शहरी और ग्रामीण दोनों का अगर रेशो निकालें तो जिला बीकानेर में पचास प्रतिशत के आस-पास कम वर्षा हुई है, जिससे यह स्पष्ट स्थिति है कि वहां पर अधिकांश क्षेत्र के अंदर अकाल है। आज अकाल की जैसे ही हम बात करते हैं उसके साथ में हम राहत कार्यों की बात करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से न सिर्फ राहत कार्य शुरू किये जायें बल्कि उसके साथ-साथ हमारे पशुधन को बचाने के भी प्रयास किये जाएं। पशुधन को बचाने के लिए चारा डिपो और पशु शिविर, ये इंतजाम नाकाफी हैं क्योंकि पशु शिविर के अंदर उन पशुओं को रखा जाता है जो कि कमजोर हैं, जबकि हमारी जिम्मेवारी है कि वह दुधारू और अच्छी नस्ल का पशु, उसको बचाने के प्रयास किये जायें, पशुपालक को दूध की कीमत कुछ

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बढ़ा कर दें और पशुओं को चारा और दाना भी उपलब्ध कराएं जिससे उनकी नस्ल बनी रहे। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि वर्तमान हालात में पलायन शुरू हो गया हमारे क्षेत्र से, श्रमिक वर्ग वहां से लगभग जा चुका है क्योंकि वहां पर काम करने को उसके पास कुछ नहीं है। सरकार ने समय रहते अगर काम शुरू नहीं किये तो श्रमिक वर्ग के साथ-साथ अन्य वर्ग को भी जाना पड़ेगा। आज गायों को लेकर और भेड़ों को लेकर पशुपालक को भी वहां से पलायन करना पड़ा है क्योंकि वहां पर चारे और पानी की माकूल व्यवस्था नहीं है। इन परिस्थितियों को देखा जाय। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन बातों पर गौर फर्माएं। इसके साथ साथ पेयजल का संकट वहां पर हर समय खड़ा रहता है। गत समय में भी, अभी जो पिछला समय निकला है, और अभी भी अधिकांश क्षेत्र के अंदर टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आने वाला समय और विकट होगा, इसको देखते हुए पेयजल की माकूल व्यवस्था की जाए, यह मैं मांग करूंगा। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारा दूध से एक मावे का उत्पाद है, अध्यक्ष महोदय, पिछले समय में अनेकों चीजों पर टैक्स की माफी की गई तो क्यों नहीं मावे पर भी टैक्स की माफी की जाती है जिससे मावे का उत्पादन करने वाले, जो दूध का व्यवसाय करते हैं उनको इससे और ज्यादा मजबूत मिले और उनको आर्थिक रूप से सहायता भी मिले। यह पशुधन, पशुपालकों को एक सहायता प्रदान करेगा।

पेयजल का समाधान करने के साथ-साथ आज मौसमी बीमारियों की बात की जा रही है, डिग्गियों की सफाई करने के लिए बार-बार आदेश निकाले गये, ताकीद की गई लेकिन जीएलआर और डिग्गियों की आज तक वहां पर सफाई नहीं हुई है जिसके कारण दूषित पेयजल लोगों को पीना पड़ रहा है। डिग्गियां टूटी-फूटी हैं, उनकी चारदीवारी टूटी होने के कारण पशु उसी में बैठे रहते हैं। वह जल कितना दूषित हो सकता है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। कई बार पीला और हरे रंग का जल हमको देखना पड़ता है जिसको मजबूरी में वहां पर आमजन को पीना पड़ता है। फिल्टरेशन प्लांट खराब है, यह मेंटीनेंस की समस्या है जिसका समाधान किया जाए, मेरा निवेदन है।

इसके साथ, अध्यक्ष महोदय कि बिजली की उपलब्धता कितनी है, इसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया, हमारी मांग के

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

अनुयप जो बिजली मिलनी चाहिए उससे हमें तीस प्रतिशत तक भी बिजली अभी नहीं मिल पा रही है, अगर हम ज्यादा बिजली उपलब्ध कराएंगे तो किसान कृषि कुओं के क्षेत्र के अंदर न सिर्फ अपनी उपज प्राप्त कर पाएंगे बल्कि इसके साथ-साथ वहां पर चारे का भी कुछ प्रबंध कर पाएंगे जो हमारे पशुधन को राहत प्रदान कर पाएगा और चारे का परिवहन जो हमें बाहर से करना पड़ता है उसके अंदर भी हमें राहत मिलेगी।

इसके साथ-साथ सेम प्रभावित जो क्षेत्र है, अध्यक्ष महोदय, अगर वहां पर प्राथमिकता के आधार पर, मैंने पूर्व में भी इसके बारे में निवेदन किया था, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने इसके लिए आश्वासन भी दिया था लेकिन आज तक इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, कि अगर हम सेम प्रभावित क्षेत्र के अंदर प्राथमिकता के आधार पर बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाएं तो काश्तकारों को दोहरा लाभ होगा। जहां एक और हमको उपज ज्यादा प्राप्त होगी, वहीं उनकी सेम की समस्या का भी समाधान होगा। मैं यह और कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय कि अभी सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर्स की खरीद ज्यादा की गई, यह सोचते हुए कि इससे विद्युत की जो छीजत होती है वह कम होगी। छीजत तो मैं नहीं जानता कि कितनी कम होती लेकिन विभाग के ऊपर करोड़ों रूपये का अतिरिक्त भार जरूर पड़ा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में विद्युत की खपत, जो कि पूर्व के समय कम थी उसको देखते हुए...

**श्री अध्यक्षः** कृपया समाप्त करें।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल**: अध्यक्ष महोदय, दो बात मैं और कहना चाहूंगा। विद्युत की खपत पूर्व के समय कम थी, फिर भी हम कटौती करते रहे हैं तो आने वाले समय में तो विद्युत की मांग ज्यादा होगी, तो हम कैसे आपूर्ति कर पाएंगे, यह एक सोच का विषय है। मैं आशा करता हूं, इन परिस्थितियों को देखते हुए समय रहते समाधान होगा।

इसी के साथ-साथ मौसमी बीमारियों की बात चल रही है, हमारा इलाका हरदम दूषित जलमग्न होने के कारण माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। स्वाथ्य मंत्री महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमारा इलाका दूषित जल होने के कारण पीलिया जैसी बीमारी...

**श्री अध्यक्षः** आपका समय समाप्त हुआ। आप एक मिनट में बात पूरी कर दें।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवालः** जी, ये वैसी भी अंतिम मेरी बात है । पीलिया जैसी बीमारी वहां पर हर समय फैली रहती है । इसलिए वहां पर इसकी रोकथाम के कुछ उपाय किये जाएं। इसके साथ-साथ हमारे वहां पर डाक्टर्स की जो स्थिति है उसके ऊपर भी नजर फर्माया जाए। अनेक पीएचसी हैं जो अधिकांशतः खाली रहती हैं जैसे हमारी पीएचसी जैतपुर है वहां पर कभी भी डाक्टर नहीं रह पाते। होते हैं तो डैपुटेशन कर दिये जाते हैं। अनेकों डाक्टर्स को अगेंस्ट पोस्ट लगाया गया है । अभी हाल ही में एक डाक्टर को जो खाजूवाला से जे.एस. हैं पीडियाट्रिक के, उनको एसएमओ की पोस्ट पर बीकानेर लगा दिया गया और बीकानेर की एसएमओ की पोस्ट वाली हैं उनको लूणकरणसर अगेंस्ट जे.एस. लगा दिया गया जे.एस. गायनी। वो खुद अस्वस्थ हैं। जो खुद अस्वस्थ हैं वो दूसरों का क्या इलाज करेंगी? इसलिए मैं चाहूंगा कि आप समय रहते उसकी व्यवस्था करें। इसके साथ-साथ हमारी नयी पीएचसी की जो मांग है सुदूर इलाकों में, सीमान्त क्षेत्र है जैसे आनन्दगढ़ दंतोर वहां पर आप प्राथमिकता से इसकी व्यवस्था करें और डाक्टर्स के जो रिक्त पद हैं उनको आप भरने का प्रयास करें। पीबीएम अस्पताल जैसे अस्पताल के अन्दर हालात बहुत खराब हैं, वहां पर पेशेंट क्या उनके अटेंडेंट्स तक अस्वस्थ हो जाते हैं। उन व्यवस्थाओं पर निगाह फर्माएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तकलीफ और है। मेरी बात ओवर हो गयी, इसके लिए धन्यवाद। निवेदन यह करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य अंत तक यहां विराजमान रहते हैं उनके समय पर कैंची चलती है और पूर्व में लंबी-लंबी बातें करके चले जाते हैं, एक-एक घंटे का उनको समय मिलता है। हम वास्तविक रूप से पीड़ित हैं, हमारा क्षेत्र तकलीफ पाता है, हम अपनी बात भी नहीं रख पाते । यह दर्द मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्षः** धन्यवाद। श्री मंगलाराम गोदारा।

**श्री मंगलाराम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल पर बिजली पर चर्चा हो रही है। जैसे गिरदावरी की बात, पिछली बार गिरदावरी में मेरे क्षेत्र में पूरी गड़बड़ हुई थी। पूरा क्षेत्र अकाल में था...

**श्री अध्यक्षः** जो बातें आ गईं उनको रिपीट नहीं करें, कोई नयी बात आपके इलाके की हो तो कहें आप।

**श्री मंगलाराम गोदारा** : मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र के हालात ये हैं कि भयंकर अकाल है और अभी गिरदावरी हो रही है। जिस जगह बरसात ही नहीं हुई, जिस जगह हल भी नहीं चले, वहां क्या गिरदावरी करेंगे? मेरा तो यही निवेदन है कि वहां अकाल राहत के काम खोले जाएं । भयंकर अकाल है। पिछली सरकार ने जैसे अगस्त में ही काम खोल दिये थे, एक प्रश्न का जवाब आया कि हम गिरदावरी कराएंगे और उसके बाद में देखेंगे तो पिछली बार जैसे नहीं हो जाए कहीं । जैसे पिछली बार भयंकर अकाल था उसके बावजूद भी जमाना घोषित कर दिया गया। मेरा तो यही निवेदन है कि पूरे विधान सभा क्षेत्र में भयंकर अकाल है चूरू और बीकानेर में । मेरा क्षेत्र आधा चूरू में ही आता है और बीकानेर में भी आता है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है...

**श्री अध्यक्षः** मंत्रीजी, आपको जवाब देना है आप कहां बैठ गये वहां जाकर? आपको जवाब देना है आप क्यों बातों में उलझ गये? विराजो अपने स्थान पर।

**श्री मंगलाराम गोदाराः** ... कि गिरदावरी में कहीं पिछली बार जिस तरह गड़बड़ हुई थी, वो गड़बड़ नहीं हो और अकाल राहत के काम खोले जाएं। पशुओं के लिए चारा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ गांवों में ट्यूबवैल बने हुए हैं और ट्यूबवैल बने हुए हैं वहां थोड़ी-बहुत हरियाली होती है जैसे मूंगफली की फसल है, उसके कारण से वो गिरदावरी में जमाना दिखा देते हैं और अकालग्रस्त घोषित नहीं होता है । एक गांव में बीस ट्यूबवैल हैं कहीं पचास ट्यूबवैल हैं और चार सौ घर हैं, साढ़े तीन सौ घर हैं वो तो बारानी खेती करते हैं। ट्यूबवैलों के कारण से अकालग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है। 350 घर हैं वो एकदम अकाल में हैं उनको अकालग्रस्त घोषित करवाएं सारों को, क्योंकि मूंगफली की फसल है, वहां पर बिजली है नहीं और तीन-चार घंटे बिजली मिलती है । आज हालत यह है कि किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, गांवों से पलायन कर रहे हैं क्योंकि न तो पशुओं के खाने के लिए कुछ है न आदमियों के खाने के लिए है। इसलिए आप अकाल राहत के काम जल्दी से जल्दी खोलें, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करें, गौशालाओं को अनुदान चालू रखें। गौशालाओं को और ज्यादा अनुदान दें ताकि उन गौशालाओं में गायें बच सकें। दूसरा कृषि कनेक्शन जैसे बंद कर रखे हैं वो कृषि कनेक्शन भी चालू करें । मेरे विधान सभा क्षेत्र में बारह सौ कनेक्शन पैंडिंग हैं अभी विशेष श्रेणी में। आज हालत यह है कि उन किसानों ने ट्यूबवैल बना लिये और कनेक्शन मिल

(श्री मंगलाराम गोदारा)

नहीं रहे। अगर उन किसानों को कनेक्शन मिल जाएं तो चारे की व्यवस्था और वहां पर उनको रोजगार भी मिल सकता है । तो मेरा तो यही निवेदन है आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी विशेष श्रेणी के कनेक्शन चालू करके उन किसानों को कनेक्शन दिये जाएं ।

दूसरा माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन है आपके माध्यम से कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डाक्टरों की बहुत कमी है। बिग्गा में डाक्टर नहीं है, लक्खासर में डाक्टर नहीं है, रीड़ी में डाक्टर नहीं हैं। डूंगरगढ़ मैन हैडक्वार्टर है वहां भी डाक्टरों की कमी है। यह व्यवस्था करें अन्यथा भयंकर बीमारी फैली हुई है और वो कंट्रोल में नहीं हो रही है। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद। आखिरी वक्ता श्री हेमाराम चौधरी।

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

**श्री गोविन्दराम मेघवाल**: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

**श्री अध्यक्ष:** आप भी बोल दीजियेगा। क्योंकि सत्ता पक्ष से आया कि हमारे सब स्पीकर्स बोल चुके हैं और इन्होंने कहा कि तीन हमारे बोलने वाले हैं। आप भी बोलिये मुझे क्या आपत्ति है? (व्यवधान) अभी नहीं, अभी तो मैंने नाम पुकार लिया न इनके, बाद।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, कि आपने ...

**श्री अध्यक्ष:** लेकिन आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): आखिर में बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, आप पांच मिनट में बात समाप्त करेंगे।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): कोशिश तो पांच मिनट से कम में ही करूंगा लेकिन थोड़ा बहुत हो जाए तो आप भी रहम करना।

**श्री अध्यक्ष**: कोशिश नहीं, करना पड़ेगा आपको।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): थोड़ा कोई रह जाए बात तो आप भी रहम करना। अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में यहां काफी सदस्यों ने अपने विचार रखे। बिजली का उत्पादन तीन साल में कितना हुआ, इसके बारे में जवाब देंगे तब बता देंगे । मैं तो मंत्रीजी से मोटे रूप में एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को जो बिजली के बिल दिये गये उसमें आपने

(श्री हेमाराम चौधरी)

मिनिमम चार्जेज लगा कर बिल दिये। ये मिनिमम चार्जेज आप किसानों से ले रहे हो या मिनिमम चार्जेज लेने का नहीं है? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने फैसला किया था कि मिनिमम चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपकी सरकार आने के बाद में आपने मिनिमम चार्जेज लेने का आदेश जारी कर रखा है या बिना आदेश के ही ये मिनिमम चार्जेज के बिल थमाये जा रहे हैं? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं? आप कहो कि मिनिमम चार्जेज के बिल नहीं दिये तो मैं बिलों की कापी लेकर आया हूं, मेरे पास पड़े हैं। रीडिंग है नहीं फिर भी मिनिमम एवरेज ये आपने कालम बनाया है, उसके हिसाब से आपने बिल दिये हैं। टैरिफ 2001 के अनुसार तदर्थ राशि इस कालम में जो आपने राशि दर्शायी है, रीडिंग की नहीं है। यह आपने कोई पिछले जो सीजन के टाइम पर बिल आते हैं उसका एवरेज लगाकर बिल थमा दिये । सीजन के समय पर तो आप बिजली भी देते हो और किसान भी बिजली को काम में लेता है और उसको जरूरत होती है उसके हिसाब से मिलती भी नहीं है । जरूरत ज्यादा है लेकिन फिर भी आप दे नहीं पाते हो। किसान को फरवरी के बाद में बिजली की जरूरत रहती नहीं, कुए हमारे बंद रहते हैं। हमारे तो जीरा और ईसबगोल और थोड़ा बहुत रायड़ा इसके सिवाय तो फसल कोई...

**श्री अध्यक्ष:** ये आप अपने चैटिंग क्लब को बंद करें। आप सुनिये।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): गर्मियों में हमारे वहां कोई फसल की बुवाई नहीं होती है इसलिए कुए बंद रहते हैं । जब कुए बंद रहते हैं तो रीडिंग आने का सवाल ही नहीं। फिर भी आप ने सीजन के टाइम का एवरेज लगाकर बिल थमाये हैं। क्या मामला है, इसको आप देख लें। स्पष्ट कर दें आप अपने जवाब में, मैं यह आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा। बिजली के बारे में यही खासकर निवेदन है।

दूसरा आप फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम का कह रहे हो, उत्पादन की भी बात कहोगे, आप कनेक्शन की भी बात कहोगे। आप बात तो बहुत कर रहे हो काम तो बहुत हो रहा है। यह प्रगति प्रतिवेदन बीसीयू का शेरगढ़ का पढ़ रहे थे तो काम कहां हो रहा है, पता नहीं । लोग आपके काम से मेरे को तो खुश लग नहीं रहे। पर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत खुश हैं तो फिर ठीक है, चलने दो गाड़ी। देखो, फिर थोड़े दिनों बाद में पता लगेगा, आपकी कैसी गाड़ी चली। बाकी लोग वास्तव में खुश नहीं हैं क्योंकि बिजली वास्तव में मिलती नहीं है और आप बिल उनको थमा देते हैं । सिंगल फेस कनेक्शन है

(श्री हेमाराम चौधरी)

उनको तो बिजली मिलती ही नहीं । आज गांवों के अन्दर जब सीजन नहीं है ऑफ सीजन के टाइम में आप बिजली चार घंटे और पांच घंटे दे रहे हो तो फिर आपकी बिजली गई कहां ? आफ सीजन में तो कम से कम कटौती होती ही नहीं। पूर्व में आफ सीजन में कभी कटौती होती भी नहीं थी, ये अभी होनी शुरू हुई है। इसलिए आफ सीजन में सिंगल फैस वालों को आप रात में बिजली देओ, नहीं तो फिर वो कनेक्शन का क्या करेंगे? आप इसके बारे में थोड़ा विचार करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में महलू में 132 केवी जीएसएस स्वीकृत है लेकिन उसका अभी कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, उस 132 केवी जीएसएस महलू को आप कब तक बना देंगे? यह आप थोड़ा अगर बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ।

मौसमी बीमारियों के बारे में कहा गया है कि मौसमी बीमारियां बहुत फैली हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह कोई सरकार की वजह से मौसमी बीमारियां फैली हैं या सरकार ने फैला दी हैं। यह प्रकृति की वजह से मौसमी बीमारियों का कहर आज हमको झेलना पड़ रहा है । खासकर बाड़मेर जिले में अत्यधिक बरसात होने के कारण से वहां मच्छर बहुत हो गये । ये मच्छर तो बरसात होने से हुए हैं कोई आपकी सरकार की देन तो हैं नहीं, बरसात की देन हैं। लेकिन जब इतने मच्छर पैदा हो गये, इतनी बरसात हुई तो इसको किस प्रकार से कैसे नियंत्रित किया जा सके यह देखने की बात है । डीडीटी आपने छिडकवाया नहीं इसलिए बिना डीडीटी के मच्छर तो मर नहीं रहे हैं, मलेरिया हो रहा है। पीएफ के केसेज बहुत हैं, स्टाफ आपका बहुत कम है। आपका स्टाफ ही अगर पूरा नहीं है तो फिर कौन ट्रीटमेंट करेगा, लोगों को कौन इलाज देगा? कौन आपके स्लाइड्स लेगा, कौन उसकी जांच करेगा? स्टाफ आपका बहुत कम है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक परिवार कल्याण केन्द्र सरणु है जिसमें एक साल से ज्यादा समय हो गया है डाक्टर नहीं है, सिर्फ एक कम्पाउंडर है जो भी ज्यादा कुछ जानता नहीं है । वहां आप मेहरबानी कर के एक डाक्टर तो लगा दो। इतना तो आप कर ही सकते हो । आप डाक्टर लगा नहीं सकते तो फिर आप बीमारियों पर नियंत्रण कैसे करोगे? बिना डाक्टर के, बिना कम्पाउंडर के, बिना पैरा मेडिकल स्टाफ के सुओमोटो, आटोमेटिकली ही बीमारियों पर नियंत्रण हो सकता है, आप डाक्टर हैं इसलिए ऐसा आपके पास अगर कोई नुस्खा हो तो भले ही आप उस नुस्खे को काम में लें। नहीं तो मैं समझता हूं आप मेहरबानी करके पूरा स्टाफ लगाएं। स्टाफ पूरा होगा तभी जाकर बीमारियों पर नियंत्रण हो सकता है ।

**श्री अध्यक्षः** कृपया कनक्लूड करें । दोनों बातों पर तो बोल दिया आपने ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, आप माने या न मानें, आप अपनी उपलब्धियों का बखान करते रहे। मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि आप करोगे ही। आपका काम बखान करने का है, हमारा काम आलोचना करने का है । मैं आलोचना करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं, यह विपक्ष का काम है पर मैं उस काम को नहीं करना चाहता ।

**श्री अध्यक्षः** आपका काम आलोचना करने का है या सुझाव देने का?

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): है तो सुझाव देने का लेकिन सुझाव देते नहीं, करते आलोचना ही हैं। सही काम हम भी नहीं करते और सही काम भी नहीं करते हैं । सही बात यह सुनने के आदी नहीं, सही बात हम से भी कही जाती नहीं। हम भी उसको बढ़ा-चढ़ा कर थोडा नमक मिर्ची लगाकर बात करते हैं । मैं तो सही बात कहूंगा । आप कह रहे हो, कोई मर ही नहीं रहा है। लोग मर तो रहे हैं ऐसी बात नहीं है । बाड़मेर जिले में रोजाना 30-40 आदमी मर रहे हैं। आप पता तो करो कि कितने लोग मर रहे हैं और मर रहे हैं वह किस बीमारी से मर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, कौनसी बीमारी से मर रहे हैं, मलेरिया से मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं या चिकनगुनिया से मर रहे हैं । (व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): रोजाना 40-50 मर रहे हैं ?

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): नहीं तो रोज के कितने मर रहे हैं? एक जिले में रोज के कितने आदमी मर रहे हैं?

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): ऐसा सवाल ही नहीं है ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): चाहे बुढापे से मर रहे हों लेकिन मर तो रहे हैं।

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): एक तहसील में एक पीएफ का मुश्किल से मिला है ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): बाड़मेर जिले में एक पीएफ रोगी मिला है ? बाड़मेर जिले में कितने पीएफ के रोगी हैं ? यह कहते हैं कि एक तहसील में एक यानि 6-7 रोगी मिले होंगे पीएफ के । खैर, ठीक है, नहीं मिले होंगे। आप कह देना नहीं मिले, कोई बात नहीं है । मुझे मालूम है आप कहोगे तो कुछ नहीं होगा। सब ठीक-ठाक हो रहा है तो होने दो। लेकिन सब ठीक-

ठाक नहीं है । यह हमारा काम है आपके ध्यान में लाने का । जैसा आप समझ रहे हो सब ठीकठाक हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है । थोड़ी बहुत कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है, यह हम आपके ध्यान में ला रहे हैं, आप उस गड़बड़ को थोडा ठीक करें । ठीक करोगे तो आपके ही ठीक रहेगा । गड़बड़ ठीक हो जाएंगी, आपका काम ठीक रहेगा और गड़बड़ ठीक नहीं करोगे तो आपके ही गड़बड़ रहेगी। हमारे को कुछ तकलीफ नहीं है, तकलीफ आपके ही होगी।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है, अब आप कृपया समाप्त करें ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): यह बीच में बोलने ही नहीं देते, मेरी बात ही टूट जाती है ।

**श्री अध्यक्ष:** बीच में नहीं बोलें। अब आप कृपया समाप्त करें ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, लोग मर तो रहे हैं चाहे बुढापे से मर रहे हों चाहे बीमारी से मर रहे हों। बीमारी किस प्रकार की है, मैं डाक्टर तो हूं नहीं, यह मैं बता नहीं सकता, यह डाक्टर साहब ही बता सकते हैं लेकिन रोजाना कितने आदमी मर रहे हैं तो यह अमरारामजी कहें उतने ही मान लें, यह रिकार्ड पर आ जाएगा। मंत्रीजी कह रहे हैं इतने मर रहे हैं, मैं कह रहा हूं इतने । मेरा कहा हुआ क्या मतलब रखेगा, मायना क्या? कुछ मायना नहीं । मेरा कहने का मतलब मर तो रहे हैं, आप थोडा ध्यान दो । आपके ध्यान देने के लिये मैं तो निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, आपकी कोई कमियां नहीं निकाल रहा हूं । आपके बखान करने के लिये तो आपके बहुत एमएलए बैठे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** अब आप कृपया समाप्त करें ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): समाप्त ही कर रहा हूं । मैं निवेदन कर रहा था कि डाक्टर हैं नहीं। आज सीएचसी पर तीन डाक्टर की बात है, हमारे यहां पर तो एक-दो डाक्टर ही हैं । अब एक दो डाक्टर हैं तो उन डाक्टरों की मोनोपोली है । वह भी इलाज कैसा करते हैं, बिना पैसे करते हैं या नहीं करते हैं यह सब डाक्टर साहब खुद जानते हैं, उसके बारे में मैं ज्यादा कहना ठीक नहीं समझता। लेकिन इलाज अगर सही ढंग से हो जाये तो बीमारी पर नियंत्रण हो सकता है । आप मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण करो ।

**श्री अध्यक्ष**: अब हो गई बात ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): तीसरा अकाल के बारे में निवेदन

(श्री हेमाराम चौधरी)

करना चाहता हूं । अकाल इस साल बाड़मेर जिले में भी आया है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे कम है, थोडा बहुत ही होगा, लेकिन दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में है । अकाल राहत मंत्रीजी, पिछली बार गिरदावरी ठीक नहीं हुई थी। सरकार की ऐसी हिदायत थी, कहा तो ऐसा गया हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन कलक्टर ने गिरदावरी ठीक नहीं करवाई । इस बार आप गिरदावरी सही करवाइए । आज 9 तारीख हो गई, 15 तारीख तक गिरदावरी का काम कम्प्लीट हो जायेगा क्योंकि 16 सितम्बर से काम शुरू हुआ है 15 तक तो कम्प्लीट हो जाएगा । इस हिसाब से आपके पास थोड़ी बहुत रिपोर्ट आनी चाहिये। किस-किस जिले में कितने-कितने गांव अकाल में हैं, यह मौटे तौर पर आपके पास आंकडे हों तो आप बताना किस-किस जिले में कोई है क्या । अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, पिछली बार आपने ही सरकार को कहा था कि गिरदावरी गलत हुई है।

**श्री अध्यक्ष:** दो माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं, अब आप समाप्त करें ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं, एक मिनट में क्या हो जाएगा? पिछली बार आपने ही सरकार को कहा था कि गिरदावरी गलत हुई है लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। गिरदावरी एक बार हो गई, आपने चाहे कैसी भी कर दी तो फिर उसमें सुधार नहीं हो सकता है । इसलिए अभी आप ध्यान रखें, गिरदावरी सही करें, ठीक ढंग से करें । वास्तव में जहां अकाल है वहां आप अकाल ही दर्ज करें। आप कह कर ज्यादा सुझाव देने की कोशिश न करें तो ठीक रहेगा, मंत्रीजी मेरा तो आपसे यही निवेदन है। मैं और कुछ सुझाव देता लेकिन आपने जो समय दिया उसके लिये ही धन्यवाद ।

**श्री अध्यक्ष:** श्री कन्हैयालाल मीणा । कन्हैयालाल मीणा प्रारम्भ करें ।

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कृषि कनेक्शनों पर आपने बैन लगा रखा है। लोगों ने 5200 रुपये इस आशा में जमा कराये थे कि हमको जल्दी कनेक्शन मिल जाएगा, तो वह रोक हटायी जाए। दूसरा, जिन लोगों ने डिमांड नोटिस जमा करा दिया है और जिनकी डिमांड नोटिस की राशि जमा हुए तीन-तीन, चार-चार महीने हो गये हैं उनको

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

कनेक्शन अतिशीघ्र मिले । सामान टाइम पर नहीं मिलता है इसलिए वह नहीं हो रहा है। दूसरा, आपके जो हैल्पर थे उन हैल्परों का भी आपने इधर-उधर ट्रांसफर कर दिया है, वह भी बहुत कम रह गये हैं । मेरे क्षेत्र में तो मुश्किल से तीन हैल्पर होंगे जिनसे ये कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं । साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा डीएन जारी कर देते हैं उसको आप रजिस्टर्ड डाक से भेजते हैं। वे किसान के पास पहुंच नहीं पाते हैं। या तो पहुंच नहीं पाते हैं या उसके पास पैसा नहीं होता है तो वह टाइम पर जमा नहीं कराता है, महीने दो महीने बाद वह जमा करा पाता है तो वह चोरी करता है । अगर आप उसे कनेक्शन नहीं देते हो तो वह चोरी करता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनको डिमांड नोटिस जारी हो गया है लेकिन अगर वह महीने-दो महीने बाद पैसा जमा कराता है, ऐसे व्यक्तियों को आप कनेक्शन दें तो आपकी यह चोरी भी कम होगी और उनको कनेक्शन भी मिल जाएगा । घरों के कनेक्शन के लिये 6-7 साल से लोगों ने आवेदन कर रखे हैं, घरों में आप कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और उसकी वजह से चोरियां ज्यादा बढ़ रही हैं। आप एक अभियान चलाकर घरेलू कनेक्शन जारी करें । साथ ही ज्यादातर किसानों ने अपने घर खातेदारी भूमि में बना रखे हैं । आपने आबादी भूमि पर तो छूट दे रखी है जबकि किसान को अधिकार है कि वह तहसीलदार से अपना आदेश लेकर जहां पर उसने मकान बना रखा है 80 प्रतिशत जमीन में वह रह सकता है। उसमें भी आप छूट नहीं दे रहे हैं । अगर तहसीलदार का लिखा हुआ है और वहां पर रेजीडेंस है तो उसमें छूट दी जायें। 29-29 हजार, 32-32 हजार, 70-70 हजार रुपये घरेलू कनेक्शन के लिये किसान जमा नहीं करा सकता । साथ ही ऐसे गांव जो 5-6 हजार की आबादी के हैं उनमें आप 24 घंटे सिंगल फेस दे रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा, झटवाडा मेरे क्षेत्र का एक गांव है जिसकी 6 हजार की आबादी है, बार-बार विभाग में निवेदन कर दिया पर अभी तक वहां 24 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है । आपने 33 केवी के 7 जीएसएस दिये उसके लिये तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा । साथ ही, सामरिया और गढवासी मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें 33 केवी की प्रक्रिया चल रही है उनको जल्दी स्वीकृत कर दिया जाए तो मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा।

चिकित्सा मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें मलेरिया नहीं फैला हो। जो एड पोस्ट में आपके

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

कम्पाउण्डर्स लगे हुए थे वे भी छोटी-मोटी बीमारियों को सम्भाल लेते थे। लेकिन आपने, एड पोस्ट के जो कम्पाउण्डर्स थे उनको भी हटा लिया। मेरे क्षेत्र हैं सामरिया जटवाड़ा पाला वाला जाटान घड़वासी ऐसे क्षेत्रों में जो कम्पाउण्डर्स लगे हुए थे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उनको वापस वहां पर लगा दें। एड-पोस्ट पर जो कम्पाउण्डर लगा रखे थे, जो लम्बे समय से लगे हुए थे, उनको आपने हटा लिया। उनको वापस लगाया जाए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही, बढ़वा और कोटखावदा, बढ़वा के अन्दर डाक्टर आपने लगा रखा है लेकिन उसको आये हुए 4 महीने हो गये और अब तक वह डाक्टर नहीं आ रहा है। कोई डाक्टर वहां पर नहीं है। बढ़वा से लोग 3 किलोमीटर पार दौसा जाकर अपना इलाज करवाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि या तो उसको बिलकुल हटाएं या दूसरा कोई डाक्टर दें। टैम्परेरी आप लगाएं बढ़वा गांव के अन्दर। ऐसे ही कोटखावदा में दो डाक्टर थे। दो डाक्टर आपने लगा रखे हैं लेकिन मात्र एक मात्र काम करने आता है। जिस दिन उसने उपस्थिति वहां दर्ज कराई उसके बाद में आज उसको 7 महीने हो गये, तब से लेकर अब तक वह डाक्टर दुबारा जा ही नहीं रहा है। वह कहां काम कर रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। डैपुटेशन के रूप में लोग आपसे मिल चुके हैं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरा क्षेत्र में कानोता इण्डस्ट्रियल एरिया है हीरावाला इण्डस्ट्रियल एरिया, वहां बहुत सारी लेबर रहती है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है, एक पी.एच.सी. कानोता, स्वीकृत कर दी जाए तो वहां के लोग या तो जयपुर आते हैं या बस्सी जाना पड़ता है, 16-17 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक पी.एच.सी. आप कानोता में बनाएं। भवन बनाकर इण्डस्ट्रियल एरिया वाले आपको देने को तैयार हैं, पी.एस.सी. स्वीकृत करायें तो आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करुंगा।

साथ ही अकाल राहत मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में कोई भी ऐसा तालाब, एनिकट या बांध नहीं है जिसमें पानी हो। एक भी नहीं है। मनुष्यों के लिये तो ठीक है कहीं न कहीं जाकर पानी पी लेंगे। लेकिन पशुओं के लिये खेलियां जो बना रखी हैं गांव वालों ने, उन खेलियों के अन्दर हर गांव के अन्दर जो टैंकर सप्लाई से पानी भरवा दें जिससे पशु पानी पी सकें और बच सकें।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): जयपुर जिले में जिन कुओं में पानी था वहीं ही फसलें हुई हैं। अन्यथा मूंगफली की फसल तो बिलकुल नष्ट हो गयी है।

**श्री अध्यक्ष:** आपने 7 मिनट ले लिये।

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): ऐसी ही और फसलें थीं वे भी हो गयी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में भी अकाल घोषित किया जाए। इतना ही कहते हुए आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद। श्री गोविन्दराम मेघवाल।

**श्री गोविन्दराम मेघवाल** (नोखा): आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद। मैं बहुत ही शोर्ट में, क्योंकि मुझे पता है, सारे लोग बोर हो चुके हैं अब, बिना किसी बात की पुनरावृत्ति किये हुए बात कहता हूं। मैं सबसे पहले मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, पहली बार हुआ है कि बिना गिरदावरी के 75 चारा डिपो आज बीकानेर में कंटीन्यू चल रहे हैं। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यह पहली बार हुआ है। अन्यथा हम गिरदावरी के बाद में चारा डिपो, अकाल राहत कार्य खोलते हैं। लेकिन पहली बार 75 चारा डिपो अभी हमारे चालू हैं। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से यह भी डिमाण्ड करुंगा कि बीकानेर के हालात बहुत खराब हैं। जैसे मेरा विधान सभा क्षेत्र है नोखा, उसमें आधा कोलायत भी पड़ता है, पहली बारिश हुई तो लोगों ने फसलों की बिजाई की। लेकिन बाद में बारिश नहीं होने के कारण अब बिलकुल अकाल है। आप जल्दी से जल्दी कार्य खोलने का कष्ट करें, ताकि लोगों की स्थिति जो बदतर हो रही है, वह ठीक हो सके। पशुओं की स्थिति भी खराब है हम लोग चारा डिपो और कैटल केम्प में जो हैल्प कर रहे हैं, इसको आप बढ़ावें और चारा डिपो की संख्या बढ़ाई जाए ताकि पशुओं की स्थिति ठीक हो सके।

बिजली के संबंध में मेरी दो-तीन मांगें हैं। एक तो जिन कृषि कुओं में किसानों के पचास हजार या लाख रुपये बकाया हो गये हैं, बिजली मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि किसान की स्थिति बहुत दयनीय है अकाल की वजह से बार-बार कुछ पानी की भी कमी आ गई इसलिए उनका जो बकाया भरवाना है आप उसको चार-पांच किश्तों में कर लें। उनकी नीयत बिलकुल ठीक है, वे पैसा देना चाहते हैं लेकिन जेब में पैसा नहीं है। इसलिए आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनको तीन-चार किस्तों में कर दें, दो-तीन महीने के अन्दर वे सारा पेमेन्ट देने के लिए तैयार हैं। जैसे पचास हजार है तो आप तीस हजार

(श्री गोविन्दराम मेघवाल)

या पच्चीस हजार कम से कम मांगते हैं, हमारी स्थिति ऐसी है कि बीस हजार एक बार ले लें दूसरे में बीस हजार ले लें, स तरह से तीन किश्तों में आप बांट दें। दूसरा, मैं माननीय बिजली मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में आपने बीधासरिया, झाड़ेली जीएसएस दे दिया। मेरी एक और डिमाण्ड है, मसूरी और थावरिया में जीएसएस की सख्त आवश्यकता है इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें। मेरा बिजली मंत्रीजी से एक और निवेदन है कि जिन गांवों में कृषि के ट्यूबवैल नहीं हैं वहां आपने ट्यूबवैल कृषि कनेक्शनों से जोड़ रखे हैं उस वजह से पेयजल का कई बार बड़ा संकट हो जाता है। उन ट्यूबवैलों को आप डाइरेक्ट 24 घंटे की लाइन दीजिये जिससे कम से कम पीएचईडी की उस गांव में पानी की पूरी व्यवस्था हो सके।

एक मेरा आग्रह है स्वास्थ्य मंत्रीजी से कि मेरे महंडसर की काफी पुरानी मांग है पीएचसी खोलने की बहुत इंटीरियर एरिया है महंडसर, उसके आस-पास कोई पीएचसी नहीं होने से वहां बड़ी परेशानी है इसलिए आप वहां पीएचसी खोलें। आपने नाथूसर में डाक्टर लगाया उसके लिए धन्यवाद। तीसरा मेरा अकाल मंत्रीजी से....हो गया?

**श्री अध्यक्ष:** वो तो सब हो गये आपके। साथ में धन्यवाद दे दीजिये।

**श्री गोविन्दराम मेघवाल** (नोखा): हो गया, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

**श्री अध्यक्ष:** अब आपको क्या कहना रह गया?

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): मैं निवेदन करना चाहता हूं, कालाभाटा वाली ढाणी...

**श्री अध्यक्ष:** आप बोल चुके अब आप क्या कहना चाहते हैं?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बोल दिया न आपने।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचलंगी के पास में एक कालाडेरा वाली ढाणी है।

**श्री अध्यक्ष:** नो, अब कुछ नहीं। नो-नो, कोई अंकित नहीं हो।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): ×××

**श्री अध्यक्ष:** आपको समय दिया था उस समय तो आप बोले नहीं और अब आप फिर खड़े हो गये हैं, यह कौनसा तरीका है?

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): ×××

**श्री अध्यक्ष:** सबसे पहले मैं अकाल राहत मंत्रीजी को पुकारुंगी। लेकिन, अकाल राहत मंत्रीजी, प्रारम्भ करने से पहले मेरी सुन लीजिये आप। सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप हुक्म दीजिये, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष:** सुनिये तो सही।

'ऊंडो पाणी थार को, तगड़ा मनख मवेश,

पड़ता-पड़ता काल के धोल्या हो गया केश।'

पहली बात तो यह, इसका मतलब समझ लीजिये कि कितना लगातार अकाल पड़ता है राजस्थान में। और दूसरा मेरा कहना है-

'काल-काल विकराल खावण आवे खेतड़ा,

पाणी पाल पाताल, कै बंदोबस्त करस्यो थे किरोड़ीलाल।'

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि मेरे बोलने से पहले मेरे को आशीर्वाद दिया।

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, मैंने तो बंदोबस्त की बात कही है, क्या बंदोबस्त करते हो?

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अकाल के बारे में जो लोकोक्तियां चल रही हैं उसको मारवाड़ी में गाकर मेरा हौसला बढ़ाया। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अकाल की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो। अध्यक्ष महोदय, 2062 का जो अकाल पड़ा था वह 22 जिलों में पड़ा था और उसमें 15778 गांव प्रभावित हुए थे। इन गांवों में 198.44 लाख जनसंख्या तथा 178.10 लाख पशुधन प्रभावित हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसका ज्ञापन हमने भारत सरकार को दिया। आप यह जानती हैं अच्छी तरह से कि हर बार जब भी अकाल पड़ता है तो भारत सरकार को ज्ञापन दिया जाता है और भारत सरकार की केन्द्रीय टोली अकाल का जायजा लेने के लिए आती है उसके बाद भारत सरकार हमको मदद करती है। 2059 में जब भारी अकाल था तत्कालीन सरकार के राज में, तो भारत सरकार ने 32.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं दिया और करीबन 998 करोड़ रुपये अलग से दिये और पांच करोड़ रुपये प्रधान मंत्री कोष से दिये। इस अकाल की विभीषिका को देखते हुए भारत सरकार से मांग

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

की गई तो मैं प्रतिपक्ष के नेताजी से मांग करना चाहूंगा, अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, कि हमें मात्र दो लाख मैट्रिक टन गेहूं मिले और नकदी के नाम पर हमें एक पाई नहीं मिली। खैर, इस बात में हम जाना नहीं चाहते, भारत सरकार ने हमारी मदद नहीं की। लेकिन फिर भी हमने 364 करोड़ के काम कराये। मृतक आश्रितों को सहायता दी 4.71 लाख। अनुग्रह सहायता दी 226.36 लाख की। दवाओं की पूर्ति की 138.66 लाख की। अन्य मद के दिये पाइंट 25 लाख। जल परिवहन के दिये 1848.88 लाख। टैंकरों की मरम्मत के लिए 10.92 लाख, विशेष पोषण के लिए 13.67 लाख, चारा परिवहन के लिए 2435 लाख, पशुपोषण केन्द्र के लिए 198 लाख, सांड सहायता के लिए 1.58 लाख, पशु शिविर और गौ-शाला के लिए 7600 लाख, पशु चिकित्सा के लिए 159 लाख, राहत कार्य के लिए 17468 लाख, अग्नि सहायता के लिए 154 लाख, सर्च, रेस्क्यू एवं संचार के लिए 14 लाख, बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए 22 लाख, भोजन, वस्त्र आदि के लिए 57 लाख, आवास-पुनर्वास आदि के लिए 49 लाख, अन्न मद के लिए 3.36 लाख, खराब सड़कों की मरम्मत के लिए 3286 लाख, पर्यावरण की सहायता के लिए 5 लाख, घरों की मरम्मत के लिए 118 लाख, ओलावृष्टि के लिए 281 लाख, सिंचाई विभाग के बांधों की मरम्मत के लिए 2070 लाख, नगरपालिका की राशि के लिए आबंटित 200, इस ढंग से हमने 364 करोड़ रुपये खर्च किये। हमने अकाल को ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** यह तो बताया है कि यह कर दिया इन्तजाम और इन्तजाम तो करेंगे अब।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): किसी ने पूछा है क्या?

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता, हमने इस अकाल को विकास में बदला और हमने परिसम्पत्तियां विकसित कीं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** नेता प्रतिपक्ष, कम से कम सुनो तो पूरी। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): क्या व्यवस्था अब आप करने जा रहे हो, यह पूछा है। यह नहीं पूछा है कि ... (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां-हां, हो गयी न। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): यह नहीं पूछा कि पहले

(श्री रामनारायण चौधरी)

आपने क्या खाया, क्या पीया? (व्यवधान) यह तो हिसाब-किताब कोई पूछा ही नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि आप आगे क्या खिलाओगे? क्या पिलाओगे? कैसे करेंगे यह व्यवस्था, वह बताओ? (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, मैं बता रहा हूं न। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): हां, तो वही बता दो आप।

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप विराजो।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): पहले वाली से हमें कोई सरोकार नहीं है। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप विराजो। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** सरोकार कैसे नहीं है? सरोकार कैसे नहीं है, सरोकार है। बताया कि पिछली बार यह किया सरकार ने ... (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): यह इसलिए बता रहे हैं कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है इसलिए आप समय गंवा रहे हो कि कैसे भी किसी भी प्रकार से जो समय आपको अध्यक्ष महोदय ने दिया है और हम आपसे यहां सुनना चाहते हैं, बैठे-बैठे ऊंघते रहें। आप पुरानी बात कहते रहो कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, यथार्थ में किया कुछ नहीं है। (व्यवधान) आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपका प्रोग्राम है, वह बता दीजिए आप तो? (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं यह चाहता हूं कि आप बड़े सजग और जागरूक नेता हैं हमारे, हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाए कि जैसे 17 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार ने अभी चार स्टेट में बांटे हमें अकाल के लिए एक पाई भी नहीं मिली, इसलिए मैं पहले से जागरूक करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब बोलिये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** फर्माइये अब कुछ आप भी। अब फर्माइये कुछ आप।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप यह रोना रोएंगे और

(श्री रामनारायण चौधरी)

कुछ करवाओगे नहीं और यह रोना रोएंगे कि यह नहीं किया, वह नहीं किया। आपको सब दिया है लेकिन आपसे व्यवस्था नहीं हो सकी। अब भी आप ऐसे ही करोगे, व्यवस्था कर नहीं सकोगे और दुनिया भूखे मरेगी, बीमारी से मरेगी। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता, 17 हजार करोड़ रुपये में अकाल पीड़ित राजस्थान को पैसा क्यों नहीं दिया? एक निन्दा प्रस्ताव केन्द्र सरकार के, अपन यह प्रस्ताव पारित कर दें, क्यों नहीं, आपकी राय हो तो? (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं किस बात का? किस बात का?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 17 हजार करोड़ रुपये में से राजस्थान को महरूम रखा। एक पायी दी नहीं। अभी तो यह मौका है। आप तो राजस्थान के हितों के प्रहरी हैं। यह तो सर्वविदित है कि 17 हजार करोड़ रुपये में से एक नया पैसा अपने को दिया नहीं तो आप प्रस्ताव रख दो, हम समर्थन कर देंगे। हम तो आपके पीछे खड़े होने को तैयार हैं। आप प्रस्ताव रखो, हम समर्थन करते हैं। मैं समझता हूं कि हम रखेंगे प्रस्ताव... (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): प्रहरी का दायित्व तो आपके पास है। हम तो देख रहे हैं, प्रहरी तो आप हैं। प्रहरी का दायित्व तो आपके पास है। हम तो भुगत रहे हैं और देख रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर धन्यवाद का प्रस्ताव दे देते हैं कि 17 हजार करोड़ में राजस्थान को एक नया पैसा नहीं दिया तो धन्यवाद का प्रस्ताव रख दो आप। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय नेता प्रतिपक्ष, गलत कह रहे हैं। प्रहरी तो आप है। प्रहरी तो आप ही हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान को महरूम रखा इसलिए धन्यवाद का प्रस्ताव आप रखो, हम समर्थन करते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: प्रतिपक्ष ही होता है प्रहरी, इसलिए प्रहरी तो आप ही हैं। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): पैरवी किस बात के लिए

(श्री रामनारायण चौधरी)

करेंगे? इनके लिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी पैरवी हम करेंगे? कुछ कर रहे हैं तो हम करेंगे पैरवी, ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। न राहत कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ईमानदारी से कुछ भी नहीं कहोगी क्योंकि मुझे पता है कि आप भी डर रही हो। इन्होंने क्या किया पिछली बार झुन्झुनूं जिले के अन्दर? भयंकर अकाल था, सारी तो इन्होंने गलत गिरदावरी करवा दी। वही हालत अब की बार करेंगे। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसीलिए कह रहे हैं 17 हजार करोड़ की ... (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): इनका तो नाम लेना भी बुरा है और शक्ल देखनी भी बुरी है। आप किनकी मदद करवा रहे हो? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तो देखनी ही पड़ेगी, प्रतिपक्ष के नेता। यह तो देखनी ही पड़ेगी अभी और आने वाले पांच साल और देखोगे। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता, आप ऐसे नाराज होंगे, आप अभी से नाराज हो गये। आप अभी से नाराज हो गये।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आप बहुत अच्छे हैं। कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं। आप तो ठीक हैं लेकिन आप भी तो मजबूर हो न। आपको भी अपनी हाज़िरी और चाकरी दोनों चलानी हैं इसलिए हां में हां मिला रहे हो। किरोड़ी लालजी जैसा बहादुर और डायनेमिक आदमी हां में हां मिला सकता है क्या? लेकिन मजबूरियां हैं। आप आगे की क्या बात करना चाहते हो हमारे लिए? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** वाह साहब, आपको तो फिर सर्टिफिकेट मिल गया, किरोड़ी लालजी। आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया। आप तो चिन्ता मत करो। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): किस प्रकार से राजस्थान को आप बचाना चाहते हैं? गरीब को, मजदूर को बचाना चाहते हैं, क्या प्रोग्राम आप देना चाहते हैं वह बता दीजिए? (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बड़ी मेहरबानी है प्रतिपक्ष के नेता की। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** वह भी आप पर पूरी है। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मेरे को आज सर्टिफिकेट विधान सभा में मिल गया कि मैं कर्मयोगी हूं और मैं बहुत आभारी हूं पर ... (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र मीणा** (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): खासकर झुन्झुनूं जिले को पूरा ही मिल रहा है। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं राजस्थान का हूं, पर इन्होंने मेरे पर जो मजबूरी बतायी है कि आप मजबूर हो, इस गूढ रहस्य को भी इन्होंने समझ लिया है। मैं मजबूर इसलिए हूं कि 16 लाख मैट्रिक टन गेहूं मांगा और 1500 करोड़ रुपये मांगे, वह नहीं मिला। अभी 3200 करोड़ रुपये मांगे बाढ़ में, तो वह नहीं मिला। तो मजबूर हूं कि राजस्थान की जनता की बाढ़ में और अकाल में मदद कैसे करूं? इस गूढ रहस्य को भी प्रतिपक्ष के नेता ने समझ लिया है इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अब जितना भी सर्वे होकर आये गिरदावरी का, प्रतिपक्ष के नेता और माननीय सदस्य जितने भी सदन में बैठे हैं, एक तो यह ध्यान रखें कि कोई अपना ऐसा क्षेत्र नहीं रहना चाहिए। आपको भी जागरूक रहने की जरूरत है। बाद में फिर पटवारियों की शिकायतें होती रहें। अपने कहावत है कि 'ऊपर करतार, नीचे पटवार', किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हो तो अब सावधान रहने की जरूरत है कि जो भी अपनी गिरदावरी चल रही है वह सही तरह से आ जाए ताकि हम सही भारत सरकार को हमारा ज्ञापन भेज सकें। कितना खराबा हुआ, उसको भेज सकें। लेकिन खराबा होने के बाद में ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** यह तो ठीक कही है न मंत्रीजी ने ? (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): खराबा होने के बाद में जो केन्द्रीय टीम यहां पर आएगी, मैं प्रतिपक्ष के नेता से और कांग्रेस के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय टीम जिस समय राजस्थान में आए, उस समय हम तो हमारी प्रार्थना करेंगे ही, हमारे अधिकारी तो उनके साथ रहेंगे ही पर चूंकि केन्द्र में आपकी सत्ता है, एक बार यह परम्परा अगर यहां पर आप चालू करें कि जब भी केन्द्र की टीम आए तो उनके सामने आप भी अपना पक्ष रखें और दिल्ली की सरकार को भी आग्रहपूर्वक कहें कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हमको ज्यादा से ज्यादा मदद दिलायी जाए। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अब बोलिये।

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक बात सामने आयी आज की चर्चा में पूरी बहस के दौरान कि अकाल में मिट्टी इधर से उधर डाल देते हैं और विकास के काम पूरी तरह से नहीं होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अकाल को विकास में बदला है और हमने परिसम्पत्तियां अब की बार विकसित की हैं, जिसके मैं कुछ आकड़े देना चाहूंगा। ज्यादा लम्बी-चौड़ी चीजें नहीं देना चाहूंगा। हमने किचन सैट बनाये 14809, आंगनबाड़ी निर्माण किया 3568, ग्रामीण शौचालयों का निर्माण किया 13803 का, इस ढंग से 32180 ये किये। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के काम किये 32281 के करीब। जिसमें एनीकट 166, खडीन 852, नाली निर्माण 7334, तालाब जोहड़ निर्माण और उनका पुनरुद्धार 6857, टांका निर्माण 4850, नलकूप निर्माण 580, कूप गहरा कराना 195, कूप पुनर्भरण 1244, खेत तलाई निर्माण 7540, चैक डैम 68, डिग्गी निर्माण 98, अन्य प्रकार के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर 2497 । इस ढंग से हमने ये स्थाई परिसम्पत्तियां अबकी बार बनायी हैं और ये बनाकर हमने 364 करोड़ रुपये हमारे यहां पर खर्च किये हैं।

बीच में एक बार बात आयी थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि भारत सरकार ने मना कर दिया कि हमारे पास गेहूं नहीं है। मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जहां गेहूं नहीं भेजा वहां पर नकद राशि दी थी, तो हमने भारत सरकार को एक प्रार्थना भेज दी कि हमारे दो माह के लिए हमें 92 करोड़ रुपये दे दो, हम इससे काम चला लेंगे। भारत सरकार ने हमसे रिक्वीजिशन तो मंगा ली। दूसरे स्टेट्स को पैसा दे दिया गेहूं के बजाए नकद पैसा, लेकिन हमको एक पाई भी नहीं दी। इसलिए किसी प्रकार का हमारे साथ भेदभाव नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान अबकी बार अपन सबको रखना है ताकि हम इनको अच्छी तरह से मदद कर सकें।

**(समय : 22.00 बजे)**

जैसा कि अभी नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, चाहे बरसात हुई थी लेकिन हमने अकाल को दृष्टिगत रखते हुए कुछ काम चला रखे हैं। जैसे बीकानेर में 75 चारा डिपो चल रहे हैं, जोधपुर में 135, बाड़मेर में 325, जैसलमेर में 150, जालौर में 5 चल रहे हैं। लेकिन बाड़मेर, जालौर और बाड़मेर में जब बरसात आ गयी तो हमने इन चारा डिपो को बंद कर दिया

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

था। बाकी और जहां से चारा डिपो, विशेषकर बीकानेर की तरफ से जो मांग आएगी तो हम उसको पूरा करेंगे और पानी की कमी की स्थिति हम वहां किसी प्रकार से नहीं आने देंगे। अभी जो पलायन की बात आ रही है, पलायन जैसी कोई शिकायत अभी आई नहीं है। हम किसी भी स्थिति में पलायन होने नहीं देंगे।

अभी जो स्थिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में 01 जून, 2006 से 15 सितम्बर, 2006 तक सामान्य वर्षा का औसत 513.93 एम.एम. है जिसके विरूद्ध 01 जून, 2006 से 15 सितम्बर, 2006 तक 608.34 एम.एम. वर्षा हुई है जो कि सामान्य वर्षा से 18 प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष इसी अवधि में 426.44 एमएम वर्षा हुई थी जो सामान्य से 17 प्रतिशत कम थी। इस वर्ष जिलेवार वर्षा की स्थिति निम्न प्रकार है – असामान्य वर्षा बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर में हुई, जो 60 प्रतिशत से अधिक है। अधिक वर्षा भीलवाड़ा, झालावाड़, पाली और कोटा में हुई जो 20 से 59 प्रतिशत है। सामान्य वर्षा के जिले हैं – अजमेर, अलवर, बारां, बूंदी और जोधपुर जहां 19 से मायनस 19 तक हुई। सामान्य से कम वर्षा जो मायनस 20 से मायनस 59 तक है उसमें भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुन्झुनूं, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं टौंक हैं। इस ढंग से वर्षा की स्थिति रही है। 14 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है- बीकानेर मायनस 48 प्रतिशत, भरतपुर मायनस 44 प्रतिशत, धौलपुर मायनस 41 प्रतिशत, जयपुर मायनस 38 प्रतिशत, चूरू मायनस 36 प्रतिशत, नागौर माइनस 36 प्रतिशत, ये सब मायनस के जिले हैं। सवाई माधोपुर मायनस 35 प्रतिशत, दौसा मायनस 30 प्रतिशत, सीकर मायनस 29 प्रतिशत, टौंक मायनस 38 प्रतिशत, हनुमानगढ़ मायनस 25 प्रतिशत, श्रीगंगानगर मायनस 20 प्रतिशत, झुन्झुनूं मायनस 20 प्रतिशत, यह स्थिति इन जिलों में रही है। गिरदावरी 15 सितम्बर, 2006 से 15 अक्टूबर, 2006 तक चलेगी और 50 प्रतिशत खराबा फसल का जहां पर भी आएगा, उसको अभावग्रस्त घोषित किया जाएगा। सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि इस बात का ध्यान रखें। लास्ट टाइम भी इन्होंने बात उठाई थी, बड़े पछताये थे, इधर से भी लोग आये थे कि हमारी गिरदावरी में गड़बड़ हुई है। इस प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, अभी से ध्यान रखें। कोई ऐसी शिकायत आती है तो शिकायत हमको बताएं ताकि हम

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

शिकायत के आधार पर दुबारा उसको दिखवा लें और जो फसल का खराबा हुआ है वह सही स्थिति अपने सामने आ जाये और वह हम भारत सरकार को भेजकर अधिक से अधिक मदद लेकर इस संकट की घड़ी में राजस्थान की जनता को हम सहयोग दे सकें।

**श्री रामनारायण मीणा :** आपकी तरफ से कोई ऐसे डायरेक्शन नहीं दिये जाएं नीचे वाले अधिकारियों को कि इतने से ज्यादा खराबा मत भेजना। यह पिछली बार हुआ था। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** : माननीय सदस्य, ऐसा कभी नहीं होता, हम कोई डायरेक्शन जारी नहीं करते। (व्यवधान) कम दिखाने का हमारा कोई मतलब नहीं है। जिसका खराबा है वह खराबा दिखेगा और इसमें भारत सरकार की मदद सदा रहती है, आशा यह करते हैं।

**श्री जीतमल खांट** : मंत्री महोदय, पिछली बार अकाल राहत बांसवाड़ा, डूंगरपुर में नहीं खोला। माननीय मंत्री महोदय, पिछली बार रोजगार गारंटी के भरोसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर को छोड़ दिया । 100 दिन पूरे हो गये । अब जब तक अकाल में काम के बदले अनाज योजना नहीं जोड़ोगे, यह काम चलेगा नहीं। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा :** जहां भी खराबा 50 प्रतिशत से ज्यादा होगा, वह कोई जिला हो, कोई गांव हो, कोई ग्राम पंचायत हो, उसको हम अभावग्रस्त घोषित करेंगे और वहां पर अकाल के काम चलाएंगे।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं। आपने अभी फर्माया, चारा डिपो आवश्यकतानुसार खोले जाएंगे, अभी खुले भी हैं। पूर्व में भी हमने निवेदन किया था कि ट्रैक्टर-ट्राली को अगर चारा परिवहन के लिये आप अनुमति प्रदान करें तो वह एक सुगम साधन होगा रिमोट एरिया के अंदर। जहां चारा डिपो खुले हुए हैं वहां तक ट्रक नहीं जा सकते और वे परिवहन शुल्क भी ज्यादा चार्ज करते हैं । इसके ऊपर आप अगर नजर फर्माएं तो वास्तविक रुप से सुविधा होगी। दूसरी जो बात आपने फर्मा थी गिरदावली वाली, आज व्यवस्था यह है कि पटवारी से जानकारी प्राप्त करना एक असंभव कार्य है। किस प्रकार से हम उससे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे ? यह तो पूरा एक प्रशासनिक नियन्त्रण का काम है। जन प्रतिनिधि तो कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष के हालात ठीक नहीं हैं लेकिन वह आकलन क्या कर

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

रहे हैं, यह जानना हमारे लिये असंभव है। (व्यवधान) आप इसके लिये हमको बताने का प्रयास करें।

**डा. किरोड़ी लाल मीणा :** आपने जो ट्रैक्टर-ट्राली की बात उठाई, यह तो लिखकर दे देना, मैं विभाग से इसका पता करवा लूंगा । इसमें करप्शन के चांसेज कुछ ज्यादा रहते हैं इसलिये हमें दिक्कत आती है। और जो आपने बताया पटवारी के बारे में, पटवारी ऐसा नहीं है कि सूचना नहीं दे । कहीं आपको कोई ऐसी शिकायत आए कि पटवारी सूचना नहीं दे रहा है तो हमें बताना, हम उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप हमारी तो व्यवस्था कराओ बेनीवालजी, 17 हजार करोड़ रुपये दिये, एकाध पाई नहीं मिली। अब हम अकाल को कैसे चलाएंगे ? प्रतिपक्ष के नेता भी यहां पर बिराज रहे हैं । (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य:** आपकी व्यवस्था कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय प्रतिपक्ष के नेता, वह गुहार कर रहे हैं आपसे और आप पीठ को पीछे करके सुन नहीं रहे हैं। बात तो सुनिये उनकी, क्या कहा उन्होंने। (व्यवधान) वह गुहार कर रहे हैं । (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** प्रार्थना कर रहे हैं और यह भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रस्ताव पारित करो कि 17 हजार करोड़ में राजस्थान को महरूम रखा, एक पैसा नहीं दिया। एक निन्दा प्रस्ताव लेकर आओ या धन्यवाद का प्रस्ताव लेकर आओ। (व्यवधान) या तो केन्द्र सरकार को धन्यवाद दो कि राजस्थान को पैसा नहीं दिया। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष) : आप क्या करना चाहते हो, वह तो आप रख नहीं रहे हो कि क्या करोगे, क्या आपका प्रोग्राम है, वह तो कुछ बता नहीं रहे हो और आप कह रहे हो प्रस्ताव ले आओ, प्रस्ताव ले आओ। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप पीछे मुंह करके बात कर रहे थे। आपने मण्डली बना रखी थी। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैं यह रोना रो रहा था (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आपने मण्डली बना रखी थी, चार-पांच माननीय सदस्य बात कर रहे थे। (व्यवधान) आपने सुनी नहीं बात। सब तो बता दिया उन्होंने। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** : केन्द्र सरकार कर रहे हो, इसके सिवाय दूसरा शब्द ही नहीं है। एक ही शब्द है इनके पास। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** : मैंने यह निवेदन कर दिया था कि 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर, 2006 तक गिरदावरी चलेगी। (व्यवधान) दो मिनट, (व्यवधान) 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक गिरदावरी का काम चल रहा है। माननीय सदस्य, ध्यान रखें। यह पहली बार हुआ है कि पहले का अकाल कन्टीन्यू चल रहा है। माननीय कल्लाजी के जिले में अब भी चारा डिपो चल रहे हैं। कभी डिसकन्टीन्यू नहीं हुआ चारा डिपो। और जो भी कोई चारा डिपो की मांग करेगा, हम वहां चारा डिपो खोलेंगे। (व्यवधान) यह नोटिफिकेशन के बाद ही चालू होता है। केन्द्रीय टोली आने के बाद होता है। फिर भी हम दे रहे हैं और हमारे पास पाई नहीं है, कुछ पैसा तो दिलाओ।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : राहत कार्य राजस्थान में कब खोलेंगे आप? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: केन्द्रीय टोली की रिपोर्ट आने के बाद। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** : जब आप दिल्ली से पैसा दिला दोगे । कल्ला साहब, अब तो कृपा करो। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : देखो, ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास ईमानदारी से 1050 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदा कोष के पड़े हुए हैं । आपने न तो प्राकृतिक आपदा कोष बनाया, न आपने किसान कल्याण कोष बनाया, आप अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे हो । लेकिन केन्द्र सरकार ने 1050 करोड़ रुपया दिया हुआ है, इसका तो हिसाब देओ आप।

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** : मैंने सत्य, धर्म, ईमान की शपथ खाई है ..(व्यवधान) मैं हिसाब दूं । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप क्या हिसाब मांग रहे हो ? (व्यवधान) हिसाब दे दिया पाई-पाई का । (व्यवधान) पाई पाई का हिसाब दे दिया। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : इस चालू वित्तीय वर्ष में 66 करोड़ रुपये दिये हैं, वह खर्च कर लो फिर ले लो। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** : अभी बता रहा हूं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, हमारी बात को ढंग से सुनेंगे और यह भारत सरकार को भी कहेंगे। आप तो, कल्ला साहब, हमारे साथ धोखा कर जाते हो, यह नहीं करेंगे। ओपनिंग बैलेंस एज ओन 1.4.2005, 359.45, नोट कर लेना । (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सी आर एफ का हिसाब है यह । आपका नहीं है यह पैसा। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** : बैलेंस आफ द ईयर 2005-06 51.53 करोड़, रिसीप्ट इन 2006-07 536.42 करोड़, टोटल हुआ 947 करोड़ और खर्चा हो गया 937 करोड़, पैसा बचा 10.32 करोड़ । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** खर्चा भी सुनो । ..(व्यवधान) ...

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** : यह ईमानदारी का खर्चा है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह सी आर एफ का पैसा है, कोई खैरात में नहीं दिया । यह सी आर एफ का पैसा है। सी आर एफ के पैसों में हमारा अधिकार है। (व्यवधान) हमारा अधिकार है, यह सी आर एफ का पैसा है। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी**: आपने कोई हींग फिटकरी लगायी है क्या ? आपने घर से तो एक टका लगाया नहीं और गाली उनको देते हो। हजार करोड़ रुपये दिये । (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** : आप बैठ जाओ। यह देखो, हमारा कांस्टीट्यूशनल राइट है और आप खुद पढ़े-लिखे हो, आप तो जानते हो, इसमें 25 प्रतिशत तो हमारा ही शेयर है। भारत सरकार का कुछ शेयर है नहीं। जो शेयर है वह हमारा टैक्स का शेयर है। भारत सरकार की तो इसमें पाई नहीं है, सारा पैसा हमारा है। एन सी सी एफ का एक पैसा नहीं है इसमें। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : राजस्थान की जनता का ही तो है । आप तो राजस्थान की जनता के पैसे के ट्रस्टी हो, आपका क्या है ? आप कह रहे हों यह तो हमारा है, हमारा है। कहां से है ? आप लेकर आये थे क्या अपने घर से ?

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** : आपका, मेरा, सब का है।

**श्री रामनारायण चौधरी**: जितना पैसा आपके पास है, वह तो खर्च करो, 10 करोड़ बचे हैं अभी तो। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा :** 10 करोड़ बचे हैं। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी**: आपके पास जो बचा है वह तो खर्च करो । आप दिवालिया हो क्या ? उधर तो आप कहते हो हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। आप अपने काम चालू करो। उसके बाद जो हिसाब से हो, वह क्लेम कर लेना।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आपके रहमो-करम पर नहीं रहेंगे। राजस्थान की जनता को भूखा नहीं मरने देंगे। पशुओं को मरने नहीं देंगे और काम भी करेंगे।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): रो तो रहे हो। आप हमारे रहमो-कर्म पर रो रहे हो ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सी आर एफ का पैसा भी आपका पैसा नहीं है, हमारा संवैधानिक अधिकार है वह पैसा है। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप एक कौड़ी खर्च नहीं कर रहे हो, झूठी फब्तियां क्यों मार रहे हो? हम तो आपको यह कहते हैं कि क्या प्रोग्राम है आपका?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 17 हजार करोड़ रूपए के पैकेज में पैसा नहीं दिया, आप या तो धन्यवाद देना चाहोगे राजस्थान को महरूम रखने का धन्यवाद प्रस्ताव लाओ हम उसका समर्थन करते हैं। वर्ना निंदा प्रस्ताव लाओ, एक तरफ तो आओ। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): एनडीए की केन्द्र सरकार ने क्या दिया? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आपके नेता बोल रहे हैं और आप खड़े होते हो बीच में।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): एनडीए गवर्नमेंट ने यहां कितना गेहूं दिया था?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अकाल के समय 16 लाख मैट्रिक टन गेहूं और 1547 करोड़ रुपए नकद मांगा, उसमें हमको 2 लाख मैट्रिक टन गेहूं मिला। अभी जो यहां बाढ़ आई उसमें हमने 3200 करोड़ रुपए मांगा, उसमें मात्र 100 करोड़ रुपए एन सी सी एफ का मिला। अब आप कल्पना कर लें, हमको कितना पैसा मिला है। आपने दूसरी तरफ यह भी स्थिति देखी है कि 17 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार ने रिलीज किये उसमें एक पाई राजस्थान को नहीं दी। (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ....(व्यवधान) आपने कोई योजना भेजी नहीं। आप ईमानदारी से बताइए कि उस योजना के अंतर्गत आपने भारत सरकार से कोई क्लेम किया था क्या? (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट, एक मिनट मैं अपनी बात कम्प्लीट कर लूं । मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमने दो तरह के ज्ञापन भेजे, एक 3200 करोड़ रुपए का ज्ञापन भेजा था जो ज्ञापन उसी लाइन पर था जो साउथ स्टेट्स से भेजा है (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): बाढ़ के लिए भेजा था आपने, उसमें आप चूक गये। आपने बाढ़ के लिए पैसा मांगा है। (व्यवधान) रिपोर्ट पैण्डिंग है। निश्चित रूप से हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि राजस्थान सरकार को पैसा बाढ़ के पेटे मिले लेकिन जो पैसा मिला है, आपके एम.एल.एज. कहते हैं एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। आपने एक फूटी कौड़ी खर्च की है क्या बाढ़ के लिए या अकाल के लिए? आपने एक फूटी कौड़ी खुद खर्च नहीं की और आप कह रहे हैं सेन्ट्रल गवर्नमैंट ने कुछ नहीं दिया। एक मिनट, मैं एक चीज और साफ करना चाहूंगा कि आपने ये पैसे अलाटमैंट किये होंगे जैसे बाढ़ के लिए 541 करोड़ रुपए अलग-अलग जिलों में आबंटित किये, लेकिन एक्चुअल खर्चा इतना नहीं हुआ जितना कि आपने बताया है। आप बताइए, एक्चुअल खर्चा क्या हुआ?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 100 करोड़ रुपए तो बाड़मेर कलक्टर के पास पडा है, 100 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए अभी आपने और आप खाली यहां गिना रहे हो फालतू में (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक तो मैं यह बात, कल्लाजी (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप मंत्रीजी को सुनिए तो सही।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, सदन में वह आंकड़ा खर्च किया हो तो होना चाहिए। पैसा रिलीज किया उसका फिगर क्यों कोट कर रहे हो? एक्चुअल एक्सपेंडिचर का करो न आप कोट। आपके तो खुद के पीडब्लूडी ने 70 करोड़ भारत सरकार ने रोके हुए हैं आपने यूसी ही नहीं भेजी अभी तक। आपने यूसी नहीं भेजी, बात कर रहे हो आप पैसे-पैसे की (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): ....(व्यवधान) एनडीए गवर्नमैंट ने कितना दिया बताइए आप?

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अपन उस बहस में जाना नहीं चाहते लेकिन हमने दो तरह के ज्ञापन दिए। जब श्री प्रकाश जायसवालजी आये थे तो उन्होंने कहा कि आप स्पेशल पैकेज की दृष्टि से हमारे पास 6-7 दिन में अपने ज्ञापन भिजवा दो। हमने उनके कहने के आधार पर 3200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मांगा। फिर जब वह नहीं मिला तो हम खुद, मैं और मुख्य मंत्रीजी प्रधानमंत्रीजी से मिलकर आये। हमने कहा हमको विशेष सहायता दो। यह तो हुई विशेष सहायता वाली बात। फिर 3284 करोड़ का हमने ज्ञापन भेजा, जो होम मिनिस्ट्री को रूटीन में जाता है वह हमने भेजा। हमारे दोनों ज्ञापन दिल्ली में पड़े हुए हैं विशेष पैकेज वाला भी पड़ हुआ है और यह भी पड़ा हुआ है, जहां पर हमने 550 करोड़ अब अलाटमेंट कर दिया तो एक महीने में। खर्च हो नहीं सकता, टाइम तो लगेगा खर्च होने में। अपन जब विधान सभा में मिलेंगे तब तक मैं आपको एक्सपेंडिचर भी बता दूंगा कि कितना खर्च हुआ है। लेकिन आप इतना तो तरस करो दोनों, प्रतिपक्ष के नेता आप और पीछे बैठे कल्लाजी (व्यवधान) नहीं, दोनों की चलती है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्लाजी की चलती नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता कर सकते हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप गंभीरता से कोई बात रखो, प्रोग्राम बनाओ, हम प्रतिपक्ष की तरफ से राजस्थान की जितनी मुमकिन हो सके मदद में आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप कोई प्रोग्राम ही नहीं बना रहे हो? क्या रूपरेखा है, वह बता ही नहीं रहे हो आप कि वर्ष 2004-2005 में यह किया। 2004-2005 में आपने क्या किया हमें उससे कन्सर्न कम है आज, क्योंकि वह तो बीत चुका जमाना है और दूसरा, अकाल और भयंकर आया, बाढ़ आ गई, हैवी रेंस आ गई अब आपके पास, मंत्री महोदय, सुनिये आप अब आपके पास जानी-मानी धर्मार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं से इतना धन आया है उसका काम चल रहा है जोधपुर डिवीजन के अन्दर। उस काम को आप अपना मानें तो आपकी मर्जी है, बाकी सरकार की तरफ से आपने कोई उल्लेखनीय काम आपके खजाने से नहीं किया है। आपने पैसे का अलाटमेंट किया है, लेकिन वो खर्च नहीं हुआ है, खर्च हो ही नहीं रहा है।

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप जब चाहे चलने का कार्यक्रम रख लो।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): चलकर क्या करेंगे? जो मर गये उनके तो घर वाले रो रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** चलने की बात मत करें, आप तो यही कह दो। चलने की बात मत करो। आप वैसे ही कह दो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता यहां जो कहते हैं वह करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह वाक् के धणी हैं, यह कोई डरने वाले नहीं है, यह सोनिया जी के सामने भी यह बात कह सकते हैं। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हमारे साथ जाने से इनकी बात पिट जाए यह बात अलग है।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): (व्यवधान) आप क्या कह रहे हो?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि आप वाक् के धणी हो, दृढ़ निश्चयी हो (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप प्रशंसा कर रहे हो वो तो मुझे मालूम है, स्तुति के अंदर निंदा कर रहे हो, मैं समझता हूं। आप कभी भी मेरी प्रशंसा नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप निरर्थक छाती ठोक के मत कहो, हम आपके रहमो-कर्म पर नहीं हैं, आप हमारी भारत सरकार के रहमो-कर्म पर नहीं हो तो आप राठौड़ साहब कुछ नहीं कह सकते।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सुनिये, यह भारत सरकार खड़ी है मुझे पहली बार पता लगा है। भारत सरकार हो क्या आप? मैं पाकिस्तान की सरकार की बात कर रहा हूं क्या? मैं हिन्दुस्तान का नागरिक हूं, भारत सरकार भी मेरी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार खड़ी है, नमन कर दें आप कहें तो। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** कर दीजिए आप।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान का जितना हक है भारत सरकार आपको देगी। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): (व्यवधान) यहां आलतू-फालतू में क्या रखा है, जवाब दिलवाइए आप।

**श्री अध्यक्ष:** नेता प्रतिपक्ष को नहीं टोक सकती। आप बीच में नहीं बोलें, आपके नेता बोल रहे हैं, आप बीच में नहीं बोलें, बैठ जाए। नेता प्रतिपक्ष।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप वैल के अन्दर जो मर्जी आए जो कहो, भारत सरकार जनता की है और भारत सरकार अपना काम कर रही है। दुर्भाग्य से महारानी साहब ने 3 साल पहले जनता को बरगला कर जाटों को जाटों के नाम से, गूजरों को गूजरों के नाम से, पठानों को पठानों के नाम से, इस नाम से भ्रम में डालकर जनता को (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये कहां चले गये? लौटकर आओ, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, अकाल पर लौट आओ, प्रतिपक्ष के नेता, कहां जा रहे हो आप? अध्यक्ष महोदय, कहां जा रहे हैं ये, वापस बुलाओ प्रतिपक्ष के नेता को। यह बहुत आगे चले गये हैं। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): राठौड़ साहब, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, आप बैठिए।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको यह याद दिला दूं पिछले बजट सत्र में मैंने आपको कहा था कि आपके लैफ्ट और राइट में जो बैठे हैं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आपने पिछले सत्र में कहा था कि आपका ग्राफ तो ठीक है लेकिन आपकी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। यह कहा था।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): पिछली बार बजट सत्र में यह कहा था कि आपके लैफ्ट और राइट में जो बैठे हैं और कुछ पीछे बैठे हैं, ये आपको डुबो देंगे, रिकार्ड में है। और आज उन्होंने डुबोने का काम कर दिया। आज तक का इतिहास है पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री का कि आज तक के लीडर ऑफ हाउस चाहे चीफ मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर, आज आपके मंत्री आलती-पालती करते हुए बैठे हैं, यह किस बात की आलती-पालती ले के बैठे हैं? यह आप सेवा कर रहे हो, काम कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कि आप पूरी तरह से राजस्थान को डुबोने में लगे हुए हो। दो साल और बचे हुए हैं, और कितना डुबोओगे? राजस्थान बच जाए, उसकी तकदीर है लेकिन आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे डुबोने में। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** ऊर्जा मंत्री । दे दी चेतावनी आपको, और क्या चाहते हो आप? बस बहुत है आपके लिए, विपक्ष के नेता ने चेतावनी दी है आपको, और क्या चाहते हो?

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप भी आत्मा के अन्दर से यही चेतावनी दे रही हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं, इस पर इनको क्षमा करें।

**श्री अध्यक्ष**: ऊर्जा मंत्री ।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली गरीब से लेकर अमीर इन्सान की जीवन रेखा और विकास का एक प्रमुख द्वार है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमें बजट में 2 हजार 185 करोड़ रुपए प्रदान किये और जो इलेवन फिफ्थ ईयर प्लान है इसमें 17 हजार 300 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्लानिंग कमीशन को भेजा जा रहा है। भविष्य में बिजली की कीमत और उपलब्धता यह एक बहुत गंभीर विषय है।

जैसा आप देख रहे हैं, कि पैट्रोल, डीजल चाहे केरोसीन हो, चाहे गैस हो, सब चीजों के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, बिजली भी एक चिंता का विषय है कि उपलब्धता भी हो और इसकी रेट्स भी कंट्रोल्ड हों। सरकार का, हमारा यह सोच है कि कम से कम इस इतने बड़े 35 हजार करोड़ की असेट्स का जो विभाग है इसमें चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, हमें मिल कर के एक जिम्मेदारी निभानी है। बजाय इसके कि एक-दूसरे की खींचातानी करते रहें, एक पोलिटिकली विल हो हमारी। अगर लैग पुलिंग करते रहेंगे तो यह खड्डा और भी गहरा होता रहेगा। अभी जो समय है, हमने एक फेज्ड, कोआर्डिनेटेड, बैलेंस्ड मास्टर प्लान बनाया है और इस मास्टर प्लान को टाइम लगेगा। अब हमारा जो विभाग है, मेरा यह सोचना है कि एक बहुत क्रिटिकल स्टेज पर आ गया है, एक टर्न अराउंड स्टेज पर ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): कितना समय लगेगा? इन्होंने कहा टाइम लगेगा, दो साल?

**श्री अध्यक्ष**: आप बोलने दो, बीच-बीच में क्यों बोलते हैं? ऐसे मत करो।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कोई विद्यार्थी जब एग्जामिनेशन में जाता है तो उसका उद्देश्य होता है 100 परसेंट मार्क्स लेना, उसमें 90 भी मिल सकते हैं, 80 भी मिल सकते हैं ...

**एक माननीय सदस्य**: जीरो भी मिल सकते हैं।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): वो जीरो आपको मिला था

(श्री गजेन्द्र सिंह)

इसलिए आप वहां बैठे हुए हैं। आप लोगों को जीरो मिला था बिजली पर, आप हार कर वहां विराजे हुए हो। प्रयास हम पूरे कर रहे हैं, हमारे प्रमुख उद्देश्य हैं वो रिकार्ड उत्पादन जिससे हम आत्मनिर्भर हों, रिकार्ड सप्लाई, क्वालिटी सप्लाई, कीमत रीजनेबल रहे और रिकार्ड रिलीज आफ कनेक्शंस इन आल कैटेगरीज और छीजत घटाना जिससे अवेलेबिलिटी भी बढ़े और कीमत भी कम हो।

पिछले दो विधान सभा सत्र के अन्दर मैं सुनता आ रहा हूं, जैसे चूड़ी-पेटी का बाजा होता है न, जो बजता है, जब फंस जाता है तो कहता है, उत्पादन नहीं किया, उत्पादन नहीं किया, उत्पादन नहीं किया। यह मैं सुनता आ रहा हूं बहुत समय से, लेकिन मुझे अफसोस है कि जब उत्पादन के बारे में विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य कभी बात करते हैं तो वे अपना होम वर्क करके नहीं आते। उनको मालूम ही नहीं है कि स्टेट में क्या हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है। इस विषय में मैं दो-तीन मिनट आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

बिजली जब हम हमारे उपभोक्ताओं को अवेलेबल करता हैं तो हमारी खुद की परियोजना जो राजस्थान के अन्दर है वो हमारा एक सोर्स है और सैण्ट्रल प्रोजेक्ट्स के अन्दर जो हमारा शेयर है वो भी है। अभी 60 परसेंट हमारा खुद का उत्पादन है और 40 परसेंट सैण्ट्रल प्रोजेक्ट में हमारी साझेदारी है। इसके अलावा हम ओवर ड्रा भी करते हैं और हम बिजली खरीदते भी हैं। चार चीजों से हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ इलैक्ट्रीसिटी हमें होती है।

जहां तक हमारा खुद का उत्पादन है, मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि हमने एक नेशनल रिकार्ड राजस्थान में कायम किया। प्लाण्ट लोड फैक्टर 92 प्रतिशत एक नेशनल रिकार्ड हमने कायम किया है, हमें नेशनल अवार्ड इसके लिए मिला है। यानी कि हमारी खुद की परियोजनाओं ने हमें लैट-डाउन नहीं किया है। जो धोखा हुआ है हमारे साथ, वो हुआ है सैण्ट्रल की परियोजना में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा, मैं आज बात कर रहा हूं 9 अक्टूबर की, 541 मेगावाट बिजली आज जो केन्द्रीय परियोजनाएं हैं, जो ठप्प होई हुई हैं उनसे, हमें बिजली कम मिल रही है। आर.ए.पी.पी. वन, आर.ए.पी.पी. टू, एन.ए.पी.पी. वन, ढेहर नम्बर थ्री, नम्बर फोर, नम्बर फाइव, नम्बर सिक्स, ऊंछार नम्बर थ्री, उरी

(श्री गजेन्द्र सिंह)

नम्बर थ्री, सलाल नम्बर टू, नम्बर फोर, ये परियोजनाएं आज डाउन हैं और हमें 541 मेगावाट की कमी हो रही है।

केन्द्र के अन्दर राजस्थान के लिए जो अन-एलोकेटेड कोटा था उसके अन्दर हमें, राजस्थान को 30 प्रतिशत बिजली दी जाती थी। केन्द्र में जब हमारी सरकार थी तो 30 प्रतिशत हमें मिलता था। यह कोटा काट कर केन्द्रीय सरकार ने 17 प्रतिशत कर दिया। पिछले वर्ष हमारे एम.पीज., हमारी मुख्य मंत्री महोदया, सब प्राइम मिनिस्टर के पास गये थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। तो 30 प्रतिशत से जो 17 प्रतिशत किया है यह भी हमें केन्द्र सरकार की वजह से नुकसान हुआ है।

आज जो भी बिजली का संकट है उसके तो मैंने आपको कारण बता ही दिये। इसके अलावा सबसे भारी जो गलती हुई है राजस्थान के अन्दर वो यह है कि पिछली सरकार केवल एक परियोजना गिराल वन 125 मेगावाट की परियोजना पाइप लाइन में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हमारे लिए छोड़ कर गयी थी। यह परियोजना 2007, 15 जनवरी के आस-पास शुरू हो जाएगी।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला कि वादा करते रहे कि सितम्बर में आएगी, अक्टूबर में आएगी, नवम्बर में आएगी, दिसम्बर में आएगी। तो यह हम सब को मालूम है, यहां पर हर सदस्य को मालूम है कि बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ था गिराल के अन्दर। वहां की जितनी भी वर्क फोर्स है, जो वेल्डिंग वगैरह और कार्य करते थे वो वहां से छोड़ कर लगभग डेढ़ महीने के लिए गायब हो गये थे। तो यह जो बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ, पानी भर गया था, इस वजह से गिराल की परियोजना शुरू होगी 15 जनवरी को। कहने का मेरा मतलब है कि जो परियोजना आपने सैंक्शन की थी, हमें चार साल पश्चात् पहली यूनिट बिजली देगी। तो यह अनफेयर है कि हम से आप आशा करो कि 2007 के अंत से पहले हमारी कोई परियोजना बिजली का उत्पादन करे।

तो सबसे भारी जो समस्या हमारे आयी थी कि आन गोइंग प्रोजेक्ट केचल 125 मेगावाट गिराल का था।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): एक बूंद पानी नहीं है। ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप बीच में न बोलें प्लीज।

**(व्यवस्था-सूचक घंटी)**

व्यवधान नहीं डालें।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): मैं बाड़मेर का रहने वाला हूं, एक बूंद पानी नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: व्यवधान नहीं डालें, मैंने कहा।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमारे राजस्थान स्टेट के अन्दर आज दस प्रोजेक्ट या तो चालू हो गये हैं या होने वाले हैं। मैं इसकी आपको थोड़ी-सी डीटेल देना चाहूंगा, 15 जनवरी, 2007 को गिराल वन 125 मेगावाट यह हमारी चालू हो जाएगी। धौलपुर 330 मेगावाट, उसका काम बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है और हमें पूरी आशा है कि वह मई, 2007 के अन्दर 330 मेगावाट की परियोजना शुरू हो जाएगी। अगस्त, 2007 के अन्दर हमारा जो शेयर है रावतभाटा के अन्दर, 44 मेगावाट है, मैं अभी खुद रावतभाटा जा कर आया हूं, 44 मेगावाट हमें अगस्त, 2007 के अन्दर मिल जाएगा। जो रावतभाटा की इकाई नम्बर छः है उसका भी 44 मेगावाट हमें फरवरी, 2008 में मिल जाएगा। जून, 2008 में गिराल की जो दूसरी परियोजना है 125 मेगावाट, वह शुरू होने की हमें पूरी आशा है। अगस्त, 2008 में छबड़ा जो पार्ट वन है 500 मेगावाट, वह भी शुरू होने की पूरी आशा है, इसका कार्य शुरू हो गया है। लैण्ड एक्विजिशन का था, लैण्ड एक्वायर हो गयी है, कम्पनसेशन सब दे रहे हैं। और बैलेंस ऑफ प्लाण्ट जिस कम्पनी को दिया है उसकी सब मशीनरी वहां पहुंच गयी, कार्य शुरू होने वाला है।

बरसिंहसर है, बरसिंगर के बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि 26 साल से यह परियोजना जो 250 मेगावाट की है यह विचाराधीन रही है। हमारी सरकार में यह जो परियोजना है, एक्चुअली रीयलिटी में इसका कार्य बहुत स्पीड से चल रहा है और बरसिंहसर की 250 मेगावाट का हमें सितम्बर, 2008 के अन्दर, बल्कि इससे पहले ही मिल जाएगा, मैं एक लास्ट डेट आपको बता रहा हूं।

इसके अलावा सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ के टेण्डर हो चुके हैं और कार्य शुरू होने वाला है। सूरतगढ़ की जो छठी और आखिरी इकाई है 250 मेगावाट, अक्टूबर, 2008 तक उसके चलने की सम्भावना है। क्योंकि आलरेडी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं है इसलिए इसकी यह इकाई हमें जल्दी मिल जाएगी।

इसके अलावा कोटा जो है, आज ही टाटाज को कोटा का बी.ओ.पी. का टेण्डर प्रोसेस के थ्रू अलाट हुआ है और नवम्बर, 2008 तक आशा है, इसका कार्य भी कम है, यह भी चालू हो जाएगा।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): 2008 की जो बतायी है आपने, 80 परसेंट तो बतायी है 2008 की और बाकी अभी जो बतायी है वह आपकी आप बता दें कि कब शुरू होने वाली है?

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप तो कुछ छोड़ ही नहीं गये थे पीछे।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आप मैदान छोड़ने की तैयारी कर रहे होंगे उस समय।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हम तो दो साल में ही शुरू कर रहे हैं, चार साल तो एक परियाजना में ग्रीन फील्ड में लगता ही है। यह आपके जो धौलपुर का है, 20 साल से आप लोग कागजों के साथ खेलते आ रहे हैं, 20 साल लग गये, धौलपुर में कुछ नहीं कर पाये आप। नेफ्था के अन्दर आपका जो चल रहा था हम उसको ले तो आये हैं।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): 2007-08 कोई पूछ ही नहीं रहा, आज उत्पादन कितना किया तीन साल में, वह बता दो, हो तो। नहीं तो बात खतम करो न, क्यों समय जाया करते हैं?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आठ साल आपकी सरकार थी इस 20 साल में, यह आप मत भूलिये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** सरसों हथेली में नहीं उगती है।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): 2007-08 की कौन पूछ रहा है?

**श्री अध्यक्ष:** आप एक मिनट में चाहो कि जनरेशन एक मिनट में होता है।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी): यह सात ही चला गया, आठ भी चला जाएगा ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): तीन साल में इन्होंने एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, एक मेगावाट। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप बताइये, कितनी की आपने ?

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): गांवों में दो से तीन घंटे बिजली दे रहे हैं। यह इनके विधायकों ने कहा है कि दो से तीन घंटे बिजली दे रहे हैं। आज तक राजस्थान में कभी भी दो से तीन घंटे तक गांवों में बिजली नहीं मिली और ...(व्यवधान) आज तक जयपुर शहर में कटौती नहीं हुई, आज

(श्री रामनारायण चौधरी)

जयपुर शहर में भी चार-चार, पांच-पांच, छह-छह घंटे बिजली कट रही है। आज भयंकर तूफान मच रहा है। बिजली में आपने कुछ किया ही नहीं, आपका कोई प्रोग्राम ही नहीं है। अब कह रहे हैं, हमारी यह आ जाएगी। (व्यवधान) आएगा क्या, सब कुछ यहां आएगा और कल आप चले जाओगे तो यह राज नहीं चलेगा। आप चले जाओगे तो राज भी चलेगा, बिजली का उत्पादन भी होगा लेकिन आपने क्या किया तीन साल में? अब एक साल और बाकी है आपका ?

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपको दस परियोजनाएं बता दीं और आप कह रहे हैं कि क्या किया। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आपका कोई प्रोग्राम राजस्थान के सामने बिजली उत्पादन का नहीं है, आपने तीन साल में कुछ किया नहीं है ।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, दस प्रोजेक्ट बता दिये और आप फर्मा रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रीजी, आपने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की कि हम यह करेंगे, भारत सरकार का रोजना रो रहे हैं। यह जो प्रधान मंत्री रोजगार योजना की सड़कें हैं, राजेन्द्र सिंहजी इसके लिए अपनी वाहवाही ले रहे हैं । यह ठीक है कि राजस्थान की पी डब्ल्यू डी ने प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना का ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** चलो, आपको तो सर्टिफिकेट मिला ।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): इम्प्लीमेंटेशन अच्छा किया है।

**श्री अध्यक्ष**: राठौड़ साहब, आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): इसमें भी 75 करोड़ रुपया रोका हुआ है अभी भारत सरकार ने।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): भारत सरकार का पूरा पैसा आ रहा है, कुछ करोगे तो मिलेगा आपको। आप कुछ नहीं करोगे, कौन पैसा देगा आपको । माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के मामले में आपकी आत्मा का भी मुझे पता है, रो रही है लेकिन आप प्रकट नहीं करोगे। मत करिए, अच्छा भी नहीं है करना। आज के दिन आपकी निहायत असंतोषजनक योजना है,

(श्री रामनारायण चौधरी)

मंत्रीजी, आपने अकाल की तो कोई व्यवस्था की ही नहीं। आगे कोई प्लानिंग ही नहीं है। आपका जवाब हमने सुन लिया और अब क्या कहेंगे वह भी सुन लिया। माननीय दिगम्बर सिंहजी.........

**श्री अध्यक्ष:** ...(व्यवधान) बीच में नहीं बोलें।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): बिजली के ऊपर जवाब दे रहा हूं और आप हैल्थ की और पी डब्ल्यू डी की बात कर रहे हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आपके अस्पताल सब खाली पड़े हैं ...(व्यवधान)

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, बिजली के ऊपर मैं जवाब दे रहा हूं, यह रोड की बात कर रहे हैं और हैल्थ की बात कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** आप इनको बोल लेने दें। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): गांवों में बीमारी से लोग मर रहे हैं, देश भर की बीमारी फैला दी, उसका कण्ट्रोल नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको यह बात पहले कहनी चाहिए थी। (व्यवधान) अब आप बीच जवाब के अन्दर खड़े होकर कहने लगे। क्या किया जाए?

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष) : इस विधान सभा का आप संचालन कर रही हैं, हमारा सौभाग्य है कि आप संचालन कर रही हैं। यह राजस्थान की सरकार तीन साल में पूरी तरह से अटर फेल्योर है और एक साल इनके पास है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह किस मुद्दे पर भाषण दे रहे हैं, यह किस मुद्दे पर भाषण दे रहे हैं ? मंत्रीजी का जवाब हो जाने दो।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आपको पता है मंत्रीजी भले आदमी हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको बहिर्गमन करना है न, आपको पीछे से पर्ची पकड़ा दी और इन्होंने पढ़ ली कि पर्ची पर लिखा हुआ है बहिर्गमन कर जाओ ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** नेता प्रतिपक्ष, आपको पहले बोलना चाहिए था।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): भले आदमी हैं, यह भी भले हैं लेकिन आपकी कोई योजना नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपके पास समय था आप बोलते पहले, सारी बात कहते।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): क्या बोलते, हमें तो आपने कोई टाइम दिया ही नहीं। हमें तो कोई टाइम दिया नहीं, अब आप इनको बुलाते रहें।

**श्री अध्यक्ष:** आप कह दें निश्चित तौर से .....

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आप पर आरोप है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप इनको बुलवाते रहिये, इनके जो रह गये हैं उनको भी बुला लीजिए, हम तो निहायत असंतोष व्यक्त करते हैं। कोई योजना नहीं है और हम आपकी कार्यवाही, आपकी डिबेट ...(व्यवधान) आपका रिप्लाई सुनने के बाद ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): देखो, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, ऐसा मत करो आप। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, बात तो सुन लो पूरी ...(व्यवधान) आपकी तारीफ कर दी उसके बाद भी आप बोल रहे हो।

**श्री अध्यक्ष:** एक मिनट पहले आपको सर्टिफिकेट दिया था और वापस छीन लिया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं जब ही समझ गया था।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आपकी तारीफ कर दी उसके बाद भी टोक रहे हो इनको। (व्यवधान) यह कोई तरीका थोड़े ही हुआ ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता, आप विवेक से काम लो, यह पर्ची कहां से, दिल्ली से आ गई क्या ?

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): क्या आपने पर्ची पढ़ ली, यहां आपको चश्मे में तो कोई दिखता नहीं है। आपको नजदीक का तो दिखता नहीं है और इनकी पर्ची पढ़ ली आपने । बहुत अच्छी आई साइट है आपकी। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान अकाल से घिरा हुआ है, बीमारी से घिरा हुआ है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, अकाल का कोई प्रबन्धन नहीं है, हम इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं, वाक आउट करते हैं।

**(प्रतिपक्ष द्वारा बहिर्गमन)**

**श्री अध्यक्ष:** धन्य है, धन्य है, धन्य है आपको।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष के नेता का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, यह राजस्थान की विधान सभा की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। अगर इनमें हिम्मत होती तो ये पूरी बात सुनते। ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सत्रह हजार करोड़ के पैकेज में राजस्थान को नया पैसा दिला नहीं सके, राजस्थान को बाढ़ में सहायता दिला नहीं सके, राजस्थान को अकाल में सहायता दिला नहीं सके। सेण्ट्रल पूल के अन्दर राजस्थान की बिजली काटी जा रही है, सारा दोष इनका है। जब असलियत खुलने लगी, पोल खुलने लगी तो पीछे से किसी ने पर्ची पकड़ा दी और बहिर्गमन कर गये। हम सब इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं।

**श्री जोगाराम पटेल:** घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा ....

**श्री अध्यक्ष:** आप तो बता दीजिए कि तीन साल में आपने कितनी जनरेट की है ताकि इनकी बात सही है गलत है, पता लग जाए। आप तो यह बता दो। बस इतना ही बता दीजिए, बस ठीक है, साहब।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब किसको बताएं?

**श्री अध्यक्ष:** सदन में तो आएगी बात। सदन की प्रोसीडिंग में तो आएगी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसान के लिए जितनी बिजली इस सरकार ने खरीदी है न भूतो न भविष्यते। राजस्थान के किसान के हित के लिए सरकार ने खजाने की सारी चीजें खोल रखी हैं। किसान को महरूम नहीं रहने दिया जाएगा बिजली से।... (व्यवधान) ममता जी आ रही हैं, आओ, आओ।

**श्री अध्यक्ष:** नहीं आएंगी, वह नहीं आएंगी। वह कैसे आ सकती हैं? आपको जो कहना है कह दीजिए।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, 350 मेगावाट बिजली हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। जहां पवन ऊर्जा का मामला है नोन कन्वेंशनल एनर्जी, उसमें कांग्रेस सरकार ने 119 मेगावाट अपने पांच साल में की थी, हम 300 मेगावाट कर चुके हैं ।

इसके अलावा तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला था कि 1750 मेगावाट उन्होंने प्रोडक्शन किया, जब कि किया 1389, उसके अन्दर खाली 640 मेगावाट खुद के थे, 250 मेगावाट सैंक्शन थे कई साल पहले के कांग्रेस के। 500 मेगावाट जो इन्होंने प्रोडक्शन किया वह बी जे पी की सरकार से सैंक्शन प्रोजेक्ट है पाइप लाइन में थे ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जहां पावर सप्लाई का मामला है, मैंने आपके माध्यम से पहले भी बता दिया था, 541 मेगावाट का सेंट्रल प्रोजेक्ट से अभी फेल्योर है, ग्रिड के अन्दर बिजली बहुत मंहगी है, सात रुपये प्रति यूनिट मिल रही है। कांग्रेस सरकार का जैसा कि बताया है मैंने, एक ही 125 मेगावाट का प्रोजेक्ट छोड़ गये थे । आज जो समस्या हमारे सामने है वह इस कारण है। लेकिन पिछले ढाई साल के अन्दर आडिट के थ्रू मुझे जो प्राप्त हुई है रीडिंग्स, हमने तीस प्रतिशत बिजली ढाई साल के अन्दर खरीदी, ग्रिड से ओवर ड्रा किया। तीस प्रतिशत हमने सप्लाई एक्स्ट्रा दी है कांग्रेस सरकार के समय से ।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): कितने रुपयों की बिजली खरीदी, यह बताओ।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): परचेज आफ इलेक्ट्रिसिटी-कांग्रेस ने पांच वर्ष के अपने कार्यकाल में 464 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी और इस रबी के एण्ड तक हमारा अनुमान है कि टोटल लगभग दो हजार करोड़ रुपये की बिजली हम खरीद चुके होंगे, साढ़े छह सौ करोड़ रुपए खाली रबी के लिए हम खरीद रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह है किसानों की हितैषी सरकार।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अभी 6 तारीख को हमने 200 मेगावाट का आर्डर सौ करोड़ रुपये का और दिया है और माननीय मुख्य मंत्रीजी का निर्देश है कि इस रबी के अन्दर किसानों को किसी भी हालत में छह घंटे बिजली दी जाएगी। हमारी ये जो परियोजनाएं आएंगी, हमारा टार्गेट है अगले वर्ष रबी के अन्दर सात घंटे देना और 2008 के अन्दर 8 घंटे देना। यह हमारा लक्ष्य है।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

इसके अलावा गांव के अन्दर जो सुबह और शाम की बिजली है, इस वर्ष प्राथमिकता पर हमारा फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम जैसे हो रहा है बारह घंटे जो रात को बिजली है यह भी हम पूरी जैसे छह घंटे किसानों को बिजली देंगे वैसे ही रात की बिजली के अन्दर भी हमारे पूरे प्रयास होंगे कि सर्दियों के अन्दर हम कोशिश करके इसमें भी सुधार करेंगे।

अब रहा छीजत का मामला। अध्यक्ष महोदय, छीजत के बारे में यह बताना चाहूंगा, हमारा जो फीडर सुधार कार्यक्रम है, हम पहले वर्ष के अन्दर 857 फीडर रिनोवेट कर चुके हैं। अगले वर्ष 3900 होंगे, 2007-08 मार्च तक 3007 और होंगे, कुल लगभग 8500 फीडर, कई फीडर ऐसे हैं। मैंने खुद देखे हैं जहां छीजत 72 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक आ चुकी है, कई फीडर ऐसे हैं जिनमें हम छीजत कम कर चुके हैं । सालाना छीजत कम करने का टार्गेट है तीन प्रतिशत। हमारा प्रमुख उद्देश्य है पन्द्रह प्रतिशत से कम जिन गांवों के लॉसेज हैं उनको चौबीस घंटे बिजली देना। बीस प्रतिशत से कम हों उनको रात को बारह घंटे बिजली देना। टी एण्ड डी लॉसेज बीस तक हमारा लाने का उद्देश्य है। शहरों में पन्द्रह प्रतिशत और उद्योग क्षेत्र के अन्दर दो प्रतिशत। सिंगल फेस करके ट्रासफार्मर बिल्ट इन मीटर, टैम्परप्रूफ मीटर, एबीसी केबल और आर्मर्ड पीवीसी केबल करना, यह सब संभव होगा।

फीडर सुधार कार्यक्रम में केवल छीजत ही कम नहीं हुई ट्रांसफार्मर का जलना, अनइण्टरप्टेड पावर सप्लाई गांवों व शहरों में, यह बहुत जरूरी चीज है। गांवों और शहरों को बराबर बिजली देना यह एक और हमारा प्रमुख उद्देश्य है। एफ आर पी कम्प्लीट होने के बाद चोरी रोकना, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर सप्लाई को अलग करना। डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर सप्लाई जब अलग होगी तब ही हम गांवों में पूरी बिजली दे पाएंगे। साथ रहेगी तो नहीं दे पाएंगे। गुजरात का जो माडल है गुजरात के मॉडल के अन्दर अलग-अलग फीडर टोटल यह है। पर सिंगल फेस ट्रांसफार्मर लगाकर, इस बिजली को अलग करके तब ही हमारा जो टार्गेट है 24 घण्टे बिजली देने का वह संभव होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि टी एण्ड डी लॉसेज 1997-98 में जब कि भाजपा की हमारी सरकार थी उस समय 24.57 प्रतिशत थे लगभग 25 प्रतिशत, 2003-2004 में ये बढ़कर 41.5 प्रतिशत हो गये हैं। मैं हर्ष के साथ कहना चाहूंगा

(श्री गजेन्द्र सिंह)

कि अगस्त, 2006 के अन्दर यही टी एण्ड डी लॉसेज 33.84 प्रतिशत में आ गये हैं। ये आडिटेड फिगर्स हैं। कोई मेरे नहीं बनाये हुए हैं, विभाग के कोई कन्काक्टेड फिगर्स नहीं हैं। तो हमें सफलता मिल रही है। जैसे पहले वर्ष के अन्दर खाली 850 फीडर हुए हैं, अब इसका इम्पैक्ट दूसरे वर्ष के बाद यह बहुत ज्यादा होगा क्योंकि 3800 फीडर हमारे और रेनोवेट हो जाएंगे।

**श्री अध्यक्ष:** बस यह हो गया अब आपका।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अभी एक मॉडल हम तैयार कर रहे हैं। जब ग्रामीण इलाके के लोग कहते हैं कि फीडर रेनोवेशन करके आपने वादा किया था 15 प्रतिशत से कम लॉसेज होंगे तो आप हमें 24 घण्टे बिजली देंगे। हर तहसील के अन्दर गांवों को आईडेंटिफाई करके, हमारे सब विधायक महोदय को सूचित करके हम यह बताएंगे कि 15 प्रतिशत से कम छीजत जहां है उनको हम 24 घण्टे बिजली दे रहे हैं।

इसके अलावा हमने सब जिलों में पुलिस थाने स्थापित किये हैं ताकि चोरी रुक जाए तथा सस्ती और भरपूर बिजली हम दे पाएं।

जहां राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का मामला है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यह स्कीम, बहुत संक्षेप में बताऊंगा...

**श्री अध्यक्ष:** तो वह बता तो दिया आपने।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 4 अप्रैल, 2005 को यह स्कीम लांच हुई थी। इसके अन्दर 90 प्रतिशत ग्राण्ट मिल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट से और 10 प्रतिशत हमें आर ई सी से लोन मिल रहा था। उद्देश्य हमारा था 4017 गांव, 6596 ढाणियां, चौबीस लाख कंज्यूमर्स को घरेलू कनेक्शन जिसके अन्दर साढ़े सतरह लाख बी पी एल परिवार हैं। 1060 करोड़ की हमें यह राशि मिलनी थी लेकिन केन्द्र सरकार ने खाली 17 जिलों को एप्रूव किया है। अभी हमारे 15 जिलों को कुछ अप्रूवल भी नहीं मिला, कोई राशि नहीं मिली। जहां हमें 1060 करोड़ मिलना था इन्होंने केवल 83 करोड़ रुपये हमें दिया है। पहले जो इन्होंने नियम बनाये थे, इन्होंने कहा कि 60-60 व्यक्तियों की जनसंख्या की कोई ढाणी हो जिसके अन्दर 15 घर हों और 11 केवीए की लाइन जा रही हो उसके 3 किलोमीटर के रेडियस के अन्दर 1500 रुपये में ये कनेक्शन दिये जायेंगे। अब इन्होंने इसी टर्म को डाइल्यूट करके तीन सौ की पापुलेशन, पूरे आधार बदल दिये हैं। हमें राशि नहीं दी है। यह राजीव गांधी

(श्री गजेन्द्र सिंह)

विद्युतीकरण योजना इसी हिसाब से चली, तो सेंट्रल की वजह से फेल हो जाएगी।

**श्री अध्यक्ष:** चलिये, हो गया, सब ठीक है। दैट्स ऑल । आपने सब बात कह दी, कह दी सब बात। स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान दिगम्बर सिंहजी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अभी अपनी बात बहुत शॉर्ट में ही रखने की कोशिश करूंगा। बहुत शॉर्ट करूंगा। बड़े खेद का विषय है कि आज की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा अकाल, बिजली, मौसमी बीमारियों, जिनके लिए प्रतिपक्ष के नेता बहुत हल्ला मचा रहे थे, इनमें से एक भी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है, इससे ज्यादा संवेदनहीनता प्रतिपक्ष के पार्ट में कुछ हो नहीं सकती।

**अनेक माननीय सदस्य:** शेम।

**श्री अध्यक्ष:** शेम सुनने वाले तो हैं ही नहीं, किस बात पर कह रहे हो? सुनने वाले तो हैं ही नहीं शेम।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके माध्यम से चला जाएगा रिकार्ड में।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके माध्यम से रिकार्ड में तो चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राजस्थान में अधिकांश जिलों में औसत से ज्यादा बरसात हुई और बारां जिले में तो स्थिति ऐसी हो गयी है कि बहुत अधिक बाढ़ और अतिवृष्टि का प्रकोप रहा। यह जो वातावरण हुआ अधिक पानी के भराव के कारण, वातावरण में नमी के कारण और तापमान में असामान्य परिवर्तन के कारण कुछ बुखार के केसेज राजस्थान में बढ़े। मलेरिया के केसेज हर वर्ष होते हैं, डेंगू के केसेज भी हर वर्ष होते हैं, वायरल भी हर वर्ष होता है परन्तु इस बार वायरल फीवर केसेज कुछ ज्यादा हुए, जिसके कारण प्रतिपक्ष के लोगों ने काफी इसको एक इश्यू बनाने का भी प्रयास किया।

अध्यक्ष महोदय, सीजनल बीमारियों का एक टैक्निकल ट्रेंड रहता है। इस ट्रेंड का अनुमान विभाग को पहले से था, मुझे पहले से था। इसकी पूरी व्यवस्था पहले से की जाए, इसके लिए हमने पूरी एक कार्य व्यवस्था तैयार करके, एक्शन प्लान तैयार करके हर जिले के हमारे अधिकारी को पाबंद किया। उस एक्शन प्लान के माध्यम से हमने प्रयास किया कि राजस्थान में

(डा. दिगम्बर सिंह)

बहुत ज्यादा स्थिति कोई गम्भीर नहीं हो जाए। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है, मेरे पास यह अख़बार भी पडा है, इण्डियन एक्सप्रेस परसों का, इसमें इसका हैडिंग दिया है, फीवर पिच। इसका जो सारांश है जिसको मैं पढ़ाना चाहता था, वह तो भाग गये, मैं तो केवल यह बताना चाहता हूं कि ...

**श्री अध्यक्ष:** फिर क्या हुआ, आप तो पढ़कर सुना दीजिए।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसका जो सारांश इन्होंने किया है, वैदर ऑन द प्लेनेट, जो वैदर है, क्लाइमैटिक वेरिएशंस हैं टैम्प्रेचर के उसको ब्लेम किया है। डेंगू, मलेरिया भारतवर्ष में हमेशा हुआ है और इसकी जो डैथ्स है वे भी हर साल होती हैं। 2001 में डेंगू से 53 मौतें हुई हैं, 2002 में 33 हैं, 2003 में 215 हुईं, 2004 में 45, 2005 में 157 और 2006 में अब तक 45 डैथ्स पूरे इण्डिया में इसके हिसाब से हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, चिकनगुनिया के राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में अभी तक 1489 केसेज हुए हैं जिसमें से कोई डैथ रिपोर्टेड नहीं है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि वायरल फीवर हमेशा होता था पर इस बार चिकनगुनिया के नाम से लोगों में जो एक तरह के भय का-सा वातावरण बना, उसके कारण से लोगों को थोड़ी-सी साइक्लोजिकल प्राब्लम भी बहुत ज्यादा हुई जबकि यह चिकनगुनिया एक आम वायरल जैसा बुखार होता है। इस तरह का बुखार है और साधारण सी दवाइयों से वह ठीक हो जाता है। इसमें ज्यादा कोई परेशानी या डैथ्स रिपोर्ट नहीं होतीं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है, राजस्थान का जो क्षेत्र है इसमें क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। परन्तु हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि हम दूरदराज के गांवों तक भी अपनी बहुत अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएं। इसके लिए हमने शुरू से बहुत अच्छे प्रयास भी किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अपनी सर्विसेज का एक्सपांशन भी बहुत किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। ये लोग चले गये, मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि इन ढाई साल में 663 हमने नये सब-सेंटर्स खोले हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिससे लोगों को तकलीफ नहीं हो। इन्होंने पांच साल के अन्दर मात्र 75 सब-सेंटर्स खोले थे। पी.एच.सी. का जहां तक सवाल है, हमने 64 नयी पी.एच.सी. खोली हैं ढाई साल के अन्दर, कांग्रेस की गवर्नमैंट ने पांच

(डा. दिगम्बर सिंह)

साल में मात्र 18 पी.एच.सी. खोली थीं। इन्होंने पांच साल में एक भी सी.एच.सी. नहीं बनायी पी.एच.सी. से और हमने 51 पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जिससे हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं इम्प्रूव हो सकें। हमने पूरा एक्शन प्लान शुरू से बनाकर अपने जिले के अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ रखा। अध्यक्ष महोदय, दवाइयों की व्यवस्था, जिसमें आई.वी. फ्लूड की व्यवस्था, उसके अलावा जीवन रक्षक घोल जो ओ.आर.एस. पाउडर है, उसकी व्यवस्था, कीटनाशक ब्लीचिंग पाउडर जिससे लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। ये सारी व्यवस्थाएं दवाइयों के साथ हमने जिलों में उपलब्ध करवाने की पहल की है। जैसे-जैसे बीमारियों के केसेज आने लगे, हमने सी.एच.सी. में, अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में, यहां तक कि अपने मेडिकल कालेज के भी सारे हास्पिटल में यह पहली बार हुआ है कि उनके आउटडोर के टाइम में हमने वृद्धि की है। हमने डिस्ट्रिक्ट हास्पिटलों में दो-दो घंटे का आउटडोर का टाइम बढ़ाया है। यहां तक की उनकी छुट्टियों का भी जो पीरियड था उसमें भी हमने पूरे समय में आउटडोर चलवाये।

अध्यक्ष महोदय, आज जो दवाइयों की बात कर रहे थे कि वहां दवाइयां नहीं हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो रूटीन का बजट हमारे दवाइयों का होता है उसके एक्सट्रा हमने 17.47 करोड़ का अलग से दवाइयों का प्रावधान हमारे जिलों में किया है और 54 लाख रुपये की हमने जिलों में अलग से व्यवस्था की है। इमरजेंसी में ड्रग्स वगैरह अगर प्रिक्योर करनी पड़ें, कोई इमरजेंसी में व्यवस्था करनी पड़े उसके लिए 54 लाख का बजट भी आपातकालीन स्थिति के लिए हमने औषधि क्रय करने के लिए जिलों में दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, आज की जो स्थिति बनी हुई है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की, उसमें पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ होगा, राजस्थान के इतिहास में आजादी के बाद, कि सब सेन्टर्स पर हमने अनटाइड फंड इतना दिया है। हमने राजस्थान के हर सब सेन्टर्स पर 20 हजार रुपये का अनटाइड फंड इस बार दिया है। 10 हजार रुपये हमने पिछली बार दिये थे। हर सब सेन्टर पर 30 हजार का तो अनटाइड फंड पहुंचा है। 25 हजार रुपया हमने हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दिया है और एक लाख रुपये हमने हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को दिया है। इस तरह से 27.98 करोड़ का हमने टोटल यह

(डा. दिगम्बर सिंह)

अनटाइड फंड ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारे इंस्टीटयूशंस हैं उनको दिया है। उनको मोबिलिटी सपोर्ट के लिए हमने अलग से बजट की व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर हमारे माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, उनकी ज्यादातर परेशानी मलेरिया, डेंगू और वेकेन्सीज को लेकर थी। वायरल फीवर, चिकनगुनिया को लेकर उन्होंने इस सदन में चर्चा की। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अभी पिछले दो महीने के अंदर 143 डाक्टर्स को हमने कांट्रेक्ट पर भर्ती किया। हमने 369 डाक्टर्स आरपीएससी से भर्ती किये थे, उनमें से 270 डाक्टर्स की अभी तक सिंगल डाक्टर पीएचसी जो रूरल एरिया की थीं, उनमें हम पोस्टिंग कर चुके हैं। 99 डाक्टर्स की अभी पोस्टिंग करना बाकी है उनका अभी प्रोसेस में चल रहा है। सिंगल डाक्टर पीएचसी को प्रायोरिटी पर लेकर जहां पर कम से कम एक चिकित्सक की पोस्ट हो, वहां पर एक चिकित्सक रहे, हम उनकी पोस्टिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने 261 डाक्टर्स के लिए और आरपीएसी को रिकविजिशन भेजी हुई है जिससे हमारी जो वेकेन्सीज की पोजीशन है, वह कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आए।

अध्यक्ष महोदय, मौसमी बीमारियों की स्थिति को देखते हुए हमने 498 मोबाइल टीम पूरे राजस्थान के अंदर लगा रखी हैं। इसमें से 304 टीम केवल उन बाढ़ग्रस्त इलाकों में हैं, बाकी टीम अन्य जिलों में हैं। अलग-अलग जिलों की लिस्ट बताना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा, परंतु 304 टीम हमने बाढ़ग्रस्त इलाकों के जो 12 जिले हैं उनमें लगा रखी हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो भी टीम गांव में जा रही है वह गांव में जल शुद्धिकरण करती है, फीवर केसेज का सर्वे हाउस-टू-हाउस करती हैं और वहां पर स्लाइड भी लेते हैं। हमने रैपिड डायग्नोस्टिक किट 50 हजार सप्लाई किये जिससे कि हाथ की हाथ उसका टैस्ट मिल जाए और पेशेंट को हाथ की हाथ उसका इलाज मिल जाए। ज्यादातर सदस्यों का कहना था कि हमारे डी.डी.टी. का छिड़काव नहीं हो रहा है, हमारे यहां मच्छरों का उपचार नहीं हो रहा है। हमने इसकी तीन स्तरों पर व्यवस्था की, हमने लार्वा कंट्रोल के लिए जिससे मच्छर पैदा कम हों, जितने भी गढ्ढे जहां पर साफ पानी भरा हुआ है उनको आडेंटिटीफाई किया, उनमें गंबुजिया फिसोज डाली। इसके अलावा जो एमएलओ

(डा. दिगम्बर सिंह)

होता है जला हुआ तेल वो भी उसमें डाला। एंटी लार्वा मेजर्स के साथ-साथ जो एडल्ट वैक्टर है उसके लिए हमने जितना संभव हो सका, डी.डी.टी. का और पायरोथ्रम का स्प्रे भी करवाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सारा का सारा स्प्रे का कार्यक्रम है, यह केन्द्र सरकार के नार्म्स के हिसाब से हमको करना होता है। राजस्थान में पहले 2 ए.पी.आई., ए.पी.आई. का मतलब पर थाउजेंट पाजिटिव केस पर ईयर। अगर वह दो होते थे, एक साल में एक हजार की पापुलेशन में अगर 2 केस भी पाजिटिव हैं तो उसमें डी.डी.टी. का स्प्रे करने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट हमको डी.डी.टी. सप्लाई करती थी। परन्तु अब इस ए.पी.आई. 2 की जगह उसको 5 कर दिया है। अब जिस क्षेत्र में 5 ए.पी.आई. या 5 से ज्यादा हैं उसमें डी.डी.टी. की सप्लाई करने के लिए उन्होंने अपने नार्म्स में रखा है। डी.डी.टी. की जो सप्लाई है वह 2003 में 800 मैट्रिक टन हमको हुई, 2004 में 600 मैट्रिक टन हुई, 2005 में 400 मैट्रिक टन हुई और इस वर्ष केवल 250 मैट्रिक टन सप्लाई हुई है। इसलिए हमने जहां पर पी.एफ. केसेज निकलते हैं, पाजिटिव निकलते हैं, उसके 50 घर के आसपास फोकल स्प्रे कराते हैं और इसके साथ-साथ पायरोथ्रम का स्प्रे भी हम इस हिसाब से करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा निवेदन करना चाहूंगा कि हमाने मलेरिया के लिए खास तौर से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बना रखें हैं और वे हैं 34013 । जो कोई दुकानदार है, कोई चक्की की दुकान है, कोई मास्टर है, जो आदमी थोड़ा-सा भी समझदार है और गांव में जिसका सम्पर्क ठीक है उसके पास मलेरिया की दवाई हमने रखवा रखी है। आराम से उसकी डोजेज उसको पूरी लिखवाकर कि कितने साल के बच्चे को क्या डोज, एडल्ट को क्या डोज देनी है, वह सारी उसके यहां तख्ती पर लिखी रहती है। पीडीसी, फीवर ट्रीटमेंट डिपोज भी हमने 1772 खोल रखे हैं। सब सेंटर्स और जो हमारे सीएचसी, पीएचसी हैं उनमें यह सारी व्यवस्था होती ही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जो इफैक्टेड विलेजेज थे 12 जिलों में, 2946 गांव जो बाढ़ की चपेट में थे, पापुलेशन करीब 67.44 लाख प्रभावित थी।

(डा. दिगम्बर सिंह)

इसमें हमारे 32 हास्पिटल, 90 सीएचसी, 521 पीएचसी और 3687 सब सेंटर्स और इसके अलावा 304 मोबाइल टीम रोजाना 544 गांवों में दौरा करती हैं।

अध्यक्ष महोदय, 53 लाख से ज्यादा स्लाइड्स कलेक्शन इस साल में हुआ है। उस 53 लाख में से 30 लाख से ज्यादा एक्टिव कलेक्शन हैं। एक्टिव कलेक्शन का मतलब, दो तरह का होता है एक पैसिव और दूसरा एक्टिव। एक्टिव में हम मरीज के घर जाकर उसका ब्लड स्लाइड्स बनाते हैं और पैसिव में मरीज चलकर हमारे अस्पताल में आता है। एक्टिव की जो हमारी कलेक्शन है वह पैसिव से ज्यादा है। इसका मतलब सीधा-सीधा यह हुआ कि हमारी जो मोबाइल टीम हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारा जो स्टाफ है उसने बहुत ही एनर्जेटिकली काम किया।

अध्यक्ष महोदय, स्टाफ की शार्टेज को देखते हुए और खासतौर से बाड़मेर, जैसलमेर की स्थिति को देखते हुए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने हमको आदेश दिया कि इसमें अगर कुछ ज्यादा पेमेंट भी हमको करना पड़े तो हम शार्ट पीरियड के लिए कुछ डाक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ एम्प्लाय कर लें। हमने एक हजार रुपये पर डे के लिए घोषणा की डाक्टर्स के लिए, पांच सौ रूपये हमने घोषणा की नर्सिंग स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए, जिसमें डाक्टर तो एक हजार रुपये रोज में भी केवल एक ही आया, परन्तु 181 कम्पाउंडर और 8 लैब टैक्निशियंस पांच सौ रुपये रोज पर हमने बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में लगाये हुए हैं जिससे वहां भी कोई स्टाफ की शोर्टेज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि हर जिला कलक्टर को बाढ़ग्रस्त इलाके में हमने पांच लाख रुपये उनकी मोबेलिटी सपोर्ट के लिए दिये हुए हैं जिसमें उनको जब चाहें मोबेलिटी के लिए वह यूज कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सहायता मंत्री महोदय को, वह चले गये, उन्होंने पांच करोड़ की सहायता चिकित्सा के क्षेत्र में हमको दी जिसमें से 3 करोड़ रुपये केवल बाड़मेर जिले के लिए हमने दिये।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य जो तारानगर से आते हैं, मुझे तो मालूम था कि चिकित्सा की जब भी कोई बात आएगी तो उनमें से बोलने वाला एक ही सदस्य होगा इसलिए मैंने मौका छोड़ा नहीं और मैंने उसी समय

(डा. दिगम्बर सिंह)

उनकी बात का जवाब दे दिया। मुझे पता था कि मैं जब बोलूंगा तो वह गायब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में वेकेंसीज बहुत हैं। मैं इस बात को एग्री करता हूं, डाक्टर्स की वेकेंसीज हैं, परंतु इसके साथ-साथ हमने जो व्यवस्थाएं बाड़मेर में की हैं अगर आप इसको देखें, हमारे टोटल सब सेंटर्स बाड़मेर जिले में 463 हैं। ए एन एम 906 काम कर रही हैं अकेले बाड़मेर जिले में। ए एन एम्स और एडीशनल ए एन एम्स को मिलाकर एक सब सेंटर पर दो ए एन एम्स करके 906 ए एन एम्स वहां काम कर रही हैं।

**(समय : 23.00 बजे)**

एम्बुलेंस की बात कहकर चले गए कि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, मरीजों को अपने आप आना पड़ता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 12 तो वहां एम्बुलेंस हैं, 9 डिपार्टमेंट की जीपें हैं और 75 गाड़ियां वहां पर किराये और अन्य साधनों से हमने कर रखी हैं। इस तरह से 96 व्हीकल्स हैं जिनमें 4 व्हीलर्स भी काफी हैं क्योंकि कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर फोर व्हीलर्स के बिना जाया नहीं जा सकता। क्योंकि मैं भी वहां दस-बारह दिन रहकर आया हूं, मुझे भी स्थिति का पूरा मालूम है।

अध्यक्ष महोदय, अब सब लोगों का मुझे लगता है कि नींद आने की स्थिति में आ रहे हैं ...(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने जब सब लोग चिंतित हैं और चर्चा में शामिल हुए तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के जो पेशेंट हैं, अभी वह कहकर चले गये कि डेंगू की बहुत भीड़ हो रही है। दूसरे लोग भी आ जाते हैं, मरीज को फायदा कहीं से भी आ रहा है, अगर उसको फ्री जांच कराने की हमने व्यवस्था की है, है तो वह पेशेंट ही, चाहे वह राजस्थान का हो चाहे कहीं और का। मरीज तो मरीज ही है।

अपनी घोषणा करने से पहले मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे 25 डैथ हुई हैं मलेरिया से, 10 डेथ हुई हैं डेंगू से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत भारी मन से इस सदन के सामने बहुत संवेदना उन मरीजों के लिए जिनकी डैथ हो गई, प्रकट करता हूं और मैं समझता हूं कि यह मेरे लिए और विभाग के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर एक भी मौत किसी बीमारी से होती है इस जमाने में कम से कम, तो इससे बड़ा अभिशाप कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए मैं आपको और इस

(डा. दिगम्बर सिंह)

सदन को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से और विभाग की तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ बहुत एनर्जेटिकली काम करूंगा। इसके साथ ही मैं निवेदन थोड़ा-सा जनता को भी मैसेज देना चाहूंगा कि पैनिक होने की बिलकुल आवश्यकता नहीं है। जिस तरह की स्थिति दिल्ली और अन्य प्रदेशों की हो रही है, आज हमारी इस वर्किंग के कारण, हमारी जो स्ट्रिक्ट मानिटरिंग हुई है इसके कारण से इतनी बाढ़ के बावजूद भी जो महामारी पैदा होने की स्थिति होनी चाहिए थी, माननीय उप राष्ट्रपति महोदय पधारे तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि आपका काम अब शुरू होगा तो मुझे वह बात भी ध्यान थी, मैं खुद भी जानता था कि बाढ़ जब आती है तो उसके बाद सबसे बड़ा दायित्व, रेस्पांसिबिलिटी आती है वह चिकित्सा विभाग के ऊपर आती है, तो हमने सावचेत होकर इसमें बहुत काम किया है इसलिए राजस्थान में कोई महामारी नाम की चीज फैली नहीं है। मैं राजस्थान की जनता को थोड़ा-सा शुकुन मिले, लाभ मिले इन सीजनल बीमारियों से, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी राजकीय चिकित्सालयों में डेंगू और मलेरिया का फ्री ट्रीटमेंट होगा, फ्री इलाज होगा, इसमें दवाइयां शामिल हैं। डेंगू जिसमें ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड की व्यवस्था तो उनको करनी पड़ेगी, पर दवाइयां खरीदने की राजस्थान के किसी भी अस्पताल में चाहे वह डेंगू हो चाहे मलेरिया हो, जांच तो फ्री पहले ही करवा दी, अब मैं कहना चाहता हूं सदन के सामने कि हम इसमें पैसा दवाइयों पर मरीजों का, किसी का भी खर्च नहीं होने देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा शार्ट में कहना चाहूंगा। इसके अलावा 115 मोबाइल टीमें हमारे आयुर्वेद विभाग की भी इस समय कार्यरत हैं और 58277 मरीजों का इलाज आयुर्वेद विभाग ने भी किया है। आयुर्वेद विभाग को और एक्टिव बनाने के लिए, उनको और थोड़ा इसमें शामिल करने के लिए, उनकी मोबाइल टीमें गांवों में जाएं इसलिए दो-दो वाहन मोबिलिटी के लिए किराए पर लेने की हमने स्वीकृति दी है। आयुर्वेद विभाग भी मोबाइल हो जाए, उनको दो-दो वाहन हर डिस्ट्रिक्ट पर हमने दिये हैं। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कहीं बाहर से डेंगू का पेशेंट है अगर वह रैफर होकर किसी नर्सरी इन्स्टीट्यूशन पर आता है, मान लो भरतपुर का पेशेंट हो

(डा. दिगम्बर सिंह)

और जयपुर रैफर करना है तो सरकारी एम्बुलेंस उसके लिए फ्री प्रोवाइड की जाएगी। यह व्यवस्था भी कर दी गई है।

इसके अलावा रूरल में वेकेंसी की बात की, हमारे माननीय सदस्यों ने भी और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डाक्टर्स में और थोड़ा इण्टरेस्ट डवलप हो इसके लिए रूरल पोस्टिंग में इन्सेंटिव देने का विचार हमने किया है और बहुत जल्दी इनको इन्सेंटिव देने की व्यवस्था करेंगे। इन्सेंटिव के अलावा जो हार्ड एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्टवाइज नहीं बल्कि एक-एक इन्स्टीट्यूशन को हम बाकायदा चिह्नित करके हार्ड एरिया कौनसा है, कौनसा इन्स्टीट्यूशन हार्ड एरिया का माना जाएगा, उनको अलग से इन्सेंटिव देने का भी हमने तय किया है। इसके अलावा हमने 52 मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था भी की है। हमारे जो ट्राइबल और डेजर्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां परमानेंट 52 मोबाइल यूनिट होगी। डैजर्ट और ट्राइबल एरिया के जो बीस-बीस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हर डिस्ट्रिक्ट पर दो मोबाइल यूनिट होंगी और जो हमारे 12 अन्य डिस्ट्रिक्ट बचते हैं उनमें एक यूनिट मोबाइल हर डिस्ट्रिक्ट में होगी।

**श्री अध्यक्षः** आपने काफी विस्तार से बता दिया, आपने काफी अच्छा इन्तजाम किया है, बहुत अच्छा।

**डा. दिगम्बर सिंह** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसके अलावा 15 नवम्बर से एक माह के लिए एक विशेष अभियान चिकित्सा विभाग चलाएगा जिसका नाम होगा 'स्वास्थ्य चिन्ता अभियान', इसमें हम बीमारियों के बारे में सामान्य जानकारी पूरे राजस्थान के एक-एक गांव और ढाणी तक पहुंचाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री अध्यक्षः** सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। अब आप जन गण मन के लिए खड़े हो जाइए।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 23.06 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)**

**राष्ट्र-गान**

**जन गण मन अधिनायक जय है,**

**भारत भाग्य विधाता।**

पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा।
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे।
गाहे तव जय गाथा।
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय है।

# समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## राज्य में विशेष आर्थिक जोन (सेज) हेतु अवाप्त कृषि भूमि

**67. श्री अशोक बैरवा** (खण्डार) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जनवरी, 2004 के पश्चात सेज के अन्तर्गत कितनी कृषि भूमि अवाप्त की गई? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अवाप्त की गई कृषि भूमि के कृषकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार भविष्य में सेज हेतु और कृषि भूमि अवाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से जिले में कितनी भूमि कितने समय में अवाप्त की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2004 से अब तक सरकार द्वारा सेज हेतु अवाप्त की गई भूमि में से कितनी भूमि को किन कार्यों के लिए, किन शर्तों पर व किन्हें आबंटित किया गया?

**उत्तर**

(1) स्पेशन इकोनोमिक जोन की स्थापना हेतु जनवरी, 2004 के पश्चात कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है। स्पेशल इकोनोमिक जोन की स्थापना हेतु तहसील सांगानेर जिला जयपुर के 9 ग्रामों की निजी खातेदारों की भूमि रकबा 1435.02 हैक्टर की अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन है जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4(1) की अधिसूचना दिनांक 20.12.2005 व दिनांक 03.07.2006 को प्रकाशित की गई एवं धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 29.04.2006 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही अभी प्रक्रिया में है। अन्य जिलों की सूचना शून्य है।

(2) जी नहीं। अवाप्त भूमि बाबत कृषकों/खातेदारों को भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(29) नवि/3/3004 दिनांक 27.10.2005 के अनुरूप मुआवजा देय है।

(3) जी हां। रीको एवं 8 कम्पनियों ने राज्य सरकार द्वारा अवाप्त भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया है। इनमें से महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा तथा रीको द्वारा स्थापित किये जाने वाले विशेष आर्थिक

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

क्षेत्र के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 4 अन्य कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिये सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को सिफारिश की गई है। भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के बाद संबंधित कम्पनी द्वारा चिन्हित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जावेगी। विवरण परिशिष्ट– ''अ'' पर संलग्न है।

(4) महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा व रीको द्वारा स्थापित किए जाने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रियाधीन है। अतः अवाप्त होकर कोई भूमि प्राप्त नहीं हुई है। अतः भूमि आबंटन का प्रश्न समाप्त नहीं होता है।

**परिशिष्ट ''अ''**

**राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव, जिनमें राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति प्रस्तावित है**

| क्र. सं. | प्रमोटिंग कम्पनी का नाम | प्रस्तावित स्थान | भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अदानी ग्रुप | नीमराणा, बहरोड़ या कोटकासिम, जिला अलवर | 25,000 | भारत सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु सिफारिश प्रेषित की गई। |
| 2. | सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. | नीमराणा, बहरोड़, जिला अलवर | 12,400 | भारत सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु सिफारिश प्रेषित की गई। |
| 3. | रिलायन्स वर्ल्ड लि. | नीमराणा, जिला अलवर | 5,000 | भारत सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु सिफारिश प्रेषित की गई। |
| 4. | अन्सल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रेक्चर लि. | अलवर और जयपुर | 250 | भारत सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु सिफारिश प्रेषित की गई। |
| 5. | महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा | अजमेर रोड़, जयपुर | 2,500 | भारत सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु सिफारिश प्रेषित की गई। |
| 6. | के. रहेजा कॉप. प्राईवेट लि. | अजमेर रोड़, जयपुर | 250 | राज्य सरकार के विचाराधीन |

| क्र. सं. | प्रमोटिंग कम्पनी का नाम | प्रस्तावित स्थान | भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| | | सीतापुरा, जयपुर | 250 | राज्य सरकार के विचाराधीन |
| 7. | ओमेक्स लिमिटेड़ | तिजारा, अलवर | 15000 | राज्य सरकार के विचाराधीन |
| 8. | कजारिया हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रेक्चर लि. | भिवाड़ी-अलवर बाईपास, जिला अलवर | 3500 | राज्य सरकार के विचाराधीन |
| 9. | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) | मण्डाना, कोटा | 250.30 | राज्य सरकार के विचाराधीन |
| | | कलड़वास, उदयपुर | 344 | राज्य सरकार के विचाराधीन |

## जयपुर विद्युत निगम द्वारा ट्रांसफार्मर्स की खरीद

**68. श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आगरा की एक ही कम्पनी से 30 करोड़ के ट्रांसफार्मर खरीदे गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि ये सभी ट्रांसफार्मर परीक्षण में घटिया क्वालिटी के पाये गये? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कम्पनी से पैसा वसूलने की कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जयपुर विद्युत वितरण निगम के गठन जुलाई, 2000 से अगस्त, 2006 तक आगरा की भिन्न-भिन्न फर्मों से खरीदे गए ट्रांसफार्मरों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिन फर्मों के ट्रांसफार्मर निरीक्षण के उपरान्त निविदा शर्तों के अनुसार नहीं पाये गये उनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। निगम द्वारा ऐसे ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति से पूर्व किये जाने वाले निरीक्षण में लगे सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। ऐसे ही एक मामले में 8 अधिकारियों को दिनांक 28.07.2006 एवं एक अधिकारी को दिनांक 18.09.2006 को निलंबित किया जा चुका है।

(3) निविदा शर्तों के अनुसार सम्बन्धित फर्मों से ऐसे दोषपूर्ण ट्रांसफार्मरों के बदले सही ट्रांसफार्मर प्राप्त करने की कार्यवाही निगम द्वारा समय-समय पर की जाती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## खेतरली ग्राम (पाली) में जनजाति बालिका छात्रावास

**69. श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के माड़ा चयनित ग्रामीण क्षेत्र में जनजातीय बालिकाओं के लिए कहां-कहां, किन-किन सुविधाओं के साथ बालिका छात्रावास कब से संचालित है? बालिकाओं की संख्या, भवन की उपलब्धता व कार्यरत स्टाफ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम खेतरली, ग्राम पंचायत कूरण में नवीन जनजाति बालिका छात्रावास खुलवाने हेतु क्षेत्रीय विधायक द्वारा सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं? यदि हां, तो कब? सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ''खेतरली ग्राम'' में शीघ्र जनजाति बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में माडा चयनित ग्रामीण क्षेत्र में जनजाति बालिकाओं के लिये छात्रावास संचालित नहीं है।

(2) जी हां। माननीय विधायक श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी के पत्र दिनांक 31.12.2003 द्वारा खेतरली बालिका छात्रावास खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही खेतरली ग्राम में जनजाति बालिका छात्रावास खोला जाना सम्भव हो सकेगा।

## दीगोद में ईदगाह हेतु भू-आबंटन

**70. श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दीगोद के ग्राम मण्डावरा व सुल्तानपुर में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ईदगाह व नमाज अदा करने के लिये भूमि उपलब्ध करवाने की मांग की गई है? यदि हां, तो कितने समय से यह प्रकरण विचाराधीन है तथा प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने हेतु क्या कार्यवाही की गई?

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि जिला जन अभियोग सतर्कता समिति, कोटा में दर्ज प्रकरण संख्या 56/2005 दायर दिनांक 16 जून, 2005 श्री गोपाल लाल, विश्वकर्मा नगर, कोटा जो एक अवैध अतिक्रमण कर मन्दिर निर्माण से संबंधित है- को सरकार द्वारा एक वर्ष बाद भी नहीं हटाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। माननीय विधायक श्री भरत सिंह द्वारा ग्राम सुल्तानपुर में ईदगाह हेतु भूमि आबंटन की मांग की गई थी, जो कृषि उपज मण्डी के खाते में होने से तथा मदरसा अजीजिया कमेटी द्वारा ईदगाह के पीछे की अर्थात तालाब की पाल व ईदगाह के मध्य की भूमि ईदगाह के विस्तार हेतु चाही गई, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के खातेदारी में दर्ज होने के कारण आबंटन किया जाना सम्भव नहीं होने से इन्हें सूचित कर दिया गया। माननीय विधायक श्री भरत सिंह द्वारा ग्राम मण्डावरा में ईदगाह हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु मांग की गई थी, जिसका परीक्षण जिला स्तर पर किया जा रहा है।

(2) जी हां। जिला सतर्कता समिति कोटा की बैठक दिनांक 29.9.2006 के दौरान जिला कलक्टर द्वारा नगर विकास न्यास कोटा को पुलिस अधीक्षक शहर व अति. जिला कलक्टर शहर से सम्पर्क कर तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये हैं।

## कठूमर के सड़क विहीन ग्राम

71. **श्री रमेश खीचीं** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कठूमर के कौन-कौन से ग्रामों को सम्मिलित किया गया?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के चैनपुरा, डोरोली, नगला-धन्सी, गोला का वास, सायपुर, जादूवास, जोधपुरा, दुधाटी, खातीपुरा, चैनपुरा-खोखरा, हनुमानवास, भगवतपुरा आदि की निर्धारित जनसंख्या होने के बाजवूद भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(श्री रमेश खीचीं)

(3) क्या सरकार अब उक्त ग्रामों को उक्त योजना में सम्मिलित कर सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कठूमर के सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(3) जी नहीं। ये ग्राम/ढाणी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

**परिशिष्ट ''अ''**

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कठूमर में सड़कों से जोड़ने हेतु सम्मिलित किये गांवों का विवरण**

| क्र.सं. | गांव का नाम | क्र.सं. | गांव का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | तुसारी | 13 | दूदेरी |
| 2 | डयोठाना | 14 | बामनपुरा |
| 3 | डहरी दांतवाड़ | 15 | भंवर |
| 4 | लाठकी | 16 | पिसई |
| 5 | बेरका | 17 | पावटा |
| 6 | घोसराना | 18 | खेड़ा लगनपुरा |
| 7 | खेड़ा सारंगपुरी | 19 | प्रीतमपुरा |
| 8 | मंगोलकी | 20 | मानखेड़ा |
| 9 | बल्लूपुरा रामगढ़ | 21 | खेरली तरफ रेला |
| 10 | कांतवाड़ी | 22 | भोजपुरा |
| 11 | गंजपुर | 23 | मन्या का बास |
| 12 | गहलावता | 24 | बरीथल |

| क्र.सं. | गांव का नाम | क्र.सं. | गांव का नाम |
|---|---|---|---|
| 25 | सलेमपुर | 38 | लिडपुरी |
| 26 | गुन्डबास | 39 | बाडीका |
| 27 | नंगला सीताराम | 40 | बीजला |
| 28 | नंगला मतवा | 41 | चोरी का नंगला |
| 29 | कानेटी | 42 | नारनोल खुर्द |
| 31 | नंगजा माखन | 43 | सुनारी |
| 30 | नंगला केसरिया | 44 | बिदरका |
| 32 | इसरोती | 45 | तिलकपुर |
| 33 | बास इमरती | 46 | नारनोल कला |
| 34 | शेखपुर | 47 | काली पहाड़ी |
| 35 | रामनगर | 48 | जैतपुर |
| 36 | राजपुर | 49 | बसेरी |
| 37 | बाडसू | | |

## सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर) का क्रमोन्नयन

72. **श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 शैय्याओं से बढ़ाकर 100 शैय्याओं का कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त सुविधाएं कब तक प्रारम्भ कर दी जावेंगी?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त चिकित्सालय हेतु वांछित स्टाफ/चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गई है? यदि हां, तो कितने स्टाफ की व नहीं, तो अब कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी?

**उत्तर**

(1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगापुर सिटी को 50 से 100

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

शैय्याओं में क्रमोन्नत करने पर स्टाफ के जो नए पद स्वीकृत किए गए हैं उन पर चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के पदस्थापन हेतु पदोन्नति एवं नवीन नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक (द्वितीय) एवं नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा। शेष पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

## कोटा सम्भाग में नियम विरुद्ध स्वीकृत मदिरा केन्द्र

73. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य के हाइवे पर नियम विरुद्ध मदिरा की दुकान खोलने में शिथिलता प्रदान करने के मानदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो नियमों की गलत व्याखा करके निर्धारित सीमा का उल्लंघन करके दुकान स्वीकृत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाने का प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मदिरा दुकान संचालन के लिये जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्र में शर्तें लगाई जाती हैं? यदि हां, तो शर्तों की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध किस-किस प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाती है? शर्तें एवं प्रावधानों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विकसित बाजार में संचालित मदिरा की दुकानों के लिये अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 5-8 लागू नहीं होती है? यदि हां, तो विकसित बाजार की परिभाषा सहित छट का प्रावधान मान्य होने संबंधी परिस्थितियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कोटा सम्भाग में अधिकारियों द्वारा शिथिलता संबंधी नियमों की व्याख्या करके दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत की हुई है? यदि हां, तो किस-किस दुकान के संबंध में किस आधार पर शिथिलता प्रदान की गई? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि दुकानों के निरीक्षण करते समय व्याप्त समस्त खामियों को देखने एवं तत्संबंधी रिपोर्ट पर समुचित कार्यवाही करवाई

(श्री रामनारायण मीणा)

जाने की जिम्मेदारी निरीक्षणकर्ता अधिकारी की है? यदि हां, तो किस प्रकार से तथा नहीं, तो क्यों? विगत 3 वर्ष में उक्त क्षेत्र में इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अवस्थिति (Location) संबंधी प्रावधानों में शिथिलता दे सकने का प्रावधान इसी नियम में है। यह मामला नियम की व्याख्या का न होकर स्वविवेक (discretion) के उपयोग का है, अतः यह किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का आधार नहीं है।

(2) जी हां। दुकान संचालन की शर्ते अनुज्ञापत्र शर्तों के रुप में है जिसका प्रारूप परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है। इन शर्तों की पालना नहीं करने पर की जा सकने वाली कार्यवाही का उल्लेख भी इन्हीं शर्तों में है।

(3) अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 5-8 संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित है। ''विकसित बाजार'' का उल्लेख अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 5.7 में है। विकसित बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग से दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक प्रावधान लागू नहीं होते।

(4) कोटा सम्भाग में जिन दुकानों बाबत शिथिलता दी गई एवं किस आधार पर शिथिलता दी गई एवं किस आधार पर शिथिलिता अपेक्षित थी, उसका विवरण परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।

(5) दुकान के निरीक्षण करते समय पाई गई खामियों के आधार पर अनुज्ञाधारी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करने का प्रावधान है। आबकारी संभाग कोटा में वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध पंजीकृत मामलों की सूची परिशिष्ट—3 के रूप में संलग्न है।

**(प्रारूप विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## विद्युत निगमों द्वारा क्रय किये गये ट्रांसफार्मर्स के परीक्षण हेतु निर्धारित प्रयोगशालाएं

**74. श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिन प्रयोगशालाओं से

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

ट्रान्सफार्मर्स का परीक्षण करवाया जा रहा है वह सभी एन.ए.बी.एल. से पंजीकृत हैं? यदि हां, तो सभी प्रयोगशालाओं के एन.ए.बी.एल. पंजीयन संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रयोगशालाओं को ट्रान्सफार्मर के किस क्षमता तक परीक्षण हेतु प्रमाण-पत्र दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रयोगशाला द्वारा निर्धारित सीमा के अतिरिक्त रेटिंग पर परीक्षण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि नेशनल टैस्ट हाऊस गाजियाबाद एवं स्वास्तिक कापर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट एन.ए.बी.एल. से पंजीकृत है?

(5) क्या यह सही है कि नेशनल टेस्ट हाऊस गाजियाबाद व स्वास्तिक कापर प्रा. लि., जयपुर द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मानक इन्स्ट्रयूमेन्ट ई.टी.डी.सी. या एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्रति वर्ष कैलीब्रेट करवाया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन रिपोर्टों को किस आधार पर स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार द्वारा ट्रान्सफार्मर्स का परीक्षण किसी भी प्रयोगशाला द्वारा नहीं करवाया जाता अपितु विद्युत कम्पनियों द्वारा निम्न चार एन.ए.बी.एल. से पंजीकृत प्रयोगशालाओं से कराया जा रहा है।

इन प्रयोगशालाओं के पंजीयन संख्या का विवरण निम्न है :-

| | |
|---|---|
| सी.पी.आर.आई., बैंगलौर | T0010 |
| सी.पी.आर.आई., भोपाल | T0011 |
| ई.आर.डी.ए., वडौदरा | T0071 |
| एन.टी.एच., गाजियाबाद | T0203 |

(2) उपरोक्त वर्णित चारों प्रयोगशालाओं की क्षमता से संबंधित सूचना परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) इस प्रकार कोई जानकारी विद्युत निगमों के पास उपलब्ध नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) नेशनल टेस्ट हाउस, गाजियाबाद एक सरकारी संस्था है और उपरोक्ज जांच के लिये एन.ए.बी.एल. से पंजीकृत है। विद्युत निगम की जानकारी में स्वास्तिक कापर प्रा. लि. जयपुर किसी परीक्षण रिपोर्ट को जारी करने के लिए पंजीकृत नहीं है।

(5) जी हां। स्वास्तिक कापर प्रा. लि. जयपुर की उपलब्ध रिपोर्टस की प्रतिलिपियां संलग्न है तथा नेशनल टेस्ट हाऊस गाजियाबाद की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

**(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## बलदेवगढ़ ग्राम (अलवर) में स्वीकृत खनन लीज

**75. श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला कलक्टर, अलवर द्वारा ग्राम बलदेवगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर के खसरा नम्बर 473 में मार्बल खदान के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो किसको व कब? अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इसी ग्राम के इसी खसरा नम्बर पर अन्य अभ्यर्थियों ने भी मार्बल खदान प्रमाण-पत्र के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की थी? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा?

(3) क्या सरकार द्वारा अन्य अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया? यदि हां, तो किन-किन को व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब शेष अभ्यर्थियों को भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी हां। श्री प्रेम कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री मंगलराम निवासी ई-120, चमेली देवी पाटोदिया मार्ग, शास्त्री नगर, जयपुर को खनन पट्टा हेतु दिनांक 17.12.2004 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। इसी ग्राम में इसी खसरा नम्बर पर श्री कृष्ण अवतार शर्मा पुत्र श्री नारायण प्रसाद शर्मा, निवासी दौसा द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई थी।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी नहीं। प्रकरण राज्य स्तर पर परीक्षणाधीन है।

(4) खनन अनापत्ति हेतु प्रकरण के गुणावगुण के परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

**कार्यालय जिला कलक्टर, अलवर**

क्रमांक :प.राज/खनन/18/04/964-953 दिनांक 17-12-2004

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

यत: खनिज अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग अलवर द्वारा उनके पत्र क्रमांक खअ/अखा/121/04/526 दिनांक 5.8.04 के द्वारा श्री प्रेम कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री मंगतुराम खण्डेलवाल निवासी ई-120 चमेली देवी पाटोदिया मार्ग शास्त्रीनगर जयपुर का ग्राम बलदेवगढ़ तहसील राजगढ़ के आराजी ख.नं. 473 रकबा 0.672, 490 रकबा 3.328 है. कुल किसा 2 रकबा 4 हैक्टर चरागाह भूमि पर खनन कार्य हेतु अनापत्ति के लिए प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम की कुल गोचर भूमि 116.97 हैक्टर है। ग्राम की कुल पशु संख्या 1340 है। गौचर भूमि मौके पर खसरा नम्बर 490 खाली पड़त है तथा खसरा नम्बर 473 से कुछ रकबा खाली पड़त है। भूमि सरिस्का वन उद्यान से दूर है। प्रस्तावित भूमि आबादी से 1 किलोमीटर दूर है पशुओं के अनुपात में चरागाह भूमि कम होने पर तहसीलदार राजगढ़ द्वारा चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 6.50 हैक्टर सिवायचक में से 4.00 है. भूमि सिवायचक से चारागाह में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तावित की है।

ग्राम पंचायत के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।

इस कार्यालय के पत्र संख्या पराज/खनन/(18)04/8195 दिनांक 20.10.04 द्वारा प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग राज. जयपुर से खनन पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया।

शासन उप सचिव राजस्व-3 विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या प(334) राज/ग्रुप-3/04/जयपुर दिनांक 9.12.2004 द्वारा ग्राम वल्देवगढ़ तहसील राजगढ़ स्थित आराजी ख.नं. 473 रकबा 0.672 हैक्टर ख.नं. 490 रकबा 3.328 हैक्टर किस्म चरागाह में खनन पट्टा अनुदान हेतु अनापत्ति दिये

जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदत्त की गई है। चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम बदलेवगढ़ के आराजी ख.नं. 122 रकबा 6.50 हैक्टर सिवायचक में से 4.00 हैक्टर सिवायचक के चारागाह में आरक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत: उक्त आदेश के अनुसरण में ग्राम बदलेवगढ़ तहसील राजगढ़ के आराजी ख.नं. 473 रकबा 0.673 हैक्टर ख.नं. 490 रकबा 3.320 हैक्टर किस्म चारागाह पर श्री प्रेमकुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री मगतुराम खण्डेलवाल नि. ई-120, चमेली देवी पाटोदिया मार्ग शास्त्री नगर जयपुर को खनन कार्य हेतु निम्न शर्तो पर अनापत्ति प्रदान की जाती है। चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम बलदेवगढ़ के आराजी ख.नं. 122 रकबा 6.20 हैक्टर सिवायचक में से 4.00 हैक्टर सिवायचक से चरागाह में आरक्षित की जाती है।

1. खान कार्य से गांव की आबादी को खतरा नहीं होगा।
2. खनन के मलबे का बिखराब लीजडीड में वर्णित क्षेत्र से बाहर अन्य खसरा नम्बरों पर नहीं किया जावेगा।
3. खनन कार्य में परम्परागत रास्ते नदी नाले अवरोध नहीं होने चाहिये।
4. प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों/परिपत्रों में इस संबंध में कोई शर्त हो तो उनकी पालना करनी होगी।
5. खनन कार्य से वन जीवों को खतरा नहीं पहुंचे।

**ह.**

**जिला कलक्टर**

**अलवर**

## आमेर की क्षतिग्रस्त सड़कें

**76. श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर में अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों के नवीनीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आमेर की समस्त क्षतिग्रस्त सड़कों के पुन: डामरीकरण एवं मरम्मत का कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र आमेर के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कुल 197.61 कि.मी. सड़कें हैं। इनमें से वर्ष 2004-05 में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत 16.10 कि.मी. आर.एम.यू.पी. (प्रथम चरण) के अन्तर्गत 20.59 कि.मी. एवं वर्ष 2006-07 में आर.एम.यू.पी. (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत 11.75 कि.मी. सड़कों का नवीनीकरण कार्य किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006-07 में राज्य सड़क निधि आर.एम.यू.पी. (तृतीय चरण) के तहत 10.20 कि.मी. सड़कों का नवीनीकरण हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ-XII में आर.एम.यू.पी. (तृतीय चरण) योजना के तहत 4.2 कि.मी. सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है। इस वर्ष, वर्षा के कारण 40.35 कि.मी. सड़कों में साधारण मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जो दिनांक 15.10.2006 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है। शेष 94.42 कि.मी. सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

(2) जी हां। राज्य सड़क निधि आर.एम.यू.पी (तृतीय चरण) के अन्तर्गत 10.2 कि.मी. सड़कें नवीनीकरण हेतु स्वीकृत है। जो माह जून 2007 तक पूर्ण कर दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 4.2 किमी. सड़क लम्बाई आर.एम.यू.पी. (तृतीय चरण) के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XII में प्रस्तावित है। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण किये जाने सम्भव होंगे। 40.35 किमी. सड़कों में साधारण मरम्म्त कार्य दिनांक 15.10.2006 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

**परिशिष्ट ''क''**

**विधान सभा क्षेत्र आमेर में सा.नि.वि. के अन्तर्गत आर.एम.यू.पी. (फेज-तृतीय) में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित सड़कों की सूची**

| क्र. सं. | सड़क का नाम | सड़क की लम्बाई (किमी) | राशि (लाखों में) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एन.एच.-11 से जालसू वाया नांगलनाड़ी, राधाधिकशनपुरा (29/300 से 33/500) (मोडी से राधाकिशनपुरा किमी 0/0 से 4/200) | 4.200 | 25.200 | स्वीकृति अपेक्षित है। |
| | **योग :-** | **4.200** | **25.200** | |

## नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अधिगृहीत भूमि

*77.* **श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर विकास न्यास अलवर द्वारा पिछले पांच वर्षों में कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि न्यास द्वारा अधिगृहीत समस्त भूमि का कब्जा ले लिया गया? यदि नहीं, तो कितनी भूमि पर कब्जा नहीं लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कितनी संस्थाओं द्वारा न्यास से भूमि आबंटन हेतु आवेदन दिये गये और उसमें न्यास द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

**उत्तर**

(1) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा पिछले पांच वर्षों में अर्थात जनवरी, 2001 से आदिनांक तक निम्न योजनाओं में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

| योजना का नाम | धारा 4 अथवा 6 की दिनांक | कुल क्षेत्रफल (हैक्टर में) |
|---|---|---|
| वैशाली नगर विस्तार | धारा 6 दिनांक 26.05.2005 | 12.19 |
| अम्बेडकर नगर फेज-द्वितीय | धारा 6 दिनांक 12.08.2005 | 18.96 |
| 200 फुट रोड | धारा 6 दिनांक 24.04.2006 | 18.72 |
| मूर्तिकार योजना | धारा 6 दिनांक 31.08.2006 | 2.88 |
| अरावली विहार योजना | धारा 6 दिनांक 26.05.2005 | 46.04 |
| अरावली विहार विस्तार फेज-द्वितीय | धारा 4 दिनांक 20.07.2006 | 16.97 |

(2) जी नहीं। भाग संख्या 1 में वर्णित गत पांच वर्षों में सम्बन्धित योजनाओं में अवाप्ति संबंधी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। अतः अवार्ड अनुमोदन होने के उपरान्त ही कब्जा लिया जाना सम्भव होगा।

(3) इस अवधि में कुल 95 संस्थाओं द्वारा न्यास अलवर को आबंटन हेतु आवेदन किया। न्यास द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## शराब ठेकेदारों से बकाया वसूली

**78. श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शराब के ठेकेदारों पर कितनी-कितनी राशि (राजस्व) बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कितनी-कितनी राशि वसूल की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कोटा एवं बून्दी जिलों में भी उक्त ठेकेदारों में बकाया है? यदि हां, तो किन-किन में कितनी-कितनी व इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं?

**उत्तर**

(1) मदिरा के ठेकेदारों में दिनांक 31.08.2006 को राशि रुपये 156.70 करोड़ बकाया है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) मदिरा के ठेकेदारों से चालू वित्तीय वर्ष में वसूल की गयी बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। कोटा एवं बून्दी जिलों में मदिरा ठेकेदारों के विरुद्ध राजस्व बकाया चल रही है जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न सूची में अंकित है। मदिरा समूह कोटा-लाडपुरा-दीगोद-पीपल्दा वर्ष 1999-2001 की एकाकी विशेषाधिकार राशि में रही बकाया के संबंध में श्री आर.डी. मीणा तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, कोटा के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## पूर्व सैनिकों/शहीद आश्रितों को रोजगार हेतु आरक्षण

**79. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर** (महुआ) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व सैनिकों को रोजगार देने हेतु आरक्षण है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत? जिला करौली एवं दौसा में गत तीन वर्षों में कितने पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न युद्धों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को भी रोजगार में आरक्षण है? यदि हां, तो कितना?

(श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर)

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के आश्रितों को आरक्षण देने हेतु विभिन्न श्रेणियां बनाई गई हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधान के अनुसार अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा वर्ग में साढ़े 12 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा वर्ग में 15 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण निर्धारित है। करौली जिले में गत तीन वर्षों में इन नियमों के तहत 8 भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति दी गई है। दौसा जिले में किसी भूतपूर्व सैनिक को इन नियमों के तहत गत तीन वर्षों में नियुक्ति नहीं दी गई है।

(2) जी नहीं। परन्तु 1.4.1999 के पश्चात विभिन्न आपरेशनों में शहीद होने वाले सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है।

(3) जी हां। शहीद सैनिकों के आश्रितों को वेतन श्रृंखला 1 से 11 तक नियुक्तियां देने का प्रावधान किया हुआ है।

## गोविन्दगढ़-सैमलाखुर्द (अलवर) सड़क मार्ग का नवीनीकरण

80. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सम्पर्क सड़क गोविन्दगढ़ से सैमलाखुर्द (अलवर) की मरम्मत/नवीनीकरण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक उक्त सड़क की मरम्मत/नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त सड़क का नवीनीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

**उत्तर**

(1) जी हां। इस सड़क के नवीनीकरण हेतु आर.एम.यू.पी.-द्वितीय के अन्तर्गत विभाग द्वारा 7 कि.मी. लम्बाई में रुपये 23.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 22.10.2005 को जारी की गई थी।

(2) उक्त स्वीकृति के तहत अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

विभाग, खण्ड राजगढ़ द्वारा पैकेज बनाकर 11 कार्यों का जिसमें यह कार्य भी सम्मिलित है, कार्यादेश जारी किया गया था। संवेदक द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति नहीं करने के कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा संवेदक को नोटिस जारी किये तथा कार्य सम्पादन में विलम्ब के कारण राशि रुपये 2.73 लाख की शास्ति आरोपित की गई।

(3) नवीनीकरण का कार्य माह अक्टूबर 2006 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

## मौसमी बीमारियों की रोकथाम

**81. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में राजस्थान में चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू व मौसमी बीमारियों के कितने प्रकरण प्रकाश में आये तथा इनसे कितने व्यक्तियों की मौत हुई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में चल रहे चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू व मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) माह अगस्त एवं सितम्बर, 2006 में राजस्थान में चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू व मौसमी बीमारियों के रोगियों की एवं इससे हुई मृत्यु की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :-

| | **रोगियों की संख्या** | **मृत्यु की संख्या** |
|---|---|---|
| चिकनगुनिया | 0 | 0 |
| मलेरिया रोगी | 21746 | 20 |
| डेंगू | 251 | 06 |
| मौसमी बीमारी | | |
| (पीलिया) | 274 | 0 |
| (उल्टी-दस्त) | 8555 | 0 |

जिलेवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य में चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम से बचाव के लिये निम्न प्रयास किये गये जो निम्नानुसार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

मलेरिया की रोकथाम हेतु माह जनवरी, 2006 से ही मलेरिया कार्य योजना बनाकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी जिसके तहत समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। माह अप्रैल से 14 मई 2006 तक मलेरिया क्रैश कार्यक्रम का प्रथम चरण चलाया गया जिसमें संवेदनशील जिलों को प्राथमिकता के आधार पर वाहनों के संधारण एवं आवश्यक सामग्री क्रय हेतु आवश्यक बजट आबंटित किया गया। मलेरिया की रोकथाम हेतु डीडीटी स्प्रे कार्यक्रम का प्रथम चरण 15.5.2006 से प्रारम्भ कर 31 जुलाई, 2006 तक चलाया गया। डीडीटी स्प्रे का द्वितीय चक्र 01 अगस्त, 2006 से प्रारम्भ कर 15 अक्टूबर, 2006 तक जारी रहेगा, जिसके लिए दोनों चक्रों हेतु आवश्यक बजट विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रचार प्रसार, वाहन संधारण/पी.ओ.एल./सामग्री प्रदाय/संविदा व्यय (वाहन किराये पर लेने),/संविदा व्यय (मजदूरी) इत्यादि हेतु उपलब्ध हेतु कराया गया। जिलों को एन्टीलार्वल गतिविधियां जिसके तहत गम्बूसिया मछलियां, एम.एल.ओ., टेमीफोस  जल स्त्रोतों में डालने हेतु निर्देशित किया गया। माह जुलाई में स्थानीय स्तर पर मोबाईल दल गठित किये जाकर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बचाव कार्य करवाया गया। राज्य के 32 जिलों में माह अगस्त एवं सितम्बर, 2006 में कुल 18.49 लाख रक्त पट्टिकाओं का संचय कर जांच की गई है। जांच उपरान्त इक्कीस हजार सात सौ छियालीस (21746) मलेरिया रोगी पाये गये जिनमें से एक हजार पांच सौ सत्तावन (1557) पी.एफ. के रोगी पाये गये जिन्हें मौके पर ही इलाज हेतु आवश्यक दवाइयां दी गई हैं।

डेंगू बीमारी की रोकथाम से बचाव के लिए वर्ष के आरम्भ में ही कार्ययोजना बनाकर सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को रोकथाम हेतु मच्छरों के प्रजनन स्थलों पर लार्वासाइड डालने, घरों में पायरेथ्रम का छिड़काव करने, चिकित्सा दल द्वारा मौके पर पाये गये बुखार के रोगियों की रक्त पट्टिकाएं लेने एवं त्वरित उपचार करने हेतु निर्देशित किया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में चिकित्सा दल गठित की गई। रोग की रोकथाम हेतु आम जन को समाचार पत्रों के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम हेतु आवश्यक

जानकारी दी गई एवं राज्य सरकार के द्वारा रोगियों को डेंगू की जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

राजस्थान राज्य के समस्त जिलों के संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की मौसमी बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम बाबत समय-समय पर निदेशालय द्वारा परिपत्र जारी किये गये। जलशुद्धिकरण एवं नमूनीकरण की कार्यवाही समय रहते कराई जा रही है। नियमित बचाव व रोकथाम की कार्यवाही सभी जिलों में कराई जा रही है।

राज्य में वर्तमान में सभी जिलों में 498 मोबाइल टीम कार्यरत है जिसके द्वारा उपरोक्त सभी बीमारियों का घर-घर जाकर अथवा कैम्प के माध्यम से रोगियों का इलाज किया जा रहा है।

राज्य के 32 जिलों में उपरोक्त बीमारियों की मोनिटरिंग के लिये निदेशालय के अधिकारी नियमित रूप से जा रहे हैं तथा निदेशालय स्तर पर सभी बीमारियों की प्रतिदिन मोनिटरिंग की जा रही है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## तारांकित प्रश्न संख्या-82

**(स्थगित)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय का राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में विलय हेतु गठित समिति की सिफारिशें

**132. श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार पेंशन कल्याण निदेशालय को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त हेतु किसी कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो उस कमेटी में कौन-कौन सदस्य थे और उनके द्वारा क्या अनुशंसा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

## ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में जारी आवासीय पट्टों का पंजीयन

**133. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा जारी आवासीय पट्टों का उप पंजीयक/तहसील कार्यालय में पंजीयन करवाना अनिवार्य है? यदि हां, तो पट्टा जारी होने से कितने दिवस/माह में?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में समय-समय पर जारी आवासीय पट्टों में से अधिकांश पट्टाधारियों ने निर्धारित समय सीमा में पट्टों का पंजीकरण नहीं करवाया है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अवधि पार पट्टों का पंजीयन करवाने में आम ग्रामीणजन को आ रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए समाधान हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? तथा नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) ग्राम पंचायत द्वारा जारी आवासीय पट्टों का पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-17 के तहत तब अनिवार्य है जबकि पट्टे के अन्तर्गत अदा की जाने वाली प्रतिफल की राशि 100/- रुपये या इससे अधिक हो। पंजीयन अधिनियम की धारा-23 के तहत निष्पादन के चार माह में तथा धारा-25 के

तहत उक्त अवधि के पश्चात चार माह तक विलम्ब पंजीयन अधिकारी के द्वारा पैनल्टी लेकर किया जा सकता है।

(2) ग्राम पंचायतों के द्वारा आवासीय पट्टों का निष्पादन होकर पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-23 के अनुसार निष्पादन की दिनांक से चार माह की अवधि में तथा धारा-25 के अनुसार विलम्ब शुल्क का भुगतान करने पर निष्पादन की दिनांक से आठ माह की कुल अवधि में ही पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर पंजीयन करवाया जा सकता है। उक्त आठ माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात दस्तावेज का पंजीयन नहीं किया जा सकता। उक्त प्रावधानों में किसी प्रकार का परिवर्तन केन्द्र सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है क्योंकि पंजीयन अधिनियम, 1908 केन्द्रीय अधिनियम है जिसे केन्द्र सरकार ही संशोधित कर सकती है।

## राश्मी (चित्तौड़गढ़) के पुराने तहसील भवन का बालिका आवासीय छात्रावास हेतु आबंटन

134. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगानगर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सराकर द्वारा ग्राम राश्मी जिला चित्तौड़गढ़ के पुराने तहसील भवन को नजूल सम्पत्ति घोषित की गई है? यदि हां, तो इस भवन की वर्तमान में क्या स्थिति है तथा इसका क्षेत्रफल कितना है?

(2) क्या सरकार उक्त नजूल सम्पत्ति को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग चित्तौड़गढ़ (कस्तूरबा आवासीय बालिका छात्रावास भवन, राश्मी) को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। पुरानी तहसील भवन राश्मी वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा इसका क्षेत्रफल 15744 वर्गफीट है।

(2) उक्त पुरानी तहसील भवन राश्मी को शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

## बीयर फैक्ट्रियों द्वारा अपनाई जा रही तकनीक का जनमानस पर प्रभाव

135. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में उच्च तकनीक के आधार पर बीयर फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही हैं? यदि हां, तो गत दो वर्षों में स्वीकृत फैक्ट्रियों की प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्रियों में अपनाई जाने वाली तकनीक पर्यावरण व जन स्वास्थ्य के हित में है या नहीं, सम्बन्धी जांच की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है?

**उत्तर**

(1) राज्य में गत दो वर्ष में जयपुर जिले के ग्राम केशवाना में एक मात्र दीवानस मोडर्न ब्रेवरीज स्थापित हुई है। यद्यपि बीयर निर्माण की मूल प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। परन्तु इस इकाई में ऊर्जा की बचत हेतु की गई व्यवस्था के अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का अवशीतन संयंत्र तथा जर्मनी से आयातित बीयर बोटलिंग मशीन लगाई गई है। इकाई में Briggs of Burton (India) Pvt. Ltd. brigg of Burton PLC. UK की सब्सीडरी इकाई हैं से मशीनरी मंगाकर लगायी गई है।

(2) प्रश्न के भाग-1 के उत्तर में उल्लेखित इकाई की पर्यावरण दृष्टि से साइट क्लीयरेन्स राज्य के पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक प. 5(2) NOC/Env/2004 दिनांक 20.7.2005 द्वारा की गई थी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा भी इस बाबत सहमति पत्र दिनांक 26.08.2005 जारी किया गया था। इस इकाई द्वारा सहमति पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस इकाई में अपनाई जाने वाली तकनीक पर्यावरण व जन स्वास्थ्य के हित में नहीं होने की बात नहीं कही जा सकती।

## चारदीवारी क्षेत्र जयपुर की सीवर-लाइनें

**136. श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की चार दीवारी के अन्दर जो सीवर लाइन आज से 50-60 वर्ष पूर्व डाली गई थी, वह खराब/छोटी पड़ने लग गई है?

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि इन सीवर लाइनों से आमतौर पर सीवर का गन्दा पानी सड़क पर फैलता है?

(3) क्या सरकार ऐसी सीवर लाइनों को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि जयपुर शहर की चार दीवारी क्षेत्र की सीवर लाइन खराब/छोटी पड़ रही हैं या खराब हो गई हैं। कभीं-कभार सीवर लाइनों में रुकावट आ जाती है, जिसे तत्काल ठीक करवा कर, व्यवस्था सुचारु रूप से कर दी जाती है।

(2) यह सही है कि कभी-कभार कहीं-कहीं पर सीवर लाइन के अवरुद्ध हो जाने पर सीवर का पानी सड़क पर आ जाता है, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर सीवर कर्मियों द्वारा तत्काल ठीक कर व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाता है।

(3) वर्तमान में जयपुर शहर की चार दीवारी की सीवर लाइनों की क्षमता को देखते हुए इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए सीवर लाइनों के सुदृढीकरण हेतु जवार लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युअल मिशन के अन्तर्गत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई जा रही है।

## मण्डावा में विरासत संरक्षण
## योजनान्तर्गत व्यय राशि

137. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मण्डावा, जिला झुंझुनूं की नगरपालिका मण्डवा द्वारा विरासत संरक्षण योजना के तहत 19 पर्यटक स्थलों को चिन्हित किया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि विरासत संरक्षण योजना के तहत नगरपालिका मण्डावा को 55.00 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त राशि का उपयोग चिन्हित किये गये पर्यटक स्थलों के संरक्षण हेतु किया गया? यदि नहीं, तो उक्त राशि का क्या उपयोग किया गया?

(3) क्या खर्च की गई राशि विरासत संरक्षण की मूल भावना के तहत खर्च की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरू खान)

(4 क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावा जिला झुंझुनूं की नगर पालिका मण्डावा द्वारा विरासत संरक्षण योजना के तहत वर्ष 1993-94 में 17 पर्यटक स्थलों को चिन्हित किया गया था।

(2) जी हां। उक्त राशि का उपयोग चिन्हित किये गये पर्यटक स्थलों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार की विरासत संरक्षण योजना हेतु जारी मार्ग निर्देशिका के तहत एवं उसके अनुरूप ही किया गया है। समस्त राशि जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत कार्यों पर ही व्यय की गई है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। शेष भाग का उत्तर बिन्दु सं. 3 में निहित है।

## जयपुर नगर निगम क्षेत्र के गिराऊ/जीर्ण-शीर्ण आवासीय भवन

**138. श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर (परकोटे) में जयपुर नगर निगम के कितने वार्ड हैं तथा यह किन-किन आयुक्तों के अधीन हैं? आयुक्त/जोनवार वार्ड संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें। जयपुर शहर (परकोटे) में जयपुर नगर निगम के अधीन वार्डों में कितने मकान रियासत कालीन हैं? इन रियासत कालीन मकानों में कितने मकान जीर्ण-शीर्ण व गिराऊ हालात में हैं? जोनवार/वार्ड वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका अधिनियम, 1959 में ऐसे मकानों में जान-माल की हानि को बचाने के लिये कोई प्रावधान है? यदि हां, तो निगम द्वारा इस पर क्या विधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 56 एवं 57 में कितने मकान जीर्ण-शीर्ण व गिराऊ हालात में हैं? क्या इन मकानों से किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि न हो इस बाबत निगम द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(श्री हीरालाल)

(4) क्या यह सही है कि आयुक्त, हवामहल (पूर्व), जयपुर नगर निगम को वार्ड संख्या 57 के रियासत कालीन जीण-शीर्ण व गिराऊ मकान संख्या 2121 की दिनांक 9 सितम्बर, 2003 प्राप्ति सं. एवं दिनांक 618/एचएच-2/ई/14 जून, 2004 एवं जिला कलक्टर, जयपुर कार्यालय से आम जनता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इस पर निगम द्वारा क्या विधिक प्रक्रिया अपनाई गई?

(5) क्या निगम उक्त मकान को जनहित में गिरना का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) परकोटे के अन्दर जयपुर नगर निगम के आयुक्त, हवामहल जोन ''पूर्व'' के अधीन कुल 8 (44,45,46,47,50,55,56 एवं 57) वार्ड तथा आयुक्त हवामहल जोन ''पश्चिम'' के अधीन कुल 9 (39,40,41,42,43,58,59,60 व 61) वार्ड है। जयपुर नगर निगम द्वारा रियासत कालीन मकानों का कोई सर्वे नहीं कराया गया है। जयपुर शहर के परकोटे में वार्डवार कुल मकानों की संख्या सूची परिशिष्ट ''अ'' पर तथा इन मकानों में से जीर्ण-शीर्ण व गिराऊ हालात के मकानों की वार्ड वाइज सूची परिशिष्ट-''ब'' संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 200 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाते हैं एवं प्रावधानानुसार ही निगम द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। नियम की प्रति परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(3) वार्ड नं. 56 व 57 के जीर्ण-शीर्ण एवं गिराऊ हालत के मकानों की सूची परिशिष्ट- ''ब'' संलग्न है। इनके मकान मालिकों व किरायेदारों को नियमानुसार मकान की मरम्मत/गिराने हेतु नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 200 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं।

(4) जी हां। दिनांक 09.09.2003 व 618/एच.एम. 2/ई/14.06.2004 के पत्र आयुक्त, हवामहल जोन पूर्व को प्राप्त हुए थे, किन्तु जिला कलक्टर कार्यालय से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र प्राप्ति पर मकान मालिक व किरायेदारों को मकान की मरम्मत/गिराये जाने बाबत नोटिस जारी किया गया, जिसके जवाब में अवगत कराया गया कि मकान मालिक तथा किरायेदारों के बीच दो वाद न्यायालय में विचाराधीन है। नगर निगम के अभियन्ता की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार उक्त मकान गिराऊ स्थिति में नहीं है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(5) उक्त मकान मरम्मत तलब है, जिसकी मरम्मत भवन स्वामी/किरायेदारों के द्वारा कराई जानी है। निगम अभियन्ता की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार मकान गिराऊ स्थिति में नहीं होने से फिलहाल नगर निगम स्तर पर इसको गिराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रकरण में किरायेदारों तथा मकान मालिक के बीच दो वाद भी न्यायालय में विचाराधीन है।

**(सूची व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जयपुर की कृष्णा नगर, आवासीय योजना के शेष पट्टाधारियों को भू-खण्ड आबंटन

139. **श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कृष्णा नगर, विद्याधर नगर, खसरा नं. 27, बीड़ सरकारी में स्थित है? यदि हां, तो योजना का स्वीकृत नक्शा सदन की मेज पर रखें। क्या इस योजना का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन शिविर आयोजित किया गया है? यदि हां, तो इसमें कितने आबंटन पत्र जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि खसरा नं. 27 बीड़ सरकारी को अवाप्त कर आर्मी वेलफेयर हाऊसिंग संगठन को प्राधिकरण द्वारा आबंटित किया गया है, किन्तु खातेदार एवं पट्टेदार द्वारा मुआवजा नहीं लेने के कारण इस भू-भाग के एवज में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग संगठन को अन्यत्र भूमि आबंटित कर दी गई है? यदि हां, तो कितनी व किस स्थान पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या खसरा नं. 27, बीड़ सरकारी के कुछ भू-भाग पर आर्मी वेलफेयर हाउसिंग संगठन ने कब्जा कर आवास बना लिये हैं? यदि हां, तो इसके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार कृष्णा नगर के शेष बचे भू-खण्ड धारियों को जिनके पास सोसायटी का आबंटन पत्र है, पट्टे दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कृष्ण नगर ग्राम बीड सरकारी के खसरा नम्बर 27 में स्थित है। योजना के स्वीकृत मानचित्र की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। जी हां, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना का नियमन शिविर आयोजित किया गया है। उक्त योजना में आबंटन पत्र जारी नहीं किये गये हैं अपितु भूखण्डों की लीज डीड जारी की गई है। जिसकी सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम बीड़ सरकारी के खसरा नम्बर 27 को अवाप्त किया गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विद्याधर नगर योजना में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग संगठन को खसरा नं. 26 व 27 की भूमि में से विद्याधर नगर में 4862.08 वर्गमीटर भूमि आबंटित की गई है। इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ए.डब्ल्यू.एच.ओ. विद्याधर नगर योजना के सेक्टर 1, 2 एवं 7 में 44052 वर्गमीटर भूमि आबंटित की गई है। खातेदार/पट्टेदार को स्वामित्व संबंधी विवाद होने के कारण मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया। खातेदार को मुआवजा राशि भुगतान व आर्मी वेलफेयर हाउसिंग संगठन को भूमि आबंटन में कोई संबंध नहीं है।

(3) जी नहीं। खसरा नम्बर 27 में कुल भाग को सम्मिलित करते हुए ए.डब्ल्यू.एच.ओ. को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 4862.08 वर्गमीटर भूमि का विधिवत आबंटन किया गया है। जिसकी लीज डीड दिनांक 31.09.2000 को जारी की जा चुकी है।

(4) जी हां। कृष्णा नगर के शेष भूखण्डधारियों को अनुमोदित मानचित्र के अनुसार भूखण्डों की लीज डीड नियमानुसार आवेदन करने पर जारी की जा रही है।

**(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के सर्वे पर व्यय

**140. श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं का वास्तुविदों से सर्वे कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो कितने

(श्री संयम लोढ़ा)

बीघा भूमि का सर्वे कार्य कौन-कौनसी योजनाओं में करवाया गया? किस-किस वास्तुविद द्वारा उक्त कार्य किया गया तथा उक्त कार्य हेतु किस-किस दर से अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सर्वे कार्य हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये? यदि नहीं, तो क्यों एवं भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में उक्त कार्य हेतु सर्वेयर, इंजिनियर, ट्रेसर, ड्राफ्ट्समेन, अमीन इत्यादि उपलब्ध हैं? यदि हां, तो वास्तुविदों से उक्त कार्य करवाये जाने के कारण क्या हैं?

**उत्तर**

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन योजनाओं का सर्वे कराया गया है उसकी सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। सर्वे का कार्य हेतु वास्तुविदों को दिये जाने वाले भुगतान की निर्धारित दर परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है। वास्तुविदों को की गई भुगतान की सूची परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रशासनिक स्तर पर वास्तुविदों/ नगर नियोजकों से विचार विनिमय कर एवं तत्समय समयबद्ध रूप से कार्य सम्पादित कराने के उद्देश्य से आदेश क्रमांक एफ-14 (26)जविप्रा/संस्था/98 दिनांक 15.02.2002 द्वारा सर्वे कार्य हेतु दरें निर्धारित की गई थी। इसके पश्चात पुन: कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के नियमन कार्य को गति प्रदान करने के लिए वास्तुविदों/नगर नियोजकों द्वारा सर्वे कार्यों हेतु उक्त आदेश के अनुरूप ही दरों को यथावत रहते हुए प्राधिकरण द्वारा आदेश एफ. 14 (26) जविप्रा/संस्था/98 दिनांक 09.05.2006 जारी किया गया था। वर्तमान में इन आदेशों के अनुरूप ही सर्वे कार्य का भुगतान किया जा रहा है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण में इंजिनियर, ट्रेसर, ड्राफ्टसमेन, अमीन उपलब्ध है, लेकिन सर्वे का कार्य इनसे सम्बन्धित नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण में केवल दो ही सर्वेयर कार्यरत हैं तथा कार्य की अधिकता तथा क्षेत्र की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए सर्वे का कार्य वास्तुविदों/नगर नियोजकों से करवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

**(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## अतारांकित प्रश्न संख्या-141

## (स्थगित)

## जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गठित ट्रैफिक कण्ट्रोल बोर्ड में सलाहकार के पद पर नियुक्ति

**142. श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड का गठन किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा किस नियम के तहत एवं किसके आदेश से? नियम व आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड में कितने सदस्य हैं तथा उक्त बोर्ड का कार्य क्या है? सदस्यों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004 से अगस्त, 2006 तक उक्त बोर्ड में कुल कितनी, किस नियम तथा आदेशों के तहत राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त बोर्ड के सलाहकार पद हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो उक्त पद का माहवार वेतन क्या है तथा यह वेतन किसके द्वारा भुगतान किया जाता है? उक्त अधिकारी का नाम तथा किस पद से सेवानिवृत्त है, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अधिकारी की नियुक्ति किस नियम के तहत की गई तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त अधिकारी को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई तथा उन सुविधाओं पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त अधिकारी का क्या कार्य है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण को उक्त अधिकारी से क्या लाभ मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-13 की उप धारा-1 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण कन्ट्रोल बोर्ड के गठन का प्रावधान है। प्रति परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है। ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड के गठन के आदेश की प्रति अनुपलब्ध है।

(2) ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड में अध्यक्ष सहित 13 सदस्य हैं तथा 2

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है। बोर्ड के कार्यकलाप परिशिष्ट ''2'' पर संलग्न है एवं सदस्यों के नाम परिशिष्ट ''3'' पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2004 से अगस्त 2006 तक जयपुर ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक में लिये निर्णय की पालना से रुपये 65,33,122/- की राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास आयुक्त के अनुमोदन के उपरान्त व्यय की गई। व्यय का विवरण परिशिष्ट ''4'' पर संलग्न है।

(4) जी हां। ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड के सलाहकार के पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त किया गया है। जिनका माहवार वेतन रुपये 15000/- है। वेतन का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। जिनका नाम श्री शंकर सुरोलिया है तथा वे महानिरीक्षक पुलिस के पद से सेवानिवृत्त है।

(5) इनकी नियुक्ति ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड की 43वीं बैठक दिनांक 31.05.2005 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में गठित सड़क सुरक्षा हेतु सुझाव देने वाली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 30.09.2005 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में की गई है। सलाहकार ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड को अनुबन्धित एक वाहन उपलब्ध करवाया गया है जिस पर माह अप्रैल, 2006 से अब तक राशि रुपये 24355/- का व्यय किया गया है। टेलीफोन पर मार्च, 2006 से अगस्त, 2006 तक राशि रुपये 11603/- व्यय किया गया है।

(6) श्री शंकर सुरोलिया सेवानिवृत्त महानिरीक्षण पुलिस के कार्यकाल में वर्ष 2006 का सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान ड्राईविंग लर्निंग लाइसेंस जारी कराने से पूर्व ''टच स्क्रीन कम्प्यूटर'' के माध्यम से परीक्षा लेने की पद्धति को लागू किया गया। ट्रान्सपोर्ट नगर में देहली रोड पर 'स्टेज केरिज' बसों के लिए बस स्टेण्ड को सुचारू रूप से प्रारम्भ करवाया गया। जयपुर शहर के यातायात के प्रबन्धन के लिये एरिया ट्रैफिक कन्ट्रोल सिस्टम को देहली व पूना इस प्रकार के सिस्टम का अध्ययन करके उसको जयपुर में प्रमुख मार्गों पर लागू करने का कार्य प्रारम्भ करवाया गया।

इसके अतिरिक्त जयपुर ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड के लिये गये निर्णयों की पालना का समन्वय तथा ट्रैफिक से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के बाबत समन्वय एवं सलाह देने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## शहीद भगतसिंह पार्क, आदर्श नगर (जयपुर) में लैण्ड स्कैपिंग कार्य

**143. श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहीद भगत सिंह पार्क, राजापार्क (आदर्श नगर) में लैण्ड स्केपिंग का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्य पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है? यदि नहीं, तो यह कार्य किस अधिकारी के आदेश से तथा किस अधिकारी के अधीन किया जा रहा है? अधिकारी का नाम व पदनाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पार्क किस विभाग के अधीन आता है तथा उक्त कार्य पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय की गई राशि का समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। शहीद भगतसिंह पार्क, राजापार्क, (आदर्श नगर) से लैण्ड स्केपिंग एवं विकास कार्य पर अब तक रुपये 3.04 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

(2) जी नहीं। महापौर, नगर निगम, जयपुर की सहमति पर जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, प्रोजेक्ट एवं वर्क्स कमेटी की स्वीकृति के उपरान्त जोनल अभियन्ता (उद्यान), श्री देवेन्द्र गुप्ता के अधीन उक्त कार्य किया जा रहा है।

(3) उक्त पार्क नगर निगम, जयपुर के क्षेत्राधिकार में आता है एवं उक्त पार्क पर व्यय की जाने वाली राशि का समायोजन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, जयपुर को देय विभिन्न मदों में देय राशि में से किया जाएगा।

## जयपुर शहर की विभिन्न आवासीय कालोनियों के नियमन हेतु लम्बित प्रकरण

**144. प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर की विभिन्न आवासीय कालोनियों का नियमितीकरण करने हेतु प्रकरण सरकार को प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो किन-किन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राज्य सरकार को कब-कब प्रेषित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अब कब तक इन योजनाओं पर निर्णय ले लिया जावेगा?

**उत्तर**

(1) जी हां। जोनवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं में अवाप्त भूमि/राजकीय भूमि अथवा जिनमें आवासीय एवं सुविधा क्षेत्र निर्धारित अनुपात में नहीं, उनके सम्बन्ध में निर्णय विचाराधीन है। उक्त निर्णय उपरान्त कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## हिण्डौली की सिंचाई परियोजना क्षेत्र की असिंचित भूमि का गजट नोटिफिकेशन

**145. श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अन्तर्गत मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना में निर्मित जिस भूमि में बांध के निर्माण से आज तक पानी नहीं पहुंचा, उसे सरकार द्वारा असिंचित घोषित करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय के अनुरूप सिंचित से असिंचित घोषित किये गये खसरा नम्बरान का मजरा नोटिफिकेशन किया जाना था और उसके सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो वह किस तिथि को गजट नोटिफिकेशन किया जाना था और किस तिथि के गजट में प्रकाशित किये गये? यदि अभी तक प्रकाशित नहीं किये गये तो क्यों और अब कब तक प्रकाशित कर दिये जायेंगे?

**उत्तर**

(1) जी हां। दिनांक 6.1.2006 की अधिसूचना में उपनिवेशन अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया है। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) अधिसूचित होने वाली सूचना अति विस्तृत (लगभग 622 पृष्ठ) होने से संरचना कार्यवाही प्रगति पर है। अति शीघ्र प्रकाशित कर दी जायेगी।

**राजस्थान सरकार**

**राजस्व (उपनिवेशन) विभाग**

क्रमांक : एफ 19(73)उप/05 जयपुर, दिनांक 6.1.06

**अधिसूचना**

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1994 (राजस्थान अधिनियम सं. 27, सन-1954) की धारा-4, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्न क्षेत्र की संलग्न सूची के अनुसार तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से एतद्द्वारा प्रत्याहृत करती है।

संलग्न- सूची अनुसार।

आज्ञा से,
सूरजभान मीणा
शासन उप सचिव

## जैसलमेर जिले व बाड़मेर में पटवारियों के रिक्त पद

**146. श्री जालम सिंह रावलोत** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्तमान में बाड़मेर व जैसलमेर जिले में पटवारियों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

वर्तमान में बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में क्रमशः 118 एवं 29 पटवारियों के पद रिक्त हैं। पटवारियों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## जहाजपुर तहसील (भीलवाड़ा) के ग्रामों का देवली तहसील (टोंक) में स्थानान्तरण

**147. श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील की ग्राम पंचायत ऊंचा, टीकड़, धुंवाला एवं अमरवासी की भौगोलिक परिस्थितियों, संस्कृति, भाषा, रहन-सहन टोंक जिले की देवली तहसील में भिन्न होते हुए भी जन भावनाओं के विपरीत भीलवाड़ा जिले से टोंक जिले की देवली तहसील में मिलाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इन ग्राम पंचायतों को टोंक जिले की देवली तहसील में मिलाने के क्या कारण एवं औचित्य है?

**उत्तर**

जी नहीं। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील की ग्राम पंचायत टीकड़, धुवाला एवं अमरवासी को टोंक जिले में मिलाये जाने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केवल मात्र ग्राम पंचायत पचार के 6 राजस्व ग्रामों, जो टोंक जिले की नगर पालिका, देवली के मास्टर प्लान (1998-2023) में सम्मिलित है के कारण, जिला टोंक की तहसील देवली में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

## सांगावास/कानूजा ग्राम (पाली) के आम रास्तों पर अतिक्रमण

**148. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सांगावास, पंचायत समिति जैतारण में सांगावास से गांव-निमाज जाने वाले आम रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो अतिक्रमियों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण को हटवाने बाबत क्षेत्रीय आम जनता, जनप्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 1998, 1999, 2001 तथा 2005 के दौरान उपखण्ड अधिकारी, जैतारण व जिला कलक्टर पाली को शिकायती पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

(3) ग्राम पंचायत-कानूजा, जिला पाली में कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि पर अतिक्रमण किन-किन के द्वारा किया गया? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) पाली जिले के तहसील क्षेत्र रायपुर के ग्राम पं. कानूजा के ग्राम कानूजा एवं चक दीपावास में क्रमश: 102 बीघा 15 बिस्वा, 02 बीघा सरकारी भूमि पर कुल 21 अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमियों की नामजद सूची परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(4) अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के अन्तर्गत कार्यवाही पर अतिक्रमण हटवा दिये गये हैं।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## महुआ (दौसा) में राजस्व अपीलान्ट अथोरिटी का कैम्प

**149. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर** (महुवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व अपीलान्ट अथोरिटी का कैम्प दौसा जिले की विभिन्न तहसीलों में लगता है?

(2) यदि यह भी सही है कि उक्त कैम्प दो दिन बांदीकुई में लगाया जाता है जिसमें महुआ के राजस्व मुकदमों का निपटारा किया जाता है?

(3) क्या सरकार उक्त कैम्प एक दिन बांदीकुई में व एक दिन महुवा में लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। परन्तु भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर एवं पदेन राजस्व अपीलान्ट अथोरिटी जिला दौसा का कैम्प कोर्ट जिला मुख्यालय दौसा एवं उपखण्ड मुख्यालय बांदीकुई पर सप्ताह में क्रमश: 3 दिन एवं एक दिन लगता है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। खण्ड एक के अनुसार प्रत्येक सप्ताह में सोमवार को केवल एक दिन व बांदीकुई मुख्यालय पर कैम्प कोर्ट लगता है, जिसमें अन्य तहसील क्षेत्र के अतिरिक्त तहसील महुवा के मुकदमों का भी निपटारा किया जाता है।

(3) जी नहीं। कैम्प कोर्ट बांदीकुई में तहसील क्षेत्र महुआ का केवल मात्र एक ही प्रकरण विचाराधीन है।

## मारवाड़ जंक्शन ग्राम (पाली) की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

**150. डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मारवाड़ जंक्शन (जिला-पाली) में खातेदारान द्वारा खसरा नं. 612-613 सरकारी भूमि पर अतिरिक्त रूप से कब्जा करने पर जिला कलक्टर को शिकायतें की गई है? यदि हां, तो किन-किन द्वारा? प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में किन-किन अधिकारियों द्वारा जांच की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जांच रिपोर्टों में भिन्नता पाई गई? यदि हां, तो किन-किन कारणों से तथा कौन-सी रिपोर्ट सही मानी गई? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) ग्राम मारवाड़ जंक्शन के ख.नं. 612 व 613 राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदारी भूमि है न कि सरकारी। इस भूमि को सरकारी भूमि मानते हुए श्री निशार अहमद कुरैशी, उपाध्यक्ष, राज. राज्य विकास संस्थान इकाई, मारवाड़ जंक्शन एवं श्री ओम प्रकाश दगदी, सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा शिकायतें की गई। उक्त दोनों शिकायतों की जांच तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारियान का दल गठित कर जांच करवाई गई।

(2) उक्त प्रकरण में केवल मात्र तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन द्वारा की जांच की गई है। जिसकी (प्रति संलग्न) है।

(3) बिन्दु संख्या-2 के अनुसार केवल मात्र एक ही जांच रिपोर्ट होने से भिन्न्ता होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## तारानगर (चूरू) के चिकित्सालयों में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाएं

**151. डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में वर्ष 2004 के पश्चात राजकीय चिकित्सालयों में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवाई गई? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त चिकित्सालयों में आगामी वर्ष में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालयों में कौन-कौन से उपकरण कब-कब से किन कारणों से खराब पड़े हैं तथा उन्हें कब तक ठीक करवा दिया जायेगा?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वित्तीय वर्ष 2004-05 से उपलब्ध करायी गई सुविधाओं का चिकित्सा संस्थानवार विवरण (परिशिष्ट अ) पर उपलब्ध है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तारानगर को सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरे जाने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है एवं अतिरिक्त निश्चेतन विशेषज्ञ का पद तथा 2 स्टाफ नर्स के अतिरिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरा जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तारानगर को चिकित्सालय प्रभारी की मांग के अनुसार निम्नांकित उपकरण एवं फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

| उपकरण/फर्नीचर के नाम | मात्रा |
|---|---|
| 100 एम.एम. एक्सरे मशीन | 1 |
| आपरेशन टेबिल लाइट (मोबाइल), | 1 |
| इन्सट्रूईमेंट स्टेरलाइजर | 3 |

( चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

| | |
|---|---|
| गायनी इलेक्ट्रीक कोटरी | 1 |
| स्टील कपबोर्ड | 4 |
| वूडन टेबल | 5 |
| कुर्सियां | 4 |
| प्रसव टेबल | 2 |
| इमरजेन्सी टेकोवर ट्रोली | 3 |
| लोहे के पलंग | 5 |
| बैडसाइड लोकर | 5 |
| अटेन्डेन्ट स्टूल | 10 |
| अटेन्डेन्ट बेन्च | 5 |
| मेडिसिन केबिनट | 8 |

(3) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तारागनर के सभी उपकरण ठीक एवं कार्यरत हैं।

तारानगर विधान सभा क्षेत्र में आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में खराब पड़े उपकरणों का विवरण (परिशिष्ट ब) पर उपलब्ध है। इन खराब पड़े में से मरम्मत योग्य उपकरणों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वीकृत 25 हजार रुपये से शीघ्र ठीक कराया जा सकेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु प्रयास

**152. श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खाने-पीने की चीजों में मिलावट की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जिलेवार भौतिक लक्ष्य आबंटित नहीं किए गए तथा उपलब्धियां भी नगण्य रही हैं? यदि हां, तो मिलावट की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में मिलावट के विरुद्ध प्रभावी

(श्री रामनारायण मीणा)

अभियान चलाने तथा पर्याप्त संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने में आ रही दिक्कतों का मुख्य कारण पर्याप्त संख्या में स्टाफ का नहीं होना तथा अनेक पदों का रिक्त होना भी है? यदि हां, तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है?

(3) क्या सरकार खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण रोकने के लिए कृतसंकल्प है? यदि हां, तो किस प्रकार से तथा नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जिले में कार्यरत नोटिफाइड स्वास्थ्य निरीक्षक को प्रतिवर्ष 100 नमूने लेने का लक्ष्य आबंटित किया गया है। यह सही नहीं हैं, कि उपलब्धि नगण्य है, क्योंकि वर्ष 2005 में 2189 नमूने जांच हेतु दिए गए जिनमें से 475 मिलावट/मिसब्राण्डेड पाए गए तथा जनवरी 2006 से अगस्त 2006 तक 1144 नमूने जांच हेतु लिए गए जिनमें से 104 मिलावट/मिसब्राण्डेड पाए गए। मिलावटी पाए जाने वाले नमूनों के चालान कोर्ट में पेश किए जाते हैं। मिलावट की रोकथाम हेतु विभाग में कार्यरत नोटिफाइड स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करना तथा आवश्यकता पड़ने पर पी.एफ.ए. एक्ट के तहत नमूनीकरण का कार्य करते हैं। विभाग द्वारा समय समय पर विशेष अभियान भी आयोजित किये जाते हैं।

(2) विभाग में वर्तमान में 29 नोटिफाइड स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें खाद्य शक्तियां प्रदत्त हैं। 8 जिलों में पद रिक्त हैं, किन्तु विभाग द्वारा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उप खण्ड से उसके क्षेत्र का नमूनीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही जिला अलवर व भरतपुर के पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थापित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को संबंधित पंचायत समिति के समस्त क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया गया है।

(3) जी हां। सरकार खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण रोकने हेतु कृतसंकल्प है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण के साथ-साथ प्रचार-प्रसार के माध्यम से विक्रेताओं/निर्माताओं के विरुद्ध आमजन को जागरुक किया जाता है तथा खाद्य पदार्थों को मौके पर ही टैस्ट कर लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों के बारे में बताया जाता है।

## फलासिया के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

153. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाडोल एवं कोटड़ा में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं परन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के पद रिक्त नहीं हैं।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा एवं चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पद को जिला स्तर पर भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

## रामगंजमण्डी के भवन रहित स्वास्थ्य केन्द्र

154. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र व उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने उप केन्द्रों पर भवन का अभाव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के अन्तर्गत 44 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनका विवरण परिशिष्ट –अ पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में 4 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं। जिनमें से 2 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2006-07 में जारी की जा चुकी है विवरण निम्न प्रकार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

| | |
|---|---|
| 1. उप स्वास्थ्य केन्द्र मण्डा | वित्तीय वर्ष 2006-07 में स्वीकृति जारी |
| 2. उप स्वास्थ्य केन्द्र अरनियाकलां | वित्तीय वर्ष 2006-07 में स्वीकृति जारी |
| 3. उप स्वास्थ्य केन्द्र सालेडाकलां | |
| 4. उप स्वास्थ्य केन्द्र लरवारिया | |

**परिशिष्ट-अ**

**विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के अन्तर्गत आने वाले**

**उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची**

1. उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोराबास
2. उप स्वास्थ्य केन्द्र, कसार
3. उप स्वास्थ्य केन्द्र, रानपुर
4. उप स्वास्थ्य केन्द्र, सहरावदा
5. उप स्वास्थ्य केन्द्र, पीपल्दा
6. उप स्वास्थ्य केन्द्र, लखारिया
7. उप स्वास्थ्य केन्द्र, कुम्भलकोट
8. उप स्वास्थ्य केन्द्र, उण्डवा
9. उप स्वास्थ्य केन्द्र, पीपाखेड़ी
10. उप स्वास्थ्य केन्द्र, मोयन्दा
11. उप स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डा
12. उप स्वास्थ्य केन्द्र, खैराबाद
13. उप स्वास्थ्य केन्द्र, सालेडाखुर्द
14. उप स्वास्थ्य केन्द्र, कुदायल
15. उप स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ोदिया
16. उप स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुरा
17. उप स्वास्थ्य केन्द्र, कूकडाखुर्द
18. उप स्वास्थ्य केन्द्र, धायपुरा
19. उप स्वास्थ्य केन्द्र, जगपुरा
20. उप स्वास्थ्य केन्द्र, रीछडिया
21. उप स्वास्थ्य केन्द्र, धरनावदा

22. उप स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर
23. उप स्वास्थ्य केन्द्र, हाथियाखेड़ी
24. उप स्वास्थ्य केन्द्र, खेडली
25. उप स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीपुरा
26. उप स्वास्थ्य केन्द्र, आलोद
27. उप स्वास्थ्य केन्द्र, सालेडाकलां
28. उप स्वास्थ्य केन्द्र, सातलखेड़ी
29. उप स्वास्थ्य केन्द्र, खीमच
30. उप स्वास्थ्य केन्द्र, सलावदखुर्द
31. उप स्वास्थ्य केन्द्र, हीरियाखेड़ी
32. उप स्वास्थ्य केन्द्र, देवलीकलां
33. उप स्वास्थ्य केन्द्र, घाटोली
34. उप स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहरपुरा
35. उप स्वास्थ्य केन्द्र, गादिया
36. उप स्वास्थ्य केन्द्र, देवलीखुर्द
37. उप स्वास्थ्य केन्द्र, अरनियाकला
38. उप स्वास्थ्य केन्द्र, रावठा
39. उप स्वास्थ्य केन्द्र, आलनियाकेवलनगर
40. उप स्वास्थ्य केन्द्र, भंवरिया
41. उप स्वास्थ्य केन्द्र, काल्याखेड़ी
42. उप स्वास्थ्य केन्द्र, धर्मपुरा बंधा
43. उप स्वास्थ्य केन्द्र, डोलिया
44. उप स्वास्थ्य केन्द्र, मादलिया

## बीकानेर जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र रहित ग्राम

**155. श्री गोविन्द राम मेघवाल** (नोखा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला बीकानेर के जिन ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, वहां नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मादपण्डानुसार रेगिस्तानी क्षेत्र में 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। इसके तहत बीकानेर जिले में वर्तमान में 82 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है।

आगामी वित्तीय वर्षों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर बीकानेर जिले में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

## गंभीर रोगों के निदान हेतु राज्य कर्मी/पेंशनर्स हेतु निजी चिकित्सालयों की सुविधा

**156. श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमंद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सेवारत राज्य कर्मचारियों की भांति सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भी समान रूप से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पेंशनरों को आंख के लिए लैंस तथा श्रवण यंत्र के लिए अधिकतम कितनी राशि स्वीकृत की जाती है एवं उसको प्राप्त करने के लिये उसे क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है?

(3) पेंशनरों को हृदय बाई पास शल्यक्रिया तथा हृदय रोग से संबंधित उपचार राज्य के राजकीय चिकित्सालयों (सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर सहित) में तथा चिकित्सा बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य से बाहर मान्यता प्राप्त या अमान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कराने पर चिकित्सा व्यय की कितनी राशि तक पुनर्भरण किया जाता है?

(4) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की सामान्य वार्ड या प्राइवेट वार्ड की क्या-क्या दरें हैं? जिसके अनुसार पेंशनर्स को चिकित्सा व्यय राशि का पुनर्भरण किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से रोगियों को कौन सी जांच/परीक्षण सुविधा किस-किस दर पर उपलब्ध है तथा इनके लिए कौन-कौन से उपकरण/मशीनें उपलब्ध हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बंशीलाल खटीक)

(6) क्या सरकार केन्द्र सरकार की भांति जयपुर में विभिन्न रोगों के उपचार हेतु कुछ प्रमुख चिकित्सालयों यथा, सन्तोकबा दुर्लभजी, टोंग्या हार्ट अस्पताल, सोनी अस्पताल, भगवान महावीर केन्सर चिकित्सालय आदि को सवाई मानसिंह चिकित्सालय में दिन-प्रतिदिन रोगियों की संख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुये मान्यता देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार के पेंशनर्स को दवाइयां इनके लिए अधिकृत उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित दुकानों से एक निर्धारित राशि सीमा तक नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। सेवा निवृत्त भर्ती कर्मचारियों को दवाइयां मांग पत्र प्राप्त होने पर नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं, एवं जांचे भी नि:शुल्क की जाती हैं। राज्य के पेंशनर्स को उपलब्ध कराई जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट- अ पर उपलब्ध है।

(2) पेंशनर्स को आंख के लिये लैंस क्रय की सम्पूर्ण राशि पुनर्भरण योग्य हैं यदि नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा यह प्रमाणित किया जावे कि चिकित्सालय में नि:शुल्क लैंस उपलब्ध नहीं है एवं इसका प्रत्यारोपण आवश्यक है।

पेंशनर्स को श्रवण यंत्र के लिये वर्तमान में वास्तविक कीमत या राशि रुपये 5000 जो भी कम हो का पुनर्भरण किया जाता है।

पुनर्भरण के लिए राजकीय चिकित्सालयों से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के आधार पर उपभोक्ता संघ से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर बाजार से लैंस/श्रवण यंत्र क्रय किये जावें, क्रय करने के पश्चात बिल के आधार पर निर्धारित परमआवश्यक प्रमाणपत्र-5 की पूर्ति की जावे। सम्बन्धित जिलाध्यक्ष से बिल व परमावश्यक प्रमाण पत्र सत्यापित किया जावे। तत्पश्चात सम्पूर्ण प्रपत्र सम्बन्धित कोषालय में पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत किया जावे।

(3) राज्य सरकार के पेंशनर्स को राज्य के राजकीय चिकित्सालय (सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर सहित) में हृदय बाई पास शल्य चिकित्सा अथवा हृदय रोग से सम्बन्धित उपचार कराने पर वास्तविक व्यय या राशि रुपये 1.20 लाख जो भी कम हो पुनर्भरण किया जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा मण्डल की अनुशंसा या इसके अभाव में भी राज्य से बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में चिकित्सा कराने पर 48,000/- रुपये तक पुनर्भरण किया जाता है।

अमान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में चिकित्सा कराने पर पुनर्भरण योग्य नहीं है।

(4) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के जनरल वार्ड का हृदय बाइपास शल्य क्रिया हेतु चिकित्सा व्यय रुपये 60,000/- है, इसका 80 प्रतिशत अर्थात रुपये 48,000/- पेंशनर्स को पुनर्भरण किया जाता है। प्राईवेट वार्ड की दरें निम्न प्रकार हैं :-

बी क्लास- 1100 रुपये प्रतिदिन

ए क्लास – 1700 रुपये प्रतिदिन

(5) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में होने वाले जाचं/परीक्षण की दरें एवं इनके लिए उपलब्ध उपकरण/मशीनें की सूची परिशिष्ट –ब पर उपलब्ध है।

(6) सन्तोकबा दुर्लभजी, टोग्या हार्ट अस्पताल, एवं भगवान महावीर कैन्सर चिकित्सालय को मान्यता देने का प्रकरण विचाराधीन है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## अजमेर जिले में मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु आबंटित राशि

**157. डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विगत तीन महीनों में अजमेर जिले में वायरल, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं डेंगू की पहचान के लिए ग्रामीण एवं शहरी इलाकों से कितने सैम्पल लिए गये? उक्त सैम्पलों की जांच के क्या परिणाम रहे?

(2) सरकार द्वारा अजमेर जिले में डी.डी.टी. फोगिंग के लिए कितना बजट आबंटित किया गया है?

(3) क्या बजट का पूरा उपयोग कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) अजमेर जिले में विगत तीन माह में मलेरिया की जांच हेतु कुल 109996 रक्त के नमूने लिए गए। जांच के दौरान कुल 832 मलेरिया पाजिटीव कैसेज पाए गए इनमें से 35 पी.एफ. एवं 677 पी.वी. एक्स पाए गए। चिकनगुनिया की जांच हेतु 12 सिरम सैम्पल राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एन.आई.सी.डी.) नई दिल्ली भिजवाए गए। जिसमें से 2 सैम्पल में एन्टीबाडी टाइटर 10 से अधिक पाया गया जो कि चिकनगुनिया इन्फेक्शन को इंगित करता है। रिपोर्ट के अनुसार चिकनगुनिया होने की पुष्टि हेतु उक्त दोनों केसेज के द्वितीय सिरम सैम्पल जांच हेतु पुनः राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एन.आई.सी.डी.) नई दिल्ली भिजवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

(2) अजमेर जिले में डीडीटी स्प्रे के लिए राशि रु. 3.00 लाख का बजट मजदूरी मद में आबंटित किया गया है।

(3) अजमेर जिले के सभी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों व अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) अजमेर को उनके क्षेत्र में डीडीटी स्प्रे हेतु राशि रु. 3.00 लाख का बजट आबंटन किया गया है। डीडीटी स्प्रे का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण प्रगति पर है किए गए डीडीटी स्प्रे के कार्य का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

## डेगाना के सड़क विहीन ग्राम

**158. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला नागौर में वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 के दौरान कितने किलोमीटर कितनी राशि की डामर सड़कों का निर्माण कराया गया? विवरण सड़कवार, तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2006-07 के दौरान विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कितनी नई डामर सड़कें स्वीकृत की गई व कितनों पर वर्तमान में कार्य चल रहा है? विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी आबादी तक के गांव वर्तमान वर्ष के दौरान डामर सड़क से जोड़ दिये जायेंगे? विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला नागौर में वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 के दौरान अगस्त, 2006 तक 622.39 किमी डामर सड़कों का निर्माण 53.87 करोड़ रुपये का व्यय कर कराया गया। सड़कवार एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2006-07 में 19 नई डामर सड़कें स्वीकृत की गई एवं वर्तमान में 16 सड़कों पर कार्य चल रहा है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान वर्ष के दौरान 7 गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित था जिन्हें इस वर्ष के दौरान डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है। ग्रामवार व आबादी का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## बस्सी की निर्माणाधीन सड़कें

**159. श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 2004-05, 2005-06 में अकाल राहत योजना तथा अन्य योजना के तहत डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें बनाई गई? यदि हां, तो कब-कब तथा कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों पर बी.टी. कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 2004-05, 2005-06 में अकाल राहत योजना एवं अन्य योजना के तहत डब्ल्यू.बी.एम. सड़क नहीं बनाई गई है।

(2) उपरोक्तानुसार।

## दलपुरा-जीतकीपुर ग्राम पंचायत (टोडाभीम) मार्ग का डामरीकरण

**160. श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बत्तीलाल)

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दलपुरा और ग्राम पंचायत जीतकीपुर मुख्यालयों के मध्य दूरी मात्र 1 किलोमीटर है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

जी हां। ग्राम पंचायत दलपुरा व ग्राम पंचायत जीतकीपुर मुख्यालय अलग से डामर सड़क से जुड़े हुए हैं। इनको आपस में जोड़ने का कार्य राज्य के उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

## चम्बल नदी के मण्डरायल क्षेत्र में पुल निर्माण

**161. श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि करौली जिले के ग्राम मण्डरायल के पास मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा से लगते हुये चम्बल नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त नदी पर कब तक पुल का निर्माण करवा दिया जावेगा और नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

जी नहीं।

## सहाड़ा की मिसिंग लिंक सड़कें

**162. श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में इंटर जिले व तहसील से तहसील को जोड़ने वाली कौन-कौनसी मिसिंग लिंक सड़कें हैं व इनमें कितने-कितने किलोमीटर की दूरी है? क्या सरकार इन सड़कों का डामरीकृत कर मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में अंतर जिले को जोड़ने वाली निम्न 9 मिसिंग लिंक सड़कें हैं जिनकी जिलेवार लम्बाई निम्नानुसार है :-

| क्र. सं. | मिसिंग लिंक सड़क का नाम | मिसिंग लिंक की लम्बाई (कि.मी. में) | |
|---|---|---|---|
| | | जिला भीलवाड़ा | जिला चित्तौड़गढ़/ राजमसन्द |
| 1 | नेगड़िया का खेड़ा (भीलवाड़ा) से कुरज चौराहा राजसमन्द | 4.00 | - |
| 2 | सोनियाणा (भीलवाड़ा) से रेवाड़ा (चित्तौड़गढ़) | 2.00 | 4.00 |
| 3 | पोटाला सुरावास (भीलवाड़ा) गिलुन्ड (चित्तौड़गढ़) | 2.00 | - |
| 4 | बांगड़ (भीलवाड़ा) से साकरड़ा (राजसमन्द) | 2.50 | 1.00 |
| 5 | झड़ोल (भीलवाड़ा) से ओलना खेड़ा (राजसमन्द) | 3.00 | 1.50 |
| 6 | टुंगच (भीलवाड़ा) से सिरोड़ी (राजसमन्द) | 2.00 | 1.00 |
| 7 | मासींगपुरा ठीकरिया (भीलवाड़ा) से डेकवाड़ा (राजसमन्द) | 3.00 | 2.00 |
| 8 | अरनियां (भीलवाड़ा से पहुंनी (चित्तौड़गढ़) | 1.50 | 5.00 |
| 9 | अरनियां (भीलवाड़ा) से रेवाड़ा (चित्तौड़गढ़) | 2.00 | 5.00 |

इन सड़कों में क्रम संख्या 1 का मिसिंग लिंक सड़क डब्ल्यू बी एम से बी.टी. फेज द्वितीय में स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है। क्रम संख्या 2 की मिसिंग सड़क डब्ल्यू बी एम से बी.टी फेज तृतीय में स्वीकृत है जिसकी निविदा आमंत्रित कर ली गई है तथा दिनांक 2.11.06 को प्राप्त करनी है तथा शेष क्रम संख्या 3 से 9 मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति किसी योजना में नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में तहसील से तहसील को जोड़ने वाली निम्न 6 सड़के हैं :-

| <u>मिसिंग लिंक सडक का नाम</u> | <u>लम्बाई</u> |
|---|---|
| 1. महेन्द्रगढ़ (सहाड़ा) से एकलिंगपुरा (भीलवाड़ा) | 4.50 किमी. |
| 2. कलाल खेड़ी (रायपुर) से चिलेश्वर (माण्डल) | 5.00 किमी. |
| 3. नाथड़ीयास (रायपुर) से सबलपुरा (माण्डल) | 2.50 किमी. |

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

| | |
|---|---|
| 4. पनोतिया (रायपुर) से चान्द्रास (माण्डल) | 5.00 किमी. |
| 5. जोगरास (रायपुर) से चान्दराम (माण्डल) | 5.00 किमी. |
| 6. बाड़ी (रायपुर) से चिलेश्वर (माण्डल) | 5.00 किमी. |

उपरोक्त सभी मिसिंग लिंक सड़कें किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

इन मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

## ब्यावर-उदयपुर वाया भीम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 का चार लैन में परिवर्तन

**163. श्री हरीसिंह रावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ब्यावर से उदयपुर वाया भीम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चार लैन बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

ब्यावर से उदयपुर वाया भीम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 को चार लैन में बनाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 16-02-2006 को भेजे जा चुके हैं।

## श्रीडूंगरगढ़ में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

**164. श्री मंगला राम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार श्रीडूंगरगढ़ में 220 के.वी.ए. का ग्रिड सब-स्टेशन लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार 132-33 के.वी.ए. के ग्रिड सब-स्टेशन विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस जगह और कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। श्रीडूंगरगढ़ (जिला बीकानेर) में 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की योजना स्वीकृत है जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस ग्रिड सब स्टेशन को वित्तीय वर्ष 2007-08 में चालू किया जाना प्रस्तावित है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण विधान सभा क्षेत्रानुसार नहीं किया जाता। बीकानेर जिले में वर्तमान में एक नया 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन केवल खाजूवाला में बनाया जाना स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में निम्न 33/11 के.वी. सब स्टेशनों के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है :-

1. लिखमीसर दिखनादा 2. कल्याणसर नया 3. देराजसर 4. रेड़ा

उक्त स्वीकृत सब-स्टेशनों का कार्य वर्ष 2006-07 में उपलब्ध संसाधनों एवं वार्षिक बजट के अनुसार करना प्रस्तावित है।

## कोटपूतली एवं पावटा के कार्यालय सहायक अभियन्ता में लम्बित कृषि कनेक्शन

**165. श्री सुभाष चन्द शर्मा** (कोटपूतली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कार्यालय सहायक अभियन्ता, कोटपूतली तथा सहायक अभियन्ता, पावटा द्वारा दिसम्बर, 2003 से अब तक कितने कृषि कनेक्शन जारी किये गये? नाम सहित श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि काश्तकारों द्वारा डिमाण्ड राशि व सिक्यूरिटी राशि जमा करवाने के उपरान्त भी उन्हें कृषि कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कृषकों को कृषि कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

### उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता, कोटपूतली तथा सहायक अभियन्ता, पावटा के क्षेत्रों में माह दिसम्बर, 2003 से अब तक श्रेणीवार निम्न प्रकार से कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं :-

| क्र.सं. | कृषि श्रेणी | उपखण्ड कोटपूतली | उपखण्ड पावटा |
|---|---|---|---|
| 1. | स्पेशल | 261 | 153 |
| 2. | सामान्य | 352 | 184 |
| 3. | अनु. जाति | 54 | 38 |
| 4. | फार्म हाऊस | 92 | 114 |

(ऊर्जा मंत्री)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | नर्सरी | 0 | 2 |
| | **कुल योग** | **759** | **491** |

नाम सहित श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। जिन काशतकारों द्वारा डिमाण्ड राशि व सिक्योरिटी राशि जमा करवा दी गई है उन्हें सामान की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकतानुसार कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही की जा रही है तथा उपरोक्त उपखण्डों के विवादग्रस्त उपभोक्ताओं के अलावा सभी जमा मांग पत्र वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(3) जी हां। उक्त कृषकों को वर्ष 2006-07 के अन्त तक कृषि कनेक्शन जारी करने का प्रयास किया जायेगा तथा उपरोक्त उपखण्डों में विवादग्रस्त उपभोक्ताओं के विवाद समाप्त होते ही उन्हें भी शीघ्र कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## बल्लभनगर में नवीन सहायक अभियन्ता कार्यालयों का सृजन

**166. श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (बल्लभनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नियमान्तर्गत कितने न्यूनतम उपभोक्ताओं पर एक सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला जाता है?

(2) बल्लभनगर व भीण्डर सहायक अभियन्ता कार्यालयों में कितने-कितने उपभोक्ता हैं?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बढ़ रहे उपभोक्ताओं की दृष्टि में नया सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार भटेवर व कानोड़ में भी नये सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 14000 व ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 11000 उपभोक्ता होने पर सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का प्रावधान है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) बल्लभनगर सहायक अभियन्ता कार्यालय में 14378 तथा भीण्डर सहायक अभियन्ता कार्यालय में 12508 सक्रिय उपभोक्ता हैं।

(3) बल्लभनगर क्षेत्र में बढ़ रहे उपभोक्ताओं की दृष्टि से ग्राम भटेवर में नया सहायक अभियंता कार्यालय खोलना प्रस्तावित है। भीण्डर क्षेत्र में नया सहायक अभियंता कार्यालय खोलना तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है।

(4) निगम स्तर से केवल भटेवर में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलना प्रस्तावित है तथा कानोड़ में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं है।

## दुलारी योजनान्तर्गत लाभान्वित बालिकाएं

**167. श्री महादेव सिंह** (खण्डेला) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में दुलारी योजना शुरू की गई है? यदि हां, तो कब से तथा इस योजना का प्रयोजन क्या है?

(2) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2004-05 व 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा कितना वित्तीय प्रावधान रखा गया तथा कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार तथा जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत कितनी बालिकाओं को किन सुविधाओं से लाभान्वित किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2005-06 की बजट घोषणाओं में बिन्दु संख्या 31 पर राज्य की ''किशोरी शक्ति योजना'' से शेष रहे 72 खण्डों के लिये दुलारी योजना की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु राज्य योजना मद में 20.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया था। इस दौरान भारत सरकार द्वारा किशोरी शक्ति योजना का दुलारी योजना के 72 ब्लाक्स में भी विस्तार कर दिया गया। दुलारी योजना व किशोरी शक्ति योजना के उद्देश्य व लक्ष्य वर्ग एक समान होने के कारण राज्य सरकार द्वारा पृथक से दुलारी योजना की क्रियान्विति किये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। इस योजना के लिए स्वीकृत प्रावधान 20 लाख रुपये वित्त एवं आयोजना विभाग की सहमति से समर्पित कर दिये गये।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

इस योजना का प्रयोजन किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण तथा जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करना था।

(2) दुलारी योजना के नाम से वर्ष 2004-05 में कोई बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया किन्तु वर्ष 2005-06 में इस योजना की घोषणा होने पर विभागीय बजट अनुमानों में 20.00 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना मद में रखा गया। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में दुलारी योजना के अन्तर्गत कोई राशि व्यय नहीं की गई।

(3) जैसा कि प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में वर्णित किया गया है कि दुलारी योजना के स्थान पर किशोरी शक्ति योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई। अतः दुलारी योजना के अन्तर्गत कोई बालिका लाभान्वित नहीं हुई।

## जनजाति क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त कर्मी

**168. श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के अन्तर्गत विभिन्न परियोजना, छात्रावास आदि में कार्य करने के लिये प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी लगाये जाते हैं? यदि हां, तो कौन-कौन व्यक्ति कब से कार्यरत हैं? क्या सरकार एक ही पद पर लम्बे समय से कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत परियोजना/उप परियोजना कार्यालयों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आबूरोड के अंतर्गत परियोजना/उप परियोजना अधिकारी के उप जिला शिक्षा अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्मिकों को अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

इसी प्रकार आश्रम छात्रावास में वार्डन-कोच आदि पदों पर कार्मिक, शिक्षा विभाग एवं राजससंघ से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते हैं। प्रतिनियुक्ति कार्मिकों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(जनजातिय क्षेत्रीय विकास मंत्री)

यदि संबंधित विभागों से उपयुक्त विकल्प के रूप में नये कार्मिक प्राप्त होते हैं तो इस विभाग में लम्बे समय से कार्यरत कार्मिकों को हटाया जा सकता है क्योंकि विकल्प के अभाव में लम्बे समय से कार्यरत व्यक्तियों को हटा दिया जावेगा तो कार्यालय-छात्रावासों में अव्यवस्था उत्पन्न की संभावना रहेगी।

**(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**